वार्षिक रिपोर्ट
2016–17

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

"गणतंत्र दिवस 2017 समारोह" के दौरान विभिन्न राज्यों से आये जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी।

"गणतंत्र दिवस 2017 समारोह" के दौरान विभिन्न राज्यों से आये जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी।

जनजातीय विकास के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप

अधिकारों की सुरक्षा

स्वास्थ्य

आर्थिक विकास

संस्कृति, शिल्प, विरासत, फसलों का संवर्धन

सामाजिक सशक्तिकरण

आवास

शिक्षा

संपर्क

खेलों को प्रोत्साहन

स्वच्छता

पेयजल

सिंचाई

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालय : एक परिचय	1-7
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप – सिंहावलोकन	8-10
3	वर्ष 2016-2017 की विशेषताएं/मुख्य उपलब्धियां	11-23
4	अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा	24-36
5	अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र	37-44
6	जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम	45-58
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	59-66
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	67-77
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	78-79
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	80-82
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	83-86
12	जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता	87-92
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	93-94
14	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम	95-102
15	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	103
16	जेंडर संबंधी मामले	104-106
17	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	107-108
18	लोक शिकायत और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	109-110
19	विभागीय लेखा-परीक्षण	111-112
20	नागरिक/ग्राहक चार्टर	113-122

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	संगठनात्मक चार्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय	125
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची	126
3क	जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय	127-129
3ख	वर्ष 2016-17 के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 31.12.2016 तक व्यय	130-133
4क	लिंग तथा निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या: जनगणना 2011	134-136
4ख	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता तथा अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता	137
4ग	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की लिंग सबंधी सरंचना	138
4घ	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जगणना 2011	139
4ड़	अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक स्तर-स्नातक तथा उससे ऊपर	140
4च	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एस.सी., पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी.) की स्थिति	141
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम	142
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी तथा सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	143
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर	144
4ञ	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत	145
4ट	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों के अंदर शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है	146
4ठ	जनगणना की शर्त वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता	147
4ड	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार	148
4ढ	वर्ष 2015 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं तथा दर	149
4ण	अ.ज.जा. महिलाओं के विरूद्ध अपराध (अत्याचारों का निवारण (पीओए) अधिनियम)	150
4त	अ.ज.जा. महिलाओं के विरूद्ध अपराध (जहां अ.जा. / अ.ज.जा. अत्याचारों का निवारण अधिनियम लागू नहीं है।)	151

4थ	मानव तस्करी से सम्बधित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार मामले	152
4द	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार अ.ज.जा. प्राथमिकता वाले जिले	153-156
4ध	अ.ज.जा. प्राथमिकता वाले उप-जिलों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची	157-178
4न	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय: जनगणना 2011	179-187
5क	राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश / संशोधन	188-189
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची	190-201
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची	202-241
5घ	अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टो की स्थिति (31.12.2016 तक)	242
5ड़	वर्ष 2012-13 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण (31.12.2016 तक)	243
6क	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक राज्य टीएसपी परिव्यय	244
6ख	वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के दौरान जनजातीय उप-योजना का मंत्रालय / विभाग-वार आवंटन	245-246
6ग	क्रियाकलपों को दर्शाने वाली सूची	247-249
6घ	वर्ष 2007-08 से (31.12.2016 तक) के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निर्मुक्त राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण	250
6ड़	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान के तहत 2016-17 (31.12.16 तक) के दौरान निधियों के राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार आवंटन एवं निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण	251
6च	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अब तक स्वीकृत और कार्यरत ईएमआरएस की संख्या (31.12.16 तक)	252
6छ	वर्ष 2016-17 के दौरान ईएमआरएस के लिए निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण (31.12.16 तक)	253
6ज	अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासी विद्यालय (ईएमआरएस) (31.12.16 तक)	254
7	दिनांक 30.11.2016 तक अनुसूचित जनजाति एवं (वन अधिकारों की मान्यता) अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन की स्थिति	255

8क	वर्ष 2014-15 से 2016-17 (31.12.2016 तक) तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्य-वार निर्मुक्तियां	256
8ख	2014-15 से 2016-17 (31.12.2016 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्य-वार निर्मुक्तियाँ	257
9 क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार नाम	258-259
9 ख	2014-15 से 2016-17 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त राशियों का सारांश	260
10	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	261-262
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)- वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज हेतु लक्ष्य	263-264
12	'जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत सहयोग' की स्कीम जो कि पहले 'लघु वन उत्पाद प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान' कहलाती थी उसको वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान जारी की गई सहायता अनुदान के विवरण	265
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायाधिकार क्षेत्र	266
14क (i)	'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निधि-पोषित स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची	267-286
14क (ii)	'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे का सार	287
14ख(i)	'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत 2014-15 से 2016-17 के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची	288-290
14ख(ii)	'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे का सार	291
15क	वर्ष 2015-16 से 2016-17 (31.12.2016) के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष-वार निर्मुक्तियां	292

15ख	वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	293
16	वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	294-296
17	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	297-298
18	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.जन.सूचना अधिकारी) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	299-300
19	लेखा-परीक्षा पैरा / पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिसकी कृत कार्रवाई टिप्पणी लंबित है	301

शब्दावली

शब्द/छोटा रूप	अर्थ/पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण-सह-विकास
सीएफटीआरआई	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जनशिकायत निवारण और निगरानी तंत्र
सीएसपीएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
जीईआर	समग्र नामांकन अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईटीडीपी/आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना/एजेंसी
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
माडा	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमईएस	मॉड्यूलर एम्प्लोएबल स्किल्स
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु उद्देश्य जनजातीय विकास परियोजनाएं
एनएईबी	राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारस्थितकीय विकास बोर्ड

एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाला वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	जन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
एनएफ	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
टीएसपी को एससीए	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
अनुसूचित जनजातियां (अ.ज.जा.)	भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है कि वे समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुरूप अनुसूचित किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि केवल वे समुदाय जिन्हें प्रारम्भिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा अथवा संसद के परवर्ती संशोधनकारी अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजातियां माना जायेगा।
एससीएसवीई	स्वेच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान
एसएचजी	स्व सहायता समूह
एसपीएआरआरओडब्ल्यू	बेहतर कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विन्डो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय परामर्शदात्री परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत जिला परिषद
ट्राईफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–योजना
यूसी	उपयोग प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय : एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर, 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि-विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:-

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. सितंबर, 1985 से मई, 1998 के दौरान कल्याण मंत्रालय।
3. मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

"1 अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा;

2 जनजातीय कल्याण: जनजातीय कल्याण की आयोजना, परियोजना निरूपण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी एवं प्रशिक्षण;

3 जनजातीय कल्याण संबंधी स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास;

4 ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित अनुसूचित जनजातियां;

5 अनुसूचित जनजातियों का विकास

5क) वन भूमियों पर वन निवासियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

टिप्पण: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों की संपूर्ण नीति, आयोजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा। इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि तथा उनका समन्वय भी संबंधित केंद्रीय मंत्रलयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र;

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम;

7 (क) आयोग अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

(ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियां के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देशों के मुद्दे।

8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

9 नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955

की संख्या 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) जहाँ तक वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, के मामले में अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर।

10 नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए ढांचे और तंत्र के आधार पर जनजातीय उप-योजना की मानीटरी।''

भूमिका

1.3 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर को पाटने हेतु निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के जरिए उनके प्रयासों की संपूर्ति करता है। इनमें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं तथा यह संस्थान निर्माण के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री के समग्र निर्देश में कार्य करता है और राज्य मंत्री द्वारा इनकी सहायता की जाती है। सचिव मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा इनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उपमहानिदेशक तथा दो आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आंतरिक वित्त तथा बजट के मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 138 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 114 है। समूह "क" के 45 पद, समूह "ख" (राजपत्रिक/अराजपत्रिक) के 59 पद, समूह "ग" के 34 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

प्रशासन

1.5 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम तथा संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और इस मंत्रालय बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग, भारतीय सांख्यिकीय संवर्ग आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन में स्थित है तथा शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे सांख्यिकी, आर्थिक (नीति विश्लेषण), आय सृजनकारी योजना तथा हिन्दी अनुभाग भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)

1.7 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- आईसीटी आवेदनों/परियोजना विकास तथा इसके प्रचालनों का समर्थन तथा रखरखाव।
- एलएएन / एमएएन / डब्ल्यूएएन / इंटरनेट सेवाओं और इसकी सुरक्षा की साइबर हमलों से रक्षा तथा रखरखाव।
- एनआईसी की ओर से 20 एमबीपीएस आरएफ के बैकअप के साथ लीज लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ाव को स्थापित करना।
- वीसी (वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग) की प्रगति (अति सक्रिय अभिशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन) तथा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों हेतु बढ़ाया गया है।
- 'भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू)' के अनुसार तथा इसे अद्यतन रखने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट का रखरखाव।
- ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईसीटी सहायता प्रदान करना तथा उनकी वेबसाइट और आईसीटी सेवाओं का रखरखाव करना।

1.7.1 परियोजनाओं/वेबसाइटों जो निर्माणाधीन हैं तथा जो शुरू किए जाने हेतु तैयार हैं, की वर्तमान स्थिति:

- 2012 संशोधन नियमों के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम निगरानी प्रणाली का सुधार करना। विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम सभा, उप-मंडल तथा जिलों से व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों दावों के आवेदन प्राप्त करना। कुछ राज्यों द्वारा रिपोर्ट रखने के रूप में तथा सभी प्रकार के दावों के लिए आवेदन का उपयोग भी किया जाता है। इस पोर्टल का यूआरएल http://www.forestright.nic.in है।
- जनजातीय उप-योजना के तहत http://tspmis.nic.in निगरानी, आवंटन, उपयोग तथा निर्दिष्ट लाभों की पहुंच के लिए वेब आधारित निगरानी सूचना प्रणाली है, जो अलग-अलग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रशासित की जा रही है। यह परियोजना यूएनडीपी तथा मंत्रालय/एनआईसी के संयोजन में है। यह एप्लीकेशन शुरू किए जाने हेतु तैयार है।
- एसएमआईएस (अनुच्छेद 275 के तहत योजना प्रबंधन सूचना प्रणाली) वेब आधारित एप्लीकेशन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कई जनजातीय परियोजनाओं के निधियन के लिए आईटीडीए/राज्यों से मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह एप्लीकेशन परियोजना प्रस्तुति, स्वीकृति, निधि की निर्मुक्ति, उपयोग की प्रस्तुति तथा स्थिति, कार्यान्वित परियोजना की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति और लाभार्थियों के ब्यौरों आदि की निगरानी करता है। पोर्टल आयोजित किए जाने हेतु तैयार हैं।
- ई-छात्रवृत्तियों के लिए केन्द्रीकृत राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) एमआईएस भी कार्यान्वयनाधीन है।
- http://ngo.tribal.nic.in मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एनजीओ की निधियों तथा एनजीओ की परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह पोर्टल आरंभ किया गया है।
- परियोजना के आवेदन, इसका पता लगाने तथा निधियों की स्वीकृति के उद्देश्य के लिए एनजीओ-एमआईएस के अनुकूलन हेतु प्रारंभिक कार्य किया गया है।
- ई-अभिशासन के एप्लीकेशन जैसै ई-ऑफिस, कोम्पडीडीओ, वस्तुसूची प्रणाली, bhavishya.nic.in (पेंशन, स्वीकृत तथा भुगतान का पता लगाने की प्रणाली), limbs.gov.in (न्यायालय के मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लीकेशन), pgportal.gov.in (शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल), e-samiksha.gov.in (बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी), ई-टेंडरिंग, ई-सर्विस बुक, एसपीएआरआरओडब्ल्यू, ई-आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, आधार पर निर्भर उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस, hlc.tribal.nic.in का कार्यान्वयन।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.8 हिन्दी संघ की राजभाषा है इसलिए सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय सक्रियता से कार्य कर रहा है। हिन्दी अनुभाग अनुवाद का कार्य और राजभाषा नीति तथा अधिनयम के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसके अधीन संगठनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की भी निगरानी करता है। अधिकतर अधिकारी तथा कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं या उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

राजभाषा अधिनियम/नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.9 वर्ष 2016-17 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिर्पोटे द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनयिम की धारा 3(3)का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इस मंत्रालय के अधिकारयों/कर्मचारियों की हिन्दी में सरकारी काम करने की हिचक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

मंत्रालय की नवगठित हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक में सम्मिलित सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम और माननीय राज्यमंत्री श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर।

मंत्रालय के अंतर्गत दो संगठनों द्वारा सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण भी किए गए थे।

1.10 दिनांक 18.07.2016 को मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। दिनांक 28.07.2016 को जनजातीय कार्य मंत्री अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति बैठक आयोजित की गई।

हिन्दी पखवाड़ा

1.11 मंत्रालय में 14 से 28 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाडे का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लेखन, हिन्दी कविता पाठ और हिन्दी टंकण जैसे कार्यकलाप और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगताओं में बहुत उत्साह से भाग लिया।

सतर्कता कार्यकलाप

1.12 इस मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशा.) के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखतें है। एक उप-सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करते हैं।

1.13 मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2016 से 05.11.2016 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया । दिनांक 31.10.2016 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शास्त्री भवन में तथा उप महानिदेशक (डीडीजी) ने अगस्त क्रांति भवन में मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.14 दिनांक 22.06.2016 से मंत्रालय में श्रीमती विशुमैनी, उपमहानिदेशक (सांख्यकी) को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्योरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की आन लाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यलय आदि के माध्यम से तथा सीधे ही ऑन लाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान ऑन-लाइन किया जा रहा है।

नागरिक/ग्राहक चार्टर

1.15 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 20 में दिए गए हैं।

1.16 इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी प्रणाली सृजित की गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह

1.17 वर्षो से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रुप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक महिला और एक पुरुष को आमंत्रित किया है।

संसदीय स्थायी समिति तथा परामर्शदात्री समिति

1.18 सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता पर स्थायी समिति (2015-16) की 22वीं रिपोर्ट में निहित अवलोकनों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई दिनांक 17-03-2016 को लोक सभा सचिवालय को प्रेषित की गई थी।

1.19 श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति ने वर्ष 2016-17 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच के संबंध में 30.03.2016 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए।

1.20 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2015-16) ने दिनांक 28.04.2016 को लोक सभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2016-17) पर अपनी 29वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसी दिन इसे राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया गया।

1.21 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने दिनांक 05.02.2016 को लोग सभा तथा 04.05.2016 को राज्यसभा में अनुदान मांगों सम्बन्धी स्थाई समिति (2014-15) की तीसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण दिया।

1.22 जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2016-17) पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 29वीं रिपोर्ट में निहित अवलोकनों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई दिनांक 02-08-2016 को लोक सभा सचिवालय को प्रेषित की गयी थी।

1.23 "जनजातीय लोगों के लिए शिक्षा योजनाएं" विषय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29-08-2016 को आयोजित की गई थी।

1.24 माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में नई पुनर्गठित जनजातीय कल्याण हेतु स्थायी समिति (एससीटीडब्ल्यू) की पहली बैठक दिनांक 10-11-2016 को आयोजित की गई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण परिषद (एनसीटीडब्ल्यू) में चर्चा के लिए विशेष मुद्दों पर बातचीत करने तथा कार्यसूची की सिफारिश करने के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्य जनजातीय कल्याण मंत्रियों ने भाग लिया था। राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था।

1.25 वर्ष 2016 के दौरान (i) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, (ii) अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधित मुद्दों, तथा (iii) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास मुद्दों के संबंध में चर्चा करने के लिए क्रमशः दिनांक 28-04-2016, 28-07-2016 तथा 08-11-2016 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.26 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित

जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.27 अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338-क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं।

जनजातीय विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग

1.28 जनजातीय लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार से नेशनल रिमोट सैन्सिंग सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के परामर्श से निम्नलिखित पहलों का जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसरण किया जा रहा है:-

(क) जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्रों के केन्द्रीकृत एटलस पर डाटाबेस तैयार करना;

(ख) अंतरिक्ष आंकड़ों का उपयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेत में जलाशयों / मछलीपालन वाले जलाशयों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान; तथा

(ग) विकासीय आयोजना के लिए जनजातीय जिलों के अंतर्गत सतत जलाशयों की पहचान।

1.29 मंत्रालय राष्ट्रीय एटलस तथा केन्द्रीकृत मैपिंग संगठन (एनएटीएमओ), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से "भारत - राज्य / जनजातीय जनसंख्या वाले जिलों" पर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया में भी है।

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) / पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.30 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को अन्य बातों के साथ संविधान के भाग 9 तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (अधिनियम, 1996)के प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, जैसा इसे अधिदेश किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रित तथा भागीदारी वाली स्थानीय स्व-सरकार प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय तथा सेवाओं की कार्यकुशल सुपुर्दगी के साथ अंतरवेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण सामर्थ्य तथा जवाबदेही पंचायती राज मंत्रालय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243 ड के अनुसार 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसे लागू करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को अधिनियमित किया।

1.30.1 संविधान की 5वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के साथ-साथ इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों से सरोकार रखता है। पेसा अधिनियम, 1996 का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ संशोधनों तथा अपवादों के साथ संविधान के भाग 9 तक किया जाता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना में विद्यमान है।

1.30.2 इन क्षेत्रों में इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को

लोगों की परंपराओं तथा रीतिरिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद हल करने के प्रथागत तरीके की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए "सक्षम" माना जाता है। ग्राम सभाओं के पास गांव की पंचायतों की योजनाओं को अनुमोदित करने, स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, निधियों के उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करने, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों तथा कार्यकरणों को नियंत्रित करने की अनिवार्य कार्यकारी शक्ति है तथा जनजातीय उपयोजना सहित ऐसी योजना के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों के पास भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श करने; लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टे निमयित करने; भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति; मद्य की बिक्री / उपभोग को नियमित करने की शक्ति; गांव के बाजार का प्रबंध करने तथा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने तथा लघु वन उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार भी है।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में शिकायत समिति

1.31 इस मंत्रालय में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में दिनांक 11–02–2016 को श्रीमती विशु मैनी, उप–महानिदेशक की अध्यक्षता में शिकायत समिति गठित की गई है। वर्ष 2016 के दौरान समिति द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप - सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय आबादी का समेकित विकास प्राप्त करने के लिए समर्पित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकास के लिए संपूर्ण नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय के लिए मोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करती हैं तथा उन्हें पूरा करती हैं और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करती हैं। यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक संवर्धन तथा सामाजिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासीय हस्तक्षेपों के रूप में उनके प्रयासों को पूरा करता है। ये योजनाओं राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों तथा स्वच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 अब तक मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए सभी प्रयासों को योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान तथा जनजातीय उपयोजना को केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुलग्नक-2** में दी गयी है।

2.3 मंत्रालय की कुछ केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनका ब्यौरा अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2.4 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, शैक्षिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है तथा जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण हेतु एक अत्यधिक प्रभावी यंत्र है, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, उच्च श्रेणी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति तथा राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके वर्ष के दौरान प्रयास किए गए थे।

2.5 'अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है ताकि माध्यमिक/उच्चत्तर स्तर की शिक्षा में ड्रॉप आउट दरों को घटाया जा सके। आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है।

2.6 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवकों की रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना है।

2.7 'कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना' 01-07-2012 से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का समर्थन करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तन और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम से कम किया जा सके तथा

मैट्रिक-पूर्व स्तर की कक्षा 9 - 10 कक्षाओं में अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर के चरणों में उन्हें बेहतर प्रगति करने का मौका मिल सके।

2.8 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की फ्लेगशिप योजना को छात्रवृत्ति, उच्चतम आय सीमा की दर तथा विषयों के समूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्द्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है।

2.9 विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत मंत्रालय स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययनों हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.10 अनूसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण को सुसाध्य करने और इसके स्तरों जो समय खराब करते हैं, को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने इन दोनों योजनाओं को ''अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति'' नामक एकल केंद्रीय क्षेत्र की योजना में मिला दिया है।

2.11 चयनित सूची के ख्याति प्राप्त संस्थानों में से किसी एक ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय अनुसूचति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2008-09 से आरंभ की गई।

2.12 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत मंत्रालय अनुमोदित ''संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं'' के अनुसार पीवीटीजी के लिए प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु पीवीटीजी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान करता है।

2.13 मंत्रालय ने ''अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' की योजना के तहत आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालयों, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए निधि पोषित किया है।

2.14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

2.15 जनजातीय संस्कृति, आदत तथा भाषा की भिन्नता/विशिष्टता के उच्च संरक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता देता है तथा अनुसंधान एवं प्रलेखन (जनजातीय संस्कृति का संरक्षण), प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (कानूनी/संवैधानिक प्रावधान पर) तथा कार्यकरणों और जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण (सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम) के क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

2.16 ''न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों का विपणन व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र'' की योजना वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु की गई ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण व बिक्री पर निर्भर करती है उनके लिए बहु अपेक्षित सुरक्षा नेट और समर्थन दिया जा सके। प्रारम्भ करने के लिए 5वीं अनुसूची वाले राज्यों तथा जिन्हें दस एमफपी मदों में शामिल किया गया है में यह योजना कार्यान्वित की गई थी। तथापि, हाल ही में उक्त योजनाओं के क्षेत्र की कवरेज को 5वीं अनुसूची वाले राज्यों से आगे बढ़ाया गया है तथा अब यह योजना सभी राज्यों के लिए लागू है। एमएफपी मदों की संख्या को भी 24 तक बढ़ाया गया है।

2.17 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है। इसकी स्थापना

बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियमए 1984 (अब बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियमए 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी। यह देश में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों ''ट्राइब्स इंडिया'' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पाद का विपरण करता है। क्षमता निर्माता के रूप में यह अनुसूचित जनजाति के कारीगारों तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

2.18 जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुदान जनजातीय लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए अनुसूचित जनसंख्या वाले 23 राज्यों को निर्मुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजना आकलन समिति (पीएसी) में विचार किए जाने के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2.19 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर के उत्थान तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 27 राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं।राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में अंतर भरने के लिए हैं। यह विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है तथा राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2.20 मंत्रालय का एक कार्य समुदायों का अनुसूचीकरण/गैर-अनुसूचीकरण है। संविधान राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। वर्षों से समुदायों के अनुसूचित जनजातियों के रुप में अनुसूचीकरण के लिए बड़ी संख्या में प्रस्ताव रहे हैं। प्रस्तावों को वर्तमान प्राविधियों जिन्हें 15.06.1999 को अनुमोदित किया गया था तथा 25.06.2002 को पुनः संशोधित किया गया था, के अनुसार प्रक्रियान्वित किया गया है।

2.21 हाल ही में दिनांक 22-12-2016 को संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016 (सं.आ.) संख्या 268 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है तथा दिनांक 22-12-2016 को यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इस आदेश के माध्यम से इरुलर (विली तथा वेट्टेइकरन सहित) को पुदुचेरी में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिह्नित किया गया है।

2.22 इसके अतिरिक्त, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश, (संशोधन) विधेयक, 2016 नामक एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र, 2016 के दौरान लाया गया है।

अध्याय 3

2016-17 की विशेषताएं / मुख्य उपलब्धियां

योजना परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2016-17 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित योजना परिव्यय 4826.50 करोड़ रूपए था तथा संशोधित अनुमान 4826.50 करोड़ रूपए था। वर्ष 2016-17 के दौरान (31.12.2016 तक) मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 3573.24 करोड़ रूपए थी जो बजट अनुमान का 74.44 प्रतिशत थी।

3.2 वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय के योजना-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-3 क** अनुसार हैं। वर्ष 2016-17 (31.12.2016) के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय के योजना-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-3 ख** में दिए गए हैं।

परियोजना मूल्यांकन समिति

3.3 मंत्रालय ने जून, 2016 में निधियों के अंतरराज्य आवंटन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक तथा जनजतीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश क्षेत्र तथा परिणाम आधारित मानक के रूप में क्षेत्रीय आवंटन तथा जनसंख्याअवयव के संशोधित अंतरराज्य आवंटन पर एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर-जिला आवंटन भी स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है। प्रमुख अनुसूचित जनजाति के समुदायोंको भी प्राथमिकता दी जाती है। बृहद स्थानिक तथा उच्चतर जनसांख्यिकी कवरेज को सुनिश्चित करने के लिएलाइन विभाग के चालू कार्यकलापों से वित्तीय संसाधनों के सामांजस्य के साथ मिले-जुले उपयोग का सहारा लिया जाता है। जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए), अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान तथा पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत 26 राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इस वर्ष के दौरान परियोजना आकलन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान कुछ अनुमोदित कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (आवर्ती तथा अनावर्ती लागत)
- माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यमान अवसंरचना भवन का विस्तार (प्राथमिक / अपर प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड करने के साथ भी)
- लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावासों का निर्माण
- सीएचसी / पीएचसी के अवसंरचना भवन का विस्तार / सुदृढ़ीकरण
- न्यूनतम तीन वर्ष की जीवन अवधि के साथ स्वास्थ्य उपस्कर
- जनजातीय परिवार की आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्य तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इसका विस्तार
- मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन तथा नमी / जल संरक्षण के उपाय
- जैविक खेती का संवर्धन
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना
- भंडारगृह, प्रसंस्करण आदि जैसे अग्रगामी सम्पर्कों के साथ बागवानी उत्पाद उगाने की प्रक्रिया तथा इसका संवर्धन

- जनजातीय परिवारों के लिए बेहतर तथा उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण तथा शीतलन अवसंरचना सहित सहकारी आधारित (अथवा अन्य) डेयरी विकास
- अवसंरचना तथा उपस्कर निर्माण सहित पशु चिकित्सा सेवाएं
- अग्र तथा पश्च संयोजन के साथ आय सृजनकारी कार्यकलाप के रूप में मुर्गी पालन का संवर्धन
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान

जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)

3.5 जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों की वार्षिक योजनाओं में विकास के सभी क्षेत्रों सेअनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने और परिव्ययों के प्रवाह को चौनलबद्ध करने की परिकल्पना करती है। जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास का प्रमुख भाग तथा देश में जनजातीय लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)" के कार्यक्रम के तहत अंतर भरने के रूप में इन पहलों को अपना योगदान प्रदान करता है।

इस मंत्रालय ने जून, 2016 में निम्नलिखित मानकों के साथ जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित किया है:

निधियों के अंतरराज्य आवंटन हेतु मानक

- ■ राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर आधारित 50%
- ■ क्षेत्र पर आधारित 25%
- ■ निष्पादन पर आधारित 25%

निधियों के अंतर जिला आवंटन हेतु मानक

- ■ जनसंख्या पर $66\frac{2}{3}$ %
- ■ क्षेत्र पर $33\frac{1}{3}$ %

केन्द्रीकृत क्षेत्र

जिले जहां अनुसूचित जनजातियां (जिले की जनसंख्या का) 25% अथवा अधिक हैं पर जनजातीय विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ध्यान दिया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित कुल 177 ऐसे जिलों(जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम 25% से भी कम है) को मंत्रालय द्वारा चिह्नित किया गया है।

प्राथमिक कार्यकलाप

(i) शिक्षा;

(ii) स्वास्थ्य;

(iii) प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मछलीपालन, डेयरी तथा अन्य;

(iv) जनजातीय परिवार की अर्थ व्यवस्था बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं;

(v) प्रशासनिक संरचना (मानव शक्ति सहित) / संस्थागत ढांचा तथा अनुसंधान अध्ययन।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

3.6 अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृति योजना, अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिककोत्तर छात्रवृति योजना तथा अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना के लिए आवेदन करने, प्राधिकारियों द्वारा मामलों की जांच करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करने तथा अंतिम स्वीकृति और पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे ही संवितरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल विकसित किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

3.7 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान, इस स्कीम के तहत 17 राज्यों में 77 आवासीय विद्यालयों से 11009 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला, 13 राज्यों में 39 छात्रावास से 6629 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला, 12 राज्यों में 24 सचल-औषधालयों को निधि-पोषित किया गया जिससे 4,13,545 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को लाभ मिला, 7 राज्यों में 23 अस्पतालों को निधि-पोषित किया गया जिससे 1,88,314 अनुसूचित जनजाति लाभार्थी को लाभ मिला, 4 राज्यों में 7 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों को

निधि-पोषित किया गया जिससे 453 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला।

3.8 इसके अतिरिक्त, निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 6 राज्यों में 24,382 अनुसूचित जनजाति बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 99 शैक्षिक परिसरों के लिए 53.40 करोड़ रूपए की राशि निर्मुक्त की गई।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए विकास की योजना

3.9 मंत्रालय से सभी हितधारी के साथ सहयोग द्वारा व्यापक संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को चालू योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित सीसीडी योजनाओं की कमी और पीवीटीजी समुदायों की सामने आ रही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी कार्य करने की सलाह दी गई थी। वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर विभिन्न परियोजना के लिए 17 राज्यों अर्थात अन्ध्रप्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल को निधियां दी गई।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए समर्थन:

3.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय संस्कृति, आदत और भाषा के सुदृढ़ीकरण/एकीकरण को सुरक्षित और रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्रों में चुनौतियों को पहचानना एवं उनकी संस्कृति को समझना, प्रोन्नत करना और संरक्षित करना महत्वपूर्ण हो गया है। यह तब है जबकि जनजातीय लोगों के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को निर्मित किया जाता है और ज्ञान के समर्थन के लिए आवश्यकता है जो कि प्रतिफल में साक्ष्य आधारित नीति और योजना निर्मित करने में सहायता करेगी। तद्नुसार, मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान मंत्रालय ने जनजातीय विकास, प्रसार हेतु बेसलाइन आंकड़ो के संग्रह, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं करने, यात्राओं का आदान-प्रदान के क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों तथा संस्थानों की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए टीआरआई का समर्थन किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

3.11 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों का प्रोन्नयन करने के लिए अभिप्रेरक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती ब्याज पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष, 2016-17 के दौरान, 31.12.2016 के स्थिति की अनुसार, निगम ने 43,965 लाभार्थियों के लिए 131.97 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की हैं। इसमे 31461 महिला लाभार्थियों के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के अंतर्गत 73 करोड़ रूपए की स्वीकृति शामिल है। 31.12.2016 तक निगम ने विभिन्न स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 62.61 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं।

आय सृजनकारी योजनाएं

3.12 जनजातीय लोगों की प्रतिव्यक्ति आय देश में सबसे कम है, आय सृजनकारी ट्रेडों के माध्यम से जनजातीय लोगों को सशक्त करते हुए, इसे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस उद्देश्य के प्रति दिनांक 10-06-2016 को आय सृजनकारी योजना प्रभाग सृजित किया गया था। इस प्रभाग को जनजातीय लोगों के कौशल, लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यम, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता आदि जैसे मंत्रालयों के साथ समन्वय के माध्यम से उनमें उद्यमशीलता विकसित करने तथा देश में जनजातीय जनसंख्या के लाभ के लिए उनकी योजनाओं तथा कार्यकलापों के दोहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के लिए नोडल प्रभाग भी है तथा "एनएसटीएफडीसी को समर्थन" की योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके लिए वर्ष 2016-17 हेतु 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर 60 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास

3.13 ''न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास'' की एक स्कीम अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों, जिनकी आजीविका पूरी तरह से एमएफपी के संग्रहण एवं विक्रय पर आधारित है, के लिए अत्यंत आवश्यक है, सुरक्षा जाल उपलब्ध करने के लिए 2013-14 में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.14 ट्राइफेड पूरे देश में अपनी खुदरा दूकानों ''ट्राइब्स इंडिया'' के नेटवर्क के माध्यमों से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान, ट्राइफेड ने 843.35 लाख रूपए के जनजातीय उत्पादों का व्यापार किया। जनवरी से मार्च 2017 के अवधि के लिए यहाँ अनुमान लगाया गया कि 1256.65 मूल्य का व्यापार किया जाएगा।

3.15 विपणन विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

- ट्राइफेड ने स्वयं की 30 "ट्राइब्स इंडिया" दुकानों तथा 13 प्रेषण आधारित दुकानों की श्रृंखला स्थापित की है। ट्राइफेड एक नई "ट्राइब्स इंडिया" दुकान खोलने के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के के प्रस्थान प्रतिक्षालय दुकान परिसर के आवंटन हेतु एयर पोर्ट अथॉर्टी (एएवाई) के साथ एक समझौंते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।
- ट्राइफेड ने अप्रैल से दिसम्बर, 2016 तक के दौरान 48 से अधिक प्रमुख प्रदर्शिनियों में भाग लिया।
- 31-12-2016 को ट्राइफेड ने चेन्नई, दार्जिलिंग, पुणे तथा मुम्बई में जनजातीय चित्रकारी की 4 'आदिचित्र' प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान अन्य ऐसी 6 प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकती हैं।
- ट्राइफेड ने धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में मैक्लोड गंज में एक 'आदिशिल्प' प्रदर्शनी आयोजित की है।
- ट्राइफेड ने अलग-अलग स्थानों अर्थात हिमाचल प्रदेश में केलोंग, उत्तराखंड में जिला बागेश्वर, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, महाराष्ट्र में नन्दूरबार तथा त्रिपुरा में अगरतला में 5 जनजातीय कारीगर मेलें आयोजित किए हैं।
- ट्राइफेड ने 454.36 लाख रुपये की लागत के जनजातीय उत्पाद खरीदे। यह अनुमान किया जाता है कि जनवरी से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान 770.64 लाख रुपये मूल्य के जनजातीय उत्पाद खरीदे जाएंगे।
- ट्राइफेड के पास अपने पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के रूप में 1329 व्यक्तियों / एसएचजी / को-ऑपरेटिव / एनजीओ/ राज्य सरकार / संगठन आदि हैं, जो लगभग 53,745 जनजातीय लाभार्थी परिवारों से जुड़े हुए हैं।

3.16 जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत प्रशिक्षण:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, सिक्किम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड तथा गुजरात राज्यों में लाभार्थियों का चयन उन्हें लामबंद किया गया, जहां 5312 लाभार्थियों को अलग-अलग एमएफपी के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए चिह्नित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय - भुवनेश्वर, जगदलपुर ने 1500 लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया है।
- **जनजातीय कार्य मंत्रालय की एमएसपी योजना के तहत:** ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा उन्हें लामबंद किया गया है, जहां एमएसपी योजना के तहत शामिल किए गए अलग-अलग एमएफपी पर प्रशिक्षण देने के लिए 9656 लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है।

लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का कार्यान्वयन

3.17 ट्राइफेड में गठित मूल्य प्रकोष्ठ की सिफारिश पर मंत्रालय ने पूर्व में 10 मदों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की थी। तथापि, हाल ही में विभिन्न हितधारी

तथा ट्राइफेड के साथ चर्चा के पश्चात "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पाद के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और विद्यमान एमएफपी मदों के एमएसपी को संशोधित किया गया है, क्योंकि 14 और एमएफपी मदों को भी उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सूची में जोड़ा गया है, निम्नानुसार है:

दिनांक 31-10-2016 से सभी राज्यों के लिए लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य

क्र.सं.	एमएफपी मद	मूल्य प्रति किलोग्राम रु. में
01.	इमली (बीज सहित)	18/-
02.	शहद	150/-
03.	गम कराया	108/-
04.	करंज के बीज	18/-
05.	साल के बीज	10/-.
06.	महुआ बीज	20/-
07.	साल की पत्तियां	21/-
08.	बीज के साथ चिरौंजी फली	60/-
09.	हरीतिका	8/-
10.	लाख	
(a)	रंगिनी	100/-
(b)	कुसुमी	150/-
11	कुसुम बीज	10/-
12	नीम बीज	12/-
13	पुआद बीज/चक्र मर्द	8/-
14	बहेड़ा	15/-
15	पहाड़ी झाड़ू घास	10/-
16	शिकाकाई	30/-
17	गुग्गुल (तरल)	700/-
18	बायल (सूखा और बिना बीज के)	15/-
19	नागरमोथा	25/-
20	पलास/केसुदा फूल	8/-
21	शतावरी (सूखा)	40/-
22	मधु नाशनी	35/-
23	कालमेघ	15/-
24	इमली (बिना बीज के)	40/-

विशेष ध्यान दीजिए : 31-10-2016 से मद संख्या 11 से 24 को एमएसपी सूची में जोड़ा गया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए)

3.18 नवम्बर, 2016 तक प्रति अधिकार पत्र 3.30 एकड़ भूमि के औसत के साथ 55.47 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्र पर लगभग 16.82 लाख व्यक्तियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं। इसी प्रकार लगभग 47 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्र पर 48,192 सामुदायिक अधिकार पत्र संवितरित किए गए हैं। ओडिशा नेसर्वाधिक संख्या में अधिकार पत्र जारी करने की विशिष्टता प्राप्त की है, जो 4,05,509 (3,99,996 व्यक्तिगत अधिकार पत्र तथा 5,513 सामुदायिक अधिकार पत्र) है। मध्य प्रदेश ने अधितम वन क्षेत्र की विशिष्टता प्राप्त की है, जिस पर इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। कुल वन क्षेत्र जिस पर मध्य प्रदेश में अधिकार पत्र जारी किए गए हैं, 21,10,991.87 एकड़ है।

3.18.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्राम सभा सदस्यों तथा सरकारी कार्यकरणों के लिए प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है तथा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रायः पूछे गए प्रश्न भी जारी किए हैं।

3.18.2 अधिकारों की मान्यता के उपरांत पूरे भारत में कई गांव केवल मान्यता तक के विस्तार तक सीमित नहीं करने के लिए आगे आए हैं। एफआरए ने वन संसाधनों से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए वन निवासियों को सक्षम बनाया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त होने के पश्चात बांस तथा तेंदू पत्ता की बिक्री से गांवों को करोड़ों रूपये का लाभ हुआ है।

3.18.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ परामर्श से दिशानिर्देश भी विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने सामुदायिक वन संसाधनों का सतत, न्यायोचित, लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी रूप में प्रबंध करने में ग्राम सभाओं को सुसाध्य बनाना है। ये दिशानिर्देश ग्राम सभा द्वारा गठित "सामुदायिक वन संसाधन समिति (सीएफआरसी)" में हितधारियों के प्रतिनिधित्व से निर्मित सक्षम संस्थागत स्थायीत्व की भी सिफारिश करते हैं तथा वन अधिकार अधिनियम के अनुसार उचित उत्तरदायित्व के साथ अपने वन्य जीवन, वनों और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए इन समितियों के कार्यो को भी प्रतिपादित करते हैं।

राज्य मंत्रियों, प्रधान सचिवों / सचिव जनजातीय कल्याण / समाज कल्याण का सम्मेलन

3.19 जनजातीय समुदायों के संपूर्ण विकास की रणनीति विकसित करने के लिए दिनांक 07-04-2016 को राज्य जनजातीय कल्याण मंत्रियों / प्रधान सचिवों / सचिवों का सम्मेलन इंडिया हैबीटेट सेंटर में आयोजित किया गया था।

सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा दिए गए संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- शिक्षा पर बल।
- जुलाई, 2016 से डीबीटी के तहत छात्रवृत्ति।
- निधियन परिणाम आधारित किया जाएगा।
- प्राथमिक / अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा क्षेत्र में कोई निधियन नहीं।
- प्राथमिक / अपर प्राथमिक विद्यालयों को 10वीं तक अपग्रेड किया जाएगा – केन्द्र द्वारा पूंजी व्यय के लिए निधियन।
- कोई +2 विद्यालय नहीं – वर्तमान विद्यालय को अपग्रेड किया जाएगा – केन्द्र से पूंजी के लिए निधियन तथा राज्य से आवृत्ति व्यय।
- स्वतंत्र छात्रावास के लिए कोई निधियन नहीं। छात्रावास को विद्यालय से जोड़ा जाए।
- एनजीओ क्षेत्र सहित विद्यालयों का निधियन, जो बोर्ड के परिणाम पर आधारित होगा।
- अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन तथा बुरे निष्पादन के लिए हतोत्साहन।
- प्रतिबद्ध देयता के बैकलॉग को क्लीयर करने को प्राथमिकता।
- विशिष्टता को हटाया जाएगा।
- भविष्य में एनजीओ क्षेत्र के तहत वर्दी तथा पाठ्यपुस्तकों के लिए कोई निधियन नहीं।
- स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए निधियन जैसे सीएचसी, पीएचसी के लिए भवन का निर्माण तथा उपस्करों और मशीनों की खरीद।
- पराचिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।

दिनांक 07.04.2016 को आयोजित राज्य जनजातीय कल्याण मंत्रियों / प्रधान सचिवों / सचिवों के सम्मेलन के दौरान मंच पर श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा अन्य महानुभाव

- स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श सेघाव भरने वालीपरंपरागत औषधि को बढ़ावा देना।
- एफआरए के तहत कार्यान्वयन के निष्पादन मानक अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियन हेतु दिशानिर्देशन के सिद्धांत होंगे।
- विस्तृत समर्थन के साथ 2 जिलों में वार्षिक खेती की विभिन्नता योजना तैयार करना।
- सिंचाई; मच्छर नियंत्रण के लिए मछलीपालन हेतु जलाशयों का उपयोग।
- अनुच्छेद 275(1) तथा टीएसपी को एससीए ख्र गणना के मानक 31-06-2016 तक परिचालित किए जाएंगे।
- परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें मई में आरंभ होंगी।

राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल, 2016

3.20 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 25-28 अक्तूबर, 2016 के दौरान पहली बार राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल, 2016 का सफलता पूर्वक आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्निवल का उद्घाटन किया। जनजातीय मंडलियां जिसमें पूरे देश से एक हजार से अधिक जनजातीय कलाकार शामिल थे, ने उद्घाटन समारोह के दौरान अपनी परंपरागत पोशाक में कार्निवल परेड में प्रस्तुत दी। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या मेंकेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों केविशिष्ट तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पूरे देश से लगभग 20 हजार प्रतिनिधियों ने भी उत्सव में भाग लिया।

3.21 कार्निवल ने नागरिकों में भारतीय सांस्कृतिक विविधता के अधिमूल्यन की भावना विकसित की। इसने देश में सामान्य जनसंख्या के लिए उनकी संस्कृति, परंपरा तथा रीति-रिवाजों सहित जनजातीय लोगों, उनके जीवन के तरीकों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों को भी दर्शाया। कार्निवल ने

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25-10-2016 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल – 2016 का उद्घाटन किया।

जनजातीय जनसंख्या में जनजातीय जोश तथा गर्व की भावना को भी पोषित किया।

दिनांक 25-10-2016 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल, 2016 में जनजातीय कारीगरों द्वारा नृत्य प्रस्तुति की झलकियां

चाउ नृत्य - झारखंड

माल्लु कुरुम्बा नृत्य - तमिलनाडु

डांडिया नृत्य - गुजरात

3.22 उद्‌घाटन समारोह के बाद प्रगति मैदान, नई दिल्ली में तीन दिवसीय (26-28 अक्तूबर, 2016) कार्यक्रम हुए थे। तीन दिवसीय कार्यक्रम में चिह्नित विषयों अर्थात पेसा अधिनियम, एफआरए, राजनीति, शिक्षा तथा सेवाओं में आरक्षण पर कार्यशाला; चित्रकला, प्रदर्शनी, कला तथा शिल्प एवं परम्परागत कौशल का प्रदर्शन, चिकित्सीय प्रक्रियाओं, पाक कला / खाद्य; तथा पूरे देश से लोक नृत्यों और गीतों के विशिष्ट रूप के माध्यम से प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल थे।

बोडो नृत्य - असम

सिद्धि नृत्य - गुजरात

कार्यशालाएं

3.23 पहली कार्यशाला अनुसूचित क्षेत्रों तकपंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर दिनांक 26-10-2016 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लिए संवैधानिक प्रावधान, पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन, पंचायती राज मंत्रालय की पहलें तथा अधिनियम जनजातीय समुदायों को कैसे सशक्त तथा लाभान्वित करता है तथा आगे की राह के विस्तृत ब्यौरे थे। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रुरबन मिशन पर प्रस्तुतिकरण दिया गया था, जिसमें मिशन की प्रमुख विशेषताएं बतायी गई थीं तथा जनजातीय क्षेत्रों की बड़ी संख्या की कवरेज को भी दर्शाया गया था। श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य, प्रो. टी. वी. कट्टीमाणि, उप-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक तथा प्रो. वेंकटराव, मानव विज्ञान विभाग, हैदाराबाद विश्वविद्यालय कार्यशाला के लिए अन्य पैनलिस्ट थे। इस कार्यशाला ने जनजातीय समुदायों के लिए पेसा के महत्व, सामने आ रही चुनौतियों, आगे के रास्ते तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यता है, को स्पष्ट किया।

3.24 वन अधिकार अधिनियम, 2006–इसका कार्यान्वयन, जनजातीय तथा अन्य परंपरागत वन निवासी समुदायों के लिए इसके लाभ तथा इसकी चुनौतियां दिनांक 27-10-2016 को आयोजित दूसरी कार्यशाला काविषय था। श्री राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक प्रासंगिक प्रस्तुतिकरण दिया गया था, जिसमें "अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" जो वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के रूप में भी जाना जाता है, के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा मुख्य विशेषताओं का चित्रण किया गया था। श्री नोयल थॉमस, डीआईजी (वन), पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी एक प्रस्तुतिकरण दिया। यह ग्राम सभाओं द्वारा वनों की सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए और वन सुरक्षा कानूनों की तुलना में अन्य आवश्यक विशेषताओं के रूप में भी सामुदायिक वन संसाधन दिशानिर्देशों पर केन्द्रित था। कार्यशाला के लिए अन्य पैनलिस्ट नामतः डॉ. एम.एम. झारवाल, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक तथा डॉ. फरहाद मलिक, एसोसिएट प्रो. तथा महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में मानव विज्ञान विभाग प्रमुख भी वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त सुरक्षात्मक अधिकारों को स्पष्ट करते हुए वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियों के संबंध

श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री "ट्राइबल फेसेज इन इंडिया" शीर्षक वाली डायरी जारी करते हुए।

में विस्तार से बोले। इस अवसर पर "ट्राइबल फेसेज इन इंडिया" शीर्षक वाली जनजातीय डायरी भी जारी की गई थी।

3.25 "राजनीति, शिक्षा तथा सेवाओं में आरक्षण" विषय पर दिनांक 28-10-2016 को तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई थी। संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नियुक्ति तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं तथा महत्वपूर्ण विशेषताओं का चित्रण करते हुए एक प्रस्तुतिकरण दिया। संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा संयुक्त सचिव, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुतिकरण दिए गए जो विधायिका, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण तथा जनजातीय समुदायों के लिए विशेष संदर्भके साथ आरक्षण पहलुओं पर अन्य मंत्रालयों/विभागों की भूमिका, कौशल तथा उद्यमशीलता विकास की पहलों से सरोकार रखता हैऔर इस संबंध में सरकार की पहलों के समग्र विचार दर्शाए गए हैं। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने आरक्षण नीति पर अपने विचार साझे किए। श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर, केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री जनजातीय लोगों की संपूर्ण वृद्धि तथा विकास और मुख्य धारा की जनसंख्या में उनकी पहल के लिए जनजातीय समुदायों के उत्थान पर बोले। उन्होंने जनजातीय समुदायों के संपूर्ण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्ध को दोहराया। श्री एम. एन. राव, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रो. उरांव, मानव विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय तथा प्रो. सुखदेव थोराट, अध्यक्ष भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कार्यशाला के अन्य पैनलिस्ट थे।

3.26 इन कार्यशालाओं की अध्यक्षता श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने की थी, इस अवसर पर श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्रीतथा सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय उपस्थित थे। इन कार्यशालाओं में राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा अन्यगणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशालाओं का समापन करते हुए माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने विभिन्न हितधारियों का धन्यवाद किया तथा पैनलिस्टों द्वारा उनके योगदान की प्रशंसा की। श्रोताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों की विषय वस्तु की बृहद रूप से सराहना की गई तथा कई हस्तक्षेपों के प्रति पैनल द्वारा प्रतिक्रिया प्रकट की गई थी।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री इस अवसर पर बोलते हुए। मंच पर उपस्थित श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री तथा प्रो. कर्मा उरांव।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को भुवनेश्वर में जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के लोकार्पण के दौरान मंच पर गणमान्य व्यक्ति।

जनजातीय आजीविका पर राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (वन जीवन)

3.27 श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को भुनेश्वर में वन जीवन का लोकार्पण किया। वन जीवन 3ई ख्र एम्प्लॉइमेंट (रोजगार), एम्प्लॉइविलिटी (रोजगार क्षमता) तथा इंटरप्रेन्यूरशिप (उद्यमशीलता) के बृहद विचार-विमर्श के माध्यम से जनजातीय समुदायों के और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान एवं तकनीकी केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंदर सर्वोच्च केन्द्रीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। संसाधन केन्द्र उद्यमशीलता तथा कौशल उन्नयन के माद्यम से जनजातीय क्षेत्रों में सतत आजीविका के रास्तों के विकास तथा संवर्धन का प्रबंध करेंगे। वन जीवन अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों जैसे कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आदिके कौशल निर्माण प्रयासों के संबंध में संयोजन भी विकसित करेगा।

अध्याय 4

अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पुरूष जनसंख्या 5.25 करोड़ और अनुसूचित महिला जनसंख्या 5.20 करोड़ है। दशकीय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि 2001 की तुलना में जनगणना 2011 के अनुसार 24 प्रतिशत है। लिंग और आवास के आधार पर राज्यवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विवरण **अनुलग्नक 4क** पर दिया गया है। राज्यवार संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य में कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता और भारत में कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या से राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता का विवरण **अनुलग्नक 4ख** में दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम **सारणी-4.1** में दिया गया है।

सारणी 4.1: अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम : जनगणना 2011

शीर्ष पांच राज्य / संघ राज्यक्षेत्र		नीचे के पांच राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8 प्रतिशत	उत्तर प्रदेश	0.6 प्रतिशत
मिजोरम	94.4 प्रतिशत	तमिलनाडु	1.1 प्रतिशत
नागालैंड	86.5 प्रतिशत	बिहार	1.3 प्रतिशत
मेघालय	86.1 प्रतिशत	केरल	1.5 प्रतिशत
अरूणाचल प्रदेश	68.8 प्रतिशत	उत्तराखण्ड	2.9 प्रतिशत

लिंग अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग अनुपात 990 है जो 943 के राष्ट्रीय औसत से उच्चतर है। वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिला हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का उच्च लिंग अनुपात दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में 924 महिलाओं पर अनुसूचित जनजाति का लिंग निम्नतम अनुपात दर्शाया है। वर्ष 2001 तथा 2011 में आवास के आधार पर राज्य-वार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात **अनुलग्नक - 4ग** में दिया गया है।

बाल लिंग अनुपात

4.3 0-6 वर्ष आयु समूह में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में बाल लिंग अनुपात 2001 में 972 से 2011 में 957 तक गिरा है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लिंग अनुपात जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां हैं, की तुलना में उच्चतर है।

साक्षरता दर

4.4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 47.1: से 2011 में 59: तक सुधार हुआ है। इन वर्षो के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अन्तराल है। वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर संपूर्ण महिला साक्षरता दर की तुलना में लगभग 15 प्रतिशतता बिन्दुओं तक निम्नतर है। ब्यौरे **सारणी 4.2** में दिए गए हैं।

सारणी 4.2 : अनुसूचित जनजाति और सभी की साक्षरता दर

वर्ष	अनुसूचित जनजातियां			सभी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30
1971	17.63	4.85	11.30	45.96	21.97	34.45
1981	24.52	8.04	16.35	56.38	29.76	43.57
1991	40.65	18.19	29.60	64.13	39.29	52.21
2001	59.17	34.76	47.10	75.26	53.67	64.84
2011	68.5	49.4	59.0	80.9	64.6	73.0

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशतता बिन्दुओं से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की है। संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर और अंतराल के राज्य / संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4घ** में दिए गए हैं।

4.6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी - जून, 2014) के आधार पर अनुसूचित जनजातियों हेतु साक्षरता दर 67% है तथा सभी श्रेणियों के लिए अनुरूपी आंकड़ा 76% है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर 15 वर्षो तथा उससे ऊपर के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य / संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4ड.** में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लिंग-वार अलग-अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10-14 वर्ष, 15-19 वर्ष, 20-24 वर्ष की आयु) किशोर (10-19 वर्ष) तथा युवा (15-24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, निम्नलिखित **सारणी 4.3** में दी गई है :

सारणी 4.3 : साक्षरता दर

सभी श्रेणियां (आयु समूह)	साक्षरता दर								
	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10-14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15-19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20-24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10-19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15-24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1
स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय									

युवा साक्षरता दर - ग्रामीण

4.8 वर्ष 2001 तथा 2011 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए युवा साक्षरता दर (आयु समूह 15-24 वर्ष) जैसा निम्नलिखित **ग्राफ 4.1** में दर्शाई गयी है में सभी श्रेणियों के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की युवा साक्षरता दर में लगभग 12 प्रतिशत बिंदुओं तक बढ़ोत्तरी हुई है तथा अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की महिला साक्षरता दर ने 21 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि दर्शाई है। तथापि, अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की अपेक्षा अनुसूचित जाति (अ.जा.) की श्रेणी में महिला तथा पुरूषों दोनों के लिए युवा साक्षरता दर उच्चतर है।

ग्राफ 4.1 : युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)-ग्रामीण जनगणना 2001 और जनगणना 2011

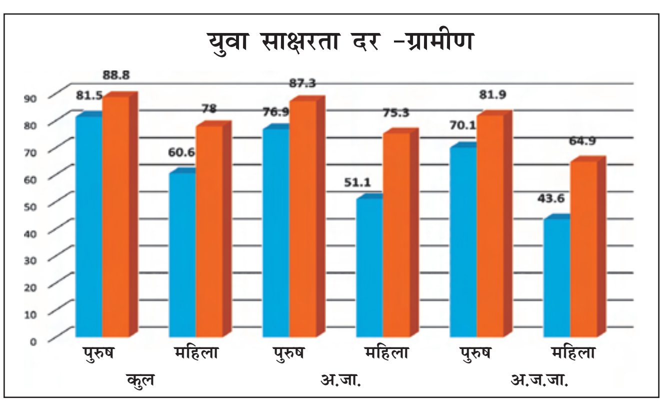

युवा साक्षरता दर-शहरी

4.9 वर्ष 2001-2011 के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए जैसा कि **ग्राफ 4.2** में दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पुरूषों की युवा साक्षरता दर में 4 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है। महिला युवा साक्षरता दर के संबंध में 10 प्रतिशतता बिंदुओं की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ग्राफ 4.2 : युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)-शहरी जनगणना 2001 और जनगणना 2011

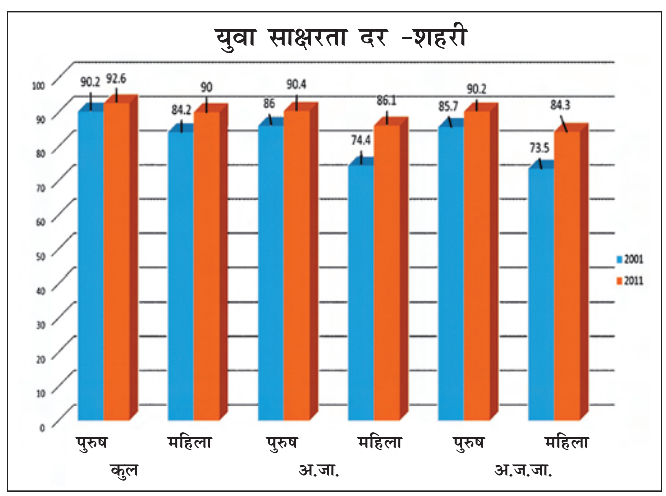

युवा साक्षरता दर-अखिल भारत

4.10 जनगणना 2001 तथा 2011 के अनुसार युवा साक्षरता दर **ग्राफ 4.3** में दर्शाई गयी है। अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति श्रेणी के पुरूषों की युवा साक्षरता दर में 9 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है, वहीं अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की युवा साक्षरता दर में 11 प्रतिशतता बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर ने वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में महत्वपूर्ण 20 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि दर्शाई है। तथापि, अनुसूचित जाति तथा कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दरों के बीच बड़ा अंतर है।

ग्राफ 4.3 : युवा साक्षरता दर (15-24 वर्ष)-अखिल भारतीय जनगणना 2001 और जनगणना 2011

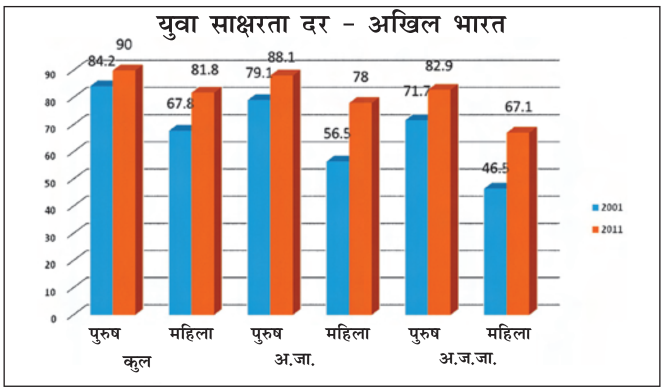

संपूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर)

4.11 वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिए प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **सारणी 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का संपूर्ण दाखिला अनुपात **सारणी 4.5** में दिया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में प्रारंभिक स्तर (I -VIII) पर संपूर्ण दाखिला अनुपात आंशिक रूप से कम हुआ है। तथापि, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर संपूर्ण दाखिला अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ा है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जनजाति के संपूर्ण दाखिला अनुपात में सुधार हुआ है।

लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.12 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) ने माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर अत्याधिक सुधार किया है। **सारणी 4.6** में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इसने उच्चतर शिक्षा के स्तर पर भी वर्ष 2011-12 में 0.78 से वर्ष 2014-15 में 0.81 तक सुधार दर्शाया है।

सारणी 4.4: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर)

स्तर / वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6-10 वर्ष			उच्च प्राथमिक (V-VIII) 11-13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6-13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12 @	117.8	115.6	116.7	76.8	74.1	75.5	103.0	100.6	101.8
2012-13 @	115.7	113.5	114.6	86.2	86.5	86.4	105.1	103.9	104.5
2013-14 @@	114.4	111.9	113.2	90.5	92.2	91.3	105.9	105.0	105.5
2014-15 @@	110.6	108.2	109.4	93.0	95.2	94.1	104.4	103.7	104.0
2015-16 @@	107.8	105.6	106.7	95.4	98.2	96.7	103.4	103.1	103.2

सारणी 4.5: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण दाखिला अनुपात (जीईआर)

स्तर / वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14-15 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (X1-XII) 11-13 वर्ष			उच्चतर शिक्षा # 18-23 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12 @	56.7	50.6	53.8	35.4	29.0	32.3	12.4	9.7	11.0
2012-13 @	62.6	61.2	61.9	32.3	29.0	30.7	12.4	9.8	11.1
2013-14 @@	70.3	70.1	70.2	36.7	34.1	35.4	12.5	10.2	11.3
2014-15 @@	71.8	72.6	72.2	39.8	37.8	38.8	15.2	12.3	13.7
2015-16 @@	73.7	75.4	74.5	43.8	42.4	43.1	NA	NA	NA

आंकडों के स्रोत:

@ स्कूल शिक्षा की सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी)

@@ शिक्षा हेतु एकीकृत-जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई),

उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारत सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, एमएचआरडी

प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषा: प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल दाखिला, आयु के असंगत, को दिए गए स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक स्कूल की आयु (6-10+वर्ष)की जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

सारणी 4.6 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंगीय समानता सूचकांक

स्तर/वर्ष	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्च शिक्षा
2011-12@	0.89	0.82	0.78
2012-13@	0.98	0.90	0.79
2013-14@@	0.99	0.94	0.81
2014-15@@	1.0	0.95	0.81

आंकडों के स्रोत:

@ स्कूल शिक्षा की सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रलय (एमएचआरडी)

@@ शिक्षा हेतु एकीकृत-जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई),

उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारत सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, एमएचआरडी

स्कूल शिक्षा में ड्राप आउट दरें

4.13 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा में ड्राप आउट दरों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के दौरान अलग-अलग कक्षाओं में लगातार गिरावट आई है। ब्यौरे नीचे **सारणी 4.7** में दिए गए हैं:

सारणी 4.7 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की विद्यालय शिक्षा में ड्राप-आउट दरें

वर्ष/ कक्षाएं	कक्षाएं (I-V)			कक्षाएं (I-VIII)			कक्षाएं (I-X)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12	36.1	34.4	35.3	57.3	57.1	57.2	64.4	67.6	65.9
2012-13 (अनन्तिम)	33.3	31.2	32.3	50.6	47.5	49.2	63.2	62.2	62.7
2013-14 (अनन्तिम)	31.9	30.7	31.3	49.8	46.4	48.2	63.2	61.4	62.4

स्रोत : एजुकेशन ऐट ए ग्लांस, स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वर्ष 2013-14 के लिए कक्षा I से V हेतु ड्रॉपआउट दर

$$=1-\frac{\text{2014 के दौरान कक्षा V में दाखिला}}{\text{2010 के दौरान कक्षा I में दाखिला}} \times 100$$

सकल उपस्थिति अनुपात (जीएआर)

4.14 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोग: शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी - जून, 2014) के आधार पर शिक्षा के अलग-अलग स्तरों के लिए संपूर्ण उपस्थिति अनुपात (जीएआर) के सामाजिक समूह-वार ब्यौरे **सारणी 4.8** में दिए गए हैं।

सारणी 4.8: प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए शिक्षा के अलग-अलग स्तरों हेतु सकल उपस्थिति अनुपात (जीएआर) (%)

सामाजिक समूह शिक्षा के स्तर	शिक्षा का स्तर					
	प्राथमिक	उच्चतर प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक से उच्च
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुरुष						
अ.ज.जा.	99	93	77	56	87	8
अ.जा.	102	92	82	54	88	11
अपिव	103	90	86	64	91	14
अन्य	103	95	98	81	97	18
सभी (एनआर सहित	102	92	87	66	91	14
महिला						
अ.ज.जा.	101	85	79	48	85	6
अ.जा.	101	81	91	56	88	9
अपिव	101	87	84	61	89	11
अन्य	100	98	92	75	94	17
सभी (एनआर सहित	101	88	87	63	89	12
व्यक्ति						
अ.ज.जा.	100	89	78	52	86	7
अ.जा.	101	87	86	55	88	10
अपिव	102	88	85	63	90	13
अन्य	101	96	95	78	95	18
सभी (एनआर सहित	101	90	87	64	90	13

स्रोत : एनएसएस रिपोर्ट संख्या 575 : भारत में शिक्षा (जनवरी - जून, 2014)
एनआर : रिपोर्ट नहीं किए गए।

उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि सामाजिक समूहों के बीच अपर माध्यमिक स्तर तक जीएआर में उल्लेखनीय विभिन्नता मौजूद नहीं है। संपूर्ण प्रतिशतता (पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 87%) की तुलना में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात काफी कम था (पुरुषों के लिए 77% और महिलाओं के लिए 79%)। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अ.जा. और अ.ज.जा. दोनों के लिए जीएआर निम्नतर था। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अ.ज.जा. (पुरुषों के लिए 56% और महिलाओं के लिए 48%) तथा अन्यों के लिए (पुरुषों के लिए 81% और महिलाओं के 75%) के लिए जीएआर में उल्लेखनीय भिन्नता भी थी।

जीएआर की परिभाषा : जीएआर समतुल्य आधिकारिक आयु-समूह में व्यक्तियों की संख्या के लिए कक्षा समूह में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। उदाहरणार्थ कक्षा समूह I-V के लिए

$$\text{जीएआर} = \frac{\text{कक्षा I-V में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या}}{\text{6-10 वर्ष आयु समूह में अनुमानित जनसंख्या}} \times 100$$

विद्यालय शिक्षा अर्थात् VI-VIII, XI-X और XI-XII के शेष कक्षा समूह के लिए क्रमश: 11-13, 14-15 और 16-17 के रूप में आधारिक सम्तुलय आयु समूह को लिया गया था।

स्वास्थ्य संकेतक

4.15 वर्ष 2005-06 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ सभी श्रेणियों के लिए कुछ स्वास्थ्य संकेतक **सारणी 4.9** में दर्शाये गए हैं।

सारणी 4.9 : स्वास्थ्य संकेतक

स्वास्थ्य संकेतक	अ.ज.जा.	कुल
नवजात मृत्यु दर (आईएमआर)[1]	62.1	57.0
नियोनेटल मृत्यु दर (एनएमआर) [2]	39.9	39.0
पेरीनेटल मृत्यु दर (पीएमआर) [3]	40.6	48.5
पोस्ट नियोनेटल मृत्यु दर (पीएनएमआर) [4]	22.3	18.0
बाल मृत्यु दर (सीएमआर)[5]	35.8	18.4
5 वर्ष से कम की मृत्यु दर (यू5एमआर)[6]	95.7	74.3
सामान्य रक्तालपता वाली 15-49 आयु की महिलाओं की प्रतिशतता (हीमोग्लोबिन स्तर 7-9.9 ग्राम प्रति डेसीली.)	21.3	15.0

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3, 2005-06

[1]आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1 हजार जीवित जन्म पर वर्ष के दौरान शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

[2]एनएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1 हजार जीवित जन्म पर वर्ष के दौरान 29 दिन से कम के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

[3]पीएमआर 7 माह या अधिक माह की अवधि के गर्भधारण की संख्या से विभाजित मृत प्रसव तथा शुरुआती नियोनेटल मृत्यु की संख्या (0-6 दिन की आयु के जीवित जन्म लिए बच्चों की मृत्यु) ।

[4]पीएनएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1 हजार जीवित जन्म के दौरान 29 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।

[5]सीएमआर 1-4 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में वर्ष के दौरान इस आयु समूह में प्रति 1 हजार पर बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

[6]यू5एमआर 0-4 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में वर्ष के दौरान इस आयु समूह में प्रति 1 हजार पर बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति

4.16 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3, 2005-06 जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एम/ओडब्ल्यूसीडी) द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रशासित 'रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन' (आरएसओसी) के आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशतता को पोषण स्थिति के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रूकी हुई वृद्धि (आयु के अनुसार कद), कुपोषण (आयु के अनुसार वजन) तथा कम वजन (आयु के अनुसार वजन होना) निम्नलिखित **सारणी 4.10** में दिए गए हैं।

सारणी 4.10 : 5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति व सभी बच्चों की पोषण स्थिति

(आंकड़े प्रतिशत में)

स्रोत	श्रेणी	कुपोषित	अत्याधिक कुपोषित	बेकार	अत्याधिक बेकार	अल्प भार	अत्याधिक अल्प भार
एनएफएचएस (2005-06)	अ.ज.जा.	53.9	29.1	27.6	9.3	54.5	24.9
	सभी	48.0	23.7	19.8	6.4	42.5	15.8
आरएसओसी (2013-14)	अ.ज.जा.	42.3	19.5	18.7	5.3	36.7	13.0
	सभी	38.7	17.3	15.1	4.6	29.4	9.4

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3, 2005-06, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रायल

बच्चों संबंधी त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी), 2013-14, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.17 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर 12-23 माह के अनुसूचित जनजाति के बच्चे जिन्हें पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है तथा जिनका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति **सारणी 4.11** में दी गई है। बच्चों का टीकाकरण तब पूरा हुआ माना जाता है जब उन्हें तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके, पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) की तीन खुराक (जन्म के समय पोलियो के टिके को छोड़कर); और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

सारणी 4.11: 12-13 माह के अ.ज.जा. व सभी श्रेणी के बच्चों जिन्हें पूर्ण टीकाकरण / नहीं टीकाकरण प्राप्त हुआ कि प्रतिशतता

स्रोत	पूर्ण टीकाकरण		कोई टीकाकरण नहीं	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
एन.एफ.एच.एस.-3 (2005-06)	31.3	43.5	11.5	5.1
डी.एल.एच.एस.-3 (2007-08)	45.5	53.5	9.4	4.6
सी.ई.एस.-2009	49.8	61.0	9.9	7.6
आर.एस.ओ.सी.(2013-14)	55.7	65.3	7.4	6.6

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.)-3, 2005-06, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
जिला स्तर पर परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण (डी.एल.एच.एस.)-3, 2007-08, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण (सीईएस), 2009, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
बच्चों संबंधी त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी), 2013-14, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

संस्थागत प्रसूति

4.18 **सारणी 4.12** में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति की प्रतिशतता वर्ष 2005-06 में 17.7 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 में 70.1 प्रतिशत तक बढ़ी है जो ''सभी श्रेणियों'' के लिए 38.7 प्रतिशत से 78.7 प्रतिशत की तुलना में है। कुशल स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा कराई गई प्रसूतियां भी वर्ष 2005-06 से 2013-14 की अवधि के दौरान 25.4 प्रतिशत से 72.7 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हैं दोनों मामलों में सभी महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए लगभग 8 प्रतिशतता बिन्दुओं का अंतर है।

सारणी 4.12

स्रोत	संस्थागत प्रसूति (%)		कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा कराई गई प्रसूतिया[1] (%)	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
एन.एफ.एच.एस.-3 2005-06	17.7	38.7	25.4	46.6
डी.एल.एच.एस.-3 2007-08	32.5	46.9	37.6	52.3
सी.ई.एस.-2009	57.0	72.9	61.3	76.2
आर.एस.ओ.सी.- 2013-14	70.1	78.7	72.7	81.1

[1]कुशल स्वास्थ्य कार्मिक में डॉक्टर, एएनएम, नर्स, एलएचवी/मिडवाइफ शामिल हैं

प्रसवपूर्व संपूर्ण देखभाल

4.19 वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक के दौरान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं जिनकी प्रसवपूर्व पूरी देखभाल (एएनसी[2]) की गई की स्थिति निम्नलिखित **सारणी 4.13** में दर्शाई गयी है।

सारणी 4.13

स्रोत	प्रसवपूर्व पूर्ण देखभाल[2] प्राप्त अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की प्रतिशतता	
	अ.ज.जा.	सभी
डीएलएचएस-3 (2007-08)	14.7	18.8
सीईएस-2009	18.9	26.5
आरएसओसी-2013-14	15.0	19.7

नोट : [2]पूर्ण देखभाल : 3 से अधिक एएनसी प्राप्त, कम से कम टिटनेस टॉक्साइड (टीटी) टीके की एक खुराक और 100 आयरन फॉलिक एसिड (आईएफए) टेबलेट/सीरप की खपत

स्रोत :
(i) जिला स्तर पर परिवार एवं सुविधा सर्वेक्षण (डीएलएचएस)-3, 2007-08, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(ii) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण (सीईएस), 2009 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(iii) बच्चों संबंधी त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी), 2013-14, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.20 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2015 तक 27958 उपकेन्द्र (एससी), 3957 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) तथा 998 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) कार्यरत हैं। विद्यमान उपकेन्द्रों की संख्या में मार्च 2013 से मार्च 2015 तक 1.5 प्रतिशत तक की आंशिक वृद्धि हुई है। 2013-2015 तक की अवधि के दौरान पीएचसी की संख्या में 78 की कमी हुई है वहीं सीएचसी की संख्या में 18 की वृद्धि हुई है। आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च 2015 तक जनजातीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 6796 एससी, 1267 पीएचसी तथा 309 सीएससी की कमी है। मध्य प्रदेश में 381 पीएचसी की कमी है, इसके पश्चात झारखंड में 233 तथा राजस्थान में 224 पीएचसी की कमी है। सीएचसी के मामले में मध्य प्रदेश सर्वाधिक कमी दर्शाता है, इसके पश्चात राजस्थान तथा महाराष्ट्र का स्थान है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की जाती है, जो निम्नलिखित **सारणी 4.14** में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4च** में दिए गए हैं।

सारणी 4.14

केन्द्र	जनसंख्या मानक	
	समतल क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/मुश्किल क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

4.21 अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला)/सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्वीकृत पदों के 7.6 प्रतिशत पद 31.3.2015 तक रिक्त थे। ब्यौरे **अनुलग्नक-4छ** में दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 993 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला) / एएनएन की कमी है। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ (616) तथा त्रिपुरा (225) का स्थान आता है। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की संख्या वर्ष 2013 में 4787 से घटकर वर्ष 2015 में 4298 हो गई है। जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में डॉक्टरों की कमी की स्थिति छत्तीसगढ़ में 255 है इसके बाद ओडिशा (205) तथा गुजरात (112) का स्थान है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृति चिकित्सकों के 26 प्रतिशत पद और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत नर्सिंग स्टाफ के 20.4 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। ओडिशा में पीएचसी तथा सीएचसी में 988 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल (821) तथा मध्य प्रदेश (505) का स्थान है। ब्यौरे **अनुलग्नक-4ज** तथा **4झ** में दिए गए है।

गरीबी अनुमान

4.22 पूर्व के योजना आयोग ने उन वर्षों के गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान उपलब्ध कराए हैं जिसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण दिए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में संपूर्ण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 13.7 प्रतिशत लोगों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 45.3 और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 24.1 था। वर्ष 2009-10 और 2011-12 के लिए राज्य-वार ब्यौरे नीचे **सारणी 4.15** में दिए गए हैं:

सारणी 4.15 : वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता (तेंदुलकर पद्धति)

क्र सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्रप्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखण्ड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्यप्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तरप्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखण्ड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारत	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

4.23 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कराए गए सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना (एस.ई.सी. सी.), 2011 (ग्रामीण) के आधार पर अनुसूचित जनजाति के परिवारों की स्थिति **सारणी-4.16** में दी गई है।

सारणी 4.16: अनुसूचित जनजाति के परिवारों (ग्रामीण) की स्थिति

अखिल भारत	संख्या	%
कुल परिवार	1,97,37,399	-
भूमिहीन परिवार जो शारीरिक अनौपचारिक श्रम से अपनी आय का प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं	70,36,369	35.65%
परिवार जो सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषीय उद्यम में है	4,04,546	2.05%
परिवार जो आयकर / पेशेवर कर का भुगतान करते हैं	6,61,672	3.35%
निराश्रित / भीख पर गुजारा करने वाले परिवार	45,808	0.23%
सरकार में नौकरी करने वाले वेतनभोगी परिवार	8,61,283	4.36%
सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने वाले वेतनभोगी परिवार	1,15,319	0.58%
निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले वेतनभोगी परिवार	2,91,788	1.48%
परिवार में सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य की मासिक आय 5000 से कम है	1,70,79,464	86.53%
परिवार में सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य की मासिक आय 5000 - 10000 के बीच है	17,65,828	8.95%
परिवार में सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य की मासिक आय 10000 से अधिक	8,83,487	4.48%
सरकारी नौकरी करने वाले तथा उच्चतम मासिक आय 5000 से अधिक रिपोर्ट करने वाले परिवार	7,71,326	3.91%
दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन तथा मछली पकड़ने वाली नाव वाले परिवार	19,50,904	9.88%
दो पहिया वाहन वाले परिवार	16,81,650	8.52%
तीन पहिया वाहन वाले परिवार	51,663	0.26%
चार पहिया वाहन वाले परिवार	1,89,688	0.96%
मछली पकड़ने वाली स्वचलित नाव वाले परिवार	27,903	0.14%
फ्रीज रखने वाले परिवार	6,77,647	3.43%
लैंडलाइन टेलीफोन वाले परिवार	1,09,729	0.56%
केवल मोबाइल रखने वाले परिवार	81,66,027	41.37%
लैंडलाइन तथा मोबाइल दोनों रखने वाले परिवार	1,34,759	0.68%
बिना किसी फोन वाले परिवार	1,13,26,696	57.39%
तीन/चार पहिया स्वचालित कृषीय उपस्कर वाले परिवार	3,18,096	1.61%
50000 रू. तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार	3,24,667	1.64%
कुल परिवार जिनके पास असिंचित भूमि है	84,06,236	42.59%
कुल परिवार जिनके पास सिंचित भूमि है	35,62,142	18.05%
कुल परिवार जिनके पास अन्य भूमि है	25,31,055	12.82%
सिंचाई उपस्कर वाले परिवार	10,06,885	5.10%
परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है, परंतु सिंचाई उपस्कर है	91,732	0.46%
परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, परंतु किसान क्रेडिट कार्ड है	50,738	0.26%
स्रोत: एस.ई.सी.सी. 2011, अनंतिम		

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता और उनकी प्रकाश की व्यवस्था के स्रोत-अनुसूचित जनजाति एवं सभी सामाजिक समूहों की एक तुलनात्मक तस्वीर

4.24 जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्षद्वीप में 99.7 प्रतिशत परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन एवं दीव (96.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.5 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (94 प्रतिशत) तथा गोवा (93.8 प्रतिशत) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश

का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान उच्चतम (91.5 प्रतिशत) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3 प्रतिशत) तथा नागालैण्ड (81.2 प्रतिशत) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5 प्रतिशत परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार के 43 प्रतिशत की तुलना में 15.6 प्रतिशत परिवार बिजली का उपययोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। (विस्तृत सारणी **अनुलग्नक-4 ञ** में देखें)

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों में शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है- अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.25 जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में से 46.9 प्रतिशत के पास जिसमें से 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 0.1 प्रतिशत परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं जबकि कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षदीप सबसे ऊपर स्थान पर है क्योंकि उसके (98.3 प्रतिशत) परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय की सुविधा है कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनके पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम (91.9 प्रतिशत), अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (88.2 प्रतिशत), सिक्किम (85.9 प्रतिशत), मणिपुर (78.4 प्रतिशत), नागालैंड (74.8 प्रतिशत) और केरल (71.4 प्रतिशत) है। ओडिशा अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1 प्रतिशत के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवारों का 5.2 प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है।

4.26 अखिल भारत स्तर पर सभी परिवारों के 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 17.3 प्रतिशत के मकानों में स्नान घर की सुविधा है। मकानों में स्नान घर की सुविधा वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का उच्चतम प्रतिशत लक्षदीप में देखा गया है जो 96.6 प्रतिशत है तथा 3.4 प्रतिशत के साथ ओडिशा न्यूनतम स्थान पर है। ब्यौरे **अनुलग्नक-4ट** में देखें।

जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं -अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.27 जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनूसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अण्डमान और निकोबार दीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत के साथ बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत के साथ और असम 32 प्रतिशत के साथ आता है। दस राज्य अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातीय परिवारों द्वारा अच्छे मकान रखने में नीचे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत पर इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में देखे गए हैं वे अण्डमाव व निकोबार (97.7 प्रतिशत) देखे गए हैं इसके बाद नागालैंड (96.8 प्रतिशत), लक्षदीप (96.6 प्रतिशत), सिक्किम (91.7 प्रतिशत), मेघालय (91.2 प्रतिशत) और गोवा (90.2 प्रतिशत) पर आता है। परिसर के भीतर रसोई रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (22.1 प्रतिशत) इसके बाद बिहार (34.4 प्रतिशत) झारखण्ड (34.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (36.6 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (37.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (43.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (48.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4ठ** में दिए गए हैं।

परिवार जो पेयजल के मुख्य स्रोतों के पास हैं

4.28 जनगणना 2011 के अनुसार यह देखा गया है कि देश के अधिकांश सभी परिवारों 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा हैं वहीं 20 के प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-4 ड** में दिए गए हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान पेयजल उपलब्धता के विभिन्न स्रोत दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **सारणी 4.17** में दिया गया है।

सारणी 4.17 : अ.ज.जा. परिवारों के लिए पेयजल के स्रोत

(संख्या % में)

जनगणना	पेयजल स्रोत का स्थान	शोधित स्रोत से टेप नल द्वारा जलापूर्ति	हैंडपम्प	ट्यूबवेल/बोरवेल	कुआँ	तालाब/पोखर/झील	नदी/नहर	सोता	अन्य स्रोत
2001	कुल	20.0	35.8	5.9	28.4	1.4	3.2	3.9	1.5
	परिसर के अंदर	52.4	18.2	4.2	24.3	0.7	0.0	0.0	0.4
	परिसर के नजदीक	17.1	44.1	5.9	26.3	1.0	2.2	2.6	0.8
	दूर	8.5	28.7	6.7	34.9	2.5	6.9	8.5	3.4
2011	कुल	24.5	39.1	7.8	21.0	1.1	2.0	3.1	1.3
	परिसर के अंदर	54.1	20.9	8.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	परिसर के नजदीक	22.5	46.8	7.5	18.0	1.1	1.3	2.0	0.9
	दूर	9.8	39.1	7.7	28.2	1.9	4.2	6.5	2.6

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

भूमि जोत

4.29 जनवरी से दिसम्बर 2013 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें चक्र में किए गए भूमि एवं पशुधन सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों द्वारा स्वामित्व का अनुमानित कुल क्षेत्र प्रति स्वामित्व वाले 0.592 हेक्टेयर भूमि के आकार के औसत के साथ 92.369 मिलियन हेक्टेयर था। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा ग्रामीण भारत में स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के लिए 13.06 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 9.23 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.68 प्रतिशत तथा अन्यों के लिए 32.03 प्रतिशत था। प्रति परिवार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि का औसत क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए 0.650 हेक्टेयर, अनुसूचित जातियों के लिए 0.272 हेक्टेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.603 हेक्टेयर और अन्यों के लिए 0.816 हेक्टेयर था। प्रत्येक परिवार सामाजिक समूह के लिए जोत भूमि श्रेणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों के आबंटन का ब्यौरा नीचे **सारणी 4.18** में दिया गया है।

सारणी 4.18 : प्रत्येक सामाजिक समूह के परिवार के लिए भूमि जोत के आकार श्रेणी द्वारा परिवारों के आबंटन की प्रतिशतता

जोत की श्रेणी (भूमि आकार वर्ग हेक्टेयर में)	परिवार सामाजिक समूह				
	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	सभी (संसूचित नहीं सहित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूमिहीन (<=0.002)	9.41	7.18	6.98	7.40	7.41
अत्यल्प (0.002-1.000)	68.83	85.70	75.25	70.22	75.42
लघु (1.000-2.000)	14.64	4.77	10.43	11.31	10.00
अर्द्ध-मध्यम (2.00-4.00)	5.74	1.84	5.12	7.18	5.01
मध्यम (4.000-10.000)	1.36	0.48	1.99	3.34	1.93
वृहद (>10.000)	0.03	0.03	0.23	0.55	0.24
सभी आकार	100	100	100	100	100

स्रोत : एन.एस.एस. रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

एच.ए. : हेक्टेयर, एन.आर. : संसूचित नहीं

4.30 परिवारों का सर्वोच्च अनुपात (75.42 प्रतिशत) निम्न जोत वाली श्रेणी से संबंधित है और परिवारों का सबसे कम अनुपात दीर्घ जोत (0.24 प्रतिशत) से संबंधित है। इस पैटर्न को सभी परिवार सामाजिक समूहों में देखा गया है।

4.31 **सारणी 4.19** में दी गई संख्याएं ये दर्शाती हैं कि अनुसूचित जनजाति के मामले में परिवारों का सर्वोच्च प्रतिशत कृषि में (50.95 प्रतिशत) स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। इसके पश्चात मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार (32.90 प्रतिशत) की श्रेणी से संबंधित है, जबकि परिवारों का सबसे कम प्रतिशत पशुपालन (0.75 प्रतिशत) में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। यह पैटर्न अनुसूचित जाति के अलावा सभी सामाजिक समूहों में देखा गया है।

सारणी 4.19 विभिन्न सामाजिक समूहों में परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता

सामाजिक समूह	परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता						कुल
	में स्वरोजगार प्राप्त				मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार	अन्य	
	कृषि	पशुपालन	अन्य कृषि कार्यकलाप	गैर-कृषि उद्यम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ.ज.जा.	50.95	0.75	3.70	5.54	32.90	6.17	100.00
अ.जा.	30.88	1.50	4.79	11.41	43.22	8.19	100.00
अ.पि.व.	42.58	2.17	2.81	13.44	31.23	7.77	100.00
अन्य	49.90	1.67	3.49	11.27	24.82	8.85	100.00
सभी	42.92	1.75	3.47	11.59	32.36	7.91	100.00

स्रोत : एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

4.32 **सारणी 4.20** में दी गई अखिल भारतीय स्तर पर परिवार सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि के संवितरण की प्रतिशतता यह संकेत करती है कि अनुमानित परिवारों की प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति (11.89 प्रतिशत) के लिए सबसे कम है और स्वामित्व प्राप्त भूमि की क्षेत्र प्रतिशतता अनुसूचित जाति (9.23 प्रतिशत) के लिए सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (0.650 हेक्टेयर) अनुसूचित जाति (0.272 हेक्टेयर) के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्गों (0.603 हेक्टेयर) की तुलना में उच्चतर है।

सारणी 4.20 : सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि का संवितरण

संकेतक	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अन्य	सभी *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवारों की प्रतिशतता	11.89	20.06	44.82	23.23	100.00
स्वामित्व प्राप्त भूमि का अनुमानित कुल क्षेत्र (एमएचए)	12.062	8.528	42.190	29.588	92.369
स्वामित्व प्राप्त भूमि के क्षेत्र की प्रतिशतता	13.06	9.23	45.68	32.03	100.00
प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.650	0.272	0.603	0.816	0.592

* सामाजिक समूह में गैर अभिलेखित मामले शामिल, एमएचए : मिलियन हेक्टेयर

स्रोत : एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 : भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

रोजगार

4.33 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए चौथे वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण में अल्प रोजगार का आकलन करने के प्रयास किए गए हैं। सामान्य प्रिंसिपल स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित प्रमुख समय के मानक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति रोजगाररत है अथवा बेरोजगार है। अल्परोजगार वाली स्थिति वह स्थिति है जहां व्यक्ति कार्य के लिए उपलब्ध हैं तथा उन्हें कार्य प्राप्त भी है, परंतु कार्य आंशिक होता है। व्यक्ति जिन्हें संदर्भित अवधि के दौरान 12 माह के लिए कार्य उपलब्ध है उन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है:- (1) 12 माह के लिए कार्य, (2) 6 से 11 माह के लिए कार्य, (3) 1 से 5 माह के लिए कार्य तथा जिन्हें कार्य प्राप्त नहीं है। 15 वर्ष तथा अधिक की आयु के श्रमिकों का संवितरण जिन्हें 12 माह के लिए कार्य उपलब्ध है, परंतु वास्तव में वे सामान्य प्रिंसिपल तथा अनुसंगी स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं, **सारणी 4.21** में दिये गये हैं।

सारणी 4.21: 15 वर्ष तथा अधिक की आयु के श्रमिकों का संवितरण जिन्हें 12 माह के लिए कार्य उपलब्ध है, परंतु वास्तव में वे सामान्य प्रिंसिपल तथा अनुसंगी स्थिति दृष्टिकोण (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं

(% में)

विवरण	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण+शहरी
सारी जनसंख्या			
12 माह के लिए कार्य	53.2	78.5	60.5
6-11 माह के लिए कार्य	42.2	16.3	34.7
1-5 माह के लिए कार्य	1.4	0.4	1.1
कोई कार्य प्राप्त नहीं किया	3.2	4.8	3.7
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या			
12 माह के लिए कार्य	44.7	70.9	48.2
6-11 माह के लिए कार्य	51.0	23.8	47.4
1-5 माह के लिए कार्य	2.2	0.7	2.0
कोई कार्य प्राप्त नहीं किया	2.0	4.6	2.4
स्रोत: श्रम ब्यूरो, रोजगार - बेरोजगार सर्वेक्षण, 2013-14			

भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरूद्ध किए गए अपराध

4.34 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध राजस्थान में कुल अपराधों का 29.4 प्रतिशत (10914 मामलों में से 3207), इसके पश्चात मध्य प्रदेश (14.0 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (13.9 प्रतिशत) रिपोर्ट किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध औसत 10.5 की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध 35.2 की सर्वोच्च दर केरल में रिपोर्ट की गई है। राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-4ढ** में दिए गए हैं। अ.ज.जा. महिलाओं के विरुद्ध राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार अपराधों का ब्यौरे **अनुलग्नक-4ण और 4त** में दिए गए हैं। 2014-15 के दौरान अ.ज.जा. के विरूद्ध अपराध के तुलनात्मक आंकड़े **सारणी 4.22** में दिये गये हैं।

सारणी : 4.22 अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध

वर्ष	घटनाएं	अपराध की दर
2014	11451	11.0
2015	10914	10.5

4.35 वर्ष 2015 के दौरान देश में मानव तस्करी पर एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार असम ने मानव तस्करी के संबंध में 1494 मामलों की रिपोर्ट दी है इसके पश्चात पश्चिम

बंगाल ने 1255 तथा तमिलनाडु ने 577 मामलों की रिपोर्ट दी है। 0.5% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में असम ने मानव तस्करी की उच्चतम दर (4.6%) की रिपोर्ट दी है। अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मानव तस्करी के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले **अनुलग्नक-4थ** में दिए गए हैं।

केन्द्रीकृत हस्तक्षेपों के लिए चिह्नित जिले, उप-जिले तथा समुदाय

प्राथमिकता वाले जिले

4.36 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण एवं विकास के लिए केन्द्रीकृत रूप में हस्तक्षेप योजना बनाने के लिए 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है तथा उन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

- **प्राथमिकता 1: 14** वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2: 7** वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित 25% या इससे अधिक किंतु 50% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 69 जिले।
- **प्राथमिकता 3:** 25% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले शेष 14 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले।

58% अनुसूचित जनजातियां (6.10 / 10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 तथा 2 वाले जिलों में रहती है अर्थात 163 (94+69) जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4द** में दिए गए हैं।

प्राथमिकता वाले उप-जिले

4.37 जनगणना, 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार 672 उप–जिलों को चिह्नित किया गया है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% तथा 10 हजार से अधिक है। 672 उप–जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4ध** में दिए गए हैं।

प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.38 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदाय देश के अलग–अलग राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अंदर कुछ अनुसूचित जनजाति के समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% जनसंख्या से अधिक संख्या में हैं। इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार चिह्नित तथा समेकित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदायों में से 111 समुदाय प्रत्येक में (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का) 5% से अधिक की संख्या में है। ये 111 समुदाय अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 803.25 लाख अर्थात 76.8% तक जोड़े जाते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4न** में दिए गए हैं।

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान केअनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति का घोषित किया हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जाति के माने जाएं।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्र में विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और अगम्य क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था), निम्नलिखित विशेषताएं होती है:-

(क) कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरता; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में (अर्थात् 62) है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर-अनुसूचीकरण

5.5 ''अनुसूचित जनजातियां'' शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25)में इस प्रकार की गई है, ''ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।'' अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1)के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों समुदायों के भागों विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता

है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक-5क** में दी गई है। इसके बाद राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है।

5.9 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं-

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

5.10 इस मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति)1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति)1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची **अनुलग्नक 5-ख** में दर्शाई गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिए:-

(i) वह व्यक्ति या उसके माता-पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उसक्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

5.13 वह व्यक्ति जो लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षाप्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो वह उसके मामले में वह उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता।

5.14 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह स्थायी निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाना रहेगा।

ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्य पालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

ii. मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

iv. उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, के उप-मण्डलीय अधिकारी।

v. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र असावधानी पूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उनपर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 अन्य राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारीकरने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए है।

अनुसूचित जनजातियों के विर्निदिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के विर्निधारण के लिए प्रविधियां

5.20 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के विर्निदिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के विर्निधारण के लिए प्रविधियां को अनुमोदित किया। दिनांक 25.06.2002 को इन प्रविधायों को पुनः संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार / संघराज्य क्षेत्र प्रशासन भारत के महापंजीयक

(आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है)की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने/ अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि प्रविधियों के अनुसार है, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शामिल करने/ अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार, अथवा आरजीआई, अथवा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबंधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनुसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग-ग की धारा 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्र - (1) इस संविधान, में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति, किसी भी समय आदेश द्वारा -

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य मे सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा;

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुसंगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानक

5.23 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं-

(i) जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,

(ii) सघनता तथा क्षेत्रा का औचित्यपूर्ण आकार,

(iii) व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लाक या तालुका हो, तथा

(iv) निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपर्युक्त मानक संविधान में उसी रूप में तैयार नहीं किए गए हैं, परंतु ये सुस्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की कवरेज

5.24 वर्तमान में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-5ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल से संबंधित है निम्नानुसार दिए गए हैं:

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उप-पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा, जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम -

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल, संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो।"

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट

5.26 संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना को वार्षिक रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2009-10 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-5घ** में दिया गया है।

जनजातीय सलाहकार परिषद

5.28 5वीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की

जाएगी, जो 20 अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

5.29 जानजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) सभी राज्यों में गठित कर ली गई हैं। यद्यपि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तो भी उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की है। वर्ष 2012-13 के बाद से राज्यों द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-5ड़** में दिया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों के घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू है

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्य (राज्यों) का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.30)	02.06.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ. 50)	09.09.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ. 102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ. 114)	12.02.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ. 123)	02.12.1885	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.04.2007	झारखंड

5.31 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्रमूल राज्य बिहार से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव गठितराज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार,गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा)आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य मे अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य)आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) दिनांक 11.04.2007 के अनुसार पुन: परिभाषित किया गया है।

छठीं अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244(2) तथा 275(1) के तहत छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान है। छठीं अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट्स तथा क्लस्टर्स

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप-योजना के माध्यम से प्रशासनिक समर्थन तथा विकास प्रयासों के संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा के उपागम पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने जनजातीय संघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना की शुरूआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 10,000 जनजातीय जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की 50% या अधिक संघनता वाले छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान न्यूनतम लगभग 5,000 की कुल जनजातीय संघनता वाली आबादी वाले छोटे क्षेत्रों तथा जहां अनुसूचित जनजातियों (अ.ज. जा.) की संघनता 50% या अधिक है, को शामिल करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गए थे। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 193 आईटीडीपी / आटीजीए घोषित किए हैं।

5.34 **एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)** एक अथवा अधिक विकास ब्लॉकों के आकार का क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे ब्लॉकों की कुल जनसंख्या का 50% या अधिक है। संपूर्ण विकास ब्लॉक / पंचायत समिति आईटीडीपी की न्यूनतम संघटक इकाई है। जिले में एक अथवा अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटीडीपी का नाम सामान्यत: इसके मुख्यालय के स्थान अथवा जिला जहां इसका मुख्यालय स्थिति है, के नाम पर किया जाएगा।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) जो जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के लिए अधिकार क्षेत्र वाला संबंधित प्राधिकरण है को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में ऐतिहासिक रुप से इस नाम से जाना जाता है। अत: आईटीडीए (एजेंसी अथवा प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (संपूर्ण ब्लॉक/पंचायत समिति सहित), माडा और कलस्टर पॉकेट पर भी अधिकार क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। जिले की फैली हुई जनजातीय आबादी को भी संबंधित जिला आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.36 संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट 10,000 या इससे अधिक की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 50 प्रतिशत या अधिक जनजातीय सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए गांवों में सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति के नाम पर गांव का नाम रखा जाना चाहिए।

5.37 क्लस्टर 5,000 या इससे अधिक की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 50 प्रतिशत या अधिक जनजातीय सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा क्लस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति के नाम पर गांव का नाम रखा जाएगा।

5.38 आटीडीपी / आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स की राज्य-वार सूची निम्नानुसार दी गई है:

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी / आईटीडीए	माडा पॉकेट्स	क्लस्टर
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	-	-
3	बिहार	-	7	-
4	छत्तीसगढ़ #	19	9	2
5	गुजरात #	9	1	-
6	हिमाचल प्रदेश #	5	2	-
7	जम्मू-कश्मीर	-	-	-
8	झारखंड #	14	34	7
9	कर्नाटक	5	-	-
10	केरल	7	-	-
11	मध्य प्रदेश #	31	30	6
12	महाराष्ट्र #	16	44	24
13	मणिपुर	5	-	-
14	ओडिशा #	22	46	14
15	राजस्थान #	5	44	11
16	सिक्किम	4	-	-
17	तमिलनाडु $	9	-	-
18	तेलंगाना	3		
19	त्रिपुरा *	-	-	-
20	उत्तर प्रदेश	1	1	-
21	उत्तराखंड	-	-	-
22	पश्चिम बंगाल $	12	-	1
	केंद्र शासित प्रदेश			
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	-	-
24	दमन और दीव	1	-	-
कुल		**193**	**259**	**82**

* त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं है। वहां त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषदें (टीटीएएडीसी) हैं। छठीं अनुसूची के प्रावधान संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से त्रिपुरा को दिए गए थे, जैसा 2006 में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

$ केवल जनजातीय सलाहकार परिषदों वाले राज्य।

अध्याय 6

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति और कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 योजना प्रक्रिया के आरंभ से ही यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि जनजातीय लोगों को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाए। तथापि विभिन्न विकासीय प्रयास से नई जानकारी के साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ रणनीति विकसित होती गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्पष्ट जनजातीय विकास कार्यनीति तैयार करने की बजाए सामुदायिक विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। इन वर्षों में, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने देश की जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न पहल कि हैं। इसमें 1974-75 से कार्यान्वित जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) रणनीति शामिल है। टीएसपी एक बहुआयामी रणनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका आदि शामिल है। अवसंरचनात्मक विकास के क्रियाकलापों का मुख्य भाग संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। जबकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अंतरों को भरने के माध्यम से इन पहलों को योगज प्रदान करता है। मोटे तौर पर, टीएसपी रणनीति के तहत जनजातीय विकास के लिए निधियां निम्नलिखित है:-

- राज्य योजना का टीएसपी घटक
- केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के टीएसपी घटक
- जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान;
- संस्थागत वित्त तथा;
- निगमित संस्था का सीएसआर।

6.2 टीएसपी रणनीति के माध्यम से किये गये प्रयास से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि से संबंधित विभिन्न सूचकांकों के मामले में जनजातियों के लिए कुछ सुधार हुआ है। तथापि, यहां अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास सूचकांकों में अब भी काफी अंतर है। प्रतिबिंबित आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालने पर निम्नलिखित **ग्राफों** 6.1, 6.2 **एवं** 6.3 में सभी सामाजिक समूहों की तुलना में देश में अनुसूचित जनजाति की स्थिति का उल्लेख तैयार करता है।

ग्राफ 6.1

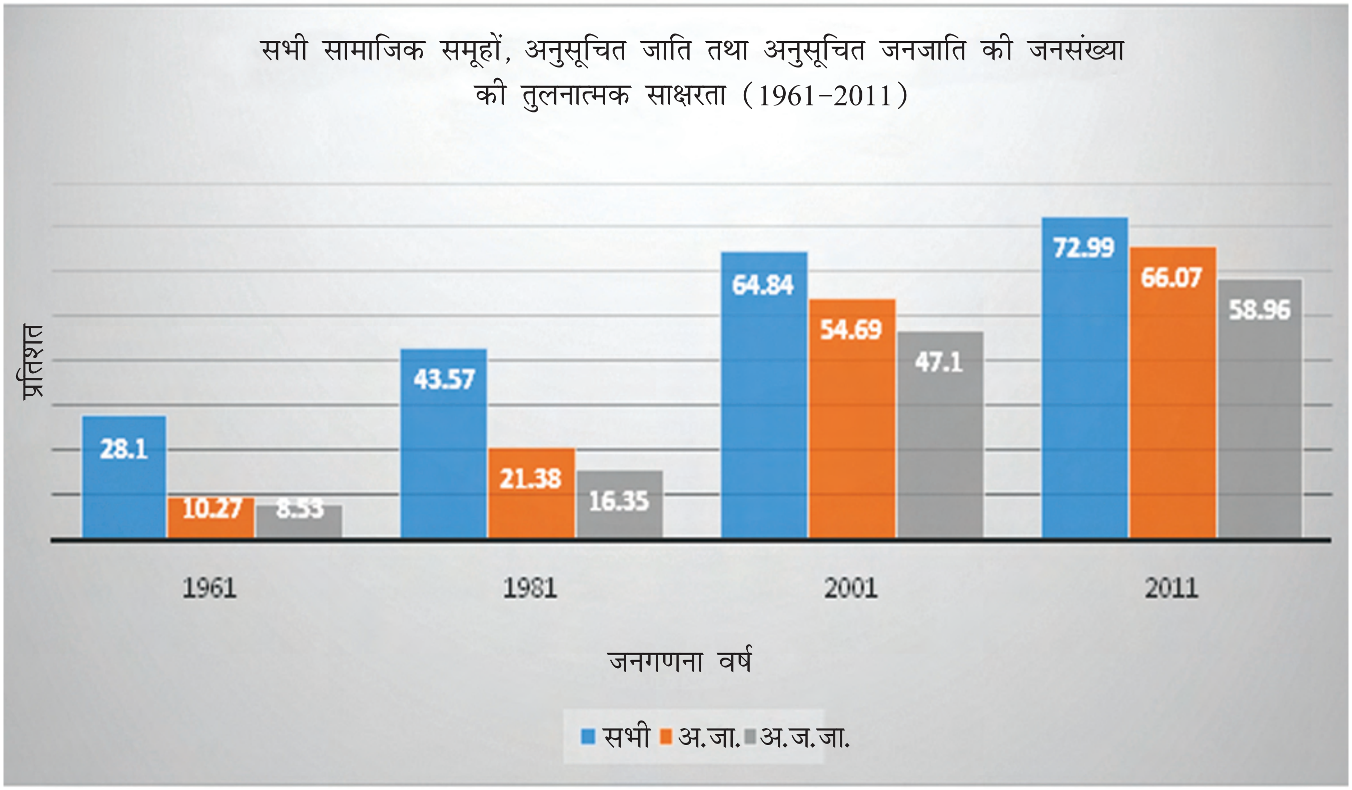
सभी सामाजिक समूहों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
की तुलनात्मक साक्षरता (1961-2011)
प्रतिशत
28.1
10.27
8.53
43.57
21.38
16.35
64.84
54.69
47.1
72.99
66.07
58.96
1961
1981
2001
2011
जनगणना वर्ष
सभी अ.जा. अ.ज.जा.

ग्राफ 6.2

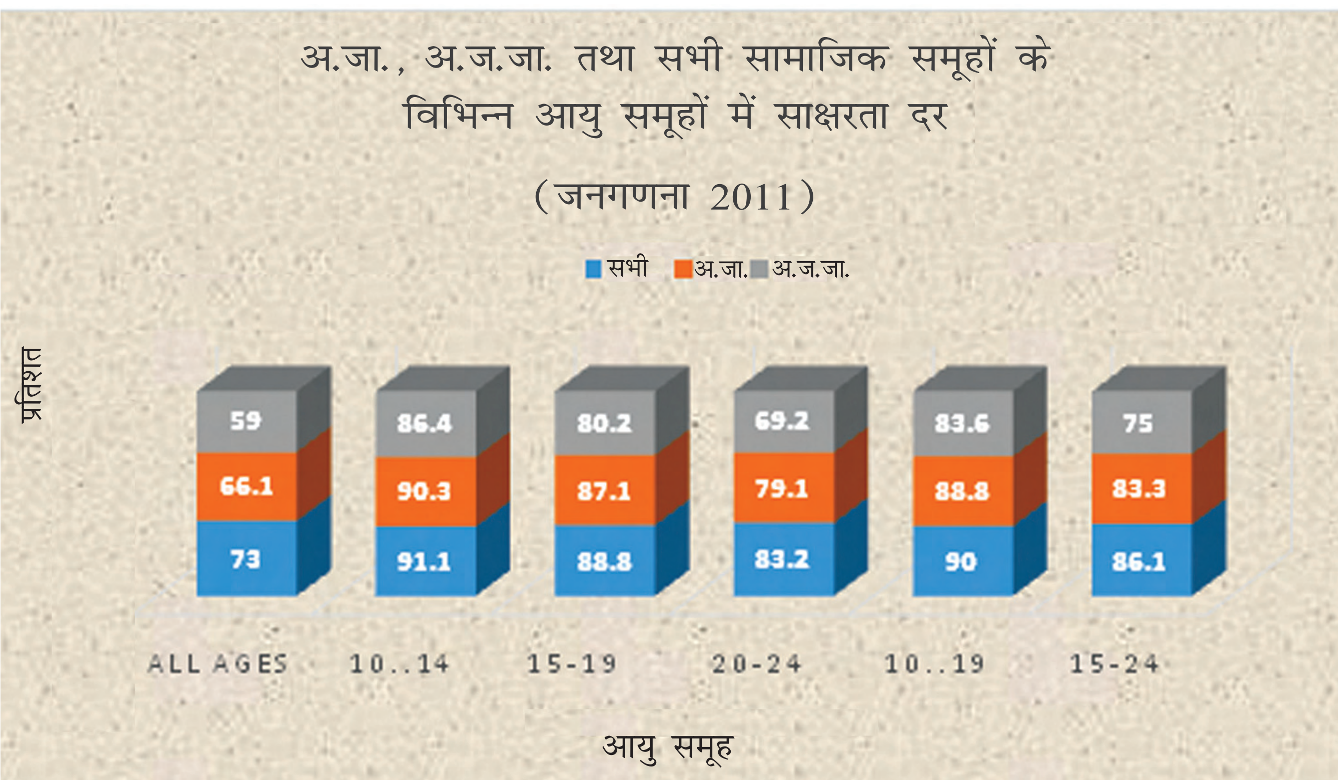
अ.जा., अ.ज.जा. तथा सभी सामाजिक समूहों के
विभिन्न आयु समूहों में साक्षरता दर
(जनगणना 2011)
सभी अ.जा. अ.ज.जा.
प्रतिशत
59
66.1
73
86.4
90.3
91.1
80.2
87.1
88.8
69.2
79.1
83.2
83.6
88.8
90
75
83.3
86.1
ALL AGES
10..14
15-19
20-24
10..19
15-24
आयु समूह

ग्राफ 6.3

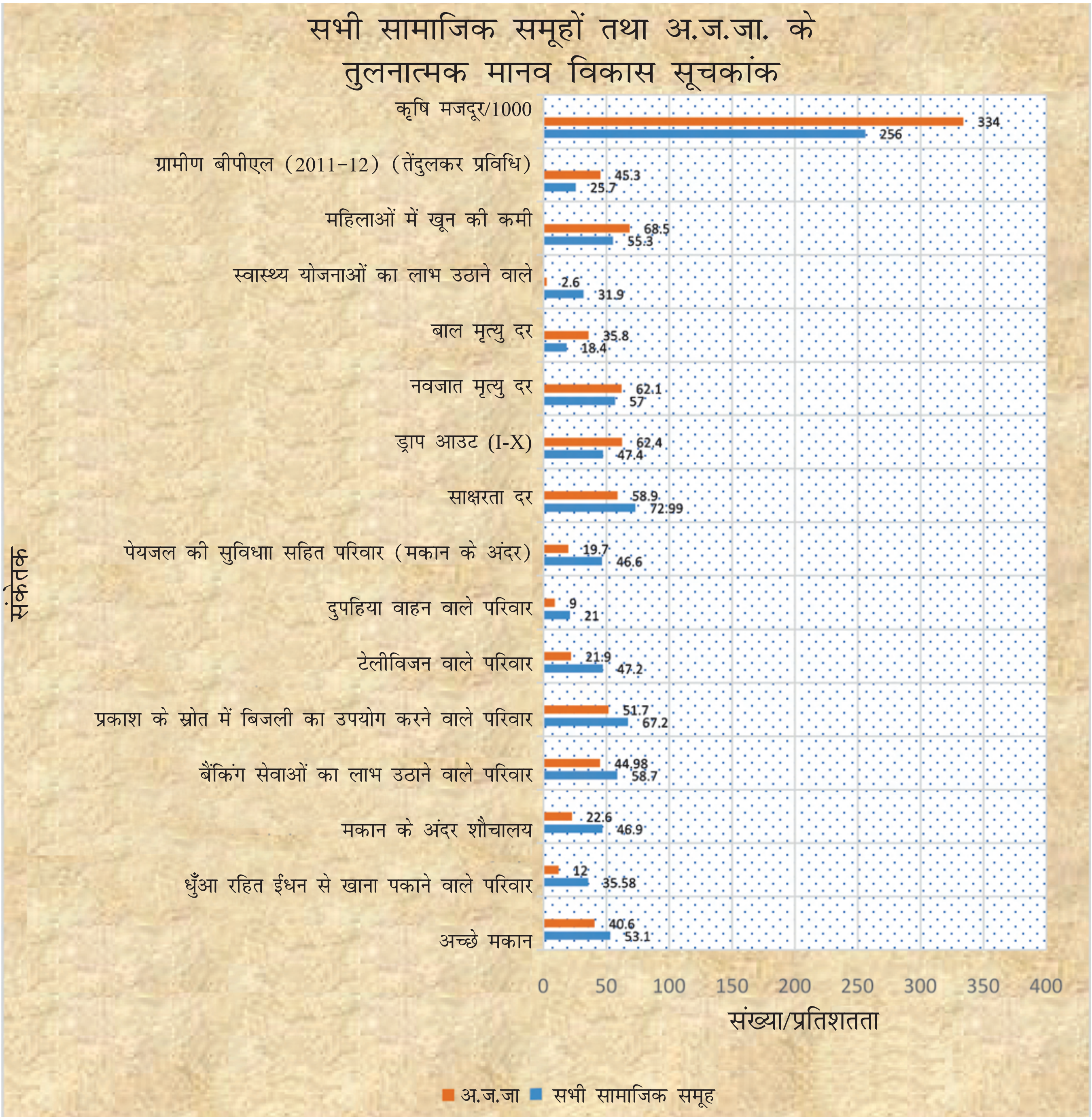

जनजातीय विकास में चुनौतियां

6.3 जनजातियों तथा अन्य जनसंख्या के बीच मानव विकास सूचकांक में अंतर के कई कारण। उनमें से कुछ अच्छी तरह से समझे गए तथ कुछ को कम समझा गया है। औपनिवेशिक दिनों के दौरान, वनों के आरक्षण से बहुत से जनजातीय लोग व वन्य धन से वंचित हुए जिससे उनके पोषण पर भी प्रभाव पड़ा। वास्तविक अथवा मनगढ़ंत वन अपराधों के लिए अत्यधिक सजा उन्हें गहरे क्षेत्रों अथवा मोरिशस एवं असम के चाय बागानों में जाने वाले अनुबंधित मजदूरों के रुप में जाने के लिए बाध्य करती है। स्वतंत्रता के पश्चात, आश्रम विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना 1950 में आरंभ हुआ तथा आईटीडीए 1970 में आरंभ हुआ। इसी समय पर, 1951-1990 के दौरान, 85 लाख जनजातीय लोग बांधों, खदानों, उद्योगों, वन्य जीव अभ्यारणों आदि के

कारण विस्थापित हुए जो 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी के विपरीत, 2.13 करोड़ लोगों के कुल विस्थापन का 40 प्रतिशत है। 85 लाख विस्थापितों में से, लगभग 21 लाख जनजातीय लोग पुनर्विस्थापित किए गए (योजना आयोग की दसवीं पंचवर्षीय योजना ''अनुसूचित जनजातियों का सुदृढ़ीकरण'' के लिए प्रचालन समिति की रिपोर्ट)। भौतिक सुदूरता इन लोगों को लोकवस्तु एवं सेवा प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। प्राय: ऐसे निष्पादन के प्रभारी लोक सेवक इन सुदूर क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं रहते हैं। वहां भाषाई बाधा भी थी। इसके अलावा, जनजातीय लोगों को वस्तु तथा सेवा प्रदान करने के लिए विशेष रुप से बनाई गई समर्पित संस्था जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) तथा अन्य सक्षम परियोजनाएं समय के साथ कमजोर हो गई। स्पष्ट रुप से, संस्थाओं के कमजोर होने के कारण से वित्तीय स्रोतों का निष्पादन कम रहा। सभी प्रतिकूलता के बावजूद, वहां विकास हुआ, जिसे पहचानने की आवश्यकता है।

6.4 एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के टीएसपी घटकों के तहत उपलब्ध निधियों की एक बड़ी राशि जनाजतीय जनसंख्या के लाभ के लिए जिस तरीके से खर्च की जानी चाहिए, नहीं की गई है। जनजातीय लोगों के लाभ के लिए राज्य योजना के तहत टीएसपी निधियों के प्रचालन में आरंभ की खामियां भी जनजातियों के बीच अल्प मानव विकास सूचकांक के लिए समस्या रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान टीएसपी के तहत निधियों के उपलब्धता को देखते हुए, यह पता चला है कि, औसतन, देश की जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए प्रति वर्ष निधियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 12 हजार रुपये है।

सारणी 6.1: जनजातीय उप-योजना निधियां

(रुपये करोड़ों में)

टीएसपी निधियों की उपलब्धता	2014-15	2015-16	2016-17 (ब.अ.)
केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग टीएसपी	16,088	16,413	1,90,205
राज्य टीएसपी	86,487	95,033	1,05,000 (लगभग)
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत निधियां	3,833	4,550	4,800
कुल	1,06,408	1,15,996	1,29,005

ग्राफ 6.4 टीएसपी के तहत निधियों की राशि

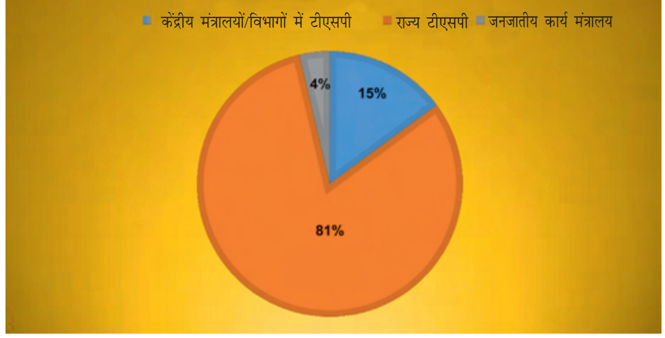

6.5 23 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों के अलावा, जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के रूप में विशेष निधि आवंटन वाले 28 केंद्रीय मंत्रालय / विभाग हैं। टीएसपी के तहत आवंटन कुल राज्यों / संघ राज्यक्षेत्र योजना के संबंध में राज्य में अ.ज.जा. जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के तहत निधियों का आवंटन किया जाता है। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग निर्धारित प्रतिशत के अनुसार टीएसपी निधियां आवंटित करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष कार्यक्रमों और जनजातीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित योजनाओं के माध्यम से अंतरालों को भरते हुए लाइन मंत्रालय और राज्यों की पहलों को योगदान प्रदान करता है।

राज्य जनजातीय उप-योजना:

6.6 डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में तथा अंतरमंत्रालयीय समिति के तहत गठित कार्यबला की सिफारिशों के आधार पर पूर्व के योजना आयोग ने 18 जून 2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है जो कुल योजना परिव्यय में से राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातीयों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं है। दिशा-निर्देश जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने तथा व्यवस्था, सेवा सुपुर्दगी के मानकों के साथ-साथ परिणामों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतों के मसौदे की सम्पूर्ण निगरानी को पुन: अनुबद्ध करते हैं। टीएसपी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार टीएसपी के लिए चिह्नित/आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

i. टीएसपी के तहत व्यय सामान्य प्रावधानों के ऊपर, अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास में कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं में अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होना चाहिए।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या अनुपात से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी की समस्याओं के अनुसार कुल योजना परिव्यय से चिन्हित की गई हैं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना-ईएपी तथा कोई अन्य योजना के तहत निवेश को बिना छोड़े)।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले, कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिए। अतः टीएसपी निधियों के आकार की सूचना प्रत्येक विभाग के लिए टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास सीधे अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए योजनाएं नहीं हैं, उन्हें कोई भी सांकेतिक आवंटन नहीं होगा।

v अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों को अधिक आवंटन का भुगतान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. भौतिक सुदूरता तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय मानक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझोता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौशल मूल्यांकन करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे एवं बारहवीं पंच वर्षीय योजना में गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी योग्य लक्ष्यों के प्रकाश में लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

viii. अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रम में तथा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ एकीकृत तरीके से तालमेल स्रोतों के प्रभावी उपयोग के लिए सुनिश्चित हैं।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. अन्यत्र उपयोग की रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां क्रियाशील मुख्य मद / उप मुख्य मद के नीचे एक पृथक उप मद के अंतर्गत चिन्हित की जाएंगी।

xi. लघु मद के अंतर्गत टीएसपी निधियां क्षेत्रवार तथा योजनावार आतंटन एवं वास्तविक लागत व्यय के साथ होंगे।

6.7 गत तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए राज्यों द्वारा वित्त पोषित आवंटन और व्यय **अनुल्गनक-6क** में है।

6.8 केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा टीएसपी के तहत निधियों के चिह्न के लिए कार्यबंधन निम्नानुसार हैं:

- टीएसपी के तहत निधियों के चिह्न के लिए बिना कार्यबंधन के मंत्रालय / विभाग (40 मंत्रालय और विभाग)
- आंशिक चिह्न करने के लिए आवश्यक मंत्रालय / विभाग (अपने योजना परिव्यय के 7.5 प्रतिशत से कम) (13 मंत्रालय और विभाग)
- अपने योजना परिव्यय के 7.5 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत के बीच चिह्न करने के लिए मंत्रालय / विभाग (10 मंत्रालय और विभाग)
- अपने योजना परिव्यय के 8.2 प्रतिशत से अधिक चिह्न के लिए आवश्यक मंत्रालय / विभाग (5 मंत्रलय और विभाग)

6.9 2013-14 से 2016-17 तक टीएसपी निधियों का मंत्रालय / विभाग-वार आवंटन का विवरण **अनुलग्नक-6ख** में दिया गया है।

6.10 केंद्रीय टीएसपी के लिए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

- मंत्रालय/विभाग को अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं की प्राथमिकता, अंतर का आंकलन करना है तथा योजनाओं को अन्तर भरने के लिए उन्मुख करना है।
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी योजनाएं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों / परिवारों / अधिवासों को प्रत्यक्ष तथा मात्रात्मक लाभ दें।
- दर्शायी गयी प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्न प्रतिशतता के रूप में माना जाये
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिह्नित करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों / विभागों में टीएसपी एकक के मुखिया के रूप में एक पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।

- नोडल एकक जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है। सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थापित किए जायें जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत हैं चिहि्नत करने के लिए वाध्य हैं।
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिहि्नत करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी एकक के मुखिया के रूप में एक पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- नोडल एकक जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है। सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थापित किए जायें जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थनकारी स्टाफ के साथ टीएसपी के तहत हैं चिहि्नत करने के लिए बाध्य हैं।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)

6.11 टीएसपी को एससीए भारत सरकार से (1977–78 से) 100 प्रतिशत अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान के अलावा, एक मतदान मद) तथा जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए एक योगदान है। यह अनुदान आईटीडीपी, आईटीडीए, माडा, कलस्टर, पीवीटीजी और फैली हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। टीएसपी को एससीए 23 राज्यों को कवर करता है: आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

ग्राफ 6.5

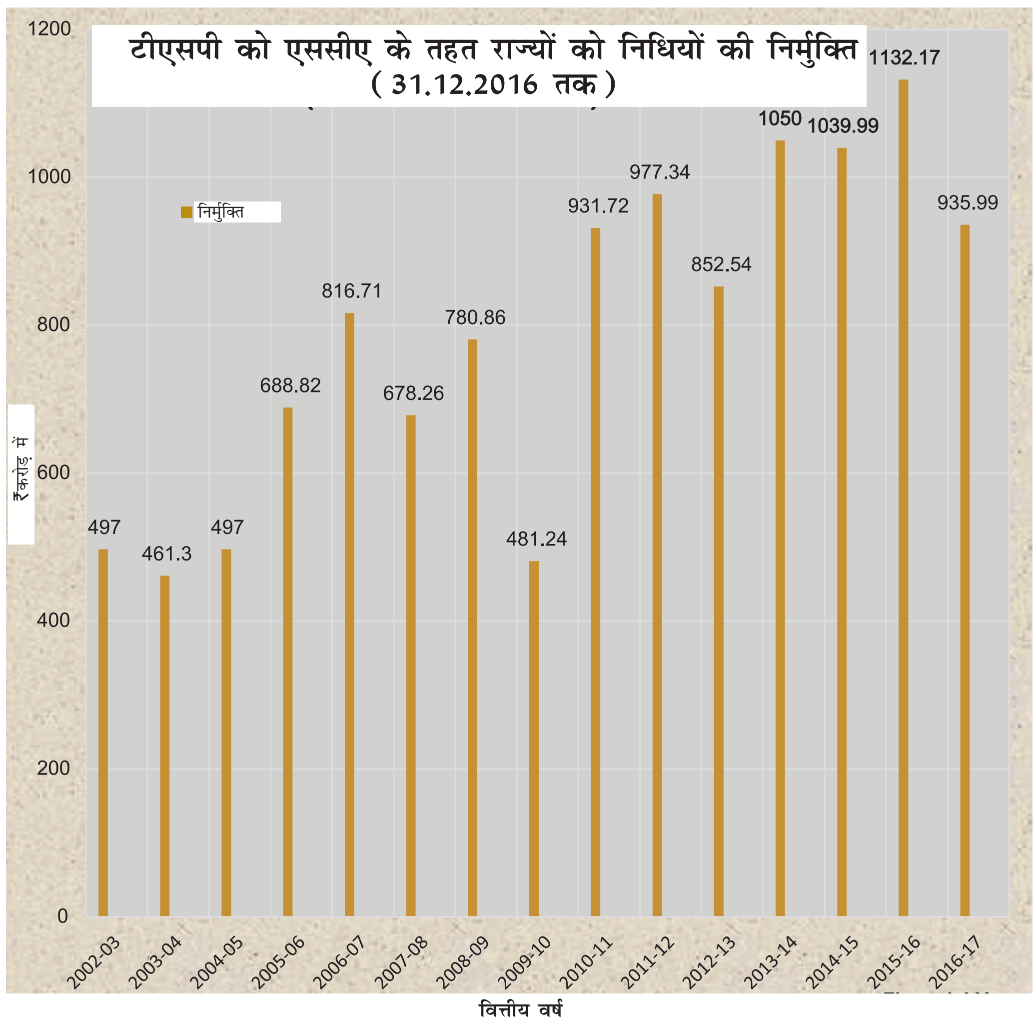

6.12 टीएसपी को एससीए के उद्देश्य हैं:

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी पहुंच बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास।
- आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों / स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर जीवन गुणवत्ता (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य योजनाओं के तहत ज्यादातर कवर किया जाना है)।
- गरीबी और बेरोजगारी, उत्पादनशील परिसंपत्ति और आय सृजनकारी अवसरों के निर्माण में काफी कमी।
- अन्य स्थानों के समान अवसर प्राप्त करने, अधिकार और अधिकार-पत्र प्राप्त करने और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने की बढ़ी हुई क्षमता।
- शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा।

6.13 अनावर्ती प्रकृति के प्राथमिक क्रियाकलापों (कम-से-कम 3 वर्ष की जीवन अवधि वाले अवसंरचना और उपकरणों सहित) को इन योजनाओं के अंतर्गत समर्थन दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों / योजनाओं के आवर्ती घटक राज्य निधियों / टीएसपी आवंटन द्वारा वहन किए जाने हैं। समान आजीविका पद्धति/परंपरागत व्यवसाय वाले अ.ज.जा. समुदाय (अर्थात जनजातीय पारिवारिक अर्थ-व्यवस्था के लिए समान आय स्रोत) को टीएसपी को एससीए के तहत आयोजना के उद्देश्य से एक साथ मिला देना चाहिए। सड़क संपर्क, बिजली, पेय-जल, मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों में राज्य योजना निधियों के मुख्य भाग दिए जाने के कारण टीएसपी को एससीए के तहत निधियन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। टीएसपी को एससीए के तहत निधियों की स्वीकृति के लिए विचार किए जाने

ग्राफ 6.6

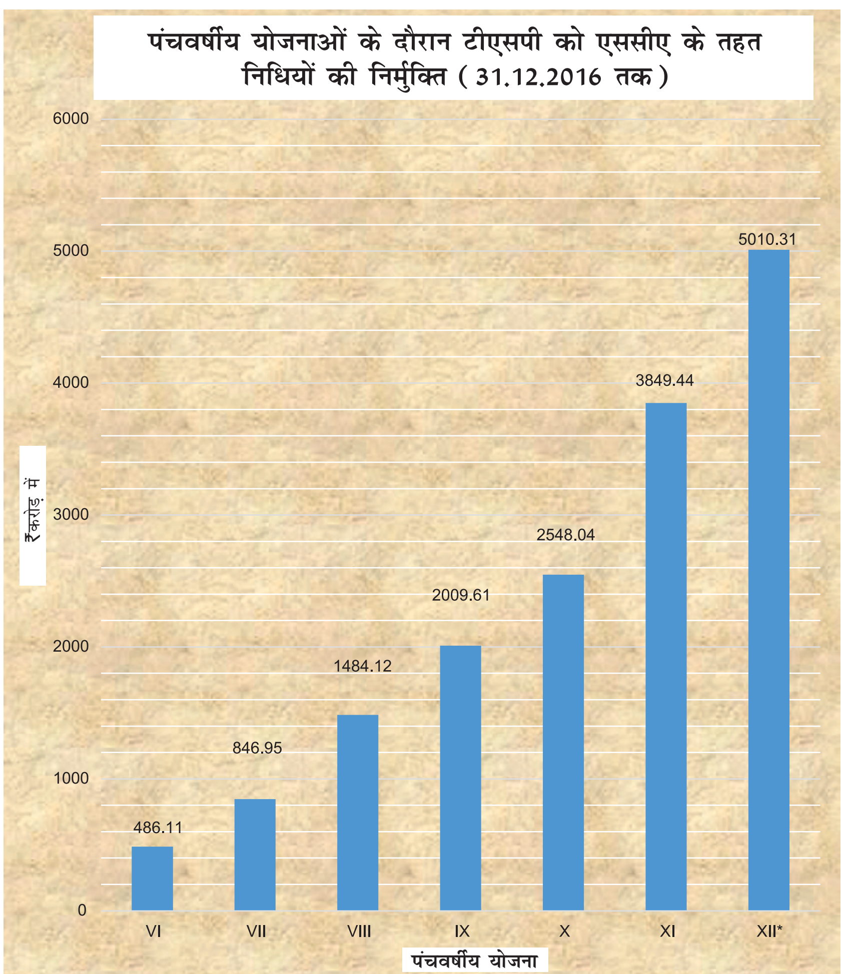

*31.12.2016 तक 12वीं योजना के आंकड़े

वाले क्रियाकलापों की विस्तृत सूची **अनुलग्नक- 6ग** में दी गई है।

6.14 935.99 करोड़ की राशि वर्ष 2016-17 के 1400 करोड़ के बजट के समक्ष, 31.12.2016 तक टीएसपी को एससीए के तहत जारी की जा चुकी है। अगले तीन महीनों अर्थात् जनवरी, 2017 से मार्च, 2017 के दौरान व्यय 312.00 करोड़ रुपये होगा। 2007-08 से 2016-17 (31.12.2016 तक) निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति **अनुलग्नक- 6घ** में है। 2002-03 से 2016-17 तक टीएसपी को एससीए के तहत निधियों की निर्मुक्ति **ग्राफ- 6.5** में दी गई है। पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की निर्मुक्ति **ग्राफ 6.6** में दी गई है।

परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

6.15 परियोजना मूल्यांकन समिति की प्रणाली टीएसपी को एससीए और अनुच्छेद 275(1) अनुदानों के तहत राज्य सरकारों की परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए 2014 में मंत्रालय द्वारा आरंभ की जा चुकी है। राज्य सरकारों, वित्तीय सलाहकार, नीति आयोग आदि के प्रतिनिधित्व के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा समिति की अध्यक्षता की जाती है। राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर विचार के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसी की बैठकें आयोजित की गई थीं।

6.16 परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का गठन निम्नानुसार हैं:-

(i)	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
(iii)	संबंधित राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव/सचिव,आयुक्त जनजातीय विकास/सामाजिक कल्याण और योजना विभाग (विशेष रुप से जनजातीय विकास के साथ कार्यरत)	सदस्य
(iv)	वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
(v)	सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
(vi)	निदेशक/उप-सचिव/अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य संयोजक

अन्य अधिकारी (प्राथमिक रुप से अन्य मंत्रालयों/विभागों से संयुक्त सचिव अथवा समान पद के अधिकारी) को अधयक्ष, पीएसी के अनुमोदन से आमंत्रिती के रुप में बुलाया जा सकता है।

वनबंधु कल्याण योजना

6.17 केन्द्रीय सरकार ने परिणाम आधारित पूर्वाभिमुखीकरण के साथ जनजातीय जनसंख्या के सम्पूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के परिवर्तन के विचार से "वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई)" नामक पहेलु आरंभ किया गया है। वन बंधु कल्याण योजना को रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यकता आधारित तथा परिणाम उन्मुख सहज वातावरण सृजित करना है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना की जाती है कि उपयुक्त संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल द्वारा केन्द्रीय के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत वस्तुओं और सेवाओं के सभी निर्दिष्ट लाभ लक्षित समूह तक वास्तव में पहुंचे।

6.18 इस योजना के तहत परिकल्पित तालमेल रणनीति के भाग के रूप में मंत्रालय ने एक तालमेल का मॉडल तैयार किया गया है जो निम्नलिखित 14 केन्द्रीयकृत क्षेत्रों के सम्बन्ध में मुद्दों और लक्ष्यों को शामिल करना है।

(i) गुणवत्तापरक एवं निरंतर रोजगार

(ii) गुणवत्तापरक शिक्षा तथा उच्चत्तर शिक्षा पर बल

(iii) जनजातीय क्षेत्रों का तीव्र आर्थिक विकास

(iv) सभी के लिए स्वास्थ्य

(v) सभी के लिए आवास

(vi) सभी के घर तक सुरक्षित पेयजल

(vii) क्षेत्र के अनुकूल सिंचाई सुविधाएं

(viii) निकटवर्ती कस्बों/शहरों तक संपर्क के साथ सभी मौसम वाली सड़कें

(ix) बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता

(x) शहरी विकास

(xi) निरंतरता के साथ विकास को गति देने के लिए प्रबल संस्थागत तंत्र

(xii) जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन एवं संरक्षण

(xiii) जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना

(xiv) सुरक्षा

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान

6.19 मुख्य विशेषताएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100 प्रतिशत वार्षिक सहायता है। इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों, श्रेणी निर्धारित मद के लिए अनुदानों को छोड़कर) और जनजातीय कल्याण के लिए राज्य योजना निधियों एवं प्रयासों के लिए योगदान है।

6.20 कवरेज

27 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल को अनुदान प्रदान किया गया है।

आईटीडीए, माडा, कलस्टर और पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है।

6.21 मूल उद्देश्य

(i) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी पहुंच बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास।

(ii) आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों/स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर जीवन गुणवत्ता (प्रधानमंत्री आवास योजना/राज्य योजनाओं के तहत ज्यादातर कवर किया जाना है)।

(iii) गरीबी और बेरोजगारी, उत्पादनष्ठील परिसंपत्ति और आय सृजनकारी अवसरों के निर्माण में काफी कमी।

(iv) अन्य स्थानों के समान अवसर प्राप्त करने, अधिकार और अधिकार-पत्र प्राप्त करने और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने की बढ़ी हुई क्षमता।

(v) शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा।

6.22 अंतरराज्यीय आवंटन के लिए मानदंड

वर्ष 2016-17 से अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों के तहत 27 राज्यों (पैरा 3.1) में निधियों का आवंटन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:

क राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर आधारित 50 प्रतिशत

ख आईटीडीपी/आईटीडीए के तहत शामिल जनजातीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल पर आधारित 25 प्रतिशत। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां कोई आईटीडीपी/आईटीडीए गठित नहीं किया गया है। वहां संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति का क्षेत्र (मध्यम स्तर की पंचायती राज संस्था) जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत अथवा अधिक है, को ध्यान में रखा जाएगा, तथा

वर्ष 2017-18 एवं तदोपरांत उपर्युक्त जनजातीय क्षेत्रों में जनगणना 2011 के आधार के अनुसार, निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र शामिल होंगे:-

i. आईटीडीपी

ii. माडा पॉकेट, और

iii. कलस्टर पॉकेट

जनगणना 2011 के अनुसार

ग शेष 25 प्रतिशत आवंटन संबंधित राज्यों के परिणाम आधारित निष्पादन के विश्लेषण के अनुसार किए जाएंगे।

6.23 अंतर-जिला आवंटन के मानदंड

(2) विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों का अंतर-जिला आवंटन निम्नानुसार होगा:

i. $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत जनसंख्या पर आधारित

ii. $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत क्षेत्रफल पर आधारित (अर्थात जनसंख्या: क्षेत्र अनुपात पर आधारित 2:1 पर)

केवल ऐसे क्षेत्र को धयान में रखे जाने की आवश्यकता है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे जिले/उप-मंडल/ब्लॉक/राजस्व गांव की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है।

6.24 25 प्रतिशत अथवा अधिाक अनुसूचित जनजातियों वाले जिलों (जिले की जनसंख्या का) पर जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धयान केंद्रित किया जाएगा। 25 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (जनगणना 2011 पर आधारित) वाले 177 जिलों की सूची **अनुलग्नक-4द** में दी गई है। इसमें वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) गतिविधियों द्वारा प्रभावित जिले (जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम 25 प्रतिशत से भी कम है) भी शामिल है।

6.25 अनुसूचित जनजातियों में से कुछ समुदायों की जनसंख्या राज्य में 5 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे समुदायों के ब्यौरे **अनुलग्नक-4न** में दिए गए हैं।

6.26 अंतर्राज्यीय (क्षेत्रीय क्रियाकलाप, समुदाय, क्षेत्रवार) प्राथमिकता एवं आवंटन

प्राथमिकता निम्नानुसार होनी चाहिए:-

क्र.सं.	क्रियाकलाप	आवंटित निधि
(i)	शिक्षा	40-50 प्रतिशत
(ii)	स्वास्थ्य	10-15 प्रतिशत
(iii)	कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी तथा प्राथमिक क्षेत्र में अन्य	20-30 प्रतिशत
(iv)	जनजातीय पारिवारिक अर्थव्यवस्था के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं	10-15 प्रतिशत
(v)	प्रशासनिक ढांचा (मानव संसाधन सहित)/ संस्थागत ढांचा तथा अनुसंधान अध्ययन	<5-10 प्रतिशत
	कुल	**100 प्रतिशत**

साधन प्रबंधन

6.27 वृहद स्थानिक और उच्च मानव-जातीय कवरेज के लिए (विशेष रुप से केंद्रीय क्षेत्र/केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों अथवा टीएसपी प्रवाह नीति के तहत) लाइन विभागों के जारी क्रियाकलापों से वित्तीय संसाधानों के क्रमानुसार संयोजक उपयोग होने चाहिए। संस्थागत वित्त का उपयोग भी अनुकूल होना चाहिए। अनावर्ती प्रकृति के प्राथमिक क्रियाकलापों (कम-से-कम 3 वर्ष की जीवन अवधि वाले अवसंरचना और उपकरणों सहित) को इन योजनाओं के अंतर्गत समर्थन दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं के आवर्ती घटक राज्य निधियों / टीएसपी आवंटन द्वारा वहन किए जाने हैं।

6.27.1 समान आजीविका पद्धति / परंपरागत व्यवसाय वाले अ.ज.जा. समुदाय (अर्थात जनजातीय पारिवारिक अर्थ-व्यवस्था के लिए समान आय स्रोत) को अनुच्छेद 275(1) अनुदान के तहत आयोजना के उद्देश्य से एक साथ मिला देना चाहिए।

6.27.2 सड़क संपर्क, बिजली, पेय-जल, मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों में राज्य योजना निधियों के मुख्य भाग दिए जाने के कारण अनुच्छेद 275(1) अनुदान के तहत निधियन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

6.28 संस्थागत संरचना

(i) राज्य स्तर, जनजातीय परामर्शदात्री समिति अथवा शीर्ष स्तरीय समिति पर अधयक्ष के रुप में मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष के रुप में नोडल विभाग के मंत्री के साथ गठित होनी चाहिए। यह छह महीने में एक बार बैठक करेगी।

(ii) कार्यकारी समिति अध्यक्ष के रुप में मुख्य सचिव और इसके सदस्यों के रुप में सभी लाइन विभागों के प्रमुख सचिव तथा सदस्य सचिव के रुप में नोडल विभाग के प्रमुख सचिव के साथ गठित होनी चाहिए। यह तीन महीने में एक बार बैठक करेगी।

(iii) जिला आयोजना और निगरानी समिति (डीपीएमसी) इसके अधयक्ष के रुप में जिलाधीश तथा सचिव के रुप में आईटीडीपी/ आईटीडीए के परियोजना अधिकारी, इसके सदस्यों के रुप में सबंधित लाइन विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ गठित होनी चाहिए।

6.29 2016-17 के लिए बजट

(करोड़ रु. में)

	बजट अनुमान 2016-17	निर्मुक्त (31.12. 2016)	प्रत्याशित निर्मुक्ति (01.01.2017 से 31.03.2017 के दौरान)
अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	1400.00	1044.86	355.14

2016-17 के दौरान (31.12.2016 तक) संविधाान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत निधियों की

ग्राफ 6.7

31.12.2016 तक अनुच्छेद 275 (1) के तहत निधियों का आवंटन (ब.अ.) और निर्मुक्ति (2007-08 से 2016-17 के दौरान)

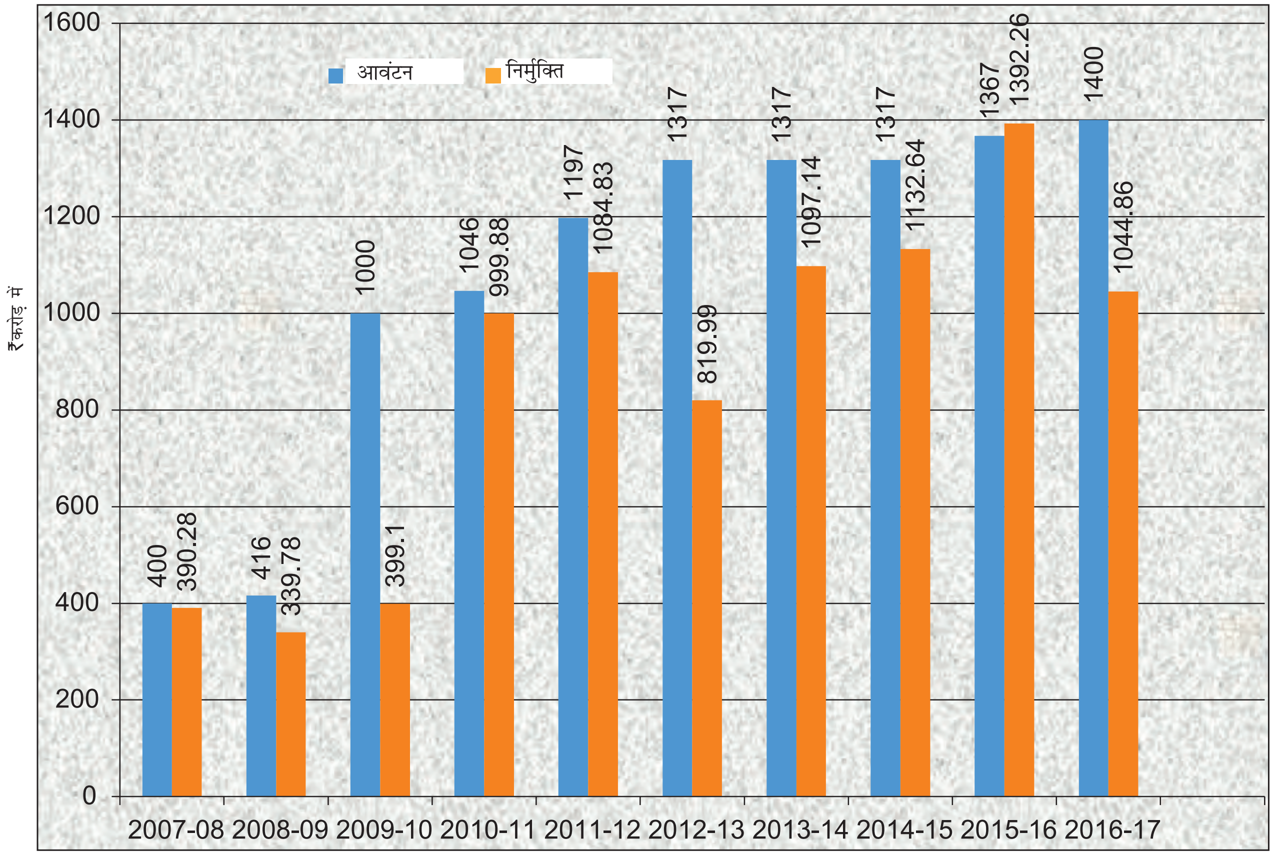

ग्राफ 6.8

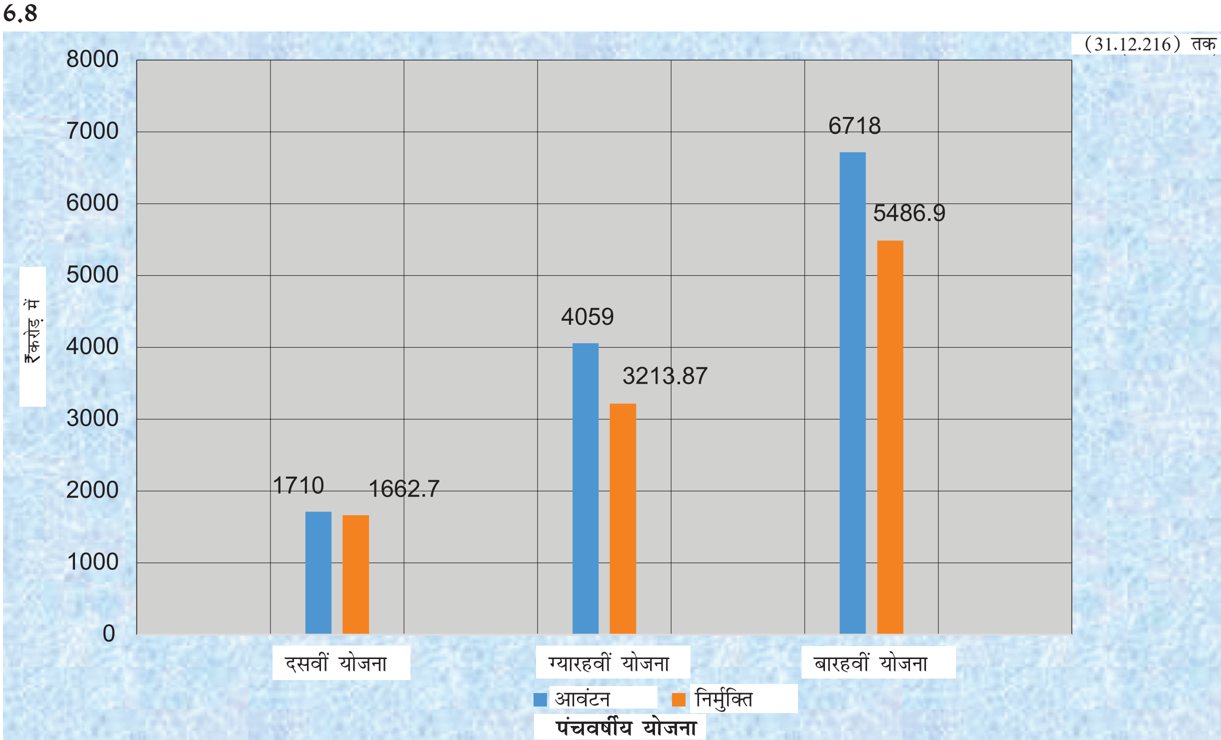

गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति

राज्य-वार निर्मुक्ति दिखाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ड.** पर दिया गया है। 2007-08 से 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान निधियों का राज्य-वार आवंटन और निर्मुक्ति तथा गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति क्रमशः **ग्राफ 6.7** और **6.8** में नीचे दिया गया है।

6.30 अनुमोदन प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के संबंध में परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दे और लिए गए निर्णयः-

शिक्षा

- 163 चिह्नित जिलों में जहां वर्तमान में कोई ईएमआरएस नहीं है, वहां ईएमआरएस का निर्माण।
- किराए के भवनों में भी ईएमआरएस आरंभ करना।
- ईएमआरएस तथा कक्षा 12वीं तक पूर्ण दर्ज संख्या।
- वर्तमान उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन्नयन।
- माध्यमिक और ऊपर की कक्षाओं के लिए छात्रावास सुविधा।
- उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रावासों को जोड़ना।
- मैट्रिकपूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार संयोजित सीधे लाभ हस्तांतरण में विद्यार्थियों का 100 प्रतिशत कवरेज।

स्वास्थ्य

- सीएचसी/पीएचसी का निर्माण/उन्नयन

आजीविका/कृषि/बागवानी

- भारत सरकार के नियमों का विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा निर्धारित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए पालन किया जाएगा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी)

एक केंद्र जो अवसंरचना लीजिंग तथा वित्तीय सेवा (आईएलएफएस) द्वारा नोएडा में सफलतापूर्वक प्रचालित है, जो एक सफल व्यावसायिक और रोजगार प्रशिक्षण कंपनी है, उसकी तर्ज परसामान्यतः पीपीपी मोड पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

6.31 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

- दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालयों की पद्धति पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) प्रत्येक विद्यालय 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणात्मक मिडिल एवं उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, उनको न केवल उच्च एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण उपलब्ध कराने और सार्वजनिक और निजी व सरकारी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में समर्थ बनाना है बल्कि गैर अनुसूचित जनजाति के बराबर शिक्षा में उत्तम अवसर उपलब्ध कराना भी है। मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
- ईएमआरएस की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि अपेक्षित है और अकादमिक शिक्षा और पाठ्यतर गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं देना भी आश्यक है। स्कूल भवन के अतिरिक्त खेल कूद के लिए जगह, विद्यार्थी कम्प्यूटर लैब, अध्यापक संसाधन कक्ष इत्यादि की व्यवस्था भी ईएमआरएस में इस दृष्टि से की गई हैं कि विद्यार्थियों के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाया जा सके ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्रों में उभरने के लिए अवसरों का उपयोग करें। स्थापित मानदण्डों के अनुसार केवल 60 विद्यार्थी प्रति कक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसमें 30 विद्यार्थी प्रति कक्षा छठी से दसवीं कक्षा तक होंगे और प्रति कक्षा 90 विद्यार्थी 3 भागों में होंगे विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों में कक्षा 11 और 12 में 30 विद्यार्थी एक कक्षा में अनुमत्य हैं। यह भी अपेक्षित है कि राज्य सरकारें अध्यापकों और अकादमिक तथा पाठ्यतर गतिविधियों के लिए स्टाफ के चयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें और बनाए रखें।
- छात्रावासों और कर्मचारियों के क्वार्टर सहित, स्कूल परिसर की स्थापना की पूंजीगत लागत पर्वतीय क्षेत्रों, मरूस्थलों

और द्वीपों में 16 करोड़ रुपये तक जाने के प्रावधान के साथ 12 करोड़ रुपये चिह्नित की गई है। स्कूल के लिए प्रथम वर्ष के दौरान आवर्ती लागत महगाई की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष दस प्रतिशत बढ़ाने के प्रावधान के साथ, प्रति बच्चे 42 हजार रू. की दर से होगा।

- आज की तारीख में देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय द्वारा 247 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से 161 ईएमआरएस पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और शेष 86 निर्माणाधीन हैं।

अब तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्यवार सूची और 31.12.216 को जो कार्यरत हैं उनकी स्थिति **अनुलग्नक-6च** में दी गई है। 31.12.2016 तक वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकारों को जारी आवर्ती और अनावर्ती निधियों का विवरण **अनुलग्नक-छ** पर है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-6ज** में दिया गया है।

भारत में जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास

6.32 आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकास के वाहक बल के रूप में पहचाने जाने के कारण कौशल विकास भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यसूची के रूप में उभरा है। तीव्र एवं अंतर्वेशीय वृद्धि के लिए अनुसूचित जनजातीय के लोगों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

6.33 जनगणना 2013 के अनुसार 33प्रतिशत जनजातीय परिवारों के पास खेती की जमींन है जो 0.025 एकड़ से 1 एकड़ के बीच है तथा उनमें से केवल 19प्रतिशत वास्तव में इन जोतों पर खेती करते हैं। जनजातीय लोग आजीविका साधनों के लिए कृषि पर अत्याधिक रूप से निर्भर हैं (कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत)। यह तथ्य कि जनजातीय लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उनकी निम्न सामाजिक आर्थिक तथा भागीदारी संकेतकों में पाया जा सकता है। जनगणना 2011 के आंकड़ों का एक तीव्र विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है:

i. ग्रामीण जनजातीय परिवारों में उन परिवारों का अनुपात जिनका प्राथमिक पेशा श्रम मजदूरी है खेती करने वाले परिवारों की अपेक्षा उच्चतर है।

ii. जनजातीय महिलाओं में कार्य की भागीदारी की दर अन्य सामाजिक समूहों में कार्य की भागीदारी से उच्चतर है यद्यपि जनजाति महिलायो कि मजदूरी निम्नतर है

iii जनजातीय कार्यकर्त्ताओं का सापेक्षिप उच्च अनुपात छोटी अवधि के प्रवासियों का है

iv जनजातीय अधिवासों में जीवन शर्तो के सम्बन्ध में अत्याधिक अवभावा है तथा अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में जनजातीय जनसंख्या में गरीबी के स्तर उच्च हैं।

v शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की संख्या तथा अनुपात में वृद्धि हुई है।

vi शिक्षित जनजातीय युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

6.34 यद्यपि जनजातीय समुहदाय अपनी अजीविका के मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, जनजातीय क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, गैर-कृषि में कुशल विकास तथा अजीविका सृजन की क्षमता अभी भी वृहद रूप से अविकसित रही हैं तथा अनुसूचित जनजाति की बहुसंख्या इन क्षेत्रों में वृद्धि का पूरा लाभ नहीं उठाते है। उन्हें परम्परागत कृषीय प्रक्रिया से अपनी दैनिक मजदूरी कामनी पड़ती हैं जिसके अवसर कम हैं तथा कृषि आधारित कार्यलापों को और अधिक अर्थ पूर्ण तथा निरन्तर बनाने के लिए सोचे-समझे हस्तक्षेपों की मांग करते है। इस प्रतिपृष्ठ में बहु-भुजाई दृष्किोण जिसका लक्ष्य जनजातीय समुदाय की कौशल विकास अवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को हल करना हैं, जिसे मंत्रलाय द्वारा अपनाया गया हैं:

- सम्भावित आजीविका कार्यलापों अर्थात कृषि, बागवानी, पशुधन, मछलीपालन, गैर-कृषि उद्यम, वनकी आदि के द्वारा विद्यमान आजीविका पणाली को बढ़ाना
- 'रोजगार' पर ध्यान देना-बाहर तथा ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में नौकारी के बाजार के लिए कौशल निर्माण, तथा
- 'उद्यम' - व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता (लघु उद्यम के लिए) का पोषण।

6.35 मंत्रालय अपने कार्यक्रमों जैसे जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुच्छेद 275(1) सहायता अनुदानों के माध्यम से रोजगार-सह-आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा उसकी अनुषंगिक अवसंरचनाओं के सृजन पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त व्यवसायी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन वाली योजनाएं हैं। इसके अलावा ट्राईफेड विपणन, जनजातीय उत्पादों के विकास तथा कौशल विकास/उन्नयन तथा जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों और जनजातीय लोग जो अपनी आय को बढ़ाने के अन्तिम उद्देश्य से लघु वन उत्पाद के संग्रह तथा निरंतर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में लगे हुए है। जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत मंत्रालय ने जनजातीय लोगों की आवश्यकता आधारित एकीकृत आजीविका पहलों तथा कौशल के उन्नयन को बढ़ावा देने तथा उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में सम्मानजनक नौकरियां दिलाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है:

- राज्य सहकारिता के साथ विविध फसलें, बागवानी, डेरी विकास, बाजार के साथ उपयुक्त संपर्क के साथ घरेलू मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन आदि।
- आधुनिक कौशल: (i) कार्यालय प्रबंधन, (ii) सोलर टेक्नीशियन, (iii) ब्यूटीशियन (iv) फ्रिज तथा एसी की मरम्मत (v) मोबाइल की मरम्मत (vi) पोषण (vii) सूचना प्रौद्योगिकी (viii) डाटा एन्ट्री (ix) घरेलू नर्स प्रशिक्षण (x) वाहन चालन तथा मैकेनिक (xi) सुरक्षा गार्ड (xii) गृह सज्जा तथा प्रबन्धन (xiii) खुदरा प्रबन्धन (xiv) मेजबानी (xv) पारिस्थितिकीय पर्यटन आदि।
- विपणीय परम्परागत कौशल: चित्रकारी, हथकरघा, हस्तशिल्प, संरचना, कारीगरी, अन्य कला एवं शिल्प, पलम्बिंग, राजमिस्त्री, इलैक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक तथा मोटर वाइडिंग, फिटर, बैल्डर, बढ़ई, आयुर्वेदिक और जनजातीय औषधियां आदि।

अध्याय 7

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

पृष्ठ भूमि

7.1 कई जनजातीय लोग तथा अन्य वन समुदायों के लिए वन आजीविका, पहचान, रीति-रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रही वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि के अधिभोक्ता रहे थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

7.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य यह है कि जनजातीय लोगों के बहुत लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रुप से रह रहे हैं, विधायी ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर-अंदाज कर दिया गया है। जनजातियों की सादगी तथा आधुनिक नियामक ढांचे की अनभिज्ञता, जिन क्षेत्रों में वे रह रहे हैं तथा जिन पर वे निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकारों को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। वन तथा वन भूमि से जनजातीय समुदाय भावनात्मक रुप से तथा वास्तविक रुप से हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शायद कार्यकाल में असुरक्षा की भावना तथा भूमि से बेदखली, जहां वे पीढियों से रहते आ रहे थे तथा संपन्न थे, का डर होगा। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यत: वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधनों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम प्रचालन में आया है।

7.3 अधिनियम वन अधिकारों को 'मान्यता' देने की व्यवस्था से आगे जाता है और वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थाओं को किसी भी समुदाय के वन स्रोतों की रक्षा, पुन: सृजन, संरक्षण तथा प्रबंध का भी अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में यह निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में इसे ठीक ही मील का पत्थर कहा गया है। अधिनियम में सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े साकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

7.4 वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

1. अधिनियम की धारा 3 में अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार होंगे। ये वन अधिकार हैं:

क वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व-कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार है।

ख समुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जिस भी नाम से जाना जाता हो सहित भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त अधिकार।

ग लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

घ सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतु या चरवाहा समुदायों के परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच।

ड. आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

च किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमियों पर अधिकार।

छ अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

ज सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर-सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

झ किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, सुधार या संरक्षण का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

ञ अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हो या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हो।

ट जैव-विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव-विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

ठ वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के एक हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

ड वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

2 इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधन है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

3 इस अधिनियम की धारा 4 (1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है।

4 अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्को और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन

अधिकारों के संशोधन या पुनःस्थापन हेतु प्रावधान है जो विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसी शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अनुत्क्रमणीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनःस्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनःस्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनःस्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुनःस्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए पुनः बदला नहीं जाएगा।

5 अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4)में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्यिों के मामले में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

6 धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

7 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

8 इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकता है कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार जहां उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षो के अन्दर भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

9 अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती आवाह क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों और जैव विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, की रोक को संकलित किए जाने को सशक्त करती है।

10 इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय-4) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों

जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप-मण्डल स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप-मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है।

11 अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियमया इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

12 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

13 धारा 12 इस अधिनियम के अधयाय-4 में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

14 अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति:-

7.5 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 42,43,668 है, जिसमें से 36,88,859 दावे निपटा दिए गए हैं और 17,30,729 अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा ने सबसे अधिक अधिकार पत्र जारी किए हैं जिनकी संख्या 4,05,509 है (3,99,996 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 5,513 सामुदायिक अधिकार पत्र।) मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक वन क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है जिस पर इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल वन क्षेत्र जहां अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं 21,10,991.87 एकड़ है। 30.11.2016 तक अधिनियम के तहत दावों की संख्या (राज्यवार) पर वितरित अधिकार पत्रों के प्रतिशत के अनुसार स्थान दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-7** पर है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.6. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एफआरए के कार्यान्वयन में कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन के परियोजना मूल्यांकन के सभी विषयगत पहलू एकीकृत किए हैं। मंत्रालय इन चुनौतियों के समाधान के लिए स्पष्टीकरण और निदेश प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है। इस वर्ष सुदूरतम क्षेत्रों के लिए इन प्रयासों की पहुंच और वितरण को मुख्य केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय अतिरिक्त व्यपगमन को समर्थन प्रदान करने तथा हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों के विश्लेषण और कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रयास करता रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

- मंत्रालय सभी राज्यों में अधिकार-पत्रों के वितरण में प्रगति की नियमित निगरानी करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट के रुप में सभी राज्यों से नियमित अद्यतन संबंधी जानकारी मांगी जाती है जो प्रत्येक माह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित भी की जाती है। मासिक प्रगति रिपोर्ट अधिक/कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों की पहचान करने और हस्तक्षेपों की आवश्यकता में भी सहायक है।
- मंत्रालय गत तीन वर्षों के विस्तार में एकत्रित मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधाार पर सभी राज्यों के कार्यों का विश्लेषण किया गया था। विलंबित दर, अस्वीकृति की दर और दावों के आनुपातिक संग्रहण के मामले में चौकाने वाले परिणाम थे। इस विश्लेषण के माधयम से, 9 राज्यों को कम निष्पादन वाले राज्यों के रुप में चिह्नित किया गया है तथा इस मंत्रालय ने अपनी वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण मांगते हुए इन राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलत अस्वीकृति नहीं की जाएगी, अस्वीकृत दावों की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।
- सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रलय और अपर सचिव, गृह

मंत्रलय की अधयक्षता में एक संयुक्त समीक्षा बैठक एफआरए कार्यान्वयन की स्थिति पर वामपंथ उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 29 जिलों के राज्यों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26.05.2016 को आयोजित की गई थी।

- वामपंथ उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 35 क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार-पत्रों के वितरण की प्रगति की समीक्षा के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 23.08.2016 को अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) द्वारा पुनः एक वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अधिकार-पत्रों के वितरण, दावों की अस्वीकृति के कारण, निरस्त दावों का स्वतः संज्ञान लेकर समीक्षा तथा इन क्षेत्रों में वितरित भूमियों के बेहतर उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की प्रगति पर एक पृथक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी कहा गया था।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जहां एफआरए दावों की अस्वीकृति की दर बहुत अधिक है। एफआरए दावाकर्ता को अस्वीकृति के मामले में अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करता है। जनजातियों के लिए कानूनी सेवा की पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह एक स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई है तथा यदि निर्णय लेने वाले किसी भी निकाय में पुनः अपील के माध्यम से इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया है तो राज्य सरकारों को 01 अप्रैल, 2014 से निरस्त दावों की आवश्यक रुप से समीक्षा करने का निदेश दिया गया है। उक्त तिथि के पूर्व निरस्त दावों की समीक्षा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

- एफआरए के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए विकसित एमआईएस प्रणाली को कार्यात्मक बनाने के लिए संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 26.08.2016 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। राज्यों से राज्य नोडल अधिकारी और तकनीकी व्यक्तियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

- माननीय प्रधानमंत्री ने 25 अक्तूबर, 2016 को प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल का शुभारंभ किया जिसके उपरांत वन अधिकार अधिनियम सहित विभिन्न क्षेत्रों में विषयगत संगोष्ठियां आयोजित की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा की गई। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में राज्यों से मंत्री, संसद सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, डीआईजी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। पैनल चर्चा के उपरांत समुदायों और सिविल सोसायटी द्वारा प्रश्न किए गए। भारत में प्रमुख जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विभिन्नता को दर्शाने वाली एक जनजातीय डायरी भी माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा जारी की गई।

- वन अधिकार अधिनियम की धारा 5 यह पहचान करती है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की विद्यमानता और स्थिरता के लिए वन निवासी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वन अधिकार नियम 4(1)(ड.) के तहत, ग्राम सभा को वन्य जीवन, वन और जैव-विविधता के संरक्षण के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता है जो सामुदायिक वन स्रोतों के निरंतर और समान प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक वन स्रोतों के लिए एक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करेगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ चर्चा में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक सक्रिय ढांचा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किया है जिसके तहत ग्राम सभा नियम 4(1)(ड़) के तहत समिति के माधयम से सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान, रक्षा और प्रबंधन के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है।

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में प्रभावी परिणाम प्राप्त करने की दिशा में, मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ समन्वय में "जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमता का सुदृढ़ीकरण" नामक शीर्षक की एक परियोजना चला रहा है। परियोजना के तहत, कई विमर्श और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं तथा सूचना के वितरण के लिए साहित्य निर्मित किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में निम्नलिखित दस्तावेज निर्मित और परिचालित किए गए:

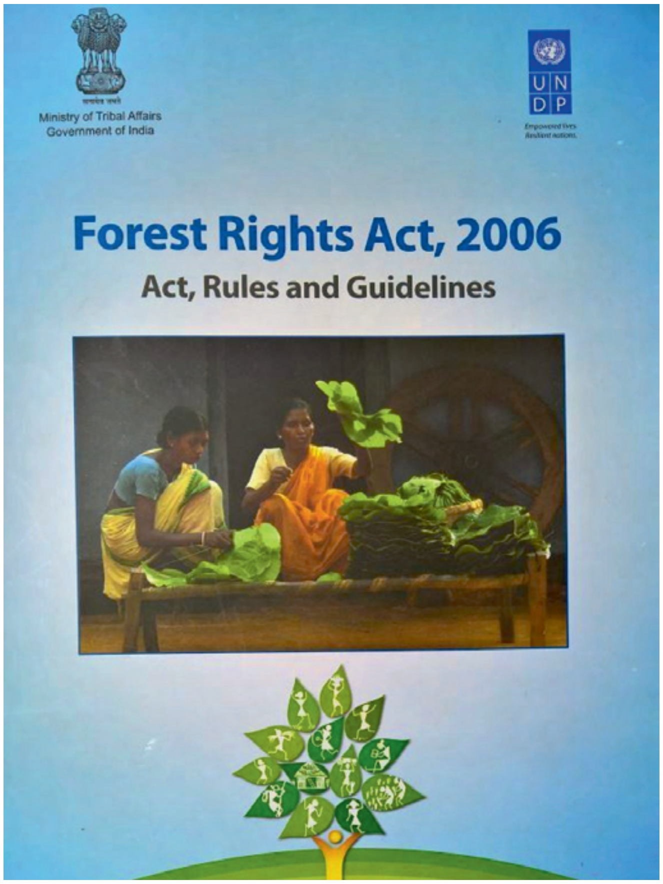

चित्र 1: अधिनियम, नियम और दिशानिर्देशों का समेकन

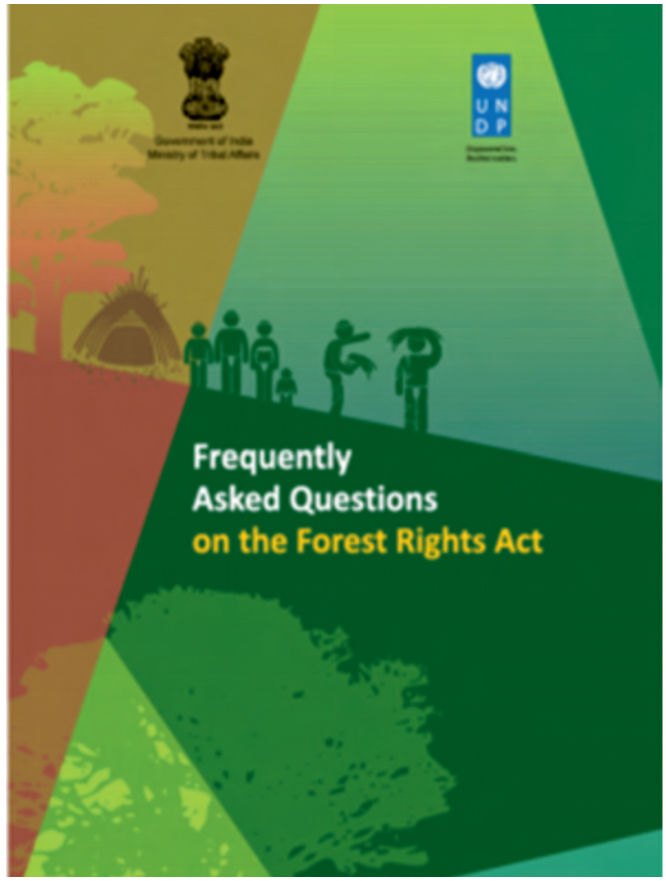

चित्र 1: वन अधिकार अधिनियम पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

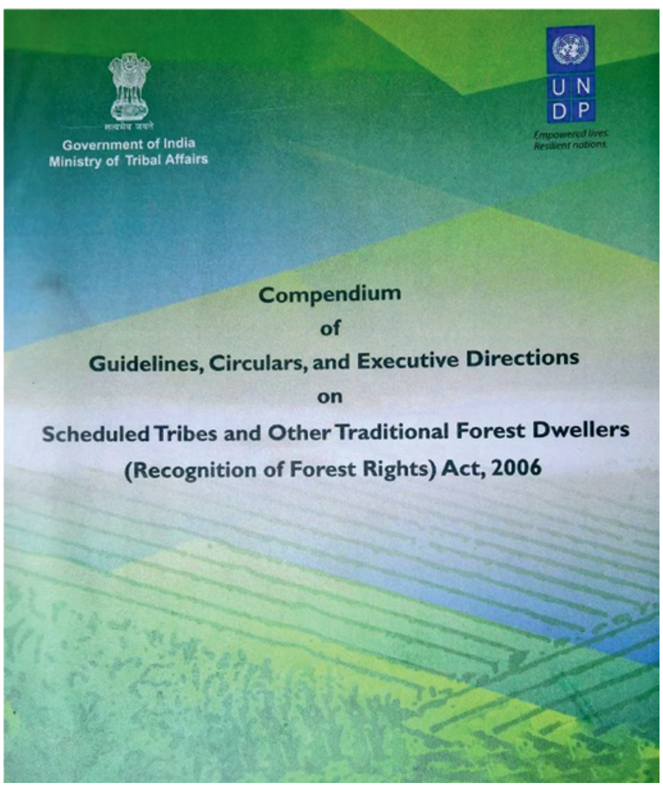

चित्र 3: दिशानिर्देश, परिपत्र का समेकन

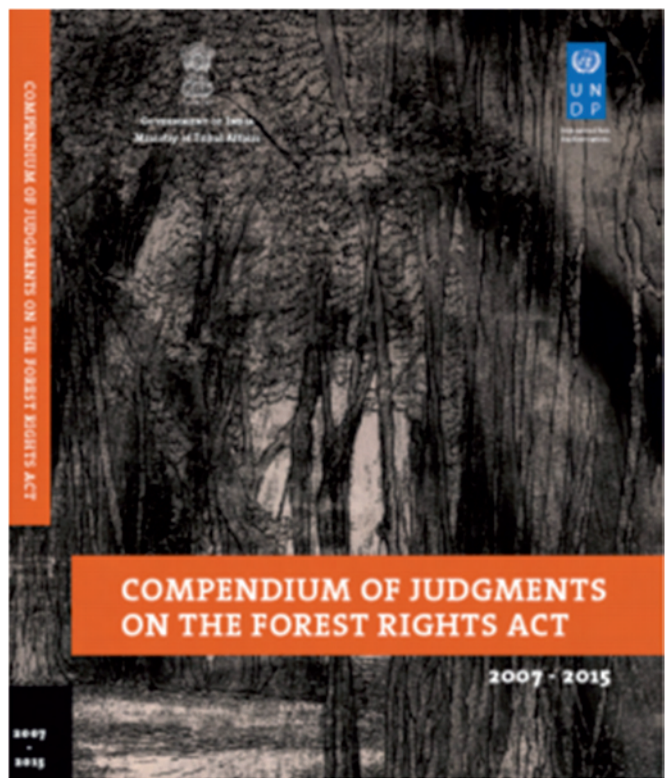

चित्र 4: एफआरए के निर्णयों की विवरण संग्रह पुस्तिका

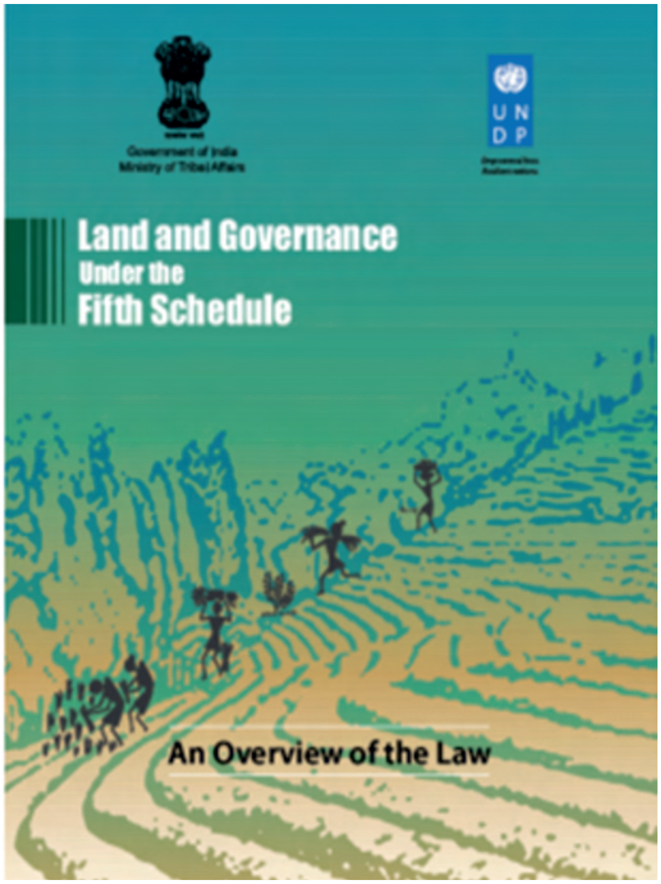

चित्र 5: 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के तहत भूमि और शासन

चित्र 6: जनजातीय डायरी

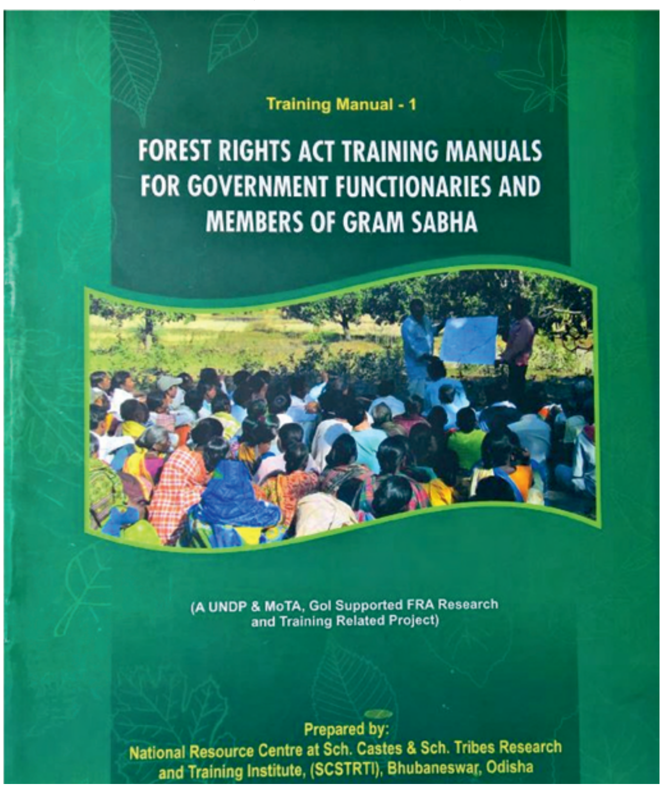

चित्र 7: प्रशिक्षण नियमावली-I

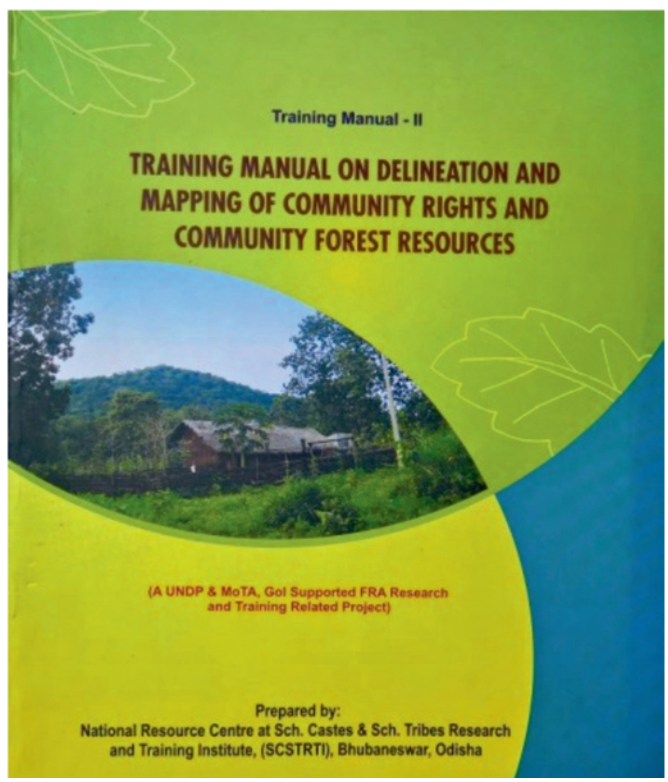

चित्र 8: प्रशिक्षण नियमावली-II

आगे की राह

7.7 वन अधिकार अधिनियम में करोड़ों जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की क्षमता है। इस मंत्रालय तथा सभी प्रतिभागियों के नियमित समर्थन और ग्राम सभाओं एवं कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सभी स्तरों पर दिशानिर्देश द्वारा निरंतर प्रयासों से वन अधिकार अधिनियम की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

यह आशा की जाती है कि वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेष रुप से सामुदायिक वन अधिकारों की पहचान, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पीवीटीजी का अधिवास अधिकार और घुमन्तू अथवा गांवों के समुदायों के मौसमी संसाधनों की पहुंच के अधिकारों का कार्यान्वयन आने वाले वर्षों में गति प्राप्त करेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर अक्षरशः इस ऐतिहासिक अधिनियम के उद्देश्यों की पहचान के लिए अभियान स्तर पर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएंगी।

आगे की राह की ओर उठाए जाने वाले कुछ कदम निम्नानुसार हैंः

- नियमित बैठकें, संबधी निर्णय और कार्य-योजना सुनिश्चित करते हुए कार्यों, उत्तरदायित्व की निगरानी तथा एसएलएमसी, डीएलसी और एसडीएलसी की निगरानी के लिए मोबाइल अप्लीकेशन और सरल एमआईएस जैसी तकनीक के उपयोग के द्वारा निगरानी प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
- मंत्रालय कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों में सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर विशेष ध्यान दे रहा है।
- तालमेल करते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से वन अधिकार प्राप्तकर्ताओं की आजीविका को बेहतर करना जो वर्तमान कौशल स्तर को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय संसाधनों की पहचान पर केंद्रित होगा। इससे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत निधियों का उपयोग किया जाएगा। यूएनडीपी की सहायता से एनएसटीएफडीसी में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय जनजातीय आजीविका संसाधन केंद्र आजीविका की पहचान, कौशल अंतरालों का विश्लेषण और ज्ञान के केंद्र के लिए एक मंच के रुप में सेवाएं देगा।

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु योजना

8.1 उद्देश्य: योजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रावास आवास देकर जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना है, जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति और अपने गांवों में दूर-दराज की अवस्थिति के कारण अपनी शिक्षा को अन्यथा जारी रखने में असमर्थ होते हैं।

8.2 कवरेज: योजना देश में संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या को कवर करती है न कि क्षेत्र विशिष्ट को। तथापि, योजना के तहत छात्रावासों की संस्वीकृति जहाँ तक संभव हो स्थापित शैक्षिक संस्थानों के एक भाग के रूप में या ऐसे संस्थानों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के बिल्कुल नजदीक दी जाएगी।

8.3 निधियन प्रतिमान: यह केन्द्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें सभी लड़कियों के छात्रावासों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए) में लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र हैं। अन्य लड़कों के छात्रावासों के लिए राज्य सरकारों हेतु वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र सरकार लड़कों तथा लड़कियों दोनों के छात्रावासों हेतु निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। अनुसूचित जनजाति की छात्राओं एवं छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावासों हेतु भी अन्य छात्रावासों के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही निधियां प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्यार्थ संसद सदस्य राज्य हिस्से के स्थान पर अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से भी निधियाँ प्रदान कर सकते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे जबकि अन्य विश्वविद्यालय 45 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी, 45 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी के लिए पात्र होंगे तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा संबंधित विश्वविद्यालय को स्वयं वहन करना होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान नहीं करती हैं तो राज्य सरकार का हिस्सा भी संबंधित विश्वविद्यालय को ही वहन करना होगा तथा इस प्रकार से उनका योगदान 55 प्रतिशत तक हो जाएगा।

8.4 मुख्य विशेषताएं :

(i) इस योजना में मिडिल, माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और नए छात्रावासों के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार का प्रावधान है।

(ii) राज्य सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करती है।

(iii) यह योजना छात्रावास चलाने के लिए आवर्ती व्यय प्रदान नहीं करती।

(iv) छात्रावासों का आवर्ती व्यय और रख-रखाव और उनके प्रयोग के लिए विनियमन राज्य सरकार / सम्बधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

8.5 छात्रावासों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/ विश्वविद्यालय की है। छात्रावासों के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत संबंधित राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाता है। राज्य सरकारों से शौचालयों, स्नान घरों, पेय जल, बिस्तर, पोषक, आहार जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा छात्रवासों में बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने एवं पर्याप्त सहायक स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना हेतु योजना

8.6 उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य, पीटीजी सहित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना है। आश्रम स्कूलों में आवासीय सुविधाओं सहित सीखने के लिए अनुकूल माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है।

8.7 कवरेज: यह योजना 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए देश के सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों को कवर करती है।

8.8 निधियन पद्धति: यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत भागीदारी आधारित केन्द्र प्रायोजित योजना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लड़कियों के सभी आश्रम स्कूलों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लड़कों के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्रदान करती है। उपर्युक्त स्कूलों से भिन्न, लड़कों के आश्रम स्कूलों हेतु राज्य सरकारों के साथ हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात पर आधारित है। संघ शासित राज्यों के मामलों में, केन्द्र सरकार लड़कों के एवं लड़कियों के आश्रम स्कूलों के निर्माण की पूरी लागत वहन करती है। संसद सदस्य इस उद्देश्यार्थ 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' से राज्यों के हिस्से के स्थान पर निधियाँ प्रदान कर सकते हैं।

8.9 मुख्य विशेषताएं

(i) इस योजना में शिक्षा के प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान है तथा पीटीजी सहित जनजातीय लड़के-लड़कियों हेतु मौजूदा आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन हेतु भी निधियाँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) इस योजना के अंतर्गत, स्कूल भवनों के अतिरिक्त छात्रों के लिए छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण भी किया जाता है। राज्य सरकार/संघराज्य क्षेत्र आश्रम स्कूलों के लिए नि:शुल्क भूमि देती है।

(iii) स्कूल और छात्रावास के पुस्तकालय के लिए फर्नीचर, उपस्करों, स्कूल पुस्तकालय के लिए पुस्तकों आदि की खरीद जैसी व्यय की अन्य अनावर्ती मदों के लिए भी 50:50 के अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) इस योजना के अंतर्गत केवल पूंजी लागत की व्यवस्था की जाती है। आवर्ती खर्चों को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

(v) नए स्कूलों के लिए स्थान तथा दाखिला नीति का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाना चाहिए।

(vi) आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य केन्द्रीय सहायता जारी होने के दो वर्षों के भीतर किया जाएगा। तथापि, वर्तमान आश्रम स्कूलों के विस्तार हेतु निर्माण की अवधि 12 महीने है।

8.10 आश्रम विद्यालयों के संचालन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी केवल सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्व विद्यालय की होती है। यदि आश्रम विद्यालय के खराब रखरखाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती है तो इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। मंत्रालय ने इस पर गंभीर विचार किया है तथा राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजाति के अग्रम स्कूलों में शौचालयों, स्नान घरों, जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं सृजित करने और इस उद्देश्य के लिए अपने राज्य बजट में निधियां देने के लिए कहा गया है तथा इस उद्देश्य के लिए निर्माण लागत राज्य लो.नि.वि की अनुसूचित दरों के अनुसार होती है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा-योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (2)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
आश्रम विद्यालयों की स्थापना लड़कियों और लड़कों के आश्रम स्कूलों तथा समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के केवल टीएस पी क्षेत्रों में राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य सभी आश्रम स्कूलों एवं टीएसपी राज्यो वित्त पोषण 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे फर्नीचर, उपस्करों, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।															
										मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ छात्रावासियों के लिए 380 रुपए से 1200 रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230 रु. से 550 रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता+अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (1-4-2013 से अधिकतम आय 2.50 लाख रू प्रतिवर्ष)					
												उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना सरकारी संस्थानों के लिए-पूरी ट्यूशन फीस और अप्रतिदेय देय राशियो। निजी संस्थाओं के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 4.50 लाख रुपए तक+अन्य भत्ते, यदि लागू हों।			
													राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना अनुरक्षण भत्ता प्रतिवर्ष 15400/- अमरीकी डालर और प्रतिवर्ष 9900/- यू.के. पौंड+ अन्य भत्ते, यदि लागू हों।		
														राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति- 2 वर्षों के लिए 16000/- रुपए प्रति माह की दर से; वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति - 18000/- रुपए प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए।	

अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा-योजनाएं एक नजर में :

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	स्नातक (2)	पी.जी (2)	एम.फिल	पीएच.डी (1तथा ½)
छात्रावासों का निर्माण समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित किए गए लड़कियों एवं लड़कों के छात्रावासों नक्सल प्रभावित जिलों में लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा लड़कों के लिए अन्य छात्रावासों में निधियन 50:50 अनुपात के आधार पर जारी रहेगा। संघ शासित प्रदेशों को छात्रावासों के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनावर्ती मदों जैसे उपस्करों, फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकों इत्यादि जैसी मदों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।															
								मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति छात्रवासियों तथा दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ क्रमशः 350रु. तथा 150 रु. मासिक की दर से हैं तथा पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान क्रमशः 1000रु. तथा 750रु. वार्षिक की दर से है।							

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.11 उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संशोधनों के साथ 1.7.2010 से संशोधित की गई है।

8.12 कार्य क्षेत्र: यह योजना सभी अनुसूचित जनजातीय छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1.4.2013 से 2.50 लाख रुपये अथवा उससे कम है, के लिए खुली है तथा छात्रवृत्तियां उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जहां के वे निवासी हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) कोर्स भी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष पात्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए 10 प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। सीपीएल पाठ्यक्रम के लिए आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

8.13 मुख्य विशेषताएं

(1) छात्रों को जो पाठ्यक्रमों पर निर्भर करता है। अलग दरों से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें 230/- रुपये प्रति मास से लेकर 1200/- रुपये प्रति मास हैं। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(2) दृष्टिहीन छात्रों के लिए रीडर्स भत्ते का प्रावधान है। विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

(3) छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठयक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्र के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

(4) कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स (सीपीएल) को समूह-1 के तहत शामिल किया गया है।

8.14 निधियन पद्धति: योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों के अलावा जहां निधियन अनुपात 90:10 है, केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।

8.15 कार्य निष्पादन : 2016-17 के दौरान 1269.22 करोड़ रुपये (अंब्रेला योजना के सामान्य घटक) के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2016 तक 1,205.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2014-15 से 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्य वार कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक-8क** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

8.16 उद्देश्य: व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशत: महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8.17 मुख्य विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन सभी छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होमियोपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित), इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलीटेक्नीक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

(i) पुस्तक बैंक योजना के लिए पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों तक सीमित हैं।

(ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रमों और चार्टड एकाउंटेंसी को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठयक्रमों के दो छात्रों के लिए पुस्तकों का एक सैट खरीदा जाता है, जबकि इन दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक छात्र के लिए एक सैट खरीदा जाता है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के एक सैट का निर्णय लिया जाता है।

(iv) पुस्तकों के प्रत्येक सैट की कालावधि 3 वर्ष नियत की जाती है।

(v) पुस्तक बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित उच्चतम सीमा अथवा सैट की वास्तविक लागत, जो भी कम है, तक सीमित होती है।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	एक सैट की लागत (2 विद्यार्थियों के लिए एक सेट)
I	**डिग्री पाठ्यक्रम**	
1	मेडिकल	7,500/-रुपये
2	इंजीनियरिंग	7,500/-रुपये
3	पशुचिकित्सा	5,000/-रुपये
4	कृषि	4,500/-रुपये
5	पोलिटेक्निक	2,400/-रुपये
II	**स्नातकोत्तर पाठयक्रम**	
1	मेडिकल, इंजीनियरिंग	5,000/-रुपये (प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 1 सेट)
2	व्यवसाय प्रबंधन,	
3	कानून	
4	जैव-विज्ञान	

8.18: इस योजना में स्टील की अलमारी की खरीद, परिवहन लागत आदि के लिए 2000/- रुपये अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, की व्यवस्था है। पुस्तकें संबंधित विश्वविद्यालय/ कॉलेज को प्रदान की जाती हैं और शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को जारी की जाती हैं।

8.19 निधियन पद्धति: योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों के अलावा जहां निधियन अनुपात 90:10 है, केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

8.20 : उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने इनके रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जनजाति

के विद्यार्थियों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसके प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2013-14 से 2016-17) के दौरान क्रियान्वयन हेतू सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों (एनओएस) के संशोधित योजनाओं को अनुमोदित किया है।

कार्य क्षेत्र

8.21 : मैट्रिकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए अधिकतम 17 अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों तथा 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है।

8.22 : मुख्य विशेषताएं:

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है जिसकी आयु विज्ञापन की तारीख को 35 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता-पिता/ अभिभावकों की कुल आय 6 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए, एम.फिल अथवा पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री हो तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एम फिल या पीएचडी पाठयक्रम के लिए प्रथम श्रेणी के साथ 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/ एम.फिल डिग्री कार्य में वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के साथ डाक्टोरल डिग्री सहित 55% अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से चयन की तारीख से 3 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9900 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/अध्यापन असिस्टेंटशिप कार्य आरंभ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरूप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है। ?

(v) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को भारत लौटने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है।

8.23 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूह के उम्मीदवारों को चार वार्षिक ''यात्रा अनुदान'' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत, जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती, प्रतिभा छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना इकानॉमी क्लास द्वारा भारत से आने-जाने की यात्रा के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8.24 निधियन प्रतिमान : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8.25 आबंटन: वर्ष 2016-17 के लिए एक करोड़ रु. के बजट अनुमान के बजटीय आवंटन के विरुद्ध 31 दिसंबर, 2016 तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

8.26 कार्य निष्पादन : चयन वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान 21 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए चयन प्रक्रियाधीन है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति

8.27 स्तरों को हटाने के परिणामस्वरुप विलंब तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाएं उदाहरण राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा की दिशा में, मंत्रालय ने इन दो योजनाओं को मिलाकर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: ''अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अधयेतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति'' बनाई है।

I. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.28 उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु फेलोशिप के रूप में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना 2005-06 से शुरू की गई है।

8.29 कवरेज: इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय / संस्थान कवर किए गए हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है:-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम. फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच. डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल + पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

8.30 : वित्तपोषण पद्धति: जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्ति के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं।

विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	25000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 28000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	25000/- रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) 28000/- रुपये प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	10000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 20500/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	12000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25000/- रुपये प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को 3000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र
अंगरक्षण/वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में 2000/-रुपये प्रतिमाह की दर से

8.31 मुख्य विशेषताएं:

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 750 अध्येतावृत्तियाँ दी जाएंगी
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी. जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना को कार्यान्वित करता है।
- इसकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने में न्यूनतम अंकों का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

2016-17 के दौरान ब.अ. 50.00 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में 31 दिसम्बर, 2016 तक 45.00 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

II. अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा की योजना

8.32 : उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट-डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 2007-08 से शुरू की गई है।

8.33 : कवरेज: उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थाओं की सूची 2015-16 के बाद से संशोधित की गई है तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति की मिश्रित योजना के तहत प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में 158 मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। प्रत्येक वर्ष कुल नई छात्रवृत्तियां वित्तीय वर्ष 2015-16 से 1 हजार होंगी। उच्च श्रेणी संस्थानों के लिए संस्थानवार तथा विषयवार स्तरों की संख्या में कोई सीमा नहीं होगी।

8.34 मुख्य विशेषताएं-

(i) 1.4.2013 से अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 4.50 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रु. प्रति वर्ष की सीमा होगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रति माह 2200 रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000 रु. और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कम्प्यूटर प्रणाली की लागत के रूप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000 रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधि संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएगी।

8.35 आबंटनः वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत 50.00 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2016 तक 4.41 करोड़ रुपये खर्च की गई।

8.36 कार्य निष्पादनः 31.12.2016 तक 56 संस्थानों में 306 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा अध्येतावृति प्रदान की गई।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

8.37 उद्देश्य-योजना के उद्देश्य हैं:

(i) कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता-पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की दर (ड्रोप आउट) की घटना, विशेष रूप से शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, को कम से कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें बेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

8.38 कवरेजः अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित की जाती है जिन्हें इस योजना के तहत उनकी प्रतिबद्ध देयता के अलावा व्यय के लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

8.39 मुख्य विशेषताएं-

- यह एक केन्द्रिय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों के अलावा जहां निधियन अनुपात 90:10 है, केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।
- छात्रवृत्तियाँ केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलब्ध हैं।
- राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, जहाँ से आवेदक वास्तव में सम्बधित है, छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व की कक्षा 9 तथा 10 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहभागिता में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करे और उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सेकें।

8.40 पात्रता-

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्ण कालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में

दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

8.41 लाभ-

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्र के लिए 150 रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350 रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्र के लिए 750 रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आयामों के आधार पर 160 रु. से 240 रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्ति अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा 9 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा 10 के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8.42 आवंटन: वर्ष 2016-17 के दौरान 1269.122 करोड़ रु. (अंब्रेला योजना का सामान्य घटक) के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2016 तक 52.11 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

8.43 कार्य निष्पादन: 31.12.2016 तक राज्यवार निर्मुक्त निधियां तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-8ख** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

8.44 उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत / आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व-नियोजित बनने में समर्थ बनाएगा। इस योजना को 1.4.2009 से संशोधित किया गया है और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सरकार द्वारा स्वायत निकायों के रूप में स्थापित संस्थाओं अथवा संगठनों, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

8.45 कवरेज: योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कवर करती है। योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। यथासंभव न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) को अधिकतम पांच ट्रेड प्रदान किए जा सकते हैं और यह 100 अथवा इससे अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा अर्थात एक ट्रेड के लिए कम से कम 20 उम्मीदवार होने चाहिंए। इसमें मासिक वजीफे और प्रशिक्षणार्थी के लिए कच्चे माल का प्रावधान है। निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों / क्रम सुविधा पाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके;

(ii) नगरों / जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

8.46 निधियन प्रतिमान: इस योजना के अंतर्गत 100% अनुदान उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं।

8.47 मुख्य विशेषताएं-

(क) योजना पीटीजी के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित की जाएगी तथा देश में कहीं भी शुरू की जा सकती है परन्तु प्राथमिकता विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद

सुदूर जनजातीय क्षेत्रों और उग्रवादी गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाएगी।

(ख) योजना के अंतर्गत, आधुनिक ट्रेडों, जिनमें क्षेत्र में रोजगार संभाव्यता हो, ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(ग) यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी के लाभ के लिए है। वीटीसी चलाने वाले संगठन अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को, उस क्षेत्र / राज्य जिससे वे संबंधित हैं, को ध्यान में रखे बिना, प्रवेश देंगे;

(घ) संबंधित संगठन (अर्थात राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ गैर-सरकारी संगठन / अन्य संगठन आदि) की ओर से, तत्संबंधी क्षेत्र / राज्य में उपलब्ध उद्योगों के प्रकार मौजूदा आर्थिक प्रवृति, बाजार संभाव्यता, लक्षित आबादी की शैक्षिक योग्यता आदि पर निर्भर करते हुए, ट्रेडों को प्रस्तावित करने से पूर्व, अग्रिम रूप से रोजगार संभाव्यता का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

(ङ) संगठन उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करेंगे, जो उम्मीदवारों को उन ट्रेडों में प्रमाण पत्र / डिप्लोमा प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है ।

(च) संस्थान / संगठन (राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान और गैर-सरकारी संगठन) जो पहले से ही इस मंत्रालय की सहायता से परियोजना चला रहे हैं और नए आवेदक संस्थान / संगठन भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय से "मोड्यूलर एम्प्लोयेबल स्किल्स (एमईसी)" के अन्तर्गत अथवा रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के अन्तर्गत जो भी लागू हो, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिसर से "क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस)" जो भी लागू हो, के अन्तर्गत मान्यता / संबंधन / प्रत्यायन प्राप्त करेंगे / रखेंगे।

(छ) संगठन को स्थापना सेवाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्व-रोजगार में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए, संगठन वितीय संस्थाओं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), बैंकों आदि के माध्यम से उनके लिए आसान माइक्रो फाइनेंस/ऋण का प्रबंध करेगा। प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्लेसमेंट/ रोजगार की गारंटी देंगे।

(ज) यथासंभव, न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें जनजातीय छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी;

(झ) योजना के पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट सहायता के लिए पात्र, राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों / राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों / स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों / अन्य निजी संगठनों को 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाएगा;

(ञ) सहायता-अनुदान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/राज्य स्वामित्व प्राप्त संस्थानों को एक वर्ष में एक किस्त में दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार गैर सरकारी संगठनों / निजी संस्थानों को दो किस्तों में दिया जाएगा;

(ट) इस योजना के अन्तर्गत निधियन दो तरीकों से किया जाएगा:

(i) मुख्यत: दूरस्थ क्षेत्रों कम सुविधा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में वीटीसी स्थापित करके तथा उनका संचालन करके

(ii) नगरों / जिलों आदि में पहले से ही मौजूद संस्थानों जैसे आईटीआई, पोलीटैक्नीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और अन्य निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी उम्मीदवारों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करके। परिशिष्ट-। में दिए गए मानदण्डों के अनुसार दोनों मामलों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थी को प्रतिवर्ष अधिकतम 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

आवर्ती

(क) प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी 30,000/- रुपये में निम्निलिखित शामिल है :-

(i) प्रशिक्षार्थी को प्रतिमास 700/- रुपये वजीफा।

(ii) उपकरणों को प्राप्त करने, कच्चे माल आदि के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रतिवर्ष 1600/- रुपये।

(iii) प्राध्यापक वर्ग / सहायक स्टाफ आदि को मासिक मानदेय।

(iv) प्रशिक्षार्थियों के छात्रावास / आवास, बिजली तथा जल प्रभार आदि।

(ख) किराए के मकान के संबंध में, वास्तविक के अनुसार उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त वार्षिक किराया स्वीकार्य होगा और उच्चतम सीमा प्रति माह 10,000/- रुपये होगी। यह राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किराया आकलन प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। यदि मकान का स्वामित्व / संगठन द्वारा रखा जाता है तो मात्र 10% किराया मूल्य (राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित) स्वीकार्य होगा, प्रति वर्ष रखरखाव प्रभार प्रदान किया जायेगा।

अनावर्ती

पांच वर्ष में एक बार प्रति ट्रेड 0.48 लाख रुपये की दर से पांच ट्रेडों के लिए 2.40 लाख रुपये।

8.48 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दायरे को बढ़ाना:

5-16 वर्ष आयु समूह के अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा को संदर्भगत संगत व सांस्कृतिक रूप से समुचित बनाया गया है। पाठ्यक्रम को जबकि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनाया गया है वहीं अनुसूचित जनजाति बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि वे जीवन और आजीविका के लिए आर्थिक रूप से संभाव्य विकल्पों को सीख सकें। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षण व सीखने के लिए क्षेत्रीय लिपि में जनजातीय भाषाओं में प्राइमर का उपयोग करके और विकास करके बहुभाषीय शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। अवकाश के समय को स्थानीय जनजातीय उत्सवों और फसल की ऋतुओं के साथ जोड़ा जा रहा है। जनजातीय खेलकूद, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनजातीय संस्कृति, कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, मौखिक परंपराओं, लोक कथा, कार्य और व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जा रहा है तथा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है।

अध्याय 9

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास

9.1 अनुसूचित जनजातियो में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-9क** पर है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 उनके अत्यधिक पिछड़ेपन तथा कमजोर होने के कारण उनके संरक्षण तथा विकास, एवं उनकी आबादी के घटते रुझान को रोकने के लिए प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। अत: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की कमजोरी को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता हैं कि पीटीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र / केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है। 1998-99 में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय रूप से एक अलग योजना आरंभ की गई। इस बीच ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर 1.4.2015 से योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया।

कार्यक्षेत्र

9.3 इस योजना में अनुसूचित जनजातियों में से केवल 75 अभिज्ञात विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने मे सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संगत तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों में आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु विकास, संपर्क सड़कों का निर्माण, प्रकाश संबंधी आयोजन के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदों / कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देशों द्वारा विशेष रूप से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। निधियों और कार्यकर्ताओं के सम्मिलन का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

योजना का कार्यान्वयन

9.4 संरक्षण-सह-विकास योजनाओं को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने पांच वर्षों के लिए स्वयं द्वारा किए गए आधारभूत या अन्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निवास स्थान विकास दृष्टिकोण को अपनाकर तैयार किया जाना है और मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति ने इन्हें अनुमोदित किया था। संरक्षण-व-विकास योजनाओं में प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक प्रावधानों तथा उस कार्यकलाप के कार्यान्वयन में लगाए गए अभिकरण का भी उल्लेख किया जाता है। राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि उनके राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप

से वित्तीय संसाधन प्रदान करने को तथा इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपायों को उपयुक्त रूप से शामिल करके कार्यकलापों को किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक ही क्षेत्र में दोहरे हस्तक्षेप से बचा जाए। नवाचारी योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

संरक्षण-सह-विकास / वार्षिक योजनाओं की जांच और मूल्यांकन

9.5 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) अपने अंतर्गत संबंधित क्रियाकलापों के लिए निधियन को अनुमोदित करना और राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों के संरक्षण-सह-विकास/वार्षिक योजनाओं की जांच करती है।

9.6 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 के दौरान) परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 17 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों नामत: आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल को निधियां जारी की गई है।

9.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरे होने के संभावित समय के बारे में सूचना प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण कारगर ढंग से किया जा सके। उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था हो और संरक्षण-व-विकास / वार्षिक योजनाओं को इस उद्देश्यार्थ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

कार्यान्वयन अभिकरण

9.8 यह योजना राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) / एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से संरक्षण-व-विकास/वार्षिक योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

निधियन पद्धति

9.9 यह एक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक किस्त में सामान्यत: राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं।

निगरानी

9.10 योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय के पास किसी भी समय निगरानी और प्रगति को सुधारने के लिए प्रपत्र अथवा दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है।

आवंटन

9.11 वर्ष 2016-17 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आवंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आवंटन और व्यय के ब्यौरों सहित **सारणी 9.1** में दिए गए हैं:-

सारणी 9.1 : वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटन एवं निर्मुक्तियां

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट अनुमान*	संशोधित अनुमान*	व्यय*
2014-15	207.00	180.00	180.00
2015-16	217.35	217.35	213.54
2016-17	200.00	150.00	98.07 (31.12.2016 तक)

* 01.01.2017 से 31.03.2017 के दौरान अनुमानित/प्रत्याशित व्यय 51.93 करोड़ रु. है।

वर्ष के दौरान निष्पादन

9.12 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजनाओं, के आधार पर 17 राज्यों को 98.07 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2016-17 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-9(ख)** में दिया गया है।

अध्याय 10

अनुसंधान, सूचना और जन-संचार

जनजातीय अनुसंधाान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन

10.1 जनजातीय अनुसंधाान संस्थान (टीआरआई) विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा टीआरआई स्थापित हैं और प्रशासनिक रुप से समर्थन प्राप्त हैं। टीआरआई राज्य सरकारों को आयोजना संबंधी जानकारी प्रदान करने, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने, आंकड़ों का संग्रहण, जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों की पहचान तथा उनकी संस्कृति को समझने, प्रचारित करने और उसके संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। प्रतिभागियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा ज्ञान का संरक्षण जिससे जनजातियों के संबंध में साक्ष्य आधारित नीति और आयोजना तैयार करने में सहायता मिलेगी, ये कार्य भी इन संस्थानों द्वारा किए जाते हैं।

10.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन, अभिलेखन और संरक्षण, कार्यशालाएं / संगोष्ठियां/ प्रशिक्षण का आयोजन, वर्तमान संग्रहालयों के लिए शिल्पाकृतियों का रख-रखाव और संरक्षण, जनजातियों द्वारा विनिमय दौरों का आयोजन आदि जैसे क्रियाकलापों की पहचान के लिए ''जनजातीय अनुसंधाान संस्थानों को समर्थन'' की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। 2016-17 की योजनाओं के तहत बजटीय आवंटन 21 करोड़ रु. था, इसके समक्ष 15.11 करोड़ रु. दिनांक 31.12.2016 तक योजना के अंतर्गत जारी किए जा चुके हैं। जनवरी से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए अनुमानित / प्रस्तावित राशि 1.89 करोड़ रु. है। टीआरआई की सूची जिसे योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है **अनुलग्नक-10** में दी गई है।

जनजातीय उत्सव और अनुसंधाान

10.3 जनजातीय कार्य मंत्रलय जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक, नृजातीय, सामाजिक-आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सतत अनुसंधान की आवश्यकता को मान्यता देता है। जबकि ऐसे अनुसंधान कई संगठनों द्वारा वर्तमान में किए जाते हैं, जैसे भारतीय मानव जातीय सर्वेक्षण, विश्वविद्यालय एवं अन्य विशेषज्ञ संस्थान, मंत्रालय भी ज्ञान के संरक्षण के मामले में अनुसंधान अध्ययनों को समर्थन देना महत्वपूर्ण मानता है। तदनुसार, मंत्रालय जनजातीय उत्सव और अनुसंधान की योजना कार्यान्वित करता है। योजना में निम्नलिखित घटक हैं:-

(i) अनुसंधान

(ii) उत्सव, तथा

(iii) प्रचार एवं विज्ञापन

10.4 अनुसंधान घटक में निम्नलिखित उप-घटक हैं:-

(i) उत्कृष्टता के केंद्रों को वित्तीय सहायता

(ii) सभी भारतीय और अंतर्राज्यीय प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थन

उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) को सहायता अनुदान

10.5 अनुसंधान संस्थान और संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय से देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों / संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और

नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:-

क. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

ख. बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

ग. भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वडोदरा।

घ. विश्व भारती शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल।

ड. सामाजिक विज्ञान विद्यालय, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

च. मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा।

10.6 जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधान क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करने के लिए इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सभी भारतीय या अंतर्राज्य प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थन

10.7 इस घटक के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों / संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं / संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार-प्रसार, एवं

iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

10.8 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि के 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दो किस्तों में) अनुसंधान / मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों / संस्थानों / गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। परियोजनाएं / प्रस्ताव की छंटनी की जाती है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा चयन किया जाता है।

10.9 कार्यशाला / सेमिनार के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं / गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि (रु. में)
एक दिन के लिए	50,000/-
दो दिन के लिए	75,000/-
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/-

10.10 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों / रचयिताओं को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना / पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000 रु. की सहायता दी जाती है।

10.11. 2016-17 के लिए अनुसंधाान योजना के तहत बजटीय आवंटन 2.00 करोड़ रु. का था, जिसके विरुद्ध 0.31 करोड़ रु. 31.12.2016 तक योजना के तहत जारी किए जा चुके हैं। जनवरी से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्रस्तावित/ अनुमानित राशि 0.66 करोड़ रु. है।

उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

10.12 योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के अन्य विज्ञापन संबंधी व्यय के वहन के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार भी करता है।

10.13 इस वर्ष, मंत्रालय ने नई दिल्ली में 25 से 28 अक्तूबर, 2016 तक राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल आयोजित किया। माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में 25 अक्तूबर, 2016 को कार्निवल समारोह का उद्घाटन किया। 1000 से अधिक जनजातीय कलाकारों / शिल्पकारों ने उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदर्शन किया तथा केंद्र और राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अलावा पूरे देश से 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के बाद प्रगति मैदान, नई दिल्ली में तीन दिवसीय (26 से 28 अक्तूबर, 2016) कार्यक्रम हुए।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में चिह्नित विषय-वस्तुओं जैसे पेसा अधिनियम, एफआरए, राजनीति, शिक्षा और सेवाओं में आरक्षण, चित्रकारी, कला और शिल्प, चिकित्सा पद्धति पकवान / भोजन में परंपरागत कौशल का प्रदर्शन और प्रदर्शनी तथा देश के सभी भागों से लोक गीत और लोक नृत्य के विशेष रुप के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे।

10.14 2016-17 की योजना के तहत बजटीय आवंटन 13.39 करोड़ रु. था। 3.38 करोड़ रु. की राशि 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल के आयोजन के लिए ट्राइफेड को जारी की गई थी और 5.62 करोड़ रु. पिछले वर्ष जारी किए गए थे। जनवरी से मार्च, 2017 के लिए प्रस्तावित/अनुमानित राशि गणतंत्र दिवस, 2017 समारोह हेतु 0.45 करोड़ रु. है।

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में

11.1 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचति जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दर की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

मिशन

11.2 सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

उद्देश्य

11.3 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकिस्व–रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और नौकरी के समय जारी प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर के अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके कौशल और प्रक्रियाओं विकास काउन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीए) की परियोजना निमार्ण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

कार्य

11.4 एनएसटीएफडीसी के मुख्य कार्य हैं–

क. अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ख. कौशल विकास और लाभार्थियों तथा एससीए के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता करना।

ग. एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

अंश पूंजी

11.5 : निगम की अधिकृत अंश पूंजी 750 करोड़ रुपये है तथा 30–11–2016 तक प्रदत्त पूंजी 534.10 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, शेयर कार्य धन के रुप में 25 करोड़ रु.

31.12.2016 को जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिए गए जिसके लिए शेयर आवंटन लंबित है।

पात्रता मानदण्ड

11.6 : एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता है:-

क व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

i. सभी आवेदकों को अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

ii. आवेदन कर्ताओ की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुना(डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष है, जो योजना आयोग के मानदण्डों पर आधारित है।

ख. सहकारी समितियाँ: कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80 से कम न हो।

योजनाएं

11.7 निगम आय सृजन कार्यकलापों तथा विपणन सहायता के तहत केवल मियादी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत योजनाए

i. **मियादी ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 25.00 लाख रुपए तक की लागतवाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफ-डीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत को 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी / प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रुप में पूरी की जाती है।

ii. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास केलिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी 1,00,000 रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।

iii. **लघु ऋण योजना:** यह योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य को 50,000/-रु. और प्रति स्व-सहायता समूह को 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।

iv. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

v. **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना:** इस योजना का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, के लिए जागरुकता पैदा करने, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देने, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी लाभार्थियों द्वारा देय 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

vi. **ट्राइफेड के पैनलबद्ध कारीगरों को सहायता:** इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों तथा कार्यकारी पूंजी की खरीद के लिए

ट्राइफेड के साथ पैनलबद्ध जनजातीय कारीगरों को रियायती वित्त प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्य के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर व्यक्तियों हेतु 50,000 रु– तथा एसएचजी / सहकारी सोसाइटी के 5 लाख रु. तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ख. विपणन समर्थन सहायता

निगम लघु वन उत्पाद और अन्य जनजातीय उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधिक ऋण योजना	25.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	1 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 50,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	5 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	1 लाख रू	ऋण राशि का 90%	3%	6%
6.	स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए योजना	25 लाख रू.	इकाई लागत का 90%	सावधिक ऋण योजना के लिए लागू ब्याज दर के अनुसार	
7.	ट्राइफेड के सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/कारीगरों के लिए योजना	व्यक्तिगत सदस्यों के लिए 50000 रू तथा प्रति सदस्य 50,000 रू. की सीमा के साथ 5 लाख रू. प्रति एसएचजी	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, एसएचजी तथा सहकारी संस्था के लिए	
				2%	4%
				अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए व्यक्तिगत	

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

- **कौशल तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए:** स्वरोजगार / रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य उपलब्धियां / पहलें

11.8 की गई मुख्य उपलब्धियां / पहलें

क. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऋण प्रदान करने का कार्य : एनएसटीएफडीसी ने 8 वर्ष के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम (टीआरआईसीओआर) के साथ ऋण प्रदान करने का कार्य आरंभ किया। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य में भी ऋण प्रदान करने का कार्य स्त्री निधि ऋण सहकारी संघ लिए के माध्यम से आरंभ किया गया।

ख. एनएसटीएफडीसी ने असम राज्य में अन्य एससीए के रुप में कोनकलता महिला शहरी सहकारी बैंक, जोरहाट (असम) आरंभ किया। इससे असम राज्य में अपनी पहुंच सुदृढ़ करने में एनएसटीएफडीसी को सहायता मिलेगी।

ग. वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तकनीकी और वित्तीय समर्थन से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम और जनजातीय कार्य मंत्रलय की एक संयुक्त पहल, राष्ट्रीय जनजातीय आजीविका संसाधन केंद्र (एनआरसीटीएल) स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। जनजातीय समुदायों के आगे के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र के रुप में कार्य करने हेतु केंद्र एक शीर्ष केंद्रीय संस्था के रुप में सेवाएं देगा।

घ. पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल में सामुदायिक उद्यमशीलता के माध्यम से पोषण और आजीविका सृजन पर अनुसंधान परियोजना आरंभ करने के लिए आईआईएम कलकत्ता का एक प्रस्ताव वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित सीएसआर के अंतर्गत अनुमोदित किया गया।

निष्पादन

11.9 निगम का कार्य निष्पादन निम्नलिखित है-

क **संस्वीकृतियाँ:** एनएसटीएफडीसी ने योजनाओंकी संस्वीकृति हेतु सांकेतिक रुप से 200-00 करोड़ रुपए आबंटित किए। वर्ष के दौरान 31-12-2016 तक निगम ने आय सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए 131.97 करोड़ रुपए के अपने भाग को 43,695 लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 113 योजनाओं को स्वीकृत किया। उपर्युक्त में, महिला लाभार्थियों के लिए विशिष्ट योजना एएमएसवाई के तहत 31,641 महिला लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान हेतु 73.00 करोड़ रुपए की संस्वीकृति भी शामिल है। इसके आगे, यह अनुमानित है कि 68 करोड़ रु. की स्वीकृति जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान प्राप्त की जाएगी।

ख **संवितरण:** वर्ष 2016-17 के लिए वितरण लक्ष्य 31.12.2016 तक 195 करोड़ रु. है। 31.12.2016 तक निगम ने 40,958 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते हुए स्वीकृत योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए 62.61 करोड़ रू. जारी किए हैं। इसमें सावधि ऋण के तहत 56.32 करोड़ रु. का वितरण शामिल है। आगे यह अनुमानित है कि 133 करोड़ रु. की स्वीकृति जनवरी से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान प्राप्त की जाएगी।

ग **वसूली:** 30-11-2016 तक संचयी वसूली प्रतिशतता 86.56 प्रतिशत है।

वर्ष 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.10 निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया। इससे निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा इससे लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। वर्ष के दौरान लाभार्थियों के कवरेज का आंतरिक लक्ष्य 60 हजार है। लक्ष्य का विभाजन **अनुलग्नक-11** में दिया गया है।

अध्याय 12

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन एवं लघु वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र।

12.1 लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों, जोकि अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक सदस्य हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप में 2013-14 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन एवं लघु वन उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए तंत्र' प्रारम्भ किया है।

12.2 यह स्कीम उनके एकत्रकरण, प्राथमिक संसाधन, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के प्रयासों के लिए उचित मोद्रिक वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करना चाहती है। यह लागत घटाने के सहित बिक्री आय में से राजस्व का हिस्सा उन्हें दिलाने का भी प्रयास करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया के स्थायित्व के लिए अन्य मुद्दों का समाधान करना भी है।

12.3 यह योजना चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और घोषणा करना प्रकल्पित करती है। पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन प्रचालन निर्धारित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ ही अन्य मध्यम व दीघ्रकालिक मुद्दों जैसे निरंतरणीय संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसरंचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास, ग्राम सभा/पंचायत के मोल भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

12.4 इस योजना में गैर राष्ट्रीयकृत और बहुतायत में उपलब्ध 12 लघु वन उत्पाद नामतः (i) तेंदू, (ii) बांस, (iii) महुआ बीज, (iv)साल पत्ते, (v) साल बीज, (vi) लाख, (vii) चिरोंजी, (viii)जंगली शहद, (ix) हरितिका, (x) इमली, (xi) गोंद (गोंद कराया), (xii) करंज शामिल करने के लिए 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्रों वाले दस (10) राज्यों नामतः 1. आंध्र प्रदेश, 2. तेलंगाना, 3. छत्तीसगढ़, 4. गुजरात, 5. हिमाचल प्रदेश, 6. झारखण्ड, 7. मध्य प्रदेश, 8. महाराष्ट्र, 9. ओडिशा और 10. राजस्थान में योजना आरंभ में कार्यान्वित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के आधार पर एमएफपी संग्रहकर्ताओं (जिनमें से ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के हैं) को उचित प्रतिकर सुनिश्चित करना है।

12.5 हाल ही में, उक्त योजना के क्षेत्र का कवरेज पाचवीं अनुसूची राज्यों के अलावा विस्तृत किया गया है तथा अब यह योजना सभी राज्यों में लागू है। इसके आगे, उपर्युक्त एमएफपी मदों के साथ ही निम्नलिखित 14 वस्तुएं उक्त योजना में शामिल की गई हैं नामतः 1. कुसुम बीज, 2. नीम बीज, 3. पुआद बीज/चक्र मर्द, 4. बहेड़ा, 5. पहाड़ी झाड़ू घास, 6. शिकाकाई, 7. गुग्गल (तरल), 8. बायल (सूखा और बिना बीज के), 9. नागरमोथा, 10. पलास केसूदा (फूल), 11. शतावरी (सूखा), 12. मधु नाशनी, 13. कालमेघ, 14. इमली (बिना बीज के)।

जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग

12.6 : 'जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहयोग' की पुनः तैयार की गई स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 शुरु किया गया है। इस स्कीम का दायरा इस प्रकार है:-

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को सम्पूर्ण उत्पादन की श्रेणियों, उत्पाद विकास, पारम्परिक

विरासत का आरक्षण, जनजातीय लोगों के वन और कृषि उत्पाद दोनों को सहायता, उपर्युत क्रियाकलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता, बहतर अवसंरचना की व्यवस्था, डिजाइन के विकास, जो एजेंसियां उत्पाद खरीद रही हैं उनके और मूल्यों के बारे में सूचना का प्रसार, निरंतर विपणन एवं इसके द्वारा औचित्यपूर्ण मूल्य प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए व्यापक सहयोग देने के लिए।

(ii) ग्रामपंचायत और ग्रामसभा के साथ सूचना की साझेदारी।

(iii) बाजार में मूल्य वृद्धि के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगी उत्पादों का विकास।

12.7 स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना जिससे उन क्रियाकलापों के विपणन और विकास में सहयोग दिया जा सके जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इनको विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन (iii) अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार क्रियाकलाप एवं (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास। स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 के दौरान राज्यवार जारी की गई राशि के ब्यौरे **अनुलग्नक-12** पर दिए गए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड)

12.8 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (टाइफेड) एक बहु राज्य सहकारी समिति है। इसे बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 (अब बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002) के तहत 1987 में गठित किया गया था।

12.9 ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकास कर्ता दोनों के रुप में कार्य कर रहा है। आगे यह क्षमता निर्माता की भूमिका में अनुसूचित जनजातीय कलाकारों एवं लघु उत्पाद एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

12.10 ट्राइफेड की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31.03.2016 को ट्राइफेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी 100.55 करोड़ रुपये थी। 31.03.2016 को ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयर धारक है।

विपणन विकास गतिविधियां

12.11 : भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राईफेड) ने देश में अपने खुदरा विक्रय केन्द्र 'ट्राइब्स इण्डिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन जारी रखा है तथा वर्ष 2016-17 के दौरान ट्राइफेड ने 843.35 लाख रुपये (31.12.2016 के अनुसार) मूल्य के उत्पाद बेचे हैं, बाजार विकास गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

- ट्राइफेड में अब स्वयं की 30 'ट्राईब्स इंडिया' दुकानों की श्रृंखला तथा 13 दुकानें प्रेषण आधार पर स्थापित की हैं। ट्राइफेड नई "ट्राइब्स इंडिया" की दुकान खोलने के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकास लौंज में दुकानों के परिसर के आवंटन के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में है।
- अप्रैल से दिसंबर, 2016 के दौरान भारत में ट्राइफेड ने 48 से ज्यादा प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा यह अनुमानित है कि जनवरी से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान, यह ऐसी अन्य 12 प्रदर्शनियों में भाग लेगा।
- 31.12.2016 तक, ट्राइफेड ने चेन्नई, दार्जिलिंग, पुणे और मुंबई में जनजातीय चित्रकारी की 4 "आदिचित्र" प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। जनवरी से मार्च, 2017 के दौरान ऐसी अन्य 6 प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकती है।
- ट्राइफेड ने धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) के मेक्लोडगंज में एक "आदिशिल्प" प्रदर्शनी आयोजित की है।
- ट्राइफेड ने 5 विभिन्न स्थानों जैसे हिमाचल प्रदेश में केलौंग, उत्तराखण्ड में बागेश्वर जिला, अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट, महाराष्ट्र में नंदूरवार और त्रिपुरा में अगरतला में 5 जनजातीय शिल्पकार मेले आयोजित किए हैं।

- ट्राइफेड ने 454.36 लाख रु. की जनजातीय उत्पादों की खरीद की है। यह अनुमानित है कि जनवरी से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान 770.64 लाख रु. के मूल्य के जनजातीय उत्पाद खरीदे जाएंगे।

- ट्राइफेड के पास अपने पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के रुप में 1329 व्यक्तिगत/स्वयं सहायता समूह/सहकारी/गैर-सरकारी संगठन/राज्य सरकार/संगठन आदि हैं, जो लगभग 53,745 जनजातीय लाभार्थी परिवारों से जुड़े हुए हैं।

जनजातीय लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

12.12 ट्राइफेड ने जनजातीय लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आरंभ किए हैं:

क. **जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, सिक्किम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखण्ड और गुजरात राज्यों में लाभार्थियों का चयन और एकत्रित करने का कार्य किया है जहां 3900 लाभार्थी विभिन्न लघु वन उत्पादों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चिह्नित किए गए हैं।

ख. **जनजातीय कार्य मंत्रालय, की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रशिक्षण:** ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड, राजस्थान और गुजरात राज्यों में जहां 9656 लाभार्थी एमएसपी योजना के तहत शामिल विभिन्न एमएफपी पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चिह्नित किए गए हैं, उन राज्यों में लाभार्थियों का चयन और एकत्रित करने का कार्य किया गया है।

लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्कीम का कार्यान्वयन

12.13 ट्राइफेड में गठित मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ की सिफारिश पर, मंत्रालय में 10 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है:

क्रम सं.	एमएफपी मद	दर प्रति किलोग्राम (रु. में)
1.	इमली (बीज सहित)	18/-
2.	शहद	150/-
3.	गम कराया	108/-
4.	करंज के बीज	18/-
5.	साल के बीज	10/-
6.	महुआ बीज	20/-
7.	साल की पत्तियां	21/-
8.	बीज के साथ चिरौंजी फली	60/-
9.	हरीतिका	8/-
10.	लाख	
(क)	रंगिनी	100/-
(ख)	कुसुमी	150/-
11.	कुसुम बीज	10/-
12.	नीम बीज	12/-
13.	पुआद बीज / चक्र मर्द	8/-
14.	बहेड़ा	15/-
15.	पहाड़ी झाड़ू घास	10/-
16.	शिकाकाई	30/-
17.	गुग्गुल (तरल)	700/-
18.	बायल (सूखा और बिना बीज के)	15/-
19.	नागरमोथा	25/-
20.	पलास / केसुदा फूल	8/-
21.	शतावरी (सूखा)	40/-
22.	मधु नाशनी	35/-
23.	कालमेघ	15/-
24.	इमली (बिना बीज के)	40/-

राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी योजना के तहत एमएफपी की खरीद

12.14 राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी योजना के तहत एमएफपी की खरीद के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क. ओडिशा राज्यः ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लि., भुवनेश्वर ने 9.44 लाख रु. मूल्य की 858. 40 क्विंटल की हरीतिका,15.88 लाख रु. की कीमत के 721.19 क्विंटल बीज सहित इमली, 118.69 लाख रु. कीमत के 1186.90 क्विंटल चिरौंजी फली, 0.08 लाख रु. की कीमत के 3.90 क्विंटल करंज के बीज और 19.11 लाख रु. की कीमत के साल के बीज की खरीद की है। इसके साथ खरीद की कुल कीमत 163.20 लाख रु. हो जाती है।

ख. छत्तीसगढ़ः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद (विपणन एवं विकास), सहकारी संघ लि., रायपुर ने 25.84 लाख रु. कीमत के 2584.10 क्विंटल साल के बीज, 609.93 लाख रु. की कीमत की 55448.60 क्विंटल हरीतिका, 17.72 लाख रु. की कीमत की 805.50 क्विंटल बीज सहित इमली, 698.05 लाख रु. की कीमत की 6980.50 क्विंटल चिरौंजी फली, 924 लाख रु. की कीमत की 2887.75 क्विंटल कुसुमी लाख, 251.06 लाख रु. कीमत का रंगीनी लाख और 1.12 लाख रु. कीमत के महुआ बीज की खरीद की है। इसके साथ ही, हरीतिका की कुल कीमत 2527.72 लाख रु. हो जाती है।

ग. आंध्र प्रदेशः गिरिजन सहकारी निगम लि., विशाखापतनम ने 3.27 लाख रु. की कीमत का 30.25 क्विंटल गम कराया, 0.78 लाख रु. के मूल्य की 35.28 क्विंटल बीज सहित इमली, 3.76 लाख रु. मूल्य के 179.26 क्विंटल करंज बीज और 4.20 लाख रु. मूल्य के 191.65 क्विंटल महुआ बीज की खरीद की है। इसके साथ, खरीद की कुल कीमत 12.01 लाख रु. हो जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए उभरती कार्यप्रणाली के लिए आधार लाइन सर्वेक्षण

12.15. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए उभरती कार्य-प्रणाली हेतु आधारभूत सर्वेक्षण करने के लिए प्रावधान के अनुसरण में, योजना के अंतर्गतट्राइफेड ने यह परियोजना आरंभ की है। आधारभूत सर्वेक्षण 06.10.2015 से आरंभ हो चुका है। परियोजना के लक्ष्य के अनुसार,12,000 परिवारों पर 9 पेसा राज्यों में सर्वेक्षण किया जाएगा तथा उसके बाद संग्रहण की कीमत तक पहुंचने के लिए 1200 व्यक्तियों पर कार्य अध्ययन किया जाएगा। परियोजना के तहत, परिवारों का सर्वेक्षण गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में 9000 इकाइयों पर पूर्ण कर दिया गया है। इसके आगे, उपर्युक्त राज्यों में 1200 व्यक्तियों के लिए कार्य अध्ययन किया जा चुका है।

अनुसंधान और विकास

12.16 एमएफपी के विपणन विकास के लिए अधिदेश के साथ ट्राइफेड विचार करता है कि जनजातियों को बेहतर आय प्रदान करने के लिए एमएफपी से प्रति इकाई प्राप्तियां बढ़ाना आवश्यक है। एमएफपी के मूल्य संवर्धन पर अनुसंधान, विकसित प्रौद्योगिकी, उपकरण, खरीद और उनके उचित उपयोग की प्रक्रिया से जनजातीय उद्यमशीलता अवसर और इससे सशक्तिकरण प्रदान किया जाता है। ट्राइफेड एमएफपी के मूल्य संवर्धन पर आईआईटी, सीएफटीआरआई, आईआईसीटी, बीआईटी आदि जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए प्रायोजित करता है।

12.17 पूर्ण और जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

i. **महुआ फूल से महुआ अमरुद मिश्रित पोषक पेय पदार्थः** महुआ और अमरुद से पोषक पेय पदार्थ का विकास आईआईटी के साथ समन्वय में पूर्ण हुआ था। इसके आगे, प्रदर्शनी और वाणिज्यिकरण के लिए इसमें सुधार किया जाएगा।

ii. **मूल्य संवर्धित साल खाद/जैव खाद का वैधीकरण और उन्नयनः** मूल्य संवर्धित साल खाद एमिटी विश्वविद्यालय प्रयोगशाला स्तर पर साल डॉक (डीओसी) से विकसित किया गया था। कम्पोस्ट करने और क्षेत्रीय प्रयोग के लिए, ट्राइफेड ने इस कार्य को करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) दिल्ली से संपर्क किया है। वे राजी हुए तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईआईएफएसआर), मोदीपुरम की अपनी इकाई सौंपी।

iii. **सात सोलर/जैव ईंधन वाले मिश्र ड्रायर का निर्माण और प्रतिष्ठापन:** ड्रायर की डिजाइन एक सीएसआईआर संगठन, खनिज एवं सामाग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएमटी), भुवनेश्वर द्वारा विकसित की गई है। प्रथम स्तर के कार्य का निर्माण और प्रतिष्ठापन, अर्थात 2 स्थिर और 2 सचल ड्रायर का प्रतिष्ठापन 4 राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और महाराष्ट्र में राज्य एजेंसियों/एनजीओ के सहयोग से प्रगति पर है।

iv. **बीआईटी, मेसरा के माध्यम से कम लागत की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए करंज तेल से प्रसाधन सामाग्री का विकास:** परियोजना में, कोल्ड क्रीम, धूप में उपयोग होने वाली क्रीम (सनस्क्रीन), तरल साबुन (लिक्विड सोप) और दाढ़ी बनाने की क्रीम (सेविंग क्रीम) करंज तेल के प्रसंस्करण द्वारा विकसित की गई है तथा इमली के बीज के खाने योग्य रेशे से खाने योग्य जेली भी बनाई गई है। करंज तेल पर आधारित प्रसाधन सामाग्री के उत्पाद के आविष्कार के लिए पेटेंट दर्ज किया गया है। अनुसंधान की प्राप्तियों का प्रदर्शन प्रक्रियाधीन है।

v. **भारतीय रसायन प्रौद्यौगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद के माध्यम से साल तेल से जैव मोमबत्ती (कैंडल) का विकास:** परियोजना में हाइड्रोजनकृत साल तेल से जैव-कैंडल विकसित किया गया है जिसमें अच्छी बाजार क्षमता है। विकसित उत्पाद के पेटेंट पंजीकरण और प्रदर्शनी का कार्य प्रक्रियाधीन है।

vi. **वृक्षजनित तेल के बीजों के लिए बहुउद्देश्यीय छीलने के यंत्र (डीकार्टिकेटर) का विकास:** यह केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईएएफ), भोपाल के सहयोग से प्रक्रिया में है। विकसित डीकार्टिकेटर 85 से 90 प्रतिशत डीकार्टिकेटिंग स्तर के अनुकूलन का समायोजन करते हुए मूंगफली, अरंडी के बीज, महुआ के बीज और करंज के बीज के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसका वाणिज्यिक उत्पादन उपकरण के निरीक्षण के उपरांत आरंभ किया जाएगा।

vii. ***मधुकलेंजीफोलिया* (महुआ), *पोंगामियाग्लाब्रा* (करंज) और *ओसिमममग्रेटिसिमम* (वन तुलसी) के रस पर आधारित मच्छर मारने की दवा और लार्वा मारने की दवा के सूत्र का अध्ययन:** भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद: करंज और महुआ का सत्व निकाला गया तथा मच्छरों के समूह पर प्रयोग किया गया और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। मच्छर मारने की दवा का निर्माण/सूत्रीकरण प्रक्रियाधीन है।

viii. **टमाटर की जीवनावधि को बढ़ाने के लिए गोंद कराया से खाने योग्य परत का विकास-श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एसआरआईआईआर), दिल्ली:** विकसित परत टमाटर के जीवनावधि को 30 दिन तक बढ़ाने में सहायक पाई गई। अन्य विभिन्न किस्मों के विकसित/परत वाले टमाटरों की जीवनावधि का अध्ययन प्रक्रियाधीन है।

ix. **हरीतिका (*टर्मिनेलिया चेबुला*) का प्रयोग करते हुए बालों के रंग के विभिन्न प्रकारों का विकास-बीआईटी, मेसरा:** हरीतिका और अन्य जड़ी-बूटियों से शुरुआत के सूत्र तैयार किए गए और अब तक संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

x. **महुआ के फूल के रस, इमली के साथ आंवला के प्रयोग से मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों का विकास-आईआईटी दिल्ली:** इमली, महुआ का सत्व तथा विभिन्न स्वाद जैसे कोला और अनानास को मिलाते हुए उपयोग के लिए तैयार (आरटीएस) पेय पदार्थ तैयार किया गया है जो अब तक संतुष्टिजनक पाया गया है।

xi. **साल (सोरियरोबस्टा) के पत्ते के तत्व का प्रयोग करते हुए संरक्षणरोधी विशेषता वाले गैर-चिकनाई और सफाई हेतु सूत्र का विकास-एसआरआईआईआर, दिल्ली:** साल के पत्तों कीसंरक्षणरोधी विशेषता पर प्रारंभिक प्रयोग सकारात्मक पाया गया। साल के पत्तों में पाया जाने वाला सैपोनिनइस विशेषता के लिए उत्तरदायी है। साल के पत्तों के सत्व से सफाई करने और चिकनाई हटाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

xii. **उत्तक संवर्धन के माध्यम से चिरौंजी (*बूचेनैनीयलंजन*) की बढ़े पैमाने पर वृद्धि- टेरी, दिल्ली:** परियोजना का उद्देश्य उत्तक संवर्धन के माध्यम से वनस्पतिक वृद्धि के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृद्धि करना है। उत्तक संवर्धन के माध्यम से पौधे के विकास के लिए वांछित किस्म की पहचान की जा चुकी है।

xiii. **वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नवीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आरंभ करना:** न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल लघु वन उत्पादों पर अनुसंधान एवं विकास की परियोजनाओं का प्रस्ताव मंगाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी संस्करणों में दिनांक 09.09.2016 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रत्युत्तर में, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से अब तक 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी परियोजना चयन और निगरानी समिति (पीएसएमसी) की 31 जनवरी, 2017 को सम्पन्न बैठक में छटनी की गई थी।

अध्याय 13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। तथापि, अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अत: जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए विशेष स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 का संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

कार्य एवं कर्त्तव्य

13.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) तथा (8) में दिए गए हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपाय;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य आजीविका नीति के लिए किए जाने वाले उपाय,

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ङ) जनजातीय लोगों का भूमि से कहीं और अन्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही अन्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे-धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

13.5 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य-अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच-पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेज कर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

13.6 338क के खंड (9) में यह व्यवस्था है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक-13** में दिए गए हैं।

आयोग की रिपोर्टें

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक तौर पर और आयोग जब भी उचित समझे अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ संघ सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :-

रिपोर्ट	वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख	संसद में रखने की तारीखें
पहला	2004-05 एवं 2005-06	08.08.2006	30.08.2012 एवं 31.08.2012
दूसरा	2006-07	03.09.2008	26.04.2013 एवं 02.05.2013
तीसरा	2007-08	29.03.2010	08.08.2016 एवं 10.08.2016
चौथा	2008-09	27.08.2010	08.08.2016 एवं 10.08.2016
पांचवा	2009-10	13.07.2011	08.08.2016 एवं 10.08.2016
विशेष	2012	18.06.2012	12.12.2013 एवं 13.12.2013
छंठा	2010-11	25.10.2013	अंतिम चरण के तहत एटीआर, शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत करनी होगी।
सांतवा	2011-12	20.02.2015	
आंठवा	2012-13	16.11.2015	
नवां	2013-14	24.05.2016	एटीआर तैयार करने के संबंध में, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं।
दसवां	2014-15	31.05.2016	
ग्यारहवां	2015-16	28.10.2016	

अध्याय 14

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों का आधार स्थानीय होता है और उनमें सेवा की भावना होती है, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

14.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार के भागीदार के रूप में केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठनों को ही विकासात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

14.3 गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित स्कीम पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008-09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन करके प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया है। इस प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अन्य अधिकारियों और गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन के लिए राज्य समिति" का गठन किया गया है। यह बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर-सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों और चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन

14.4 प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(i) सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसके प्रतिनिधि;

(ii) सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iii) सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसका प्रतिनिधि;

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर-सरकारी संगठन;

(v) आयुक्त / निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान : सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका

14.5 राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका है-

1. राज्य समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार या अधिकतम दो बार किया जाना चाहिए।

2. राज्य समितियां निरीक्षण रिपोर्टों अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

3. प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी :

- सिफारिश की गई परियोजना सही ढंग से संचालित की जा रही है तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही है;
- सहायक आंकड़ों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया गया हो;
- परियोजना जारी रहने या निधियों की आवश्यकता के लिए संभावित अवधि;
- आमतौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है;
- कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है;
- लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिएं;
- जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, निगरानी इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए;
- प्रत्येक वर्ष, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;
- ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता परक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;
- नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।
- राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दौरा करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकताओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए)

14.6 : मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाएं जो अपनी नि:स्वार्थ सेवा और अनोखी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हों। उन्हें औरों के मुकाबले, नए प्रस्तावों को मंजूर करने के संबंध में तथा वार्षिक अनुदान समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निर्मुक्त करने से संबंधित सेवा शर्तों में ढील देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दिशा में मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों का पता लगाया है और उन्हें "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" की श्रेणी में रखा है। ये संगठन निम्नानुसार हैं :-

1. रामकृष्ण मिशन और इसके सम्बद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।
8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।

9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

14.7 वर्तमान में मंत्रालय की तीन योजनाएं चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
2. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

14.8 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना 1953-54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन पत्रों इत्यादि सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.9 : इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण-योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

प्रक्रिया एवं वित्त पोषण

14.10 : यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य समिति की बहु विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथाविधि संस्तुत आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) पर संशोधित योजना में निर्धारित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पात्र गैर-सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों को अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा आमतौर पर 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। हांलाकि उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन को सहायता सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग के लिए निर्धारित वित्तीय मानदण्डों तथा समय-समय पर संशोधित मानदण्डों के अनुसार दी जाती है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत की जाती है। अनुदान संशोधित योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14.11 गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में अलग लेखा रखने की जरूरत होती है और ये लेखे सरकार के सभी समुचित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखे की वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से करानी होती है और 'सा.वि.नि. 19-क' के तहत निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

14.12 सामान्यतया प्रतिवर्ष अनुदान निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि गैर-सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया जाए, जिसका आकलन जिला कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण की रिपोर्ट एवं

राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

14.13 गैर-सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को मंत्रालय या राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार निगरानी की जाती है।

योजना का निष्पादन

14.14 : वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किया गया व्यय आवंटन के ब्यौरों तथा विगत 2 वर्षों में किए गए व्यय के साथ **सारणी 14.1** में दिया गया है:

सारणी 14.1: वर्ष 2015-16 तथा पिछले दो वर्षों वे दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आवंटन*		व्यय*
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2014-15	76.50	80.00	82.32 (पुनर्वियोजन के पश्चात)
2015-16	77.00	75.65	75.05
2016-17	120.00	120.00	81.22 (31.12.2016 तक)

दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 के दौरान अनुमानित व्यय 38.78 करोड़ रु है।

* बजट में इन स्कीमों का निधियन शामिल है:-

i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग (यह स्कीम 2015-16 से बंद कर दी गई है)

iii) कम साक्षरता वाले जिलों में अनूसूचित जनजाति (एसटी) की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

iv) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

14.15 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है :

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर-आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाला अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य-श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैच केन्द्र
11. स्वास्थ्य रोकथाम एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण
14. रोजगार वाले शिल्पों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
15. वृद्ध आश्रम
16. जागरूकता के प्रसार में स्कूल के बच्चों को शामिल करना
17. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

14.16 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने पड़ोस में स्कूल न होने की वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे अपने गांवों से बाहर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं होते हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी की लागत, पुस्तकें, लेखन सामग्री और अन्य प्रासंगिक प्रभार भी योजना से पूरे किए जाते हैं। अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ के सदस्यों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान में से किया जाता है। आवासीय विद्यालय परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को खुद की बिल्डिंग में या किराए पर लेकर चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा शौचालय / स्नानघर सुविधाएं हों। रखरखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

14.17 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान 17 राज्यों में 77 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 11,009 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गैर-आवासीय विद्यालय

14.18 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय और सफल परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सीय सहायता और अन्य आकस्मिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। गैर-आवासीय विद्यालय परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इनका संचालन अपने स्वयं के भवनों या किराए के भवनों में भी कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा टायलेट सुविधाएं हों।

इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

14.19 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान 6 राज्य में संचालित 73 गैर-आवासीय विद्यालय को निधिपोषित किया गया जिनसे 9,810 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

छात्रावास

14.20 इस परियोजना का उद्देश्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राइमरी या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की हो लेकिन वे शहरों में रहन-सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं हैं। ये छात्रावास उन शहरों और नगरों में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं।

14.21 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान 13 राज्यों में 39 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया जिनसे 6,629 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

सचल औषधालय

14.22 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग-थलग गांवों/बस्तियों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले संगठन को सहायता प्रदान की जाती है। वैन, जीप, दवाइयों और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के साथ-साथ डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान मंजूर किया जाता है।

14.23 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान 12 राज्यों में 24 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 4,13,545 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

14.24 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकी है, दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की अधिप्राप्ति, भवन किराया शुल्क इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

14.25 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान 7 राज्यों में 23 अस्पताल चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई, जिनसे 188314 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

14.26 इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेसियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों (न्यूनतम 30 प्रशिक्षणार्थी) के संचालन / रखरखाव के लिए सहायता करना है। इस परियोजना का विशिष्ट प्रयोजन कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों की मान्यता सुनिश्चित करने और इन्हें मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

14.27 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान 4 राज्य में 7 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र को निधिपोषित किया गया जिससे 453 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

14.28 पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों / स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक : 14-क(i)** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना

14.29 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु महिला-पुरुष आधारित विशिष्ट योजना की शुरूआत 1993-94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। आवेदन-पत्र सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.30 : इस योजना का उद्देश्य अभिज्ञात जिलों या ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों का अधिकाधिक संख्या में नामांकन सुनिश्चित करके, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या पीटीजी (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में ज्ञात) द्वारा निवास क्षेत्रों में, तथा शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बनाकर प्रारंभिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करके सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पूरा करना है। इस योजना में वैसे क्षेत्रों जहां 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों हेतु विद्यालय शिक्षा सुलभ कराए जाने हेतु बल दिया गया है। सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

कवरेज :

14.31 योजना के कवरेज निम्नानुसार हैं-

(क) योजना का क्रियान्वयन, जैसा कि संशोधित योजना में बताया गया है, देश के उन 54 विशिष्ट जिलों में किया जा रहा है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

(ख) उपरोक्त 54 अभिज्ञात जिलों की अपेक्षा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जिसमें जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत

या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी कवर किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना में ऐसे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) निवास करते हैं।

(घ) उपरोक्त सभी क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यान्वयनकारी एजेंसी

14.32 इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्तशासी समिति/राज्य सरकार के संस्थानों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गठित बहु-विषयक "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति" (एससीएसवीई) इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की छानबीन तथा पहचान करने के लिए जिम्मेवार है।

प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान

14.33 योजना के तहत प्रक्रिया एवं प्रद्धति निम्नानुसार है-

(क) यह लिंग विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा इसके लिए मंत्रालय 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करने वाले (निर्धारित प्रपत्र में) पात्र गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं। संशोधित योजना में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की सीमा का निर्धारण संशोधित योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। अनुदानों की संस्वीकृति समय-समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निर्मुक्ति योजना के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को जारी किये गये अनुदानों के संबंध में अलग से खाता (अकाउंट) खोलने की आवश्यकता होती है, जो सरकार के सभी उचित अधिकारियों एवं एजेंसियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष में एक बार अपने सहायता अनुदान खातों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा-परीक्षित करवाना होता है तथा जीएफआर 19-क के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित विवरण की प्रतियों का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होता है।

(ग) अनुदान आमतौर पर प्रत्येक वर्ष में जारी किए जाते हैं, परंतु यह अधिकृत अधिकारियों या जिला कलेक्टर द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित गैर-सरकारी संगठन के संतुष्टिपूर्ण कार्य-निष्पादन तथा राज्य समिति की सिफारिशों के अधीन होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा यह तारीख सहित जिला कलेक्टर द्वारा यथा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

मुख्य विशेषताएं

14.34 जनजातीय लड़कियों की साक्षरता में सुधार करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप/कार्रवाइयां की गई हैं :

(क) जनजातीय लड़कियों द्वारा नियमित तौर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास सुविधाएं तथा प्राथमिक स्कूलों में नियमित दाखिले के लिए पंचायत स्तर पर छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) केवल छात्रावास सुविधाओं, न कि स्कूल की स्थापना यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध ढंग से की जा सकती है, 100 प्राथमिक स्कूल की लड़कियों के लिए तथा 150 मिडिल एवं उच्च स्कूल की लड़कियों के लिए क्रमश: पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर इनकी स्थापना की जा सकती है। आवश्यक परिस्थितियों में, इनमें

शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, ये पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू-भाग में 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिएं।

(ग) अपवाद-स्वरूप मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं हैं, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) कार्यरत हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा।

(ङ) संशोधन पूर्व योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के बाद 54 नए चिन्हित कम साक्षरता वाले जिलों/या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो प्राचीन जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100 रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर तक की छात्राओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक (कक्षा V तक) 100 रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों (कक्षा VI से XII) तक 200 रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना का कार्य निष्पादन

14.35 विगत दो वर्षों में आवंटन तथा व्यय के व्यौरों सहित चालू वर्ष के दौरान किया गया आवंटन तथा व्यय **सारणी 14.2** में दर्शाया गया है :-

सारणी 14.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2014-15	40.00	35.00	35.00
"अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत स्कीम में 2015-16 से बजट आवंटन को मिला दिया गया है।			

14.36 वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) के दौरान, 99 शैक्षिक परिसरों के लिए 53.40 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए, जिसमें 6 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की 24382 लाभार्थी लड़कियों को कवर किया गया। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वायत्तशासी समितियों की अंतर सूची जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई, **अनुलग्नक: 14-ख(i)** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (वीटीसी)

14.37 इस योजना का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 8 में दिया गया है। वित्तीय मानदण्डों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान योजना में संशोधन किया गया था संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

अध्याय 15

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

15.1 योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के विकास के लिए निधियों का आबंटन कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक की धनराशि आबंटित की जाती है।

15.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय "गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" की योजनाओं के तहत 'कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय लड़कियों की शिक्षा का सुदृढ़ीकरण', 'व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र' तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए सीधे अनुदान देता है। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को छोड़कर, राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर तथा योजनाओं के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के लिए संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी की जाती है। मंत्रालय इस विषय पर पूरा ध्यान रखता है कि ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त किया जाए और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन के कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित किया है।

15.3 वर्ष 2015-16 से 2016-17 (31.12.2016 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत की गई निर्मुक्तियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-15(क)** में दर्शाया गया है।

15.4 वित्तीय वर्ष 2016-17 (31.12.2016 तक) की अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत निर्मुक्तियों का विवरण **अनुलग्नक-15(ख)** में दिया गया है।

अध्याय 16

जेंडर संबंधी मामले

संवैधाानिक तथा कानूनी ढांचा

16.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गयी है, बल्कि राज्यों को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद-भाव के उपाय अपनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 में किया गया था ताकि महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकदारी का संरक्षण किया जा सके। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान किया गया है।

मंत्रालय की पहलें

16.2 किसी भी देश के समग्र समाजिक-आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्य रूप से महिलाओं का दर्जा बढ़ाना और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं का दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी आवश्यक है।

16.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय उन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिन्तित है जो एक समूह के रूप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व तुलनात्मक अलगाव के कारण कष्ट उठाते हैं। मंत्रालय की प्रमुख नीतियां तद्नुसार अनुसूचित जनजातीय महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएँ और अधिक अलाभकारी स्थिति को झेलती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसलिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएँ सामान्य स्कीमों से समान लाभ प्राप्त करें कुछ विशेष स्कीमें अनुसूचित जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए रखता है।

16.4 मंत्रालय में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ दिसंबर 2016 में पुनर्गठित किया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन के साथ-साथ मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार देखेगा जिससे कि वह जेंडर असंतुलन, जेंडर समानता और विकास को प्रोत्साहित करने के कार्य को कर सके और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से लोक संसाधन आवंटित किए जाए और तद्नुसार प्रबंधित किये जाएं।

16.5 जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के तहत राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए जुड़ता है। यह अनुदान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास पहुंच (एमएडीए), क्लस्टरों विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों और बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए योगज है। यह लिंग निष्पक्ष कार्यक्रम है और महिला तथा पुरुष दोनों लाभार्थियों के लिए लाभकारी है। टीएसपी को एससीए के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उनकी पहुंच तक बढ़ाकर मानव संसाधन का विकास।
- आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य स्कीमों के तहत अधिकांशतः शामिल) सहित जनजातीय क्षेत्रों/ बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराकर जीवन की व्यापक गुणवत्ता।
- गरीबी और बेरोजगारी में वास्तविक कमी, उत्पादक संपत्तियों का सृजन और आय सृजन के सुअवसर।
- सुअवसरों को प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि, अधि

कारों की प्राप्ति और पात्रता तथा अन्य क्षेत्रों के साथ बढ़ी हुई सुविधाएं, और

- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण।

16.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण के लिए हैं। निधियां देश के अन्य हिस्सों के समान जनजातीय क्षेत्र को बनाने में आवश्यक गम्भीर और संरचनात्मक आवश्यकता के निर्माण एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु राज्य सरकारों को दी जाती हैं। दिशानिर्देश विशेष रुप से बताते हैं कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संबंधित मुद्दे आयोजना से प्रारंभ होकर कार्यान्वियन के स्तर तक, महिलाओं की भागीदारी सहित, परियोजनाओं / योजनाओं को तैयार करने में मुख्य स्थान पर होने चाहिए।

16.7 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से आरंभ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा-छात्र के लिए 150/- रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350/- रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा-छात्र के लिए 750/- रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000/- रु. वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृति उन अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

16.8 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालको के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाए जा रहे माध्यमिकोत्तर / मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशसनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा, (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ 01.07.2010 से संशोधित किया गया है।

16.9 एमफिल तथा पीएचडी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत महिलाओं को 50 प्रतिशत अध्येतावृत्ति देने के प्रयास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिए गए हैं।

16.10 मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों जो अपनी खराब आर्थिक स्थिति व गांव की सुदूर स्थिति के कारण अन्यथा अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते, के लिए छात्रावास निर्माण को निधिपोषित करता है। राज्य सरकारें सभी छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने के लिए केन्द्रीय हिस्से से 100% लेने की पात्र हैं।

16.11 राज्य को बालिकाओं के लिए आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में, 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

16.12 अनुसूचित जनजातियों में कम महिला साक्षरता एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता विकास के लिए "कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना" योजना की शुरूआत की गई थी। इसे वर्ष 2008-09 में संशोधित किया गया तथा इसका नया नाम "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" रखा गया। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 54 चिह्नित जिलों में किया जा रहा है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से या इसके अंशों से कम है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों जिन्हें पूर्व में उपर्युक्त चिन्हित किए गए 54 जिलों के अलावा, किसी जिले के अन्य किसी जनजातीय ब्लाक, जहां वर्ष 2001 की जनगणना अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 25% या इससे अधिक है और जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम या इसके अंशों में है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह वाले क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिह्नित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजाति समूहों के क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों का 100%

नामांकन करके तथा प्रारंभिक स्तर पर उपयुक्त माहौल बनाकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में प्राथमिक स्तर पर कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/ संघ शासित राज्य प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी / संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जा सकता है। संशोधित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का अभिसरण करने की परिकल्पना की गई है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ–साथ मिडिल / माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, संशोधित योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन करने पर भी ध्यान दिया गया है।

16.13 जनजातीय कार्य मंत्रलय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) विशेष योजना प्रारंभ की है। योजना के तहत, निगम 1,00,000 रु. की इकाई लागत तक वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4% वार्षिक की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। 31.12.2016 तक एएमएसवाई के तहत एनएसटीएफडीसी ने 10461 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 23.03 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम अन्य आय सृजनकारी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

16.14 "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" की स्कीम के तहत देश के विभिन्न भागों में जनजातियों द्वारा विनिमय यात्रा आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है। यात्रा समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

16.15 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को इस प्रकार परिभाषित (धारा 2 छ) किया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गाँव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे और राज्यों के मामले में जहाँ कोई पंचायत, पाडा, टोला और अन्य परंपरागत ग्रामीण संस्थान और चयनित ग्राम समितियां महिलाओं की पूर्ण और अप्रतिबंधित भागीदारी के साथ नहीं है।'' इसके अतिरिक्त धारा 4 (4) उपबंधित करती है कि उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे। किन्तु परिवर्तन योग्य या अंतरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे और एक व्यक्ति मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस की अनुपस्थित में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को अंतरित हो जाएँगे। धाारा 6(8) के अनुसार भी ''उप प्रभागीय स्तर समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राजस्व विभाग, राज्य सरकार के अधिकारी होंगे और पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य समुचित स्तर पर जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजातीय सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है।'' इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 प्रावधान करती है कि (धारा 3 (1) के तहत) ग्राम सभाएँ ग्राम पंचायत द्वारा बुलायी जाएंगी और इसकी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ हों। यह आगे उपबंधित करता है कि जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। कम से कम एक तिहाई ऐसे सदस्य महिलाएं होंगी।

16.16 प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र से प्रत्येक वर्ष दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र एक महिला तथा एक पुरुष भेजे।

16.17 वर्ष 2016–17 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां **अनुलग्नक–16** पर दी गई हैं।

अध्याय 17

दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए योजना-वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान बनाए गए हैं:-

क. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ता,

ख. दिव्यांग विद्यार्थी जो ऐसे छात्रवासों में नहीं रहते जो शैक्षणिक परिसर के अंदर हैं, उनके लिए यातायात भत्ते का प्रावधान,

ग. निचले अंगों की गंभीर विकलांगता वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मार्गरक्षक भत्ता,

घ. किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रवास में रह रहे गंभीर रुप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रवास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन।

ड. मानसिक रुप से विक्षिप्त अथवा रोगी विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए भत्ता।

उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक-17** पर दिया गया है।

कक्षा 9 तथा 10 मे अध्यनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 'विद्यार्थी उन्मुक घटक' के तहत 3,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रयोजित योजना के तहत पहले ही दी जा रही है। तथापि, गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतः निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों हेतु पात्र होंगे-

क. दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ता,

ख. दिव्यांग विद्यार्थी जो ऐसे छात्रवासों में नहीं रहते जो शैक्षणिक परिसर के अंदर हैं, उनके लिए यातायात भत्तों का प्रावधान,

ग. निचले अंगों की गंभीर विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक की विकलांगता) वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मार्गरक्षक भत्ता,

घ. किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रवास में रह रहे गंभीर रुप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रवास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन।

ड. मानसिक रुप से विक्षिप्त अथवा रोगी विद्यार्थियों को अतिरिक्त मासिक कोचिंग के लिए भत्ता।

उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक-17** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

शारीरिक रुप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में 2000/- रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम तथा जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की स्कीम

योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

एनजीओ की योजनाएं

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे एनजीओ की योजनाओं के तहत तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे एनजीओ को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों में ''अवरोध मुक्त वातावरण'' जैसी सुविधाएं प्रदान करायें।

अध्याय 18

जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

जन शिकायत

18.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय में 10 जून, 2016 से ही एक स्वतंत्र जन शिकायत प्रभाग कार्य कर रहा है। श्रीमती विशु मैनी, उप-महानिदेशक (सांख्यिकी) को शिकायतों का निदेशक प्राधिकृत किया गया है। निदेशक, शिकायत के संपर्क ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

18.2 प्रशासनिक सुधार विभाग और जन शिकायत ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि कहीं से भी और किसी भी समय शिकायतें/आपत्तियां दर्ज करा सकें और सरकारी विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायत निवारण के लिए कार्रवाई करने में भी सक्षम हो। इसके दो इंटरफेस हैं:- (क) नागरिकों के लिए जन शिकायत दर्ज कराना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए केन्द्रीकृत जन शिकायत और निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल खिड़की प्रणाली है जो ऑनलाइन पहुंच: (i) नागरिकों को अपनी शिकायत करने के लिए, और (पप) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल जन शिकायत अधिकारी उपलब्ध कराती है।

18.3 यह मंत्रालय अभ्यावेदन/शिकायतें डाक के साथ ही साथ सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त करता है। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। कृत कार्रवाई के विषय में याचिकाकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है। प्राप्त शिकायत याचिकाओं की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से निगरानी की जाती है। सचिव, जनजातीय कार्य द्वारा बुलाई गई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शिकायतों के निपटान की स्थिति की समीक्षा भी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31 दिसम्बर, 2016 तक) सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष	अग्रेषित शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल प्राप्तियां	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले
2013-2014	103	264	367	349
2014-2015	18	491	509	447
2015-2016	62	777	839	718
2016-2017 (31.12.2016 तक)	121	647	768	695

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

18.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा

5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के प्राधिकृत कर दिया गया है। संबंधित अनुदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित रजिस्ट्रर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

18.5 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक-18 में दिए गए हैं। श्री एम. दिलीप कुमार, उप-सचिव को मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सीपीआईओ (समन्वय) के रुप में प्राधिकृत किया गया है। अधिसूचनाएं (संशोधनानुसार) मंत्रालय की वेबसाइट **(www.tribal.gov.in)** पर डाल दी गई हैं।

18.6 इस प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड); (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने-अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है।

18.7 सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके दिए गए उत्तर के ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

01.04.2016 से 31.12.2016 के दौरान आरटीआई की स्थिति

	प्राप्त	निपटाए गए	शेष
ऑनलाइन	484	466	18
ऑफलाइन	482	473	09
कुल	**966**	**939**	**27**

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलें

18.8 श्रीमती विशु मैनी, उप-महानिदेशक (सांख्यिकी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 23 जून, 2016 से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे सभी विषयों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के रुप में प्राधिकृत किया गया है। प्राप्त सभी अपीलों की घनिष्ठ निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाता है।

अध्याय 19

विभागीय लेखा परीक्षण

संगठन

19.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख हैं। वेतन एवं लेख अधिकारी सहायता अनुदान, लेखों के समेकन, अवंटन, बजट, विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के संबंध में व्यय की निगरानी सहित विभिन्न प्रकार की जिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेख अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखों, लेखों के विनियोजन, केन्द्रीय लेनदेन के विवरण, संघ वित्त लेखा, अन्य संबंधित कार्य यथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओं को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शास्त्री भवन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी

19.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन एक मात्र वेतन एवं लेखा कार्यालय कार्यालय के माध्यम से होता है। यह वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखा सीधे महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

लेखों और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

19.3. पूर्व में वेतन तथा लेखा कार्यालय कॉम्पैक्ट के सभी मॉडयूल जैसे पूर्व-जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर-योजना भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन तंत्र (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले कॉम्पैक्ट के अधिकतर मॉडयूल बंद कर दिए गए हैं। केवल वेतन बिल तथा पेंशन के मामले 01 अक्टूबर, 2015 के बाद कॉम्पैक्ट के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। जीईपीजी के माध्यम से ई-भुगतान का तंत्र भी परिवर्तित कर दिया गया है तथा सभी भुगतान (योजना एवं गैर-योजना) पीएफएमएस की साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माधयम से पास किए गए बिलों को वेब फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक ई-परामर्श डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा प्राप्तकर्त्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं। अब चैक जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ई-लेखा

19.4. दैनिक आधार पर ई-लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएफएमएस स्वत: ही आंकड़े अद्यतन कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य प्रतिभागियों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई-लेखा में आंकड़े देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

19.5 पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी हस्तियों को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए विकसित विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इस मंत्रालय की सभी प्लान योजनाओं का नियोजन इस संगठन द्वारा किया गया है। इस संबंध में विभाग

के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग-अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विगत योजनाओं के अंतर्गत कार्यन्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

19.6 विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों मे निधियों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तरीका इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में प्रदान किया गया है।

19.7 राज्यों को निमुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंत:सरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए नया तरीका प्रदान किया गया है। तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा गया है। जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल ऋण सुनिश्चत करता है। अब 01.10.2015 से इस प्रणाली को गैर योजना भुगतान के लिए कार्यान्वित किया गया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस):

19.8 नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड वेतन सहित) मंहगाई भत्ते के साथ 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्से के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से एनएसडीएल (सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

उपयोग प्रमाण-पत्र:

19.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समूचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोग प्रमाण पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंन्ट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर पर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं वितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर पर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हे स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिर्पोटें तैयार करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

आंतरिक लेखा-परीक्षा:

19.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा-परीक्षा आयोजित करती है, अलग-अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा-परीक्षा निम्नलिखत पर ध्यान दें।

- सामान्यत: आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषत: वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता; जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनको शामिल करके)।
- धन की महत्ता के सुनिश्चियन हेतु सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की सक्षमता, प्रभाव तथा कम व्यय संबंधी महत्वपूर्ण आकलन।
- कार्य प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना

19.11 रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया पैराओं की स्थिति निम्नांकित सारणी में दी गई है:-

1.	1.4.2015 तक बकाया पैराओं की सं.	105
2.	2015-2016 के दौरान जोड़े गए पैराओं की सं.	21
3.	31.12.2016 तक बकाया पैराओं की संख्या	126

सीएजी लेखा-परीक्षा के पैरा पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन)

19.12. जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सीएजी लेखा-परीक्षा के पैरा पर कृत कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) की स्थिति **अनुलग्नक-19** क मे दी गई है।

अध्याय 20

नागरिक / ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता: शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110 001

वेबसाइट : www.tribal.nic.in

परिदृश्य

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक रुप से सशक्त बनाना।

मिशन

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेपों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी ।

मुख्य सेवाएं / लेन-देन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता और अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान क) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास! ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	20	श्री राजीव प्रकाश, निदेशक (टीएसपी को एससीए)	rajeev.prakash@nic.in	9717025151 (23386980)	1. राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आवंटित राशि के अध्यधीन राज्य सरकारों से प्रस्ताव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			श्री पी.के. साहू, अवर सचिव (अनुच्छेद 275 (1))	pk.sahoo@nic.in	9654147663 (23073709)	3 पीएससी बैठक का आयोजन 4 मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएससी) द्वारा अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						5 I/II किस्त की स्वीकृति/निर्मुक्ति का मुद्दा	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3. विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों के लिए व्यय रिपोर्ट जहां उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
2	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ संस्थान ों/गै.स.सं. को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शौक्षिक सुविधाएं,	15	श्री राजीव प्रकाश, निदेशक (टीएसपी को एससीए)	rajeev.prakash@nic.in	9717025151 (23386980)	1. राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. संस्वीकृति जारी करना I/ II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						3. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						4. राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3. छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक के संबंध में प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां		श्री बी. सस्मल, निदेशक	diredu-tribal@nic.in	8985970071 (23070508)		1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट			

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
3	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता :	15	सुश्री शायला टाइटस, उप-सचिव	s.titus@nic.in	9810487008 (23383965)	संस्वीकृति जारी करना I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र/निधि हस्तांतरण प्रमाण पत्र 2. वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय लोगों से सबंधित मुद्दों पर जनजातीय त्यौहार सहित अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	श्री एस.दास, निदेशक श्री वी. अशोक, संयुक्त निदेशक	subrata.d@nic.in ashok.v@nic.in	9818893570 (26168480) 26183433	1. अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना 1. राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजनाएं आमंत्रित करना 2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति 3. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छटनी एवं अनुमोदन 4. संस्वीकृति जारी करना, I/II किश्तों की निमुर्क्ति (जैसे लागू हो)	1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव 2. राज्य सरकार की संस्तुति 3. लेखा का लेखा परीक्षित विवरण (II तथा अंतिम किस्त के लिए) 4. निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र 5. प्रबंधन समिति की सूची 6. कर्मचारियों की सूची 7. पंजीकरण प्रमाण पत्र 8. पूर्व से ही स्योरिटी बांड 9. नियम एवं शर्तों की स्वीकृति 10. बैंक अधिकृत पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति: (क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता (ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के द्वारा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	श्री रूपक चौधरी उप-सचिव	r.choudhary @nic.in	9968304079 (23387444)	1. राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति 2. मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम पदाधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन 3. संस्वीकृति /I/II किश्त जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड 1. प्रस्ताव 2. वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट 3. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी 1. स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्ताव/ सिफारिश 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 3. विगत वर्षों के अनुदान की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीतिगत दस्तावेज/ मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में इन्पुट/ टिप्पणियां प्रदान करना	10	सभी			1. संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना 2. संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना 3. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10				1. संगत साहित्य का सदंर्भ लेकर गहरा अध्ययन, अपने मत का निरूपण और विश्लेषण 2. बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना 3. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/ पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	श्री गोपाल साधवानी उप-सचिव	sadhwani.gopal@nic.in	9818001425 (26182428)	1. जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. शिकायत की प्राप्ति	समर्थनकारी दस्तावेज/ आदेश			
						3. आवेदक को उत्तर	लागू नहीं			

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
9	आवासीय/ गैर अवासीय/ स्वास्थ्य / व्यवसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों / एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	सुश्री शायला टाइटस, उप-सचिव	s.titus@nic.in	9810487008 (23383965)	1. राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 2. प्रस्तावों की छटनी तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति	1. आवेदन पत्र 2. राज्य सरकार की संस्तुति 3. जिलाधीश द्वारा प्रमाणित निरीक्षण रिपोर्ट 4. बजट अनुमान 5. लेखाओं का लेखा परीक्षण विवरण 6. निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र 7. प्रबंधन समिति की सूची 8. कर्मचारियों की सूची 9. लाभार्थियों की सूची 10. वार्षिक रिपोर्ट 11. पंजीकरण प्रमाण पत्र, नियम एवं उपनियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं 12. अद्यतन किराया करार/ किराया आंकलन प्रमाण पत्र 13. पूर्व में स्योरिटी बांड 14. नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति 15. अधिकृत पत्र 16. परियोजना के लिए पासबुक के बैंक लेन-देन की प्रति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/ समव्यवहार	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी की गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास (ग) अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास (घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना (ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय त्यौहार, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/ टिप्पणी प्रस्तुत करना	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ता की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
9	आवासीय/ गैर आवासीय/ आश्रम स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों व एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना	5.0	समय	90	दिन	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र

यूआरएल वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ को शुरू करने के लिए

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्रीमती विशु मैनी, उप–महानिदेशक	011-26182094	vishu@nic.in	9868222403
2	श्रीमती आर.एम. वैद्य, महाप्रबंधक, ट्राइफेड	011-26569014	rajiv.trifed@gmail.com	9560681949
3	श्री अनिल पी. रावेन, उप–महाप्रबंधक, एनएसटीएफडीसी	011-26712530	raven.oraon-cmd@gmail.com	9873081698

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठनों की जिम्मेदारी	लैंड लाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26866084	Bala.PRASAD@NIC.IN	9818985476	एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3-इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110066
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519	cmd.nstfdc@gmail.com	9871819778	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का समय पर व पहले प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

जनजातीय कार्य मंत्रालय: संगठनात्मक संरचना

टीएसपी	:	जनजातीय उप-योजना
प्रशा.	:	प्रशासन
सं.सम.स.	:	संसद, समन्वय एवं सतर्कता
एमएफपी	:	लघु वन उत्पाद
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
शि.	:	शिक्षा
सीएंडएलएम	:	संवैधानिक एवं विधायी मामले
सा.	:	सामान्य
स्था.	:	स्थापना
रा.भा.	:	राजभाषा
आर.एम.	:	अनुसंधान एवं मीडिया
नी.वि.	:	नीति विश्लेषण
एफआरए	:	वन अधिकार अधिनियम
आईजीएस	:	आय सृजनकारी योजनाएं
एनसीएसटी	:	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं.स	:	संयुक्त सचिव
सं.स. एवं वि.स.	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
आ.स.	:	आर्थिक सलाहकार
मु.स.अ.	:	मुख्य सतर्कता अधिकारी
उ.म.निदे.	:	उप-महा निदेशक
निदे.	:	निदेशक
उप स.	:	उप सचिव
सं.निदे.	:	संयुक्त निदेशक
अ.स.	:	अवर सचिव
उप निदे.	:	उप निदेशक
सहा. निदे.	:	सहायक निदेशक
अनुसं.अधि.	:	अनुसंधान अधिकारी
अनु.अधि.	:	अनुभाग अधिकारी
डीडीओ	:	आहरण एवं संवितरण अधिकारी

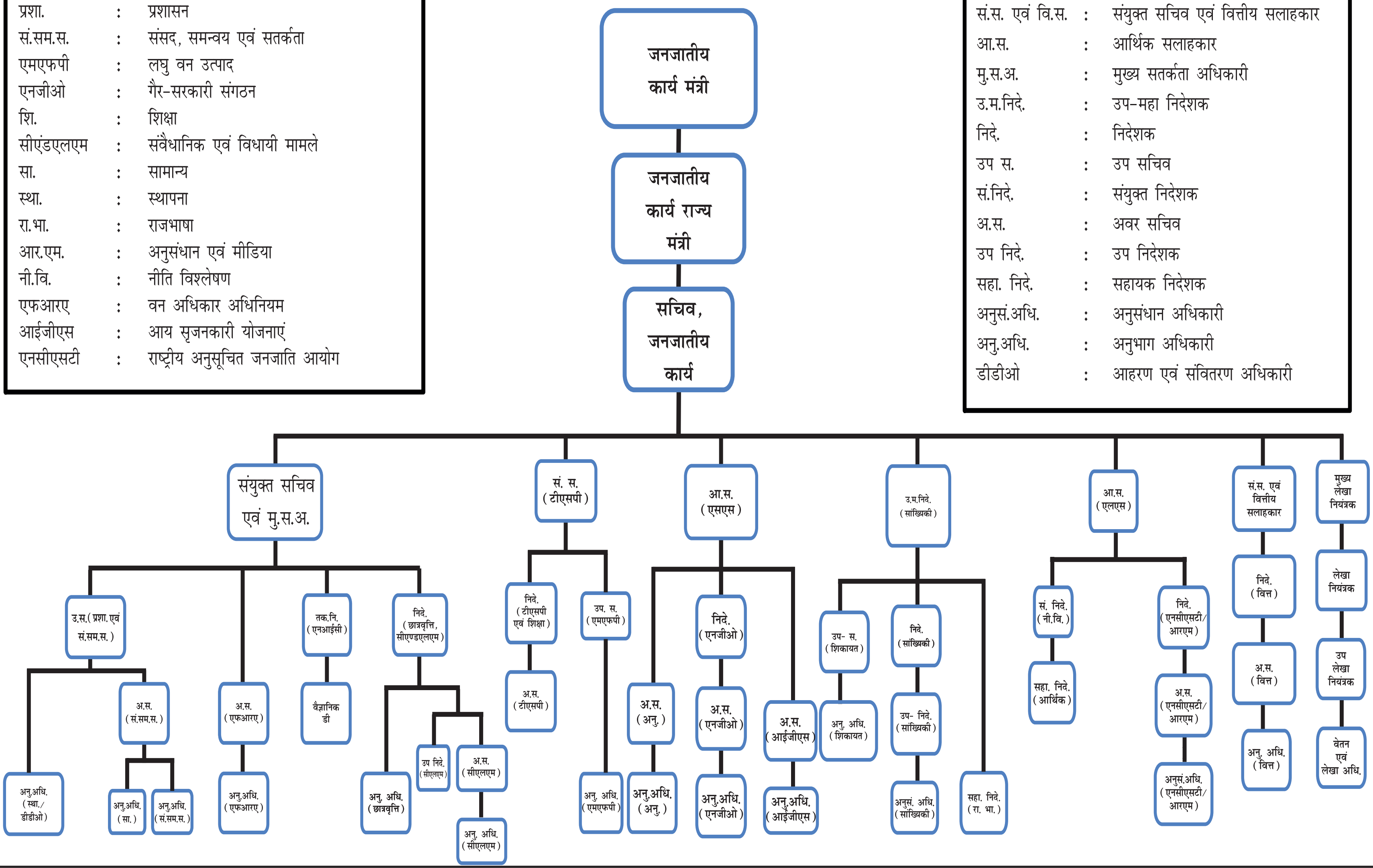

अनुलग्नक–2

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

क्रम सं.	योजना/परियोजना का नाम
1	जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)
2	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
3	अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना
4	अ.ज.जा. विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय तथा छात्रवृत्ति
5	अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
6	न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पाद और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास
7	लघु वन उत्पाद के कार्यों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान
8	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण सहित अ.ज.जा. के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
9	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
10	अनुसंधान सूचना तथा जन-शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य
11	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान

अनुलग्नक-3क

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रूपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2014-15			2015-16 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
क	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं							
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं संबद्ध योजना सहित अ.ज.जा. के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार	35.00	44.50	44.50	77.00	75.65	75.05
2225	अनुकरणीय कार्य करने वाले एनजीओ को विशेष प्रोत्साहन							
2225	कोचिंग एवं संबद्ध योजना		1.50	0.50	0.12			
	2225 का कुल		**36.50**	**45.00**	**44.62**			
2225	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.00	2.90	2.70			
3601			अंब्रेला योजना में विलयित					
	2225 तथा 3601 का कुल		**3.00**	**2.90**	**2.70**			
2225	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा. की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	**40.00**	**35.00**	**35.00**			
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	**35.00**	**35.00**	**30.82**	**50.00**	**40.00**	**30.26**
3601	लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम		**15.00**	**11.09**	**11.09**			**4.59**
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	5.40	4.50	4.50	217.35	217.35	1.59
3601			201.60	175.50	175.50			211.95
	2225 तथा 3601 का कुल		**207.00**	**180.00**	**180.00**	**217.35**	**217.35**	**213.54**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता	70.00	70.00	70.00	70.00	63.33	63.33
4225	राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम							
	4225 का कुल		**70.00**	**70.00**	**70.00**	**70.00**	**63.33**	**63.33**
2225	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**48.81**	**46.84**
2225	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए अंब्रेला योजना के साथ मिला दी					
2225	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	**1.00**	**1.00**	**0.99**	**1.00**	**0.72**	**0.39**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2014-15			2015-16 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	40.00	7.00	7.00	307.00	143.00	10.67
3601			277.00	93.00	93.00			107.02
	2225 तथा 3601 का कुल		**317.00**	**100.00**	**100.00**	**307.00**	**143.00**	**117.69**
2225	विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का सुधार	विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का सुधार	**3.86**	**1.44**	**0.56**	**2.00**	**1.00**	**1.34**
	क का कुल (केंद्रीय क्षेत्र की योजना)		**778.36**	**481.43**	**475.78**	**774.35**	**589.86**	**553.03**
ख	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं**							
2225	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/पुस्तक बैंक	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक योजना तथा अ.ज.जा. के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन	अ.ज.जा. के लिए अंबैला योजना में विलय					
	2225 का कुल							
3601	अ.ज.जा. के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/पुस्तक बैंक							
3601	अ.ज.जा के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन							
	3601 का कुल							
	2225 तथा 3601 का कुल							
2225	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति							
3601	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति						
	कुल							
2225	लड़कियों के छात्रावास	अ.ज.जा की लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावास						
2225	लड़कों के छात्रावास							
	2225 का कुल							
3601	लड़कियों के छात्रावास							
3601	लड़कों के छात्रावास							
	3601 का कुल							
	2225 तथा 3601 का कुल							
2225	आश्रम विद्यालयों की स्थापना							
3601		आश्रम विद्यालयों की स्थापना						
		3601 का कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2014-15			2015-16 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2225	**घरेलू यात्रा व्यय**	अ.ज.जा के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना (प्रशासनिक व्यय)	4.23	0.00	0.00			
	विदेश यात्रा व्यय		0.00	0.00	0.00			
	कार्यालय व्यय		5.29	0.00	0.00			
	पेशेवर सेवाएं		9.62	0.00	0.00			
	अन्य प्रभार		2.02	0.00	0.00	1154.84	1210.64	1173.33
		2225 का कुल	**21.16**	**0.00**	**0.00**			
2225		**अ.ज.जा के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना**	18.84	30.84	23.52			
3601			1018.00	1035.01	1035.01			
		2225 तथा 3601 का कुल	**1036.84**	**1065.85**	**1058.53**	**1154.84**	**1210.64**	**1173.33**
2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	0.50	0.50	0.00	38.70	21.20	19.37
2225	सूचना एवं मास मीडिया		3.00	1.99	0.12			
2225	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार		3.50	2.26	2.45			
2225	उत्कृष्टता केंद्र		3.34	3.34	2.22			
2225	अ.ज.जा के लिए अखिल भारतीय अथवा अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना							
2225	जनजातीय त्यौहारों का आयोजन							
2225	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान							
		2225 का कुल	**10.34**	**8.09**	**4.79**	**38.70**	**21.20**	**19.37**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		8.00	16.00	16.00			
		2225 तथा 3601 का कुल	**18.34**	**24.09**	**20.79**			
2225		निगरानी एवं मूल्यांकन	4.00	1.99	1.21	4.50	2.25	1.90
	निगरानी एवं मूल्यांकन	**2225 का कुल**	**4.00**	**1.99**	**1.21**	**4.50**	**2.25**	**1.90**
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	2.80	1.70	1.27	2.80	1.00	0.00
2225		एनसीएसटी	0.50	0.23	0.26			
		2251 तथा 2225 का कुल	**3.30**	**1.93**	**1.53**			
3601	वन बंधु कल्याण योजना		100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00
		3601 का कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
ख का कुल (केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं)			**1183.64**	**1193.86**	**1182.06**	**1400.84**	**1435.09**	**1394.60**
ग	**विशेष केंद्रीय सहायता**							
3601	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता		1200.00	1040.03	1039.61	1250.00	1132.17	1132.17
3601 तथा 2225	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के तहत योजना		1317.00	1134.68	1133.15	1367.00	1392.78	1392.46
	ग का कुल (विशेष केंद्रीय सहायता)		**2517.00**	**2174.71**	**2172.76**	**2617.00**	**2524.95**	**2524.64**
	क, ख तथा ग का कुल योग		**4479.00**	**3850.00**	**3830.60**	**4792.19**	**4550.00**	**4472.27**

ब.अ.: बजट अनुमान, सं.अ.: संशोधित अनुमान

अनुलग्नक-3ख

वर्ष 2016-17 के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 31.12.2016 तक व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2016-17	31.12.16 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
क	**सामान्य अनुदान**					
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता	प्रशासनिक व्यय	2225	घरेलू यात्रा व्यय	0.00	0.00
				विदेश में यात्रा व्यय	0.00	0.00
				कार्यालय व्यय	1.75	0.00
				पेशेवर सेवाएं	0.25	0.00
				अन्य प्रभार	0.00	0.00
				कुल	**2.00**	**0.00**
		अनुदान	3601	सामान्य	821.10	246.87
				पूंजी	351.90	686.83
				कुल	**1173.00**	**933.70**
			2552	सामान्य	52.50	0.00
				पूंजी	22.50	0.00
				कुल	**75.00**	**0.00**
		2225 तथा 3601 का कुल			**1250.00**	**933.70**
2	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	**प्रशासनिक व्यय**	2225	घरेलू यात्रा व्यय	0.00	0.00
				विदेश में यात्रा व्यय	0.00	0.00
				कार्यालय व्यय	4.50	0.04
				पेशेवर सेवाएं	0.25	0.00
				अन्य प्रभार	0.25	0.00
				कुल	**5.00**	**0.04**
		अनुदान	**3601**	सामान्य	239.20	209.60
				पूंजी	956.80	835.22
				कुल	**1196.00**	**1044.86**
			2552	सामान्य	39.80	0.00
				पूंजी	159.20	0.00
				कुल	**199.00**	**0.00**
		2225, 2552 तथा 3601 का कुल			**1400.00**	**1044.90**
क	**कुल (सामान्य अनुदान)**				**2650.00**	**1978.60**

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2016-17	31.12.16 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
ख	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**					
3	कोचिंग एवं संबद्ध योजना सहित अ.ज.जा. के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार	अ.ज.जा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	2225	सामान्य	120.00	81.22
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**120.00**	**81.22**
		2225 का कुल			**120.00**	**81.22**
4	कम साक्षरता वाले जिलों में अ.ज.जा की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण		2225	सामान्य	एनजीओ योजना के साथ मिला दिया गया	
				पूंजी		
5	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता		सामान्य	0.00	0.00
		राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम	4225	पूंजी	70.00	50.00
				कुल	**70.00**	**50.00**
6	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास		2225	सामान्य	11.20	8.40
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**11.20**	**8.40**
				वेतन	27.80	20.85
			3601	सामान्य	10.00	3.93
				कुल	**37.80**	**24.78**
		2225 तथा 3601 का कुल			**49.00**	**33.18**
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता		2225	सामान्य	1.00	0.00
			2552	सामान्य	1.00	0.00
			3601	सामान्य	19.00	15.11
		कुल			**21.00**	**15.11**
8	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास		2225	सामान्य	27.00	0.00
				पूंजी	20.00	0.00
				कुल	**47.00**	**0.00**
			3601	सामान्य	101.00	0.00
				पूंजी	10.00	0.00
				कुल	**111.00**	**0.00**
		2225 तथा 3601 का कुल			**158.00**	**0.00**

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2016-17	31.12.16 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास		2225	सामान्य	2.00	2.00
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**2.00**	**2.00**
				सामान्य	88.00	41.62
			3601	पूंजी	110.00	54.45
				कुल	198.00	96.07
		2225 तथा 3601 का कुल			**200.00**	**98.07**
10	अ.ज.जा के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति		2225	सामान्य	50.00	49.37
				पूंजी	0.00	0.00
				कुल	**50.00**	**49.37**
11	विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का सुधार			घरेलू यात्रा	0.00	0.00
				विदेशी यात्रा व्यय	0.00	0.00
				कार्यालय व्यय	0.00	000
				प्रकाशन	0.00	0.00
			2225	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00
				पेशेवर सेवाएं	0.39	0.00
				अन्य प्रभार	0.00	0.00
				कुल	**0.39**	**0.00**
12	अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	विज्ञापन एवं प्रसार		सामान्य	2.00	0.01
		सामान्य			2.00	0.31
		अन्य प्रभार	2225		13.39	3.54
		2225 का कुल			17.39	3.86
		सामान्य	3601		0.00	0.00
					0.00	0.00
		2225 तथा 3601 का कुल			**17.39**	**3.86**
13	निगरानी एवं मूल्यांकन	सामान्य	2225		4.50	0.00
		मंत्रालय		अन्य प्रभार	3.00	0.85
		एनसीएसटी		अन्य प्रभार	0.50	0.00
		कुल			**8.00**	**0.85**

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्योरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2016-17	31.12.16 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
14	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना			सामान्य	1.00	0.00
			2225	छात्रवृत्ति	0.00	0.00
		कुल			**1.00**	**0.00**
15	वन बंधु कल्याण योजना			सामान्य	1.00	0.00
			3601	पूंजी	0.00	0.00
		कुल			**1.00**	**0.00**
	पीएमएस, पुस्तक बैंक तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों के उत्कृष्टता की उन्नयन की योजना/अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/अ.ज.जा. बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना/आश्रम विद्यालयों की स्थापना/जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/उत्कृष्टता के संस्थानों की योजना/उच्च श्रेणी शिक्षा		2225	घरेलू यात्रा व्यय	1.00	0.00
				विदेश में यात्रा व्यय	0.00	0.00
				कार्यालय व्यय	1.00	0.00
				पेशेवर सेवाएं	1.00	0.00
				अन्य प्रभार	2.00	0.00
				कुल	**5.00**	**0.00**
ख	**कुल (सीएसएस)**				**700.78**	**331.66**
ग	**केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम**					
16	**अ.ज.जा. के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रैला योजना**					
	पीएमएस, पुस्तक बैंक तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों के उत्कृष्टता की उन्नयन की योजना/अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति/अ.ज.जा. बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना/आश्रम विद्यालयों की स्थापना/जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/उत्कृष्टता के संस्थानों की योजना/उच्च श्रेणी शिक्षा		**3601**	सामान्य	1269.22	1257.02
				पूंजी	15.00	5.95
				कुल	**1284.22**	**1262.97**
			2552	सामान्य	160.00	0.00
				पूंजी	5.00	0.00
				कुल	**165.00**	**0.00**
		2225 तथा 3601 का कुल			**1449.22**	**1262.97**
ग	**कुल (सीएसपीएस)**				**1449.22**	**1262.97**
	क+ख+ग का कुल				**4800.00**	**3573.24**

सीएसपीएस: केन्द्रीय प्रयोजित योजना स्कीम, सीएसएस: केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम

अनुलग्नक-4क

लिंग तथा निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या: जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
	भारत	**कुल**	**104545716**	**52547215**	**51998501**
		ग्रामीण	**94083844**	**47263733**	**46820111**
		शहरी	**10461872**	**5283482**	**5178390**
1	जम्मू और कश्मीर	कुल	1493299	776257	717042
		ग्रामीण	1406833	730075	676758
		शहरी	86466	46182	40284
2	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
3	उत्तराखंड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
4	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
5	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
6	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
7	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
8	अरूणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
9	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
10	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191
11	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
12	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
13	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
14	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287
15	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
16	झारखंड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
17	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
18	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
19	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
20	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
21	दमन और दीव	कुल	15363	7771	7592
		ग्रामीण	7617	3843	3774

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
		शहरी	7746	3928	3818
22	दादर और नगर हवेली	कुल	178564	88844	89720
		ग्रामीण	150944	75049	75895
		शहरी	27620	13795	13825
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पणियां: 2011 में पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है।

अनुलग्नक-4ख

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल जनसंख्या, अ.ज.जा. जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत तथा कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत

क्र. सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या	भारत/राज्य की कुल जनसंख्या पर भारत/राज्य में अ.ज.जा. %	भारत में कुल अ.ज.जा. जनसंख्या पर राज्य में अ.ज.जा. का %
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	-
1	आंध्रप्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	4,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू और कश्मीर	1,25,41,302	14,93,299	11.9	1.4
11	झारखंड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
15	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
16	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
17	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
18	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
19	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
20	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
21	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
22	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
23	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
24	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
25	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
26	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
27	उत्तराखंड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
28	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
29	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
31	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
32	दादर और नगर हवेली	3,43,709	1,78,564	52.0	0.2
33	दमन और दीव	2,43,247	15,363	6.3	0.0
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुद्दूचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: जनगगणना, 2011 भारत के महापंजीयक का कार्यालय

एनएसटी: अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित नहीं,

अनुलग्नक–4ग

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की लिंग सबंधी सरंचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखंड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन एवं दीव	947	952	928	977	982	972
दादर और नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्रप्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4घ

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनगणना 2011

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति			पुरूष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा	अंतर	सभी	अ.ज.जा	अंतर	सभी	अ.ज.जा	अंतर
	भारत	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन एवं दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादर और नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्रप्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पणः पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी में कोई अ.ज.जा 2011 में अधिसूचित नहीं है।

अनुलग्नक-4ड.

15 वर्ष और उससे ऊपर के अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक स्तर-स्नातक तथा उससे ऊपर

क्र. सं.	भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्नातक तथा उससे ऊपर	स्नातक तथा उससे ऊपर की कुल प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के बजाय अन्य स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के बजाय अन्य स्नातकोत्तर डिग्री	डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष तकनीकी डिग्री अथवा डिप्लोमा					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेयरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण*	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू और कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखंड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखंड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छतीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन एवं दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादर और नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्रप्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

*शिक्षण-जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4च

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी,पीएचसी एवं सीएचसी) की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या	(31 मार्च, 2015 तक)								
			उप केन्द्र			पी.एच.सी.			सी.एच.सी.		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्रप्रदेश	2293102	764	691	73	114	130	**	28	11	17
2	अरुणाचल प्रदेश#	789846	263	286	**	39	117	**	9	52	**
3	असम	3665405	1221	1283	**	183	283	**	45	31	14
4	बिहार+	1270851	423	23	400	63	6	57	15	0	15
5	छत्तीसगढ़	7231082	2410	2950	**	361	411	**	90	85	5
6	गोवा	87639	29	66	**	4	8	**	1	1	0
7	गुजरात	8021848	2673	2775	**	401	382	19	100	70	30
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	374392	124	104	20	18	43	**	4	10	**
10	जम्मू और कश्मीर	1406833	468	307	161	70	48	22	17	11	6
11	झारखंड	7868150	2622	2333	289	393	160	233	98	104	**
12	कर्नाटक	3429791	1143	321	822	171	64	107	42	7	35
13	केरल	433092	144	831	**	21	137	**	5	12	**
14	मध्य प्रदेश	14276874	4758	2952	1806	713	332	381	178	104	74
15	महाराष्ट्र	9006077	3002	2057	945	450	315	135	112	67	45
16	मणिपुर^	791126	263	226	37	39	45	**	9	7	2
17	मेघालय#	2136891	712	428	284	106	110	**	26	27	**
18	मिजोरम#	507467	169	370	**	25	57	**	6	9	**
19	नागालैंड#	1306838	435	396	39	65	128	**	16	21	**
20	ओडिशा++	8994967	2998	2689	309	449	426	23	112	135	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	8693123	2897	1574	1323	434	210	224	108	63	45
23	सिक्किम	167146	55	48	7	8	12	**	2	0	2
24	तमिलनाडु	660280	220	564	**	33	66	**	8	20	**
25	तेलंगाना	2939027	979	698	281	146	93	53	36	23	13
26	त्रिपुरा	1117566	372	499	**	55	45	10	13	7	6
27	उत्तराखंड	264819	88	176	**	13	10	3	3	8	**
28	उत्तर प्रदेश	1031076	343	एनए	एनए	51	एनए	एनए	12	एनए	एनए
29	पश्चिम बंगाल	4855115	1618	3195	**	242	304	**	60	108	**
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	26715	8	41	**	1	4	**	0	1	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	150944	50	56	**	7	7	0	1	1	0
33	दमन और दीव	7617	2	5	**	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#(2)	13463	4	14	**	1	4	**	0	3	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारत	**93819162**	**31257**	**27958**	**6796**	**4676**	**3957**	**1267**	**1156**	**998**	**309**

टिप्पण: जनगणना 2011 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानकों को उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई है। कुछ राज्यों में विद्यमान अधिकता को अनदेखा करते हुए कमी के राज्य-वार आंकड़ों को जोड़ते हुए अखिल भारतीय कमी की तैयार की गयी है। एस.सी.: उपकेन्द्र, पीएचसी: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सी.एच.सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एन.ए.- आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आर: आवश्यक; पी: तैनात; एस: कमी; **: आधिक्य, *: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है; #: राज्य प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्र हैं, ++: राज्यों ने सूचित किया है कि जनजातीय क्षेत्रों में 23 अन्य अस्पताल प्रचलन में हैं जो पीएचसी स्तर की सुविधाओं के समकक्ष हैं, 2 जनसंख्या 80 हजार के मानक (सीएचसी) से कम है। ^: वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़े दोहराये गये हैं, +: वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराये गये हैं।

अनुलग्नक-4छ

जनजातीय क्षेत्रों में उप-केन्द्रों तथा पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		अपेक्षित[1]	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर)	(एस)	(पी)	(एस-पी)	(आर-पी)
1	आंध्रप्रदेश	821	1873	1438	435	*
2	अरुणाचल प्रदेश#	403	NA	298	NA	105
3	असम++	1566	568	1405	**	161
4	बिहार@	29	24	24	0	5
5	छत्तीसगढ़	3361	3097	2745	352	616
6	गोवा	74	68	68	0	6
7	गुजरात##	3157	3607	3180	427	**
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	147	104	76	28	71
10	जम्मू और कश्मीर^	355	250	790	**	**
11	झारखंड	2493	4826	4713	113	**
12	कर्नाटक	385	321	242	79	143
13	केरल	968	970	970	0	**
14	मध्य प्रदेश	3284	3332	4020	**	**
15	महाराष्ट्र	2372	4532	6833	**	**
16	मणिपुर^^	271	560	462	98	**
17	मेघालय#	538	1118	959	**	**
18	मिजोरम#	427	388	670	**	**
19	नागालैंड #	524	599	888	**	**
20	ओडिशा	3115	3089	3396	**	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	1784	3754	2246	1508	**
23	सिक्किम***	60	83	97	**	**
24	तमिलनाडु	630	633	556	77	74
25	तेलंगाना	791	1158	1158	0	**
26	त्रिपुरा	544	321	319	2	225
27	उत्तराखंड	186	178	178	0	8
28	उत्तर प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
29	पश्चिम बंगाल+	3499	2576	2506	70	993
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	45	87	86	1	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	63	36	107	**	**
33	दमन और दीव	5	5	5	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	18	48	48	0	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
	कुल	**31915**	**38205**	**40483**	**3190**	**2407**

स्रोत : ग्रामी स्वास्थ्य संख्यिकी, 2015, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट: + वर्ष 2013 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई, ## वर्ष 2011 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई, # मुख्यत: जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य

*** वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का उपयोग किया गया, ** आधिक्य, 1प्रति उप-केन्द्र तथा पीएचसी के लिए एक,

^ वर्ष 2012 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का उपयोग किया गया, * राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है,

^^ वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई, ++ वर्ष 2013 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का उपयोग किया गया

एनए: उपलब्ध नहीं, पीएचसी: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

अनुलग्नक-4ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी तथा सीएचसी में नर्सिंग स्टॉफ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्रप्रदेश	207	295	261	34	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	481	NA	319	NA	162
3	असम++	500	NA	609	NA	**
4	बिहार@	6	8	4	4	2
5	छत्तीसगढ़	1006	1081	578	503	428
6	गोवा	15	41	45	**	**
7	गुजरात##	872	1703	1474	229	**
8	हरियाणा*	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	113	63	41	22	72
10	जम्मू और कश्मीर^	125	NA	185	NA	**
11	झारखंड	888	368	577	**	311
12	कर्नाटक	113	144	93	51	20
13	केरल	221	235	282	**	**
14	मध्य प्रदेश	1060	1033	555	478	505
15	महाराष्ट्र	784	684	646	38	138
16	मणिपुर^^	94	142	119	23	**
17	मेघालय#	299	413	413	0	**
18	मिजोरम#	120	NA	224	NA	**
19	नागालैंड #	275	117	378	**	**
20	ओडिशा	1371	318	383	**	988
21	पंजाब	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	651	1116	888	228	**
23	सिक्किम***	12	NA	12	NA	0
24	तमिलनाडु	206	425	320	105	**
25	तेलंगाना	254	216	190	26	64
26	त्रिपुरा	94	377	331	46	**
27	उत्तराखंड	66	36	51	**	15
28	उत्तर प्रदेश	NA	NA	NA	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल+	1060	334	239	95	821
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11	33	33	0	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	14	8	37	**	**
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	25	52	52	0	**
36	पुद्दुचेरी*	0	0	0	0	0
	कुल	10943	9242	9339	1882	3526

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यिकी, 2015, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

वर्ष 2013 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई *: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है

^ वर्ष 2013-14 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई # मुख्यत: जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य

@ वर्ष 2010 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई

[1]प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) एक तथा प्रति सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) 7

अनुलग्नक-4झ

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्रप्रदेश	130	291	270	21	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	117	NA	102	NA	15
3	असम	283	NA	200	NA	83
4	बिहार@	6	1	1	0	5
5	छत्तीसगढ़	411	366	156	210	255
6	गोवा	8	19	18	1	**
7	गुजरात+	382	679	271	408	111
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	43	60	45	15	**
10	जम्मू और कश्मीर ++	48	38	76	**	**
11	झारखंड	160	160	160	0	0
12	कर्नाटक	64	64	38	26	26
13	केरल	137	227	229	**	**
14	मध्य प्रदेश	332	360	299	61	33
15	महाराष्ट्र	315	370	352	18	**
16	मणिपुर^	45	130	75	55	**
17	मेघालय #	110	128	114	14	**
18	मिजोरम #	57	152	49	103	8
19	नागालैंड #	128	108	133	**	**
20	ओडिशा^	426	426	221	205	205
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	210	293	245	48	-35
23	सिक्किम##	12	20	15	5	**
24	तमिलनाडु	66	128	98	30	**
25	तेलंगाना	93	211	196	15	**
26	त्रिपुरा	45	135	135	0	**
27	उत्तराखंड	10	10	12	**	**
28	उत्तर प्रदेश	NA	NA	NA	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल +	304	909	765	144	**
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4	9	6	3	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0
32	दादर और नगर हवेली#	7	6	8	**	**
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#	4	9	9	0	**
36	पुदुचेरी*	0	0	0	0	0
	कुल	3957	5309	4298	1382	706

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यिकी, 2015, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणी: + वर्ष 2013 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई, ++ वर्ष 2012 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का उपयोग किया गया, # मुख्यत: जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य एनए: उपलब्ध नहीं, @ वर्ष 2010 के लिए आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई, *: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है, ** आधिक्य, ## वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़ों का उपयोग किया गया

[1]प्रति स्वास्थ्य केन्द्र एक

अनुलग्नक-ञ

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्रोत					
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर ऊर्जा	
	अ.ज.जा	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
भारत	**2,33,74,527**	**24,67,40,228**	**51.7**	**67.2**	**45.6**	**31.4**	**1.1**	**0.4**
जम्मू और कश्मीर	262,419	2,015,088	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1.0
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1
उत्तराखंड	63,322	1,997,068	83.7	87.0	13.6	11.1	1.9	1.2
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	39.7	67.0	57.7	30.9	0.9	0.6
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5
बिहार	423,568	18,940,629	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6
सिक्किम	46,013	128,131	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2
अरुणाचल प्रदेश	172,913	261,614	66.2	65.7	12.3	18.5	4.0	2.9
नागालैंड	349,022	399,965	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3
मणिपुर	2,19,179	5,54,713	62.5	68.3	28.5	25.1	4.0	1.9
मिजोरम	211,626	221,077	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3
त्रिपुरा	259,322	842,781	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9
मेघालय	456,683	538,299	59.2	60.9	38.6	37.0	0.8	0.8
असम	887,226	6,367,295	28.0	37.0	69.3	61.8	2.1	0.8
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2
झारखंड	1,718,359	6,181,607	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7
ओडिशा	2,240,142	9,661,085	15.6	43.0	82.3	55.3	0.6	0.4
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	54.0	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3
गुजरात	1,837,844	12,181,718	80.0	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1
दमन एवं दीव	3,334	60,381	96.6	99.1	2.5	0.8	0.0	0.0
दादर और नगर हवेली	33,367	73,063	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0.0
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2
आंध्रप्रदेश	719312	12603872	73.1	92.1	25.3	7.1	0.4	0.2
तेलंगाना	840723	8420662	86	92.3	12.1	6.6	0.4	0.3
कर्नाटक	936,995	13,179,911	83.6	90.6	15.0	8.6	0.4	0.2
गोवा	33,662	322,813	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2
लक्षद्वीप	10,028	10,703	99.7	99.7	0.2	0.2	0.0	0.0
केरल	136,006	7,716,370	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7,743	93,376	94.0	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1

स्रोतः जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4ट

मकान के अंदर शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा वाले परिवारों की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मनुष्य द्वारा मेला ढोना		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं होने वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच करना	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारत	**23374527**	**2467,40,228**	**22.7**	**46.9**	**0.1**	**0.3**	**77.3**	**53.1**	**74.6**	**49.8**
जम्मू और कश्मीर	262419	20,15,088	26.7	51.2	5.2	8.9	73.3	48.8	71.1	46.1
हिमाचल प्रदेश	92017	14,76,581	62.0	69.1	0.2	0.0	38.0	30.9	36.7	29.7
उत्तराखंड	63322	19,97,068	46.1	65.8	0.1	0.2	53.9	34.2	51.5	33.1
राजस्थान	1836014	125,81,303	7.9	35.0	0.0	0.0	92.1	65.0	91.7	64.3
उत्तर प्रदेश	512649	329,24,266	35.5	35.6	0.5	1.0	64.5	64.4	62.3	63.0
बिहार	423568	189,40,629	13.7	23.1	0.1	0.1	86.3	76.9	85.0	75.8
सिक्किम	46013	1,28,131	85.9	87.2	-	0.0	14.1	12.8	12.8	11.3
अरुणाचल प्रदेश	172913	2,61,614	58.4	62.0	0.4	0.4	41.6	38.0	38.8	34.8
नागालैंड	349022	3,99,965	74.8	76.5	0.2	0.2	25.2	23.5	17.8	16.5
मणिपुर	219179	5,54,713	78.4	87.0	1.0	2.0	21.6	13.0	19.2	10.7
मिजोरम	211626	2,21,077	91.9	91.9	0.1	0.1	8.1	8.1	6.6	6.6
त्रिपुरा	259322	8,42,781	63.7	86.0	0.2	0.1	36.3	14.0	30.3	11.5
मेघालय	456683	5,38,299	61.0	62.9	0.4	0.4	39.0	37.1	36.2	34.3
असम	887226	63,67,295	43.3	64.9	0.2	0.3	56.7	35.1	54.0	33.2
पश्चिम बंगाल	1273423	200,67,299	24.4	58.8	0.3	0.6	75.6	41.2	73.2	38.6
झारखंड	1718359	61,81,607	8.3	22.0	0.0	0.0	91.7	78.0	90.8	77.0
ओडिशा	2240142	96,61,085	7.1	22.0	0.1	0.3	92.9	78.0	91.6	76.6
छत्तीसगढ़	1747575	56,22,850	14.8	24.6	0.0	0.0	85.2	75.4	84.6	74.0
मध्य प्रदेश	3213683	149,67,597	8.5	28.8	0.0	0.0	91.5	71.2	90.9	70.0
गुजरात	1837844	121,81,718	24.3	57.3	0.0	0.0	75.7	42.7	73.5	40.4
दमन एवं दीव	3334	60,381	36.9	78.2	-	0.0	63.1	21.8	54.1	10.5
दादर और नगर हवेली	33367	73,063	16.9	54.7	0.2	0.2	83.1	45.3	80.8	40.0
महाराष्ट्र	2445645	238,30,580	30.1	53.1	0.0	0.0	69.9	46.9	59.7	34.0
आंध्रप्रदेश	719312	12603872	19.1	47.7	0.2	0.1	80.9	52.3	78.1	49.0
तेलंगाना	840723	8420662	19.9	52.4	0.4	0.3	80.1	47.6	78.0	46.4
कर्नाटक	936995	131,79,911	28.7	51.2	0.0	0.1	71.3	48.8	66.9	45.0
गोवा	33662	3,22,813	59.9	79.7	-	0.0	40.1	20.3	36.3	16.4
लक्षद्वीप	10028	10,703	98.3	97.8	-	0.0	1.7	2.2	1.5	1.8
केरल	136006	77,16,370	71.4	95.2	0.0	0.0	28.6	4.8	25.7	3.8
तमिलनाडु	384713	184,93,003	34.7	48.3	0.1	0.1	65.3	51.7	60.3	45.7
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	7743	93,376	88.2	70.1	-	0.0	11.8	29.9	11.5	27.5

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4ठ

जनगणना के अनुसार मकानों की दशा के आधार पर परिवारों की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी				अनुसूचित जनजाति			
		कुल आवास (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (%)	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा की प्रतिशतता	मकान में अलग रसोई की प्रतिशतता	कुल मकान (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (%)	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा की प्रतिशतता	मकान में अलग रसोई की प्रतिशतता
	भारत	**2467.40**	**53.1**	**46.9**	**61.3**	**233.75**	**40.6**	**22.6**	**53.7**
1	जम्मू और कश्मीर	20.15	54.1	51.2	85.7	2.62	32.8	26.7	73.6
2	हिमाचल प्रदेश	14.77	72.4	69.1	88.2	0.92	68.4	62.0	85.4
3	उत्तराखंड	19.97	66.8	65.8	70.1	0.63	58.2	46.1	74.3
4	राजस्थान	125.81	51.0	35.0	50.8	18.36	31.3	7.9	22.1
5	उत्तर प्रदेश	329.24	42.8	35.6	40.7	5.13	40.6	35.5	43.0
6	बिहार	189.41	36.1	23.1	33.5	4.24	30.6	13.7	34.4
7	सिक्किम	1.28	56.5	87.2	90.2	0.46	54.7	85.9	91.7
8	अरुणाचल प्रदेश	2.62	51.8	62.0	89.2	1.73	54.5	58.4	89.4
9	नागालैंड	4.00	52.4	76.5	96.0	3.49	52.9	74.8	96.8
10	मणिपुर	5.07	54.1	89.3	93.3	2.19	39.2	78.4	88.3
11	मिजोरम	2.21	62.3	91.9	83.8	2.12	62.4	91.9	83.7
12	त्रिपुरा	8.43	54.2	86.0	85.9	2.59	52.7	63.7	75.9
13	मेघालय	5.38	48.1	62.9	90.7	4.57	47.8	61.0	91.2
14	असम	63.67	32.8	64.9	88.3	8.87	32.4	43.3	89.4
15	पश्चिम बंगाल	200.67	40.9	58.8	60.9	12.73	27.5	24.4	48.2
16	झारखंड	61.82	43.4	22.0	39.4	17.18	36.6	8.3	34.5
17	ओडिशा	96.61	29.5	22.0	62.9	22.40	19.1	7.1	59.6
18	छत्तीसगढ़	56.23	46.6	24.6	56.1	17.48	43.1	14.8	54.9
19	मध्य प्रदेश	149.68	52.3	28.8	46.8	32.14	38.8	8.5	36.6
20	गुजरात	121.82	67.3	57.3	72.3	18.38	51.2	24.3	65.0
21	दमन एवं दीव	0.60	68.1	78.2	65.9	0.03	57.4	36.9	83.0
22	दादर और नगर हवेली	0.73	66.7	54.7	84.4	0.33	54.4	16.9	84.8
23	महाराष्ट्र	238.31	64.1	53.1	72.7	24.46	48.0	30.1	60.4
24	आंध्रप्रदेश	126.04	71.1	47.7	55.6	7.19	57.7	40.3	19.1
25	तेलंगाना	84.21	67.8	52.4	52.2	8.41	58.0	35.7	19.9
26	कर्नाटक	131.80	60.1	51.2	89.3	9.37	50.0	28.7	82.8
27	गोवा	3.23	76.1	79.7	92.9	0.34	68.6	59.9	90.2
28	लक्षद्वीप	0.11	78.7	97.8	95.5	0.10	78.9	98.3	96.6
29	केरल	77.16	66.3	95.2	96.7	1.36	38.4	71.4	89.6
30	तमिलनाडु	184.93	70.2	48.3	76.5	3.85	59.8	34.7	64.3
31	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.93	66.5	70.1	94.1	0.08	86.5	88.2	97.9

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4ड

पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों (सभी) की कुल संख्या (%)			अ.ज.जा के परिवार (%)		
	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार					
	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर
भारत	**46.6**	**35.8**	**17.6**	**19.7**	**46.7**	**33.6**
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्रप्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरुणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर और नगर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन और दीव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू और कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखंड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्य प्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	13.3	52.9	33.8
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिजोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुद्दूचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखंड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक-4ढ

वर्ष 2015 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं तथा दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाएं	अखिल भारतीय कुल का प्रतिशत भाग	अ.ज.जा. की जनसंख्या (लाख में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	कुल संज्ञेय अपराधों की दर के अनुसार स्थान
1	आंध्रप्रदेश	719	6.59	26	27.7	3
2	अरुणाचल प्रदेश	59	0.54	10	5.9	10
3	असम	0	0	39	0.0	-
4	बिहार	14	0.13	13	1.1	19
5	छत्तीसगढ़	1518	13.91	78	19.5	-
6	गोवा	8	0.07	1	8.0	9
7	गुजरात	256	2.35	89	2.9	14
8	हरियाणा	0	0	0	0.0	-
9	हिमाचल प्रदेश	6	0.05	4	1.5	18
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	15	0.0	-
11	झारखंड	269	2.46	86	3.1	13
12	कर्नाटक	415	3.8	42	9.9	8
13	केरल	176	1.61	5	35.2	1
14	मध्य प्रदेश	1531	14.03	153	10.0	7
15	महाराष्ट्र	483	4.43	105	4.6	11
16	मणिपुर	0	0	9	0.0	-
17	मेघालय	0	0	26	0.0	-
18	मिजोरम	0	0	10	0.0	-
19	नागालैंड	0	0	17	0.0	-
20	ओडिशा	1387	12.71	96	14.4	6
21	पंजाब	0	0	0	0.0	-
22	राजस्थान	3207	29.38	92	34.9	2
23	सिक्किम	4	0.04	2	2.0	16
24	तमिलनाडु	30	0.27	8	3.8	12
25	तेलंगाना	698	6.4	33	21.2	4
26	त्रिपुरा	7	0.06	12	0.6	20
27	उत्तर प्रदेश	6	0.05	11	0.5	21
28	उत्तराखंड	6	0.05	3	2.0	16
29	पश्चिम बंगाल	109	1	53	2.1	15
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0.03	0.3	10.0	7
31	चंडीगढ़	0	0	0	0.0	-
32	दादर और नगर हवेली	3	0.03	1.8	1.7	17
33	दमन और दीव	0	0	0.2	0.0	-
34	दिल्ली	0	0	0	0.0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0.6	0.0	-
36	पुद्दुचेरी	0	0	0	0.0	-
	अखिल भारत	10914	100	1042.8	10.5	-

स्रोत : वर्ष 2015 में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक- 4ण

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराध (अत्याचारों की रोकथाम (पीओए) अधिनियम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अजा/अ.ज.जा. (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम								
		अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की गरिमा भंग करने के लिए उन पर किए गए हमले (धारा 354 भा.द.सं.)			अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की गरिमा का अपमान करना (धारा 509 भा.द.सं.)			अपहरण तथा बलातहरण (धारा 363, 364, 364क, 366 भा.द.सं.)		
		I	V	R	I	V	R	I	V	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य										
1	आंध्र प्रदेश	29	29	1.1	4	4	0.2	4	4	0.2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.0	1	1	0.1	0	0	0.0
3	असम	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
4	बिहार	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	86	86	1.1	0	0	0.0	14	14	0.2
6	गोवा	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
7	गुजरात	17	17	0.2	0	0	0.0	21	21	0.2
8	हरियाणा	0	0	0.0	0	0	-	0	0	-
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
10	जम्मू-कश्मीर	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
11	झारखंड	4	4	0.0	0	0	0.0	2	2	0.0
12	कर्नाटक	12	12	0.3	0	0	0.0	2	2	0.0
13	केरल	19	19	3.9	0	0	0.0	4	4	0.8
14	मध्य प्रदेश	378	381	2.5	0	0	0.0	41	43	0.3
15	महाराष्ट्र	146	146	1.4	1	1	0.0	9	9	0.1
16	मणिपुर	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
17	मेघालय	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
18	मिजोरम	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
19	नगालैंड	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
20	ओडिशा	65	65	0.7	2	2	0.0	13	13	0.1
21	पंजाब	0	0	-	0	0	-	0	0	-
22	राजस्थान	20	20	0.2	0	0	0.0	13	13	0.1
23	सिक्किम	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
24	तमिलनाडु	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1	0.1
25	तेलंगाना	32	32	1.0	4	4	0.1	0	0	0.0
26	त्रिपुरा	1	1	0.1	0	0	0.0	0	0	0.0
27	उत्तर प्रदेश	1	1	0.1	0	0	0.0	0	0	0.0
28	उत्तराखंड	3	3	1.0	0	0	0.0	0	0	0.0
29	पश्चिम बंगाल	5	5	0.1	0	0	0.0	0	0	0.0
कुल राज्य		**818**	**821**	**0.8**	**12**	**12**	**0.0**	**124**	**126**	**0.1**
संघ राज्यक्षेत्र :										
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
31	चंडीगढ़	0	0	-	0	0	-	0	0	-
32	दादर और नगर हवेली	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
33	दमन और दीव	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
34	दिल्ली	0	0	-	0	0	-	0	0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
36	पुद्दुचेरी	0	0	-	0	0	-	0		-
कुल संघ राज्यक्षेत्र		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
कुल (अखिल भारत)		**818**	**821**	**0.8**	**12**	**12**	**0.0**	**124**	**126**	**0.1**

नोट: अपराध दर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रति लाख पर अपराध की घटना है

'आई' - रिपोर्ट किए मामलों के लिए संदर्भित; 'वी' पंजीकृत मामलों में पीड़ित की संख्या के लिए संदर्भित; 'आर' अपराध दर के लिए संदर्भित

स्रोत: भारत में अपराध, 2015 सांख्यिकी, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक- 4त

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराध (जहां अजा / अ.ज.जा. पीओए, अधिनियम लागू नहीं है)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.ज.जा. के विरुद्ध आईपीसी अपराध (जिनमें अजा / अ.ज.जा. पीओए, अधिनियम लागू नहीं है)								
		अ.ज.जा. की महिलाओं की गरिमा भंग करने के लिए उन पर किए गए हमले (धारा 354 भा.द.सं.)			यौन उत्पीड़न (धारा 354क भा.द.सं.)			महिलाओं को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग अथवा हमला करना (धारा 354ख भा.द.सं.)		
		आई	वी	आर	आई	वी	आर	आई	वी	आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य										
1	आंध्र प्रदेश	28	28	1.1	7	7	0.3	6	6	0.2
2	अरुणाचल प्रदेश	4	4	0.4	0	0	0.0	5	5	0.5
3	असम	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
4	बिहार	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	69	69	0.9	2	2	0.0	52	56	0.7
6	गोवा	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
7	गुजरात	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
8	हरियाणा	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
10	जम्मू-कश्मीर	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
11	झारखंड	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
12	कर्नाटक	1	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
13	केरल	1	1	0.2	0	0	0.0	0	0	0.0
14	मध्य प्रदेश	16	16	0.1	0	0	0.0	0	0	0.0
15	महाराष्ट्र	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
16	मणिपुर	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
17	मेघालय	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
18	मिजोरम	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
19	नगालैंड	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
20	ओडिशा	64	65	0.7	1	1	0.0	48	53	0.5
21	पंजाब	0	0	-	0	0	-	0	0	-
22	राजस्थान	211	211	2.3	0	0	0.0	119	119	1.3
23	सिक्किम	1	1	0.5	0	0	0.0	0	0	0.0
24	तमिलनाडु	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
25	तेलंगाना	13	13	0.4	11	11	0.3	0	0	0.0
26	त्रिपुरा	2	2	0.2	0	0	0.0	0	0	0.0
27	उत्तर प्रदेश	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
28	उत्तराखंड	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
29	पश्चिम बंगाल	1	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
कुल रज्य		**411**	**412**	**0.4**	**21**	**21**	**0.0**	**230**	**239**	**0.2**
संघ राज्यक्षेत्र:										
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
31	चंडीगढ़	0	0	-	0	0	-	0	0	-
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
33	दमन और दीव	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
34	दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेशों	0	0	-	0	0	-	0	0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
36	पुडुचेरी	0	0	-	0	0	-	0	0	-
कुल संघ राज्यक्षेत्र		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
कुल (अखिल भारत)		**411**	**412**	**0.4**	**21**	**21**	**0.0**	**230**	**239**	**0.2**

नोट:अपराध दर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रति लाख पर अपराध की घटना है

'आई' – रिपोर्ट किए मामलों के लिए संदर्भित; 'वी' पंजीकृत मामलों में पीड़ित की संख्या के लिए संदर्भित; 'आर' अपराध दर के लिए संदर्भित

स्रोत:भारत में अपराध, 2015 सांख्यिकी, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक- 4थ

मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मानव तस्करी से संबधित कुल मामले		
		आई	वी	आर
1	आंध्र प्रदेश	274	362	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	3	4	0.2
3	असम	1494	1516	4.6
4	बिहार	381	532	0.4
5	छत्तीसगढ़	69	200	0.3
6	गोवा	29	80	1.5
7	गुजरात	47	57	0.1
8	हरियाणा	275	301	1.0
9	हिमाचल प्रदेश	9	19	0.1
10	जम्मू-कश्मीर	2	2	0.0
11	झारखंड	172	203	0.5
12	कर्नाटक	507	747	0.8
13	केरल	151	715	0.4
14	मध्य प्रदेश	95	122	0.1
15	महाराष्ट्र	121	411	0.4
16	मणिपुर	0	0	0.0
17	मेघालय	20	20	0.7
18	मिजोरम	0	0	0.0
19	नगालैंड	6	6	0.3
20	ओडिशा	114	173	0.3
21	पंजाब	86	137	0.3
22	राजस्थान	131	188	0.2
23	सिक्किम	0	0	0.0
24	तमिलनाडु	577	803	0.8
25	तेलंगाना	561	709	1.5
26	त्रिपुरा	16	17	0.4
27	उत्तर प्रदेश	50	70	0.0
28	उत्तराखंड	27	38	0.3
29	पश्चिम बंगाल	1255	1474	1.3
कुल राज्य		**6772**	**8906**	**0.5**
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0.2
31	चंडीगढ़	13	9	0.7
32	दादर और नगर हवेली	2	2	0.5
33	दमन और दीव	1	2	0.3
34	दिल्ली	87	207	0.4
35	लक्षद्वीप	0	0	0.0
36	पुद्दुचेरी	1	1	0.1
कुल संघ राज्यक्षेत्र		105	221	0.4
कुल (अखिल भारत)		**6877**	**9127**	**0.5**

'आई' – रिपोर्ट किए मामलों के लिए संदर्भित; 'वी' पंजीकृत मामलों में पीड़ित की संख्या के लिए संदर्भित; 'आर' अपराध दर के लिए संदर्भित

स्रोतः भारत में अपराध, 2015 सांख्यिकी, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक-4द

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वालेराज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50%अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1) **कुल 0.24**	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) **0.24**	...	....
आंध्र प्रदेश (1.एलडब्ल्यूई) **कुल 6.19**	...	...	(1)विशाखापतनम 6.19 (14.4%) **6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16) **कुल 9.50**	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिम सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अंजाव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11) तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम परे 1.17 (66.4%) (13) पश्चिम कामेंग 0.46 (55.2%) **8.23**	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चांगलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%) **1.27**	....
असम (7) **कुल 20.73**	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) **6.91**	(1) धीमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) **13.82**	
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) **कुल 1.81**	----	....	(1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुजफ्फरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 1.3 (0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) **1.81**

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50%अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ (11+ 8 एलडब्ल्यूई) **कुल 65.72**	(1) सुकमल (एल) 2.09 (83.5%) (2) बीजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%) **35.4**	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05(26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%) **30.32**	....
दादर और नगर हवेली (1) **कुल 1.79**	(1) दादर और नगर हवेली 1.79 (52.0%) **1.79**	....	....
गुजरात (10) **कुल 65.7**	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%) **47.17**	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरूच 4.88 (31.5%) (3) माहिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%) **18.53**	....
हिमाचल प्रदेश (3) **कुल 2.11**	(1) लाहुल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%) **0.75**	(1) चम्बा 1.36 (26.1%) **1.36**	....
जम्मू और कश्मीर (5) **कुल 7.15**	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाख) 0.96 (71.8%) **2.18**	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%) **4.97**	....
झारखण्ड (4 + 16 एलडब्ल्यूई) **कुल 79.45**	(1) खूंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा (एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला (एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी-सिंहभूम (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहरदगा (एल) 2.63 (56.9%) **27.95**	(1) लातेहार (एल) 3.31(45.5%) (2) दुमका (एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुल 3.79 (42.1%) (4) रांची (एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला-खरसांवा 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्वी सिंहभूम (एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%) **39**	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) चतरा 0.46 (4.4%) **12.5**
लक्षद्वीप (1) **कुल 0.61**	(1) लक्षद्वीप 0.61 (94.8%) **0.61**	....	....

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50%अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
मध्य प्रदेश (19)	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%)	(1) अनूपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडोल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगोन (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिंगरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधि 3.13 (27.8%)	
कुल 105.72	**47.93**	**57.79**	
महाराष्ट्र (4+1 एलडब्ल्यूई)	(1) नंदूरबार 11.42 (69.3%)	(1) गढ़चिरौली (एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%)	....
कुल 48.86	**11.42**	**37.44**	
मणिपुर (5)	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरूल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%)	....	.....
कुल 11.11	**11.11**		
मेघालय (7)	(1) पश्चिम खासी हिल्स 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारो हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिण गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिम गारो हिल्स 4.74 (73.7%)	....	.....
कुल 25.55	**25.55**		
मिजोरम (8)	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरछिप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममिट 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलसिब 0.74 (87.7%)	....	....
कुल 10.37	**10.37**		

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50%अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा< 50% अ.ज.जा. एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
नागलैण्ड (11) **कुल** **17.11**	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलेंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%) **17.11**	.....	.....
ओडिशा (12+2 एलडब्ल्यूई)) **कुल** **76.41**	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरि (एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापटी 3.14 (54.3%) (6) कंधमाल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट (एल) 6.98 (50.6%) **55.25**	(1) केंदुजहर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाड़ा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुड़ा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%) **21.16**	.....
राजस्थान (6) **कुल** **51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ़ 5.50 (63.4%) **29.06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) **22.5**	.....
सिक्किम (4) **कुल** **2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिम जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिण जिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	.....
तेलंगाना (1+एलडब्ल्यूई) **कुल** **6.57**	...	(1) खम्माम (एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	.....
त्रिपुरा (5) **कुल** **8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिण त्रिपुरा 1.53 (35.5%) (4) उत्तर त्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	.....
पश्चिम बंगाल (2) **कुल** **6.33**	....	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुरद्वार 3.82 (26.8%) **6.33**	.....
कुल 177 **(142+एलडब्ल्यूई 35)**	**(80 + एलडब्ल्यूई 14)**	**(62 + एलडब्ल्यूई 7)**	**14 एलडब्ल्यूई**
कुल **630.75**	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्ल्यूई: वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)

अनुलग्नक- 4ध

अनुसूचित जनजाति के लिए प्राथमिकता वाले उप-जिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तथा जिला-वार सूची

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
1		आंध्र प्रदेश			
1		**पूर्वी गोदावरी**	51.54	2.13	4.14
	1	अड्डातिगाला	0.37	0.25	66.23
	2	देवीपटनम	0.28	0.16	58.18
	3	गंगावरम	0.26	0.17	67.24
	4	मरेडुमिल्ली	0.20	0.18	93.29
	5	राजावोम्मांगी	0.40	0.23	57.57
	6	रामपचोडावरम	0.39	0.31	79.30
	7	वाई. रामावरम	0.29	0.26	91.60
2		**श्रीकककुलम**	**27.03**	**1.66**	**6.15**
	8	सीथाम्पेटा	0.56	0.51	90.87
3		**विशाखापत्तनम**	42.91	6.19	14.42
	9	अनंतागिरि	0.49	0.44	90.15
	10	अरकू घाटी	0.57	0.52	91.53
	11	चिंतापल्ली	0.72	0.65	90.32
	12	दुमब्रिगुला	0.49	0.46	94.80
	13	जी. मदुगुला	0.54	0.50	92.74
	14	गुडेमकोथा वीधि	0.63	0.57	89.84
	15	हुकुमपेटा	0.52	0.50	95.93
	16	कोय्युरु	0.51	0.41	81.39
	17	मुनचिंगी पुट्टु	0.47	0.45	93.93
	18	पडेरू	0.59	0.49	82.56
	19	पेडाबयालु	0.52	0.50	96.24
4		**विजियानगरम**	23.44	2.36	10.05
	20	गुम्मालाक्शमिपुरम	0.50	0.43	86.69
	21	कुरूपम	0.48	0.35	71.98
5		**पश्चिमी गोदावरी**	39.37	1.09	2.77
	22	बुट्टायागुडेम	0.53	0.34	64.58
2		बिहार			
6		कैमुर (भभुआ)	16.26	0.58	3.57
	23	अधौरा	0.57	0.30	51.98
3		छत्तीसगढ़			
7		**कोरिया**	6.59	3.04	46.18
	24	भरतपुर	0.89	0.58	64.89
	25	सोनहत	0.48	0.28	57.54
8		सरगुजा	23.60	13.01	55.11
	26	रामानुजगंज	1.68	0.85	50.57

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	27	बलरामपुर	1.10	0.66	60.02
	28	वाडरफनगर	1.61	0.95	58.97
	29	प्रतापपुर	1.51	0.93	61.93
	30	सामरी (कुसमी)	1.10	0.82	74.15
	31	शंकरगढ़	0.72	0.53	73.27
	32	औडगी	0.88	0.53	61.04
	33	प्रेमनगर	0.65	0.39	60.15
	34	उदयपुर	0.79	0.51	64.21
	35	राजपुर	1.09	0.78	71.94
	36	लुंडरा	1.20	0.81	67.78
	37	सीतापुर	0.96	0.68	70.74
	38	बतौली	0.70	0.55	77.67
	39	मैनपाट	0.77	0.58	76.17
9		**जशपुर**	8.52	5.30	62.28
	40	बगीचा	1.72	1.21	70.58
	41	कनसाबेल	0.77	0.48	62.36
	42	जशपुर	0.96	0.55	57.05
	43	मनोरा	0.61	0.49	80.30
	44	फरसाबाहर	1.08	0.65	59.57
	45	पथालगांव	1.92	1.21	63.28
10		**रायगढ़**	14.94	5.06	33.84
	46	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	2.07	1.37	66.13
	47	लैलुन्गा	1.31	0.83	63.49
	48	घरघोडा	0.79	0.47	58.82
11		**कोरबा**	12.07	4.94	40.90
	49	पोउंडी - उपरोडा	1.89	1.38	72.94
	50	पाली	1.99	1.05	52.87
12		**बिलासपुर**	26.64	4.98	18.71
	51	पेंड्रा रोड गोरेल्ला	1.34	0.77	57.27
	52	मरवाही	1.17	0.69	59.45
	53	पेंड्रा	0.85	0.46	53.60
13		**राजनंदगांव**	15.37	4.05	26.36
	54	मोहला	0.87	0.61	70.06
	55	मानपुर	0.89	0.66	74.39
14		**दुर्ग**	33.44	3.97	11.88
	56	डोंडी	1.55	0.80	51.66
15		**रायपुर**	40.64	4.76	11.72
	57	बिंद्रानवगंढ़ (गरियाबंद)	0.95	0.53	56.11
	58	मैनपुर	1.24	0.64	51.74

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
		धमतरी	8.00	2.08	25.96
	59	नगरी	1.80	1.10	61.33
17		**उत्तर बस्तर कांकेर**	7.49	4.15	55.38
	60	भानुप्रतापपुर	0.95	0.60	63.09
	61	दुर्गकोंडाल	0.64	0.49	76.60
	62	कांकेर	1.24	0.62	50.10
	63	नारहरपुर	1.10	0.73	66.04
	64	अंतगढ़	0.78	0.60	77.07
18		**बस्तर**	14.13	9.32	65.93
	65	केसकाल	0.93	0.66	71.18
	66	बडे राजपुर	0.86	0.66	76.61
	67	कोंडगांव	2.02	1.31	64.89
	68	मकड़ी	1.00	0.77	77.72
	69	फारसगांव	0.99	0.71	71.72
	70	लोहांडीगुडा	0.76	0.56	74.16
	71	बस्तानर	0.48	0.44	92.11
	72	बस्तर	1.64	1.07	65.46
	73	बकवांद	1.50	0.95	63.60
	74	तोकापल	0.78	0.56	72.72
	75	डरभा	0.79	0.66	82.87
19		**नारायणपुर**	1.40	1.08	77.36
	76	नारायणपुर	1.05	0.75	71.65
	77	ओरछा	0.35	0.33	94.49
20		**दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा**	5.34	4.10	76.88
	78	दंतेवाड़ा	0.94	0.61	64.23
	79	गिदम	0.81	0.56	69.03
	80	कटेकल्याण	0.43	0.40	92.21
	81	कुआकोंडा	0.65	0.45	69.41
	82	कोंटा	1.06	0.95	90.38
	83	छिन्दगढ़	0.80	0.66	82.24
	84	सुकमा	0.65	0.48	73.72
21		**बीजापुर**	2.55	2.04	80.00
	85	भोपालपट्टनम	0.49	0.36	73.08
	86	उसुर	0.56	0.50	89.22
	87	बीजापुर	0.66	0.49	73.09
	88	भैरामगढ़	0.84	0.70	83.45
4		गुजरात			
22		बनस कंथा	31.21	2.84	9.11
	89	अमीरगढ़	1.32	0.77	58.53
	90	दंता	2.25	1.27	56.36

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
23		**सबर कंथा**	24.29	5.42	22.32
	91	खेदब्रह्मा	2.93	2.21	75.38
	92	विजयनगर	1.04	0.82	78.45
	93	भीलोडा	2.39	1.38	57.57
24		**पंचमहल**	23.91	7.22	30.18
	94	कडाना	1.30	1.01	78.20
	95	संतरामपुर	2.66	2.13	80.32
25		**दाहोद**	21.27	15.81	74.32
	96	फतेपुरा	2.38	2.23	93.45
	97	झालोद	4.73	4.27	90.13
	98	लिम्खेडा	3.06	1.93	63.07
	99	दाहोद	4.81	3.72	77.34
	100	गर्बाडा	1.99	1.89	94.83
	101	धनपुर	1.80	1.28	71.07
26		**वड़ोदरा**	41.66	11.50	27.60
	102	जेतपुर पवी	2.61	2.18	83.33
	103	छोटा उदयपुर	2.41	2.12	87.62
	104	कवंत	2.10	1.96	93.51
	105	नासवाडी	1.55	1.36	87.72
27		**नर्मदा**	5.90	4.81	81.55
	106	तिलकवाडा	0.64	0.35	55.42
	107	नंडोड	2.41	1.77	73.29
	108	डेडीपाडा	1.74	1.68	96.41
	109	सगबारा	1.11	1.01	91.19
28		**भरूच**	15.51	4.88	31.48
	110	झगडिया	1.85	1.27	68.68
	111	वालिया	1.45	1.14	78.25
29		**डांग**	2.28	2.16	94.65
	112	डांग	2.28	2.16	94.65
30		**नवसारी**	13.30	6.40	48.11
	113	चिखली	3.10	2.20	71.05
	114	बंस्दा	2.31	2.09	90.59
31		**वलसाड**	17.06	9.03	52.93
	115	धरमपुर	2.16	1.98	91.92
	116	कपराडा	2.59	2.49	96.20
32		**सूरत**	60.81	8.57	14.09
	117	उमरपाडा	0.84	0.81	96.73
	118	मांडवी	1.96	1.51	77.07
	119	महुवा	1.45	1.18	81.21
33		**तापी**	8.07	6.79	84.18

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	जनसंख्या लाख में अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	120	निजार	1.30	1.05	80.82
	121	यूच्छल	0.88	0.87	98.05
	122	सोनगढ़	2.30	1.95	84.91
	123	व्यारा	2.68	2.28	84.84
	124	वलोड	0.91	0.65	71.63
5		झारखंड			
34		**गढ़वा**	13.23	2.06	15.56
	125	चिनिया	0.39	0.19	50.05
	126	भंडारिया	0.66	0.40	60.00
35		**गोड्डा**	13.14	2.79	21.26
	127	बोअरीजोर	1.38	0.77	55.62
	128	सुन्दरपहाड़ी	0.65	0.50	76.58
36		**साहिबगंज**	11.51	3.08	26.80
	129	मांड्रो	0.76	0.41	54.42
	130	बोरियो	0.98	0.60	61.05
	131	बरहैत	1.30	0.70	53.93
	132	तलझारी	0.76	0.42	55.48
	133	पथना	0.82	0.47	57.22
37		**पाकुर**	9.00	3.79	42.10
	134	लिट्टीपाड़ा	1.06	0.76	72.23
	135	अमरपाड़ा	0.65	0.54	82.13
	136	पकुरिया	1.09	0.70	64.18
38		**लोहरदगा**	4.62	2.63	56.89
	137	किसको	0.55	0.34	61.06
	138	पेशरार	0.31	0.26	82.56
	139	कैरो	0.38	0.24	62.28
	140	सेन्हा	0.70	0.43	62.34
	141	भांद्रा	0.57	0.37	63.93
39		**पूर्वीसिंहभूम**	22.94	6.54	28.51
	142	पोटका	2.00	1.05	52.45
	143	दुमारिया	0.62	0.45	71.88
	144	धालभूमगढ़	0.62	0.34	54.38
	145	गुरबंधा	0.43	0.29	66.59
40		**लातेहार**	7.27	3.31	45.54
	146	बरवाडीह	0.99	0.51	51.35
	147	महुआदानर	0.75	0.59	78.68
	148	गारू	0.30	0.24	79.93
41		**दुमका**	13.21	5.71	43.22
	149	गोपीकंदार	0.42	0.36	84.58
	150	कथीकुंड	0.71	0.45	63.54

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	151	शिकारीपाड़ा	1.31	0.80	60.49
	152	मसालिया	1.25	0.73	58.58
42		**रांची**	29.14	10.42	35.76
	153	अंगारा	1.13	0.62	55.05
	154	नामकुम	1.46	0.87	59.98
	155	नगरी	0.76	0.38	50.14
	156	मंदार	1.29	0.77	59.99
	157	चानहु	1.08	0.58	53.59
	158	बेरो	1.13	0.70	61.86
	159	लापुंग	0.63	0.47	74.22
43		**खूंटी**	5.32	3.90	73.25
	160	कर्रा	1.09	0.81	74.19
	161	तोरपा	0.93	0.68	73.16
	162	रनिया	0.39	0.27	69.46
	163	मुरहु	0.85	0.68	79.19
	164	खूंटी	1.24	0.82	65.79
	165	ईरकी (तामर प्प)	0.81	0.64	79.17
44		**गुमला**	10.25	7.07	68.94
	166	बिसानपुर	0.62	0.56	89.94
	167	घाघरा	1.14	0.89	77.63
	168	सिसाई	1.17	0.75	64.37
	169	वेरनो	0.85	0.62	73.83
	170	कामदारा	0.64	0.45	70.61
	171	बासिया	0.81	0.52	63.96
	172	गुमला	2.14	1.22	57.25
	173	चौनपुर	0.57	0.46	81.85
	174	डुमरी	0.49	0.40	82.20
	175	अल्बर्ट एक्का (जरी)	0.31	0.24	76.74
	176	रैदीह	0.71	0.46	64.72
	177	पालकोट	0.81	0.49	60.11
45		**सिमडेगा**	6.00	4.24	70.78
	178	सिमडेगा	1.15	0.69	60.10
	179	पकर तानर	0.38	0.26	68.29
	180	कुरदेग	0.48	0.35	72.33
	181	केरसाई	0.39	0.32	80.33
	182	बोलबा	0.31	0.22	72.87
	183	थेथैतनगर	0.87	0.70	80.53
	184	कोलेबिरा	0.71	0.45	62.55
	185	जलडेपा	0.64	0.53	82.92
	186	बान्सजोर	0.26	0.22	85.58

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	जनसंख्या लाख में अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	187	बानो	0.80	0.51	63.16
46		**पश्चिमीसिंहभूम**	15.02	10.11	67.31
	188	नोनुआ	0.78	0.48	61.21
	189	गुदरी	0.38	0.35	91.01
	190	बंदगांव	0.87	0.70	79.97
	191	खुंटपानी	0.83	0.69	83.47
	192	गोईलकेरा	0.74	0.63	85.39
	193	आनंदपुर	0.44	0.31	68.81
	194	मनोहरपुर	0.90	0.61	67.37
	195	नोआमुंडी	1.13	0.66	58.14
	196	टोंटो	0.60	0.48	80.82
	197	हाट गमहारिया	0.67	0.50	73.91
	198	चाईबासा	1.56	0.87	55.73
	199	तंतनगर	0.64	0.49	76.37
	200	मंझारी	0.68	0.53	76.75
	201	झिंकपानी	0.54	0.32	59.80
	202	जगन्नाथपुर	0.99	0.59	59.62
	203	कुमारदुंगी	0.55	0.42	75.75
	204	मझगांव	0.73	0.53	73.28
47		**सरायकेला-खरसावां**	10.65	3.75	35.18
	205	कुचाई	0.64	0.50	78.00
	206	गोविंदपुर (राजनगर)	1.37	0.72	52.69
6		मध्य प्रदेश			
48		**श्योपुर**	6.88	1.61	23.47
	207	कराहाल	1.08	0.69	63.87
49		**उमरिया**	6.45	3.01	46.64
	208	पाली	1.08	0.64	59.02
	209	नोवरोजाबाद	0.78	0.43	54.20
50		**रतलाम**	14.55	4.10	28.17
	210	सैलाना	1.35	1.10	81.77
	211	बाजना	0.80	0.76	95.22
	212	रावती	0.84	0.78	92.47
51		**देवास**	15.64	2.73	17.44
	213	बागली	1.95	1.01	51.99
52		**धार**	21.86	12.23	55.94
	214	सरदारपुर	2.97	1.81	60.99
	215	गंधवानी	1.56	1.42	90.74
	216	कुक्षी	3.22	2.31	71.62
	217	दही	1.14	0.96	84.45
	218	मानावर	3.08	1.94	62.96

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
53		**खरगोन (पश्चिम निमाड़)**	18.73	7.30	38.98
	219	सेगांव	0.83	0.64	76.24
	220	भगवानपुरा	1.93	1.68	87.13
	221	झिरानया	2.02	1.62	80.23
54		**बड़वानी**	13.86	9.62	69.42
	222	बड़वानी	2.11	1.24	58.76
	223	पाति	1.62	1.36	84.01
	224	राजपुर	2.13	1.51	70.96
	225	पनसेमाल	1.58	1.10	69.80
	226	निवाली	1.13	0.98	87.42
	227	सेंधवा	2.31	1.64	70.82
	228	वारला	1.29	1.12	87.39
55		**बैतूल**	15.75	6.67	42.34
	229	भैंसदेही	2.89	2.07	71.62
	230	चिचोली	0.87	0.56	64.50
	231	शाहपुर	1.13	0.75	66.40
56		**हरदा**	5.70	1.60	27.99
	232	रेहतगांव	0.96	0.50	51.58
57		**जबलपुर**	24.63	3.75	15.23
	233	कुंडाम	1.23	0.87	70.60
58		**डिण्डोरी**	7.05	4.56	64.69
	234	शाहपुरा	2.17	1.46	67.19
	235	डिण्डोरी	4.87	3.10	63.58
59		**मंडला**	10.55	6.11	57.88
	236	निवास	1.25	0.89	71.66
	237	नारायणगंज	1.09	0.79	72.77
	238	घुघारी	1.73	1.21	69.78
	239	बिछिया	2.58	1.61	62.17
60		**छिंदवाड़ा**	20.91	7.70	36.82
	240	तामिया	1.14	0.89	78.33
	241	हर्राई	1.35	1.03	76.38
	242	जमाई	2.41	1.21	50.35
	243	बिछुआ	0.88	0.49	55.79
61		**सिवनी**	13.79	5.20	37.69
	244	घनसौर	1.43	0.87	61.12
	245	धनोरा	0.85	0.49	57.90
62		बालाघाट	17.02	3.83	22.51
	246	बैहर	2.84	1.59	55.74
	247	पारसवाडा	1.08	0.56	52.29
63		शहडोल	10.66	4.76	44.65

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	248	जैतपुर	1.62	1.00	61.77
64		**अनूपपुर**	7.49	3.59	47.85
	249	पुष्पारंगढ़	2.30	1.77	76.84
65		**सीधी**	11.27	3.13	27.80
	250	कुसमी	0.81	0.50	61.40
66		**झाबुआ**	10.25	8.92	87.00
	251	थांदला	1.82	1.63	89.49
	252	पेटलावाड	2.33	1.86	79.71
	253	मेघनगर	1.72	1.55	89.93
	254	झाबुआ	3.23	2.87	88.67
	255	रानापुर	1.15	1.02	88.76
67		**अलीराजपुर**	7.29	6.49	88.98
	256	भाबरा	0.91	0.83	91.22
	257	जोबट	1.91	1.74	90.96
	258	अलीराजपुर	4.46	3.91	87.67
68		**खंडवा (पूर्वी निमाड़)**	13.10	4.59	35.05
	259	खालवा	2.23	1.54	69.17
69		**बुरहानपुर**	7.58	2.30	30.36
	260	खकनार	1.33	0.86	64.47
	261	नेपानगर	1.91	1.14	59.89
7		महाराष्ट्र			
70		नंदुरवार	16.48	11.42	69.28
	262	अकलकुआ	2.46	2.10	85.25
	263	अकरानी	1.96	1.88	95.94
	264	तलोड	1.60	1.24	77.44
	265	सहादे	4.08	2.21	54.20
	266	नवापुर	2.72	2.33	85.52
71		**धुले**	20.51	6.47	31.56
	267	सकरी	4.65	2.48	53.34
72		**अमरावती**	28.88	4.04	13.99
	268	धरणी	1.85	1.42	77.00
	269	चकलदारा	1.19	0.93	78.32
73		**गढ़चिरौली**	10.73	4.15	38.71
	270	कुरखेदा	0.86	0.47	54.40
	271	कोरची	0.43	0.31	73.19
	272	धनोरा	0.83	0.59	71.04
	273	ऐटापल्ली	0.82	0.67	81.50
	274	भामरगढ़	0.36	0.29	81.10
74		**नासिक**	61.07	15.64	25.62

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	275	सुरगाना	1.76	1.70	96.51
	276	कालवन	2.08	1.44	68.95
	277	डिंडोरी	3.16	1.75	55.57
	278	पींट	1.20	1.16	96.44
	279	त्रिम्बकेश्वर	1.68	1.35	80.20
75		**थाने**	110.60	15.42	13.95
	280	तलाशरी	1.55	1.40	90.61
	281	दहानु	4.02	2.78	69.11
	282	विक्रमगढ़	1.38	1.26	91.82
	283	ज्वहार	1.40	1.28	91.64
	284	मोखदा	0.83	0.77	92.08
	285	वादा	1.78	1.02	57.02
8		ओडिशा			
76		झारसुगुडा	5.80	1.77	30.50
	286	लैकेरा	0.99	0.51	51.40
77		**संबलपुर**	10.41	3.55	34.12
	287	गोविंद पुर	0.59	0.37	62.67
	288	माहुलपल्ली	0.77	0.46	59.93
	289	जामनकिरा	0.59	0.33	56.42
	290	जुजोमुरा	0.57	0.32	55.61
78		**सुंदरगढ़**	20.93	10.62	50.75
	291	लैफिरीपारा	0.71	0.40	56.12
	292	धुरौंदीही	0.35	0.20	56.91
	293	सुंदरगढ़	0.74	0.46	61.84
	294	किंजरकेला	0.57	0.40	70.22
	295	तिलसारा	0.80	0.55	68.40
	296	बड़ागांव	0.78	0.51	66.02
	297	कुत्रा	0.66	0.51	76.10
	298	राजगंगापुर	1.66	1.04	62.46
	299	रैवोगा	0.43	0.35	80.55
	300	बिरमैत्रापुर	0.97	0.60	61.55
	301	हैतीबाड़ी	0.62	0.40	65.31
	302	बिस्रा	0.98	0.58	59.20
	303	ब्राह्मणी तरंग	0.58	0.45	78.58
	304	लठीकटा	0.25	0.14	56.23
	305	चंदीपोष	0.22	0.18	81.17
	306	कमरपोष बलंग	0.43	0.33	76.09
	307	कोइदा	0.41	0.27	65.93
	308	लाहुनीपारा	0.78	0.48	62.05
	309	गुरोंदिया	0.35	0.30	84.39

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	310	टिकायतपल्ली	0.24	0.19	82.37
	311	महुआपाडा	0.19	0.15	80.07
79		**केंदुझर**	18.02	8.19	45.45
	312	रूगुडी	0.17	0.11	68.53
	313	बामेवारी	0.56	0.35	61.97
	314	बरिया	0.74	0.38	50.91
	315	तुरूमुंगा	0.69	0.34	50.04
	316	पटना	1.05	0.59	56.62
	317	केंदुझर सदर	1.57	0.89	56.84
	318	नयाकोट	0.46	0.35	75.49
	319	कंजीपानी	0.22	0.19	87.30
	320	तेलकोई	0.96	0.50	51.76
	321	पंडापारा	0.63	0.40	63.39
	322	घाटगांव	1.07	0.66	61.66
	323	हरिचंदनपुर	0.81	0.41	51.17
	324	दैतरी	0.28	0.20	72.26
80		**मयूरभंज**	25.20	14.80	58.72
	325	तिरिंग	1.01	0.71	71.07
	326	जमदा	0.49	0.39	78.99
	327	गुरुमहिशानी	0.48	0.36	74.80
	328	झारपोखरिया	1.00	0.58	57.63
	329	बिसोई	0.74	0.51	69.42
	330	रैरंगपुर	0.82	0.50	61.20
	331	बदामपहाड	0.64	0.43	67.97
	332	जशीपुर	1.21	0.83	68.29
	333	ररूआन	0.78	0.47	60.36
	334	घागरबेडा	0.29	0.14	50.08
	335	करजिंया	1.14	0.69	60.12
	336	ठाकुरमुंडा	0.58	0.42	72.39
	337	बरीपदा सदर	0.87	0.62	70.76
	338	कोलियाना	0.83	0.55	66.88
	339	बंगिरीपोशी	1.05	0.73	69.77
	340	चंदुआ	0.63	0.37	58.69
	341	रसगोविंदपुर	0.97	0.53	54.61
	342	बारशाही	1.33	0.70	52.68
	343	खूंटा	1.24	0.82	66.33
	344	उदला	1.10	0.76	69.31
	345	कपटीपडा	0.76	0.39	50.81
	346	शारता	0.77	0.62	80.36
	347	माहुलदिहा	0.47	0.37	78.06

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	जनसंख्या लाख में अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
81		**बलेश्वर**	23.21	2.76	11.88
	348	बरहामपुर	0.58	0.39	67.27
82		**जाजापुर**	18.27	1.51	8.29
	349	कालियापानी	0.39	0.22	56.13
83		धेनकनाल	11.93	1.62	13.59
	350	कनकदाहाद	0.61	0.35	56.96
84		**गंजम**	35.29	1.19	3.37
	351	रामागिरी	0.13	0.11	87.47
85		**गजपति**	5.78	3.14	54.29
	352	अदवा	0.59	0.35	58.34
	353	मोहाना	0.74	0.44	58.76
	354	आर. उदयगिरी	0.86	0.63	73.38
	355	शरांगो	0.78	0.61	78.67
	356	रायगढ़ा	0.46	0.35	76.78
	357	गड़ाबंद	0.29	0.19	65.09
	358	रामागिरी	0.30	0.26	85.09
86		**कंदमाल**	7.33	3.93	53.58
	359	गोछापाड़ा	0.36	0.22	62.39
	360	फुलावानी	0.42	0.24	57.23
	361	जी.उदयगिरी	0.49	0.26	52.70
	362	टिकाबाली	0.49	0.26	53.50
	363	सारंगागढ़	0.35	0.20	57.40
	364	फिरिंगिया	0.54	0.30	55.39
	365	बलीगुडा	0.97	0.51	52.28
	366	तुमुडिबंधा	0.29	0.16	56.51
	367	बेलाघर	0.20	0.13	66.29
	368	कोटागढ़	0.48	0.28	59.47
	369	ब्राह्मणीगांव	0.37	0.19	52.18
	370	दारिंगबादी	0.64	0.43	67.42
	371	रैकिया	0.53	0.30	56.14
87		**कालाहांडी**	15.77	4.49	28.50
	372	थुआमुलपुर	0.78	0.45	58.18
88		**रायगढ़ा**	9.68	5.42	55.99
	373	चंदरपुर	0.29	0.21	71.75
	374	विष्मकंटक	0.88	0.56	63.81
	375	कल्याणसिंगपुर	0.66	0.43	65.12
	376	काशीपुर	0.71	0.41	58.76
	377	टिकिरी	0.35	0.24	67.42
	378	दौरागुडा	0.19	0.11	54.03
	379	शेशखल	0.48	0.39	80.91
	380	गुनूपुर	1.15	0.61	53.52

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	381	गुदरी	0.66	0.40	60.78
	382	पदमापुर	0.45	0.23	50.58
	383	पुत्तासिंग	0.39	0.34	86.81
89		**नवरंगपुर**	12.21	6.81	55.79
	384	रैघर	1.34	0.86	64.59
	385	कुन्डेयी	0.50	0.34	68.63
	386	उमरकोट	2.06	1.12	54.40
	387	झरीगन	0.83	0.51	62.03
	388	दाबुगन	1.55	1.00	64.20
	389	पपराहांडी	1.00	0.55	54.91
	390	कोडिंगा	1.06	0.64	60.08
	391	कोसागुमुडा	0.93	0.58	62.04
	392	तेंटुलीखूंटी	0.70	0.35	50.14
90		**कोरापुट**	13.80	6.98	50.56
	393	कोटपाड	1.21	0.69	56.95
	394	बोरीगुमा	0.98	0.52	52.80
	395	दसमंतापुर	0.51	0.32	62.78
	396	लक्ष्मीपुर	0.40	0.30	74.39
	397	नरायणपटना	0.44	0.37	84.39
	398	बंधुगांव	0.59	0.47	79.80
	399	ककीरीगुमा	0.25	0.16	63.79
	400	कुंडुरा	0.57	0.30	52.93
	401	बोइपड़ीगुडा	1.25	0.72	57.68
	402	पदुआ	0.55	0.28	52.08
	403	पोटांगी	0.88	0.55	62.32
91		**मलकांनगिरी**	6.13	3.55	57.83
	404	मलकांनगिरी	1.78	1.03	57.90
	405	मथिली	0.84	0.59	69.54
	406	मुडुलीपडा	0.30	0.21	70.51
	407	चित्रकोंडा	0.34	0.23	68.02
	408	पेपरमेटला	0.15	0.14	88.75
	409	जोदांबा	0.15	0.11	77.42
	410	ओरकेल	0.75	0.40	53.26
	411	पोडिया	0.28	0.19	65.53
9		राजस्थान			
92		सिरोही	10.36	2.92	28.22
	412	अबु रोड	2.24	1.14	50.96
93		**डूंगरपुर**	13.89	9.83	70.82
	413	डूंगरपुर	4.95	3.85	77.71
	414	असपुर	2.24	1.19	53.11

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	415	सगवारा	3.43	2.03	59.22
	416	सिमलबारा	3.26	2.76	84.78
94		**बांसवाड़ा**	17.97	13.73	76.38
	417	घटोल	2.87	2.31	80.57
	418	गढ़ी	2.99	1.73	57.93
	419	बांसबाड़ा	4.59	3.07	66.94
	420	बागीडोरा	3.74	3.19	85.32
	421	कुशलगढ़	3.79	3.43	90.36
95		**उदयपुर**	30.68	15.25	49.71
	422	कोटरा	2.31	2.21	95.82
	423	झडोल	2.49	1.89	75.78
	424	लसदिया	0.91	0.80	88.17
	425	सालुम्बार	2.48	1.32	53.34
	426	सरदा	2.31	1.47	63.65
	427	रिषभदेव	1.73	1.46	84.18
	428	खेरवारा	2.07	1.51	73.26
96		**प्रतापगढ़**	8.68	5.50	63.42
	429	धरियावाढ़	1.90	1.50	78.74
	430	पीपलखूंट	1.54	1.44	93.33
	431	अरनोड	1.41	0.95	67.32
10		**तमिलनाडु**			
97		सालेम	34.82	1.19	3.43
	432	येरकौड	0.42	0.28	67.16
11		**तेलंगाना**			
98		आदिलाबाद	27.41	4.96	18.09
	433	इंदरवैली	0.48	0.27	57.25
	434	नरनूर	0.49	0.33	67.14
	435	जयनूर	0.31	0.19	59.55
	436	उतनूर	0.63	0.33	51.98
	437	सिरपुर	0.26	0.22	85.30
	438	तिरयानी	0.26	0.19	73.62
99		वारंगल	35.13	5.31	15.11
	439	तडवैयी	0.23	0.12	51.91
	440	कोथागुडा	0.40	0.24	61.64
	441	गुदुर	0.56	0.32	57.30
100		**खम्माम**	27.97	7.66	27.37
	442	चेरला	0.43	0.24	55.62
	443	धुमगुडेंट	0.47	0.33	69.48
	444	कुनावरम	0.26	0.16	60.53
	445	चिंतुर	0.41	0.31	76.71

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	446	वारारामचंद्रपुरम	0.26	0.16	62.94
	447	वेलैरपडु	0.23	0.14	62.23
	448	टेकुलापल्ली	0.48	0.37	77.54
	449	गुंडाला	0.28	0.22	77.54
	450	बैयाराम	0.43	0.21	50.16
	451	गरला	0.37	0.19	51.56
	452	सिंगरैनी	0.55	0.34	61.10
	453	जुलुरपाड	0.33	0.17	51.77
	454	मलकालापल्ली	0.35	0.21	61.55
12		पश्चिमी बंगाल			
101		**पुरूलिया**	29.30	5.41	18.45
	455	बुंदवान	0.95	0.49	51.86
		पहाड़ी राज्य			
1		हिमाचल प्रदेश			
102		**चम्बा**	5.19	1.36	26.10
	456	पांगी	0.19	0.17	90.18
	457	होली	0.14	0.11	77.61
	458	भरमौर	0.25	0.21	84.66
103		लाहौल एवं स्पीति	0.32	0.26	81.44
	459	स्पीति	0.12	0.11	84.64
104		**किन्नौर**	0.84	0.49	57.95
	460	कालपा	0.19	0.11	57.96
	461	निचर	0.28	0.14	50.33
2		जम्मू एवं कश्मीर			
105		लेह (लद्दाख)	1.33	0.96	71.81
	462	लेह	0.94	0.63	66.85
	463	नुबरा	0.22	0.16	73.35
	464	खलसी	0.17	0.17	97.05
106		**कारगिल**	1.41	1.22	86.89
	465	कारगिल	0.86	0.72	83.49
	466	संकु	0.41	0.36	89.96
	467	झांसकर	0.14	0.14	99.16
107		**राजौरी**	6.42	2.33	36.24
	468	बुढाल	1.23	0.70	56.95
108		बांदीपोर	3.92	0.75	19.22
	469	गुरेज	0.38	0.31	81.84
3		उत्तराखंड			
109		**देहरादून**	16.97	1.12	6.58

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	470	चकराता	0.50	0.25	50.21
	471	तियुनी	0.34	0.20	57.68
	472	कलसी	0.47	0.27	58.03
		पूर्वोत्तर राज्य			
1		अरूणाचल प्रदेश			
110		**तवांग**	0.50	0.35	69.65
	473	तवांग मंडल	0.19	0.10	54.24
111		**पश्चिमी कामेंग**	0.84	0.46	55.25
	474	दिरांग	0.18	0.14	74.28
112		**पूर्वी कामेंग**	0.79	0.72	92.01
	475	सेपा	0.29	0.25	86.05
113		**पापुम पारे**	1.77	1.17	66.38
	476	ईटानगर	0.65	0.39	59.27
	477	नहरलागुर	0.49	0.29	59.38
114		**अपर सुबांसिरी**	0.83	0.78	93.86
	478	तलिहा	0.13	0.13	98.14
	479	दपोरिजो	0.20	0.16	82.33
115		**पश्चिम सियांग**	1.12	0.93	82.64
	480	आलो	0.35	0.25	70.73
116		**पूर्वी सियांग**	0.99	0.70	70.53
	481	पासीघाट	0.36	0.19	52.94
	482	खोंसा	0.26	0.20	76.83
	483	लोंगडिंग	0.17	0.16	93.76
	484	पंगचाओ	0.12	0.12	99.19
	485	वाक्का	0.11	0.11	99.04
117		लोअर सुबांसिरी	0.83	0.73	87.81
	486	जिरो (सदर)	0.23	0.18	78.00
	487	पुराना जिरो	0.20	0.18	92.72
118		**कुरुंग कुमे**	0.92	0.91	98.58
	488	संग्राम	0.11	0.11	98.86
2		असम			
119		**गोलपाड़ा**	10.08	2.32	22.97
	489	धुधनाई	0.81	0.54	66.30
120		**धेमजी**	6.86	3.26	47.45
	490	जोनाई	1.70	1.16	68.21
121		कार्बी आंगलोंग	9.56	5.39	56.33
	491	धोनका	2.95	1.94	65.52
	492	फुलोनी	2.80	1.49	53.25
	493	सिलोनीजन	0.91	0.57	62.35

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
122		**दिमा हसाओ**	2.14	1.52	70.92
	494	उमरांगसो	0.50	0.32	64.95
	495	हफलोंग	0.77	0.49	64.19
	496	माहुर	0.34	0.29	85.52
	497	मबोंग	0.54	0.41	76.91
123		**कामरूप**	15.18	1.82	12.00
	498	बोको	1.12	0.71	63.18
124		**बक्सा**	9.50	3.31	34.84
	499	सरूपेटा (पीटी)	0.55	0.30	53.86
	500	जलाह (पीटी)	0.82	0.43	52.84
125		**उदलगुड़ी**	8.32	2.67	32.15
	501	खोइराबाड़ी (पीटी)	0.81	0.43	52.68
3		मणिपुर			
126		**सेनापती**	4.79	4.19	87.49
	502	सदर हिल पश्चिम	0.72	0.46	63.73
	503	सैतु-गंफाझोल	0.59	0.48	81.80
	504	सदल हिल पूर्वी	0.63	0.61	96.05
	505	माओ-मारम	1.63	1.45	88.67
	506	पाओमाता	0.54	0.53	98.28
	507	पुरूल	0.68	0.67	98.10
127		**तामेंगलोंग**	1.41	1.35	95.72
	508	तामेंगलोंग पश्चिम	0.28	0.27	96.05
	509	तामेंगलोंग उत्तर	0.28	0.27	96.58
	510	तामेंगलोंग	0.48	0.47	97.58
	511	नुंगबा	0.37	0.34	92.35
128		**चुराचांदपुर**	2.74	2.55	92.94
	512	तिपैमुख	0.29	0.27	94.53
	513	थानलोन	0.18	0.18	98.34
	514	चुराचांदपुर उत्तर	0.31	0.29	95.52
	515	चुराचांदपुर	1.74	1.59	91.33
	516	सिंगंगट	0.22	0.21	95.50
129		**उखरूल**	1.84	1.74	94.35
	517	उखरूल उत्तर	0.31	0.30	96.15
	518	उखरूल मध्य	1.07	1.00	92.90
	519	कामजोंग-चसाद	0.17	0.16	93.25
	520	फुंग्यार-फैसट	0.17	0.16	98.04
	521	उखरूल दक्षिण	0.12	0.12	99.05
130		**चंदेल**	1.44	1.28	88.97
	522	माची	0.20	0.19	97.26
	523	तेंगनौपाल	0.39	0.30	77.00

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	524	चंदेल	0.32	0.30	92.75
	525	चकपिकारोंग	0.53	0.49	92.44
4		मेघालय			
131		पश्चिम गारो पहाड़ियां	6.43	4.74	73.69
	526	दादेंगगिरी	0.42	0.40	97.01
	527	टिकरीकिला	0.58	0.53	90.31
	528	रौंग्राम	1.34	1.07	79.99
	529	बेतासिंग	0.72	0.66	91.23
	530	झिकझैक	0.75	0.50	66.84
	531	गमबेगरे	0.34	0.32	96.83
	532	दालु	0.54	0.47	87.08
132		**पूर्वी गारो पहाडियां**	3.18	3.05	95.99
	533	रेसुबेलपाड़ा	1.05	1.01	96.40
	534	दंबो रोंगजेंग	0.53	0.51	97.06
	535	खरकुट्टा	0.51	0.50	97.90
	536	संगसक	0.53	0.51	96.46
	537	समंदा	0.56	0.52	92.07
133		**दक्षिण गारो पहाड़ियां**	1.42	1.34	94.31
	538	चोकपोट	0.40	0.39	96.58
	539	गसुवापाड़ा	0.28	0.27	95.15
	540	बाघमारा	0.51	0.46	91.78
	541	रोंगारा	0.23	0.22	94.85
134		**पश्चिमी खासी पहाड़ियां**	3.83	3.75	97.82
	542	मावशइनरूट	0.74	0.73	98.12
	543	नोंगस्टोइन	0.82	0.81	98.89
	544	मावथाड्रेसन	0.49	0.48	98.46
	545	मैरांग	0.82	0.82	98.86
	546	रानीकौर	0.41	0.38	91.41
	547	मावकिरवट	0.54	0.54	98.48
135		**रिभोई**	2.59	2.30	88.89
	548	उमलिंग	0.87	0.75	86.70
	549	जिरांग	0.31	0.30	97.65
	550	उम्सनिंग	1.41	1.24	88.32
136		**पूर्वी खासी पहाड़ियां**	8.26	6.61	80.05
	551	मावफ्लांग	0.71	0.71	99.48
	552	माइलियम	4.43	2.94	66.39
	553	मावरंगनेंग	0.67	0.66	98.61
	554	मावकाइनरे	0.45	0.44	99.31
	555	खतरसनोंग लैतकरोह	0.34	0.33	99.73

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	556	मावसैनरम	0.54	0.50	92.79
	557	शेला भोलागंज	0.54	0.45	82.41
	558	पैइनुरसला	0.58	0.57	98.66
137		**जैयंतिया हिल्स**	3.95	3.76	95.19
	559	थाडलास्केइन	1.38	1.30	94.55
	560	लस्केइन	0.90	0.87	96.28
	561	अम्लारेम	0.44	0.40	92.32
	562	ख्लीरियाट	0.86	0.82	95.11
	563	सैपुंग	0.37	0.37	98.43
5		मिजोरम			
138		**मामित**	0.86	0.82	95.04
	564	जालनुयाम	0.47	0.44	93.11
	565	पश्चिम फाइलेंग	0.21	0.21	97.36
	566	रियेक	0.18	0.17	97.36
139		कोलासिव	0.84	0.74	87.68
	567	'एन' थिंगडौल	0.20	0.19	94.85
	568	बिलखौबथ्रिर	0.58	0.50	84.65
140		**आईजोल**	4.00	3.74	93.31
	569	तलांगनुयाम (भाग)	3.12	2.87	92.07
	570	डारलान	0.26	0.25	97.85
	571	फुलेन	0.13	0.13	98.67
	572	एवॉक	0.17	0.17	98.03
	573	थिंगसुलथ्लिया (भाग)	0.32	0.31	96.98
141		**चम्फाई**	1.26	1.23	98.19
	574	नगोपा	0.19	0.18	97.14
	575	खौजाल	0.36	0.35	98.48
	576	चम्फाई	0.43	0.42	98.15
	577	खौवंग	0.22	0.22	98.56
142		**सरछिप**	0.65	0.63	96.85
	578	सरछिप	0.44	0.42	95.95
	579	पूर्वी लुंगडर (भाग)	0.15	0.15	98.82
143		**लुंगलई**	1.61	1.54	95.11
	580	पश्चिम बुंघमुन	0.19	0.19	98.76
	581	लुंगसेन	0.39	0.38	96.90
	582	लुंगलई	0.77	0.71	92.09
	583	नाथियाल	0.26	0.26	98.76
144		**नाथियाल**	1.18	1.12	95.30
	584	चौंगते	0.45	0.44	98.17
	585	लौंगत्लाई	0.39	0.35	89.66
	586	'एस' बुंतलांग	0.17	0.17	96.82

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	जनसंख्या लाख में अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	587	संगाउ	0.17	0.17	99.01
145		**सैहा**	0.57	0.55	96.59
	588	तुईपांग	0.21	0.21	98.69
	589	सैहा	0.36	0.34	95.34
6		नागालैंड			
146		**मोन**	2.50	2.38	95.21
	590	टिजिट	0.22	0.19	84.10
	591	मोन सदर	0.48	0.46	95.53
	592	वाकचिंग	0.13	0.13	98.24
	593	अवोइ	0.14	0.14	95.48
	594	लोंगसेन	0.20	0.20	99.35
	595	फोमचिंग	0.13	0.12	99.45
	596	चेन	0.19	0.18	98.36
	597	अंगजांगीयांग	0.20	0.20	98.87
	598	मोपोंग	0.15	0.15	99.09
	599	तोबू	0.17	0.17	99.03
	600	मोयाक्षु	0.23	0.23	99.10
147		मोकोकचुयांग	1.95	1.78	91.68
	601	एलोंगकिमा	0.12	0.12	98.03
	602	तुली	0.23	0.21	88.54
	603	चांगतोंगया	0.17	0.17	96.45
	604	चुचुयिमलांग	0.18	0.18	98.35
	605	कुबुलांग	0.13	0.12	98.30
	606	मगकोलेम्बा	0.13	0.11	84.96
	607	ओंगपोंगलोंग	0.84	0.76	90.79
148		जुनहेबोतो	1.41	1.37	97.02
	608	सुरहोतो	0.14	0.14	98.03
	609	ओघुनोतो	0.18	0.18	98.95
	610	जुनेहेबोतो सदर	0.36	0.34	93.47
	611	सताखा	0.15	0.14	95.23
149		**वोखा**	1.66	1.57	94.16
	612	एतेपियांग	0.16	0.16	99.35
	613	भंडारी	0.17	0.16	93.89
	614	सुंगरो	0.13	0.13	99.48
	615	वोखा सदर	0.58	0.55	93.75
	616	इंगलान	0.13	0.12	96.29
	617	चुकीतोंग	0.10	0.10	99.61
150		**दिमापुर**	3.79	2.24	59.13
	618	कुहोबोतो	0.13	0.10	81.58
	619	चुमुकेडिमा	1.25	0.90	71.51

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में कुल	जनसंख्या लाख में अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %
	620	धनसीरीपर	0.17	0.14	79.56
	621	मेदजिफेमा	0.24	0.18	76.55
151		**फेक**	1.63	1.57	96.16
	622	सेकरूजु	0.11	0.11	99.25
	623	फेक सदर	0.27	0.25	90.32
	624	मेलुरी	0.14	0.13	94.73
	625	चोजुवा	0.15	0.15	98.46
	626	चेथेवा	0.17	0.17	98.68
	627	फुतसेरो	0.31	0.30	95.26
	628	चिजामी	0.10	0.10	98.76
152		**तुवेगसांग**	1.97	1.91	97.11
	629	नोकसेन	0.14	0.14	99.24
	630	चारे	0.11	0.11	98.09
	631	लोंखिम	0.17	0.17	98.84
	632	तुवेंगसांग सदर	0.48	0.44	92.90
	633	सोतोकुर	0.11	0.11	99.22
	634	नोकलाक	0.20	0.19	98.44
	635	पानसो	0.11	0.11	99.64
	636	शमातोर	0.13	0.13	99.03
	637	तोंनोकन्यु	0.19	0.18	94.63
153		**लोंगलेंग**	0.50	0.49	96.30
	638	लोंगलेंग	0.23	0.22	96.07
154		**किफिर**	0.74	0.71	96.52
	639	किफिर सदर	0.22	0.21	93.77
	640	पुंगरो	0.14	0.14	97.65
155		**कोहिमा**	2.68	2.25	83.86
	641	सेमेन्यु	0.51	0.51	98.79
	642	चिफोवोजोयु	0.20	0.17	88.32
	643	केजोचा	0.16	0.14	86.15
	644	जखामा	0.34	0.31	90.40
	645	कोहिमा सदर	1.17	0.87	74.39
	646	सेचु-जुवजा	0.17	0.13	75.95
156		**पारेन**	0.95	0.84	88.47
	647	जालुकी	0.28	0.21	72.46
	648	अथिवुंग	0.14	0.13	93.61
	649	तेनिंग	0.26	0.26	99.06
7		त्रिपुरा			
157		**पश्चिम त्रिपुरा**	17.26	4.32	25.03
	650	हेजामारा	0.36	0.33	93.54
	651	पदमाविल	0.36	0.33	92.82

क्र.सं.		राज्य/जिला/उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. %
			कुल	अ.ज.जा.	
	652	तुलाशिखर	0.43	0.33	76.16
	653	मुंगीयाकुमी	0.29	0.28	95.68
	654	मंडाई	0.45	0.41	92.20
	655	जम्पुईजाला	0.46	0.43	94.66
158		**दक्षिण त्रिपुरा**	8.76	3.45	39.36
	656	किला	0.41	0.39	96.07
	657	अमरपुर	0.57	0.32	56.66
	658	ओंपी	0.39	0.33	84.75
	659	करबुक	0.45	0.36	79.24
	660	रुपईछारी	0.48	0.40	82.74
159		**धलाई**	3.78	2.11	55.68
	661	मनु	0.84	0.58	68.64
	662	अंबासा	0.55	0.40	72.52
	663	छमानु	0.34	0.29	85.85
	664	दंबुरनगर	0.59	0.48	81.02
160		**उत्तर त्रिपुरा**	6.94	1.79	25.86
	665	दंबछारा	0.28	0.23	81.89
	666	पेंचरथाल	0.43	0.26	59.20
	667	दसदा	1.02	0.69	67.35
	668	जम्पुई हिल्स	0.12	0.11	92.53
8		सिक्किम			
161		**उत्तरी जिला**	0.44	0.29	65.70
	669	मंगन	0.34	0.24	71.96
		संघ राज्य क्षेत्र			
1		अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समुह			
162		**निकोबार**	0.37	0.24	64.28
	670	कार निकोबार	0.18	0.15	84.23
2		दादर और नगर हवेली			
163		**दादर और नगर हवेली**	3.44	1.79	51.95
	671	दादर और नगर हवेली	3.44	1.79	51.95
3		लक्षद्वीप			
164		**लक्षद्वीप**	0.64	0.61	94.80
	672	**एंड्रॉट**	0.11	0.11	97.83

टिप्पणी:

(1) स्रोत: जनगणना 2011

(2) प्राथमिकता वाले उप-जिलों में अ.ज.जा. जनसंख्या 10,000 तथा 50% से अधिक है।

अनुलग्नक -4 न

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-प्रमुख अनुसूचित जनजातीय समुदायः जनगणना 2011

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
1	आंध्र प्रदेश			
	1. येनादीज	5.34	20.3	%
	2. येरूकुलास, कोरचा	3.75	14.3	%
	3. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	3.62	13.7	%
	4. कोंडा, धोरस, कुबी	2.11	8.0	%
	5. सावरस	1.38	5.2	%
	6. बागटा	1.33	5.0	%
	अ.ज.जा. (6) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**17.51**	**66.6**	%
	चिन्हित (28) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	8.05	30.6	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.74	2.8	%
	कुल :	**26.31**	**100**	**%**
2	बिहार			
	1. संथाल	4.06	30.4	%
	2. गोंड	2.57	19.2	%
	3. थारू	1.60	12.0	%
	4. ओरांव	1.44	10.8	%
	5. खरवार	1.26	9.4	%
	अ.ज.जा. (5) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**10.93**	**81.8**	%
	चिन्हित (27) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.27	9.5	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.17	8.8	%
	कुल :	**13.37**	**100**	**%**
3	छत्तीसगढ़			
	1. गोंड, अरख, अगरिया, असुर, भटोला, भिम्मा, भूटा/भूटी, भार, मारिया, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोर्ला, गायकी, गट्टा, कंदरा, कलंगा, खतोला, कोइतार, कोया, खिरवार, माना, मन्नेवार, मोघया, मोंघया, मूडिया, नगरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, थटिया, थोट्या, दरोई	42.98	54.9	%
	2. कावर, कनवर, चेरवा, राठिया, तंवर, चर्त्री	8.87	11.3	%
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**59.35**	**75.9**	%

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
	चिन्हित (39) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	18.56	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.32	0.4	%
	कुल :	**78.23**	**100**	**%**
4	गोवा			
	1. गवडा	1.07	71.5	%
	2. वेलिप	0.32	21.5	%
	अ.ज.जा. (2) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**1.39**	**92.9**	%
	चिन्हित (6) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.06	3.7	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.05	3.4	%
	कुल :	**1.49**	**100**	**%**
5	गुजरात			
	1. भील, भगलिया, भिलाला, पावरा, वसावा	42.16	47.3	%
	2. धूबला, तलविया, हलपटी,	6.43	7.2	%
	3. राठवा	6.42	7.2	%
	4. धोडिया, धोडी	6.36	7.1	%
	5. नायकदा, नयका	4.60	5.2	%
	अ.ज.जा. (5) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**65.97**	**74.0**	%
	चिन्हित (24)) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	21.10	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	2.11	2.4	%
	कुल :	**89.17**	**100**	**%**
6	हिमाचल प्रदेश			
	1. गद्दी	1.78	45.4	%
	2. गुज्जर	0.93	23.6	%
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0	%
	4. भोट	0.27	6.9	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**3.49**	**89.0**	%
	चिन्हित (6) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.33	8.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.11	2.7	%
	कुल :	**3.92**	**100**	**%**
7	जम्मू एवं कश्मीर			
	1. गुज्जर	9.81	65.7	%

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
	2. बकरवाल	1.13	7.6	%
	3. बोट, बोटो	0.91	6.1	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**11.85**	**79.4**	%
	चिन्हित (9) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.96	13.1	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.12	7.5	%
	कुल :	**14.93**	**100**	**%**
8	झारखंड			
	1. संथाल	27.55	31.9	%
	2. ओरांव	17.17	19.9	%
	3. मुण्डा, पतर	12.29	14.2	%
	4. हो	9.28	10.7	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**66.29**	**76.7**	%
	चिन्हित (28) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	18.42	21.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.74	2.0	%
	कुल :	**86.45**	**100**	**%**
9	कर्नाटक			
	1. नयकदा, नयका, बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6	%
	अ.ज.जा. (1) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**32.96**	**77.6**	%
	चिन्हित (49) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	6.41	15.1	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	3.12	7.3	%
	कुल :	**42.49**	**100**	**%**
10	केरल			
	1. पनियान	0.88	18.2	%
	2. कुरिच्चन	0.35	7.3	%
	3. मलाई, अरायान	0.33	6.9	%
	4. माविलान	0.31	6.4	%
	5. कुरुमांस	0.25	5.1	%
	अ.ज.जा. (5) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**2.12**	**43.8**	%
	चिन्हित (31) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	2.10	43.4	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.62	12.9	%
	कुल :	**4.85**	**100**	**%**

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
11	मध्य प्रदेश			
	1. भील, भिलाल, बरेला, पटेलिया	59.94	39.1	%
	2. गोंड, अरख, अगरिया, असुर, मारिया, भिम्मा, भूटा/भूटी, भार, भटोला, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोर्ला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, कलंगा, खतोला, कोइतार, कोया, खिरवार, माना, मन्नेवार, मोघया, मूडिया, नगरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, थटिया, थोट्या, दरोई	50.93	33.3	%
	3. कोल	11.68	7.6	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**122.55**	**80.0**	%
	चिन्हित (40) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	27.98	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	2.64	1.7	%
	कुल :	**153.17**	**100**	**%**
12	महाराष्ट्र			
	1. भील, डुंगरी, गरसिया, भगलिया, भिलाला, पावरा, वसाव	25.89	24.6	%
	2. गोंड, अरख, अगरिया, असुर, मारिया, भिम्मा, भूटा/भूटी, भार, भटोला, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोर्ला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, कंदरा, कलंगा, खतोला, कोइतार, कोया, खिरवार, माना, मन्नेवार, मोघया, मूडिया, नगरची, नायकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी, झरेका, थटिया	16.18	15.4	%
	3. कोली	14.60	13.9	%
	4. वर्ली	7.96	7.6	%
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5	%
	6. ठाकुर	5.68	5.4	%
	अ.ज.जा. (6) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**77.18**	**73.4**	%
	चिन्हित (39) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	26.17	24.9	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.76	1.7	%
	कुल :	**105.10**	**100**	**%**
13	ओडिशा			
	1. खोंड/कंध, कुई	16.27	17.0	%
	2. संथाल	8.95	9.3	%
	3. गोंड	8.89	9.3	%
	4. कोल्हा	6.25	6.5	%
	5. मुण्डा	5.59	5.8	%
	6. सोरा, सवरा, सहरा	5.35	5.6	%

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
	7. शबर, लोधा	5.16	5.4	%
	अ.ज.जा. (7) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**56.46**	**58.9**	%
	चिन्हित (55) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	38.19	39.8	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.26	1.3	%
	कुल :	**95.91**	**100**	**%**
14	**राजस्थान**			
	1. मीना	43.46	47.0	%
	2. भील, डुंगरी, गरसिया, भगलिया, भिलाला, पावरा, वसाव	42.10	45.5	%
	अ.ज.जा. (2) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	85.56	92.5	%
	चिन्हित (9) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	6.25	6.9	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.58	0.6	%
	कुल :	**92.39**	**100**	**%**
15	**सिक्किम**			
	1. भूटिया	0.70	33.7	%
	2. लिम्बू	0.54	26.0	%
	3. लेप्चा	0.43	20.8	%
	4. तमांग	0.38	18.3	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**2.04**	**98.8**	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.02	1.2	%
	कुल :	**2.06**	**100**	**%**
16	**तमिलनाडु**			
	1. मलयाली	3.58	45.0	%
	2. इरूलर *	1.90	23.9	%
	3. कट्टूनायकन *	0.47	5.9	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8**	%
	चिन्हित (33) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.46	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.55	6.9	%
	कुल :	**7.95**	**100**	**%**
17	**तेलंगाना**			
	1. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	20.46	62.3	%
	2. कोया, राजह	4.86	14.8	%

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
	3. गोंड, कोइतुर	2.98	9.1	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	28.30	86.1	%
	चिन्हित (29) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	**2.96**	**9.0**	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.61	4.9	%
	कुल :	**32.87**	**100**	**%**
18	**उत्तर प्रदेश**			
	1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी	5.69	50.2	%
	2. खरवार	1.61	14.2	%
	3. थारू	1.05	9.3	%
	4. सहरया	0.71	6.2	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**9.06**	**79.8**	%
	चिन्हित (11) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.46	12.9	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.83	7.3	%
	कुल :	**11.34**	**100**	**%**
19	**उत्तराखंड**			
	1. थारू	0.91	31.3	%
	2. जानसारी	0.89	30.4	%
	3. बुक्सा *	0.54	18.5	%
	4. भोटिया	0.39	13.4	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**2.73**	**93.6**	%
	चिन्हित (1) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.01	0.2	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.18	6.2	%
	कुल :	**2.92**	**100**	**%**
20	**पश्चिम बंगाल**			
	1. संथाल	25.12	47.4	%
	2. ओरांव	6.44	12.1	%
	3. भूमिज	3.76	7.1	%
	4. मुण्डा	3.66	6.9	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**38.99**	**73.6**	%
	चिन्हित (36) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	11.57	21.8	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	2.41	4.6	%
	कुल :	**52.97**	**100**	**%**

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
	पूर्वोत्तर राज्य			
21	अरूणाचल प्रदेश			
	1. न्यईशी	2.50	26.2	%
	2. गलोंग	0.79	8.3	%
	3. अदी	0.68	7.1	%
	4. तगिन	0.63	6.6	%
	5. वान्चो	0.57	6.0	%
	अ.ज.जा. (5) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**5.17**	**54.3**	%
	चिन्हित (99) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	4.32	45.4	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.03	0.3	%
	कुल :	**9.52**	**100**	**%**
22	असम			
	1. बोरो	13.62	35.1	%
	2. मिरि	6.80	17.5	%
	3. कार्बी	4.30	11.1	%
	4. राभा	2.96	7.6	%
	5. कचारी, सोनवाल	2.53	6.5	%
	अ.ज.जा. (5) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**30.22**	**77.8**	%
	चिन्हित (24) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	6.83	17.6	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.79	4.6	%
	कुल :	**38.84**	**100**	**%**
23	मणिपुर			
	1. थडाऊ	2.16	18.5	%
	2. थंगकुल	1.79	15.3	%
	3. पोमाई नागा	1.27	10.9	%
	4. काबुई	1.04	8.9	%
	5. माओ	0.93	8.0	%
	6. कच नागा	0.66	5.7	%
	अ.ज.जा. (6) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**7.85**	**67.3**	%
	चिन्हित (27) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	3.61	31.0	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.21	1.8	%
	कुल :	**11.67**	**100**	**%**

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
24	मेघालय			
	1. खासी, जयंतिया, सैन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिग्यंम	14.12	55.2	%
	2. गारो	8.21	32.1	%
	अ.ज.जा. (2) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**22.33**	**87.4**	%
	चिन्हित (15) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.49	5.8	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.74	6.8	%
	कुल :	**25.56**	**100**	**%**
25	मिजोरम			
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9	%
	2. चकमा	0.97	9.4	%
	3. पावी	0.51	5.0	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**8.83**	**85.2**	%
	चिन्हित (12) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.45	14.0	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.07	0.7	%
	कुल :	**10.36**	**100**	**%**
26	नागालैण्ड			
	1. नागा	16.68	97.5	%
	अ.ज.जा. (1) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**16.68**	**97.5**	%
	चिन्हित (4) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.34	2.0	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.09	0.5	%
	कुल :	**17.11**	**100**	**%**
27	त्रिपुरा			
	1. त्रिपुरा	5.92	50.8	%
	2. रियांग *	1.88	16.1	%
	3. जमातिया	0.83	7.1	%
	4. चकमा	0.80	6.8	%
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**9.44**	**80.9**	%
	चिन्हित (15) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	1.75	15.0	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.48	4.1	%

क्रम संख्या	राज्य, अ.ज.जा. समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)	अ.ज.जा. जनसंख्या का (%)	
1	2	3	4	
	कुल :	**11.67**	**100**	**%**
	संघ शासित राज्य			
28	**अंडमान निकोबार द्वीप**			
	1. निकोबारी	0.27	95.2	%
	अ.ज.जा. (1) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**0.27**	**95.2**	%
	चिन्हित (5) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.01	2.7	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.01	2.1	%
	कुल :	**0.29**	**100**	**%**
29	**दादरा और नगर हवेली**			
	1. वर्ली	1.12	62.8	%
	2. कोकना	0.28	15.6	%
	3. धोडिया	0.24	13.6	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	1.64	91.9	%
	चिन्हित (4) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.06	3.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.08	4.8	%
	कुल :	**1.79**	**100**	**%**
30	**दमन एवं दीव**			
	1. दुबुला (हलपति)	0.11	72.2	%
	2. धोडिया	0.02	15.2	%
	3. वर्ली	0.01	9.0	%
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5 % प्रत्येक जनसंख्या)	**0.15**	**96.5**	%
	चिन्हित (2) अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.00	1.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5 % जनसंख्या)	0.00	2.3	%
	कुल :	**0.15**	**100**	**%**
31	**लक्षद्वीप**			
	1. अ.ज.जा. (नीचे 2 के अलावा) (< 5 % जनसंख्या)	0.61	99.99	%
	2. लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनी द्वीप निवासी	0.00 (4)	0.01	%
	कुल :	**0.61**	**100**	**%**

टिप्पण :

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से पीवीटीजी ≥ 5 % जनसंख्या अलग से संकेतित है।

(2) 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा, पंजाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चण्डीगढ और पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र में अधिसूचित जनजातियां नहीं हैं।

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकड़े, भारत के महापंजीयक कार्यालय की वेबसाइट

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 (सी.ओ. 22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951 (सी.ओ. 33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर,उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1959 (सी.ओ. 58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962 (सी.ओ. 65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1967 (सी.ओ. 78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970 (सी.ओ. 88)	23.7.1970	नागालैंड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन)अधिनियम, 1976 के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 (सीओ 111)	22.6.1978	सिक्किम

18.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 (सीओ 142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1991 (1991 का 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़
23.	उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड
24	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार तथा झारखण्ड
25.	संशोधन (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
26.	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 02)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
34	आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना
35	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016	22.12.2016	पुदुचेरी

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक-5ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य-वार / संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू,
5. गदाबास, बोडो, गडाबा, गुतोब, गडाबा, कालायी, गडाबा, परांगी, गडाबा, कठेरा, गडाबा, कापु, गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस, ।
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधू, देस्या कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, येनिती, कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुटटा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिंगधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया,
20. मालिस
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा,
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. परजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना,
28. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस,
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. वाल्मीकि (विशाखापटनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला, कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापटनम और विजयनगरम जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश- निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, *तारोंन*
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में :

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति :-
   - (i) बिआत, बिएत
   - (ii) चांगसान
   - (iii) चोंगलाइ
   - (iv) डुंगेल,
   - (v) गमाल्हू
   - (vi) गंगते
   - (vii) गुइते,
   - (viii) हन्नेगं
   - (ix) हाओकिप, हाउपिट,
   - (x) हओलंई
   - (xi) हेंगना
   - (xii) होंगसुंग
   - (xiii) हरंखवाल, रंगखोल,
   - (xiv) जोंगबी
   - (xv) खाओचुंग
   - (xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
   - (xvii) खेलमा
   - (xviii) खोल्हू
   - (xix) किपजेन
   - (xx) कुकी
   - (xxi) लेगथांग
   - (xxii) ल्हांगम
   - (xxiii) ल्होउजेम
   - (xxiv) ल्होउवुन
   - (xxv) लुपहेंग
   - (xxvi) मांगजेल
   - (xxvii) मिसाओ
   - (xxviii) रियांग
   - (xxix) साइरहेम
   - (xxx) सेलनाम
   - (xxxi) सिंगसन
   - (xxxii) सितल्होउ
   - (xxxiii) सुक्ते
   - (xxxiv) थादो
   - (xxxv) थांगनगेऊ
   - (xxxvi) उइबुह
   - (xxxvii) वाइफेइ
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनवाल
6. लालुंग
7. मेच,
8. मिरि
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बंजारा
4. बाथूड
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, धेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, नगेशिया
20. कोरा, मुडी-कोरा
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धानगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धँवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड्, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझमारिया, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाबूटा, कोलियाबूटी, भर, बीसोनहोरन मरिया, छोटा मरिया, डान्डामी मरिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, लंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कूचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मरिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. करकु
20. कवर कंवर, कौर, छेरवा, राथिया तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, कोड़ाकू, पहाड़ी कोरवा
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान धानका, धनगड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बसतर, दांतेवाडा, कांकेर, रायगढ, जसपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कोटगोडा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडनडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (v) चौकी, मानपुर और राजनंदगांव जिले का मोहाला रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (vii) बिंद्रानावगढ रजीम और रायपुर जिले की देवोभोग तहसील (viii) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिया, सहारिया सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सवर, सवरा
42. सोनर

गोवा

1. धोडिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गवडा
8. वेलिप

गुजरात

1. बरदा
2. बवाचा, बमाचा
3. भारवाड (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला पावरा, वसावा, वसावे
5. चारन (एल्चा बारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाड जिलों में)
7. चौधरी
8. धनका, तडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोडिया, धोदी
10. दुबला, तलविया, हलपती
11. गामित गामता, गावित मावची, पदवी
12. गोंड राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोर कथोडी ढोर कतकारी, सोन कथोडी सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया,
23. पोमला
24. रबारी (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
25. राठवा
26. सिद्दी, सिद्दी-बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोडिया
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

हिमाचल प्रदेश

1. भोत, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनौरा, किन्नरा
6. लाहउला
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बालटी,
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. छांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखण्ड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धोलकी, खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खरवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी-कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. मल पहारिया, कुमारभाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धांगर (ओरांव)
26. परहइया
27. सन्थाल
28. सौरिया पहाड़िया
29. सवर
30. भूमिज
31. कवर
32. कोल

कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरसिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चेंचू, चेंचवार
6. चौधरा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी पदवी वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड,
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलर,
14. इरूलिगा,
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तालुका में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)
19. कथोडि, कटकारी, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारी
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कुकना
22. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलाकुडी
28 कुरूबा (कूर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मलासर
31. मलाइकुडी
32. मलासर
33. मलायेकान्डी
34. मलेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराती (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा, मेडारा, मेदारी, गौरिगा, बुरूद
38. नायकडा, नायक, चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेडा, बेदार, और वाल्मीकि
39. पल्लियन
40. पानियां,
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. राठवा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोडा
47. वारली
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. सिद्दी (उत्तर कन्नड जिले में)

केरल

1. अदियान,
2. अरान्दन, अरांदन
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, माला पुलायन कुरम्बा पुलायान, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन
5. इरूलर इरूलान
6. कदार, वायनाड कदार
7. हटा दिया गया
8. कनिकरन, कनिक्कर
9. कट्टूनायकन
10. कोच्चुवेलन
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया मेलाकुडि
16. कुरिच्छान, कुरिचियन
17. कुरूमान, मुल्लु कुरूमान, मुला कुरूमान
18. कुरूम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यन, माला आर्यन
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीकोड जिलों को छोड़कर)
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. मराति (कसार गौड जिले का होस दुर्ग और कसार गौड तालुका)
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. पुलेयान, पल्लीयान, पल्लीयार, पल्लीयान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पानियान
34. उलादन, उलातन
35. उरली
36. माला वेत्तुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान
38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान
39. चोलानैकन
40. माविलन
41. करीमपलान
42. वेटा कुरुमान
43. माला पनिक्कर

मध्य प्रदेश		
1. अगारिया	18. कमार	40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, टकिया [(i) बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, डिंडौरी सिवनी जिलों में (ii) बाला घाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंस डेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक (v) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लाक (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लाक (vii) नरसिंहपुर जिला (viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में]
2. अन्ध	19. कोरकु	41. परजा
3. बैगा	20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री	42. सहारिआ, सहारिया सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
4. भैना	21. (हटा दिया गया)	43. साओन्ता, साउन्ता
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिआ, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो	22. खैरवार, कोन्दार	44. साउर
6. भट्ट्रा	23. खैरिया	45. सावर, सावरा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया	24. कोन्ध, खोन्द, कन्ध	46. सोनर
8. भील मीना	25. कोल	
9. भून्जिया	26. कोलम	
10. बीअर, बीआर	27. कोरकु बोपची, मैआसी, निहाल, नहुल बोन्धी, बोन्देया	
11. बीन्जवार	28. कोरवा, कोडाकू	
12. बिरहुल, बिरहोर	29. माझी	
13. डामोर, डामारिया	30. मझवार	
14. धँवर	31. मवासी	
15. गडाबा, गडबा	32. हटा दिया गया	
16. गोंड अराख, अर्रख, अगेरिया, अगारिया, असुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डन्डीमी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरली, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कूचिका मारिया, मडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मुडिया, मुरिया, नगरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी झरका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वदे मारिया, दरोई	33. मुण्डा	
	34. नागेसिया, नागासिया	
	35. ओरान, धांका, धांगड	
	36. पानिका (छतरपुर पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील)	
	37. पाओ	
	38. प्रधान, पठारी, सरोटी	
	39. हटा दिया गया	
17. हल्बा, हल्बी		

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भीलगरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. गोंड, राजगोंड, अरख, अर्रख, अगारिया, असुर बादी मारिआ, बडा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहर मारिआ, छोटा मारिआ, दन्दमी मारिआ, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गात्ता, गात्ति, गैता, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया कांड्रा कालगा, खटोला कोइतार कोया, खिरवार खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया मारिया, माना, मान्नेवार, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंधया, मुदिया, मुरिया नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कँवर, कौर, छेरवा, राथिया, तँवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध खोंध कन्ध
32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल बोन्धी बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी सरोती
38. पारद्यी, अडवीचिंन्चेर, फान्स परधी फान्से परद्यी लांगोली परधी, बहेलिया, छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर मा ठाकुर, मा ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बडोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई
9. कच्चा नागा
10. कोइराओ
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17 कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे,
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति
34. माते

मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी जयंतिया सइनतेग प्नार, वार, भोइ लइनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   - (i) बिअते बिएते
   - (ii) चंगसान
   - (iii) चोंगलोइ
   - (iv) डोउन्गेल
   - (v) गमाल्हू
   - (vi) गंगत
   - (vii) गुइते
   - (viii) हान्नेंग
   - (ix) हाओकिप, हाउपिट
   - (x) हाओलाई
   - (xi) हेंगना
   - (xii) होनसुंघ
   - (xiii) हरांगख्वाल या रंगखोल
   - (xiv) जोंगबे
   - (xv) खावचांग
   - (xvi) खवथलांग, खोथलांग
   - (xvii) खेल्मा
   - (xviii) खोल्हू
   - (xix) किपजेन
   - (xx) कुकी
   - (xxi) लेनथांग
   - (xxii) ल्हांगम
   - (xxiii) ल्होउजेम
   - (xxiv) ल्होउवुन
   - (xxv) लुपहेंग
   - (xxvi) मांगजेल
   - (xxvii) मिसाओ
   - (xxviii) रिआंग
   - (xxix) सइरहेम
   - (xxx) सेलनाम
   - (xxxi) सिंगसन
   - (xxxii) सितल्होउ
   - (xxxiii) सुक्ते
   - (xxxiv) थाडो
   - (xxxv) थागंनगेऊ
   - (xxxvi) उइबुह
   - (xxxvii) वाइफेई
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी)
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेंग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहित:
   - (i) बइतेया बिएते
   - (ii) चंगसान
   - (iii) चोंगलोइ
   - (vi) डोउन्गेल
   - (v) गमाल्हू
   - (vi) गंगत
   - (vii) गुइते
   - (viii) हान्नेंग
   - (ix) हाओकिप या हाउपिट
   - (x) हाओलाई
   - (xi) हेंगना
   - (xii) होंगसुंघ
   - (xiii) हरांगकोवाल या रंगखोल
   - (xiv) जोंगबे
   - (xv) खावचांग
   - (xvi) खवथलांग या खोथलांग
   - (xvii) खेल्मा
   - (xviii) खोल्हू
   - (xix) किपजेन
   - (xx) कुकी
   - (xxi) लेनथांग
   - (xxii) ल्हांगम
   - (xxiii) ल्होउजेम
   - (xxiv) ल्होउवेन
   - (xxv) लुपहेंग
   - (xxvi) मांगजेल
   - (xxvii) मिसाओ
   - (xxviii) रिआंग
   - (xxix) सइरहेम
   - (xxx) सेलनाम
   - (xxxi) सिंगसन
   - (xxxii) सितल्होउ
   - (xxxiii) सुक्ते
   - (xxxiv) थादो
   - (xxxv) थांगनेऊ
   - (xxxvi) उईबुह
   - (xxxvii) वाइफेई,
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. पैते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बैगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान,
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हलदी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भुंजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बोंडा परोजा
14. चेंचू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा धुर्वा
18. दिदायी, दिदाई परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगा गडाबा, सोनो गडाबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवर, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया, खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कधा, नंगुली, कंधा, सीथा केंधा, कोंधा, कुई, बुदा कोंध, बुरा कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंधा, मालुआ कोंधा, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लोहरस, कोल लोहरस
35. खोल्हा
36. कोली मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खारा, खयारा
39. कोरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसारा कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदिया परोजा, सोनो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजौर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, साओरा, कन्पू, कापोसओरा, कम्पा साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरीभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली,कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया सहारिया

सिक्किम		
1. भूटिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबेतन, तरोमोपा, योल्मो सहित)	2 लेप्चा 3 लिम्बू	4 तमांग

तमिलनाडु		
1. आदियान 2. आरानादान 3. इरावल्लान 4. इरूलर 5. कादर 6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा) 7. कनीकरन कनीक्कर (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में) 8. कनियान, कन्यान 9. कट्टनायकन 10. कोचु वेलन 11. कोंडा कापस 12. कोंडारेड्डी 13. कोरगा	14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर) 15. कुडिया, मेलाकुडी 16. कुरिच्छन 17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में) 18. कुरमांस 19. महा मलासर 20. मलाई आर्य 21. मलाइ पण्डाराम 22. मलाई वेदन 23. मलाक्कुरावन 24. मालासर 25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरी अरकोट, पुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)	26. मलायेकान्डी 27. मन्नान 28. मुदुगार, मुदुवान 29. मुत्थुवान 30. पल्लेयान 31. पल्लियान 32. पल्लियार 33. पनियान 34. शोलागा 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर) 36. यूराली

तेलंगाना		
1. अन्ध, साधु अन्ध 2. बगता 3. भील 4. चेंचू, 5. गदाबास, बोडो गदाब, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा 6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर 7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में) 8. पहाड़ी रेड्डी 9. जातपुस 10. कम्मारा 11. कट्टूनायकन 12. कोलम, कोलवर 13. कोन्डा धोरस, कुबी	14. कोन्डा कापुस, । 15. कोन्डारेड्डी 16. कोन्ध कोडी, कोधु, देसया कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, येनिती, कोंध, कुविंगा 17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको 18. कोया, डोली कोया, गुटटा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी रश कोया, पट्टडी कोया, राजा, कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया 19. कुलिया, 20. मन्ना धोरा	21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा, 22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में) 23. परधान 24. परजा, पारंगीपेरजा 25. रेड्डी धोरा 26. रोना, रेना, 27. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस, 28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा 29. थोटी (अडिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिले में) 30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी 31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला 32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा		
1. भील 2. भूटिया 3. छइमल 4. चकमा 5. गारो 6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप 7. जमातिया 8. खासिया 9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहित:- (i) बालते (ii) बेलालहुट	(iii) छाल्या (iv) फुन (v) हजांगो (vi) जांगतेइ (vii) खोरेंग (viii) खेपफोंग (ix) कुन्तेइ (x) लाइफांग (xi) लेन्तई (xii) मिजेल (xiii) नामते (xiv) पाइतु, पाइते (xv) रांगचांग	(xvi) रांगखोले (xvii) थांगलुया 10. लेपचा 11. लुशाइ 12. माग 13. मुण्डा, कौर 14. नोआटिया, मुराशिंग 15. ओरांग 16. रियांग 17. सन्ताल 18. त्रिपुरा, त्रिपुरी तिप्पेरा 19. उछाई

उत्तराखंड		
1. भोटिया 2. बुक्सा	3. जोनसारी 4. राजी	5. थारू

उत्तर प्रदेश		
1. भोतिया 2. बुक्सा 3. जन्नसारी 4. राजी 5. थरू 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)	7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में) 8. सहारिया (ललितपुर जिले में) 9. परहइया (सोनभद्र जिले में) 10. बइगा (सोनभद्रा जिले में) 11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)	12. अगारिया (सोनभद्र जिले में) 13. पतारी (सोनभद्र जिले में) 14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में) 15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल		
1. असुर 2. बइगा 3. बदिया, बेदिया 4. भूमिज 5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकबा, गगाते, तिब्वती योल्मो 6. विरहोर 7. बिरजिया 8. चकमा 9. छेरो 10. चिक बारिक 11. गारो 12. गोंड 13. गोरइत	14. हाजांग 15. हो 16. करमाली 17. खारवार 18. खोंड 19. किसान 20. कोरा 21. कोरवा 22. लेप्चा 23. लोधा खेरिया, खारिया 24. लोहार, लोहरा 25. माघ 26. महाली	27. माहली 28. मल पहारिया 29. मेच्छ 30. मरू 31. मुण्डा 32. नागेसिया 33. ओरान 34. परहाइया 35. रभा 36. सन्ताल 37. सउरिया पहरिया 38. सवार 39. लिम्बू (सुब्बा) 40. तमांग

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह		
1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल	2. जारवास 3. निकोबारी 4. ओंगे	5. सेंटाइनलीस 6. शोम पेन्स

दादर व नगर हवेली		
1. धोडिया 2. दुबला हालपति सहित 3. कठोडी	4. कोकना 5. कोलघा सहित कोली धोर	6. नइकदा या नायक 7. वारली

दमन व दीव		
संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में : 1. धोडिया,	2. दुबला (हालपति), 3. नइकडा (तालावी),	4. सिद्दी (नायक), 5. वारली

लक्षद्वीप
सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :- लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। 'बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा। स्पष्टीकरण :- 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3(I)(घ) में परिभाषित किया गया है।

पुद्दुचेरी
इरूलर (विल्ली और वेट्टईकरण सहित)

नोटः यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

अनुलग्नक–5 ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश* (तेलंगाना सहित)

1. महबूब नगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका		
(1) बालमोर,	(27) अप्पापुर	(53) जगमरेड्डी पल्ली
(2) कोदनांगोल	(28) मालापुर	(54) पेदरा
(3) बनाल	(29) जलालपैंटा	(55) वेंकेश्वरम
(4) बिलाकास	(30) पीमानपेण्टा	(56) चितलाम कुंटा
(5) धारावरम	(31) रायलेट	(57) लाछमापुर
(6) अप्पाइपाली	(32) वेटोलापल्ली	(58) उदमेला
(7) रासुल छेरवु	(33) पातुर बयाल	(59) मारेड़
(8) पुलेछेलमा	(34) भावीपैंटा	(60) इप्पालापल्ली
(9) मारलापया	(35) नारदी पेंटा	(61) मड्डीमाडाग
(10) बुर्ज गुंडाल	(36) तपासीपेंटा	(62) अक्काराम
(11) अगारला पेन्टा	(37) चन्द्रगुप्ता	(63) अइनोल
(12) पुल्लाइपल्ली	(38) युल्लुकातरेवु	(64) सिद्दापुर
(13) दुक्कान पेंटा	(39) तिम्मारेड्डीपल्ली	(65) बमानपल्ली
(14) बिकिट पेंटा	(40) सारलापल्ली	(66) गनपुरा
(15) कारकार पेंटा	(41) ततिगुण्डाल	(67) मानेवारपल्ली
(16) बोरामाछेरन्वू	(42) इल्पामायेहेना	
(17) येमेलापाया	(43) कोमान पेंटा	
(18) इरलापेंटा	(44) कोल्लामपेंटा	
(19) मुदारदीपेंटा	(45) मानानूर	
(20) तेरकालदारी	(46) माछाराम	
(21) वकारामामिदी पेंटा	(47) मलहामाम्डी	
(22) मेडीमानकल	(48) वेकेटेश्वरला बावी	
(23) पंडीबोरे	(49) अमराबाद	
(24) संगरी गुण्डल	(50) तिरमालपुर	
(25) लिंगबोर	(51) उपनुटोला	
(26) रामपुर	(52) मघवनपल्ली	

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा
(2) अनकानपुर
(3) जामुलाधारी
(4) लोकारी
(5) वेंकेट
(6) तान्तोली
(7) सीतागोंटी
(8) बुरनूर
(9) नवगांव
(10) पीपलदारी
(11) पारदी बुजुर्ग
(12) यापाल गुदा
(13) छिनछूघाट
(14) वानकोली
(15) कानपा
(16) अवसोदा बुरकी
(17) मलकापुर
(18) जारी
(19) पालसी बुजर्ग
(20) आरिल खुर्द
(21) नन्दगांव
(22) वाघापुर
(23) पालसीखुर्द
(24) लिंगी
(25) काफर देनी
(26) रतनापुर
(27) कोसाइ
(28) उमारी
(29) मदनपुर
(30) अम्बूगांव
(31) रूयेअडी
(32) सकानपुर
(33) दादगांव
(34) कसलापुर
(35) डोरली
(36) साहाजी
(37) सांगवी
(38) खोगदूर
(39) कोबाई
(40) पोनाला
(41) छापराला
(42) मंगरोल
(43) कोपा अरगूने
(44) सोअनखास
(45) खिडकी
(46) खासल खुर्द
(47) खासल बुजर्ग
(48) जामनी
(49) बोरगांव
(50) सयेद पूर
(51) खारा
(52) लोहारा
(53) मारीगांव
(54) छिछदारी
(55) खानापुर
(56) खण्डाल
(57) तीपा
(58) हाती घोता
(59) करोदखुर्द
(60) करोनी बुजर्ग
(61) सिंगापुर
(62) वुरानपुर
(63) नागराला
(64) बोदाद
(65) छांदपेल्ली
(66) पीतगेन
(67) येकोरी
(68) सादारपुर
(69) वारूर
(70) रोहार
(71) तकली
(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी
(2) बोदरी
(3) छिकली
(4) कामताला
(5) घोती
(6) मांडवा
(7) मेरेगांव
(8) मालबोर गांव
(9) पटोडा
(10) दहीगांव
(11) दोमेन घारी
(12) दरसांगी
(13) डिघरी
(14) सिंदगी
(15) कनकवाड़ी
(16) कोपरा
(17) मलाकवाडी
(18) निसपुर
(19) एन्डा
(20) पीपलगांव
(21) बलजा
(22) वारोली
(23) अन्जी
(24) भीमपुर सिरमेती
(25) केरल
(26) कोठारी
(27) गोकुड़ा
(28) गोगरवुडी
(29) मलकापुर
(30) धोनोरा
(31) रामपुर
(32) पातरी
(33) परोधी
(34) बाओथ
(35) दरसांगी
(36) नोरगांव
(37) उनरसी
(38) गोदी
(39) साउरखेर
(40) नायकवाड़ी
(41) सरकानी
(42) वाझेरा
(43) मारदाप
(44) अंजेरखेर
(45) गोण्डवारसा
(46) पलाइगुडा
(47) करालगांव
(48) पाल्सी
(49) पटोड़ा
(50) जवारला
(51) पीपलगांव
(52) कानकी सिंगोरा
(53) डोगरगांव
(54) पीपल सेंधा
(55) जुरूर
(56) मिनकी
(57) तुलसी
(58) माचौरड़ेर पारधी
(59) मुरली
(60) टाकरी
(61) पारसा
(62) वारसा
(63) उमरा
(64) अष्ठता
(65) हिंगनी
(66) तिमारपुर
(67) बाजरा
(68) बानोला
(69) पाटसोन्डा
(70) धनोरा
(71) साकुर
(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर	(19) तेजापुर	(37) धर्मपुर
(2) बाकरी	(20) गुरूज	(38) हरकापुर
(3) पारद्यी	(21) खाहदीगुडी	(39) धामपुर
(4) करतान्डा	(22) राजुरवाड़ी	(40) निगनी
(5) सेरलापाल्लि	(23) इसपुर	(41) अजारवजार
(6) नेरादी-कोन्डा	(24) घानपुर	(42) चिन्तलबोरी
(7) डालीगाओ	(25) जतेरला	(43) चिंतलबोरी
(8) कुनताला	(26) खान्तेगांव	(44) रामपुर
(9) वेंकटपुर	(27) साउरी	(45) गंगापुर
(10) हसनपुर	(28) इछोरा	(46) गयात्पल्ली
(11) सुरदापुर	(29) मुतनुर	
(12) पोलमामदा	(30) गुडी हाटनूर	
(13) बाल्हनपुर	(31) तालमेडी	
(14) धर्मपुरी	(32) गेरजाम	
(15) गोकोड़ां	(33) छिनछोली	
(16) भोताई	(34) सिरछेलमा	
(17) कोरसेकाल	(35) मनकापुर	
(18) पतनापुर	(36) नारसापुर	

5. आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव

6. आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव जो निम्नानुसार हैं:

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट	(9) जामुलधारी	(17) नीमगांव
(2) गुंजाला	(10) गुडी	(18) खिरदी
(3) इंघानी	(11) छोरपल्ली	(19) मेटापिपरी
(4) समेला	(12) सालेगुडा	(20) साकरा
(5) तेजपुर	(13) बादीगुडा	(21) सांगी
(6) कन्नारगांव	(14) सवाती	(22) देवुरपल्ली
(7) कन्टागुडा	(15) ढाबा	(23) खोटरा-रिंगनघाट
(8) शांकेपल्ली	(16) छोपनगुडा	(24) निशानी

(25) कोटा परानडोली	(46) इहोरघाट	(67) बोरवांउम तेलुन्ड़ी
(26) मेसापुर	(47) वाली झारी	(68) मौगीलोड़ीगुड़ा
(27) गोइगावं	(48) साकमगुंडी	(69) मोइड़ा गुड़ी पेट
(28) घ्रनोरा	(49) आरा	(70) चीन्नेदारी
(29) पारद्या	(50) उप्पाल नवगांव	(71) कोइटेलुण्ड़ी
(30) सुरदापुर	(51) अंकसोरपुर	(72) मदुरा
(31) केरीनेरी	(52) चिराकुन्ता	(73) देवैगुड़ा
(32) मुरकीनोनकी	(53) इल्लिपिट्टा डोरली	(74) आरे गुडा
(33) देवापुर	(54) मन्डरन्मेरा	(75) तकेपाली
(34) छिन्ताकारा	(55) दन्तान्पल्ली	(76) चोउतेपाली
(35) इहेरी	(56) देवदुर्ग	(77) राने कन्नेपल्ली
(36) आरा	(57) तुनपाली	(78) सुंगापुरा
(37) दासनपुर	(58) धांगलेश्वर	(79) राला सामकेपल्ली
(38) कापरी	(59) पादिबान्दा	(80) छोपरी
(39) बेलगांव	(60) तामरिन	(81) दोदा
(40) सिरसगांव	(61) मलगुण्डी	(82) अर्जुनी
(41) मोआर	(62) कन्दन मोओआर	(83) सेरवाई
(42) बादाम	(63) जिओनेना	(84) रापल्ली
(43) धामिरीगुडा	(64) कुटेदा	(85) टेकमाडवा
(44) दाल्लनपुर	(65) तिलानी	(86) मीता अर्जुनी
(45) छालवारडी	(66) कानेपल्ली	

7. आदिलाबाद जिले लक्षेतिपेत तालुका के 18 गांव निम्नानुसार हैं:

लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम	(4) छेलमपेटा	(7) वेंकटपुर
(2) कासीपेत	(5) राजमपेट	(8) राली
(3) दांडे पल्ली	(6) मुत्तीमपेट	(9) कौवाल

(10) तारापेत	(13) रोतपल्ली	(16) वेंकटपुर
(11) देवपुर	(14) माझडामारी	(17) चिंतागुडा
(12) गधापल्ली	(15) धर्मारोपेत	(18) मुत्तेमपल्ली

8. आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव

राजुरा तालुका		
(1) बेंडवी	(21) कानारगांव	(41) कारकी
(2) छिनछोली	(22) छेनाई	(42) नोकारी
(3) गोइगांव	(23) कैरगांव	(43) मनोली
(4) हीरापुर	(24) सामलहीरा	(44) सोनपुर
(5) साकरी	(25) घनोली	(45) इनापुर
(6) बालापुर	(26) मारनगांडी	(46) मानगी
(7) मनोली	(27) येल्लापुर	(47) उपारवाई
(8) अन्तारगांव	(28) काटलबोरी	(48) तुत्ता
(9) विरूर	(29) इसपुर	(49) लकमापुर
(10) डोगरगांव	(30) देवती	(50) किरदी
(11) टिमबेरवाई	(31) पाण्डेरवानी	(51) इनजापुर
(12) सेरसी	(32) वानसारी	(52) जामीनी
(13) बडोरा	(33) पेरदा	(53) हरगांव
(14) व्मरजीरी	(34) वारगांव	(54) छिकली
(15) लाकारकोट	(35) नोकारी	(55) पाटन
(16) डरगांव	(36) मीरापुर	(56) कोसुंडी
(17) किरदी	(37) पारधी	(57) कोतारा
(18) सोंदो	(38) कुतोडा	(58) सोनोरली
(19) देवरा	(39) परसेवारा	
(20) खोरुना	(40) मंगलरा	

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव

सिरपुर तालुका		
(1) रालपेट	(10) उसू रामपल्ली	(19) दामदा
(2) किस्तामपेट	(11) अरपल्ली	(20) ढोरपल्ली
(3) तकलपाल्ले छाकलपल्ली	(12) बोपालपट्टम	(21) कानकी गारलापेट
(4) अनाराम	(13) बालासागा	(22) गुदलाबोरी
(5) येपापल्ली	(14) पारधी	(23) गुरूमपेट
(6) कोरसनी	(15) तुमरीहाती	(24) लोमवेली
(7) इसगांव	(16) छिन्तालमानोपल्ली	(25) मोगुरदागर
(8) छिन्तागुडा	(17) छिन्ताम	(26) विरदान्डी
(9) अंकोरा	(18) गुल्लातालोदी	(27) छिलपुरदुबोर

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव

मुलुग तालुका		
(1) कन्नइगुडा	(16) येलसेथिपाल्लि	(31) रामपुर
(2) अंकनगुड्डा	(17) अल्लामरिघुनपुर	(32) अकामपाली
(3) राघवापट्टनम	(18) रामपुर	(33) कामााराम
(4) मेडारमोला	(19) माल्कपल्लि	(34) कामसेलिगुण्डम
(5) कोएटला	(20) छेत्ताल	(35) आष्ठानागुडा
(6) पारसा नागाराम	(21) भूपतिपुर	(36) येल्लापुर
(7) मुथापुर	(22) गंगाराम	(37) अल्लागुड़ा
(8) मोटलागुड्डा	(23) कन्नइगुडा	(38) नरसापुर
(9) वेंगलपुर	(24) राजन्नापेट	(39) पुस्छापुर
(10) येलपाक	(25) भूताराम	(40) भातुपाल्लि
(11) कानेबोएनपल्लि	(26) अक्केला	(41) लावनाल
(12) मेदाराम	(27) सिरवारपुर	(42) वाड्डगुडा
(13) कोंडरेड	(28) गंगाराम	(43) कोथूर
(14) छिन्तागुडा	(29) भूपतिपुर	(44) पेगदापाल्लि
(15) कोंडापारथी	(30) पुम्बापुर	(45) सारवापुर

(46) भुस्सापुर	(60) कोंडिया	(74) अकुलवारी
(47) चेलवाई	(61) मलयत	(75) धानपुर
(48) रगपुर	(62) अचलपुर	(76) शाहपल्ली
(49) गोविन्दराओपेट	(63) डोल्डा	(77) गागपल्ली
(50) बालपाली	(64) कमाराम	(78) छिन्ना-विओपल्ली
(51) धुमपालागुडा	(65) तादवी	(79) वेकरपुर
(52) केलापाली	(66) बुदीगुडा	(80) नरसापुर
(53) लखनवरम	(67) बन्नजी	(81) अनवाराम
(54) परसा	(68) बन्दाम	(82) लिंगाल
(55) गोनेपाली	(69) सेलपाक	(83) बालेपापल्ली
(56) पडगापुर	(70) कन्तलपल्ली	(84) बंडल
(57) नरलापुर	(71) सरवाई	(85) धुनमापुर
(58) कलवापाली	(72) गंगागुडा	
(59) उरातम	(73) तुपालकालगुदा	

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव

नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली	(10) चन्देलपुर	(19) कोदसापेत
(2) पोलारा	(11) बत्तालपल्ली	(20) गुडेरपल्ली
(3) बाकाचिन्ताफाद	(12) अदवारमपेट	(21) मसामी
(4) गांजाद	(13) सात्यानगर	(22) बत्तवारतीगुदेम
(5) त्रिमागुल्डा	(14) दुत्ल	(23) ममीदीगुदम
(6) गोपालपुर	(15) मोथवाडा	(24) पंगोन्डा
(7) खिस्तापुर	(16) मंगालावारपेत	(25) रोतुराई
(8) तातीनारी वेनपल्ली	(17) कारलाई	(26) सतरेद्दीपल्ली
(9) पत्तल भूपति	(18) अरकालकुंता	(27) कोनापूर

(28) कोंदापुरम
(29) पोगुलापल्ली
(30) गोविन्दपुरम
(31) माकदापल्ली
(32) पागुलापल्ली
(33) मुराइगुडेम
(34) येलछागुडेम
(35) तुम्मापरुम
(36) जगांमवारतीगुडेम
(37) रंगामुडेम
(38) पेडापल्ली
(39) पेरावरम
(40) कुन्दापल्ली
(41) नीलापल्ली
(42) दारावारिनापल्ली
(43) कारनेगुंड
(44) महादेवागुडेम
(45) मारिगुडेम
(46) जंगनपल्ली
(47) बवारगुडा
(48) ओआरवाक
(49) गंगारामम
(50) मुछेरला
(51) अमरोन्छा
(52) कामाराम
(53) छिन्टागुंडम
(54) निलावाच्छा
(55) कांगारगिड्डा
(56) मडागुड्डेम
(57) दालुरपेट
(58) कोठागुडेम
(59) कोटापल्ली
(60) दुर्गाराम
(61) दूबागुडेम
(62) रून्दावाराम
(63) नरसूगुडाम
(64) कोमातलागुडेम
(65) कोटेरवम
(66) सेमर राजपेट
(67) मारेपल्ली
(68) गोआरन्ट
(69) राधियापुर
(70) गजलगुडेम
(71) राजवेपल्ली
(72) वोल्लिपल्ली

(12) वारंगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डू, सिगारेनी, और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे के अतिरिक्त)

(13) (i)वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव, पलोंधा, वोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान

(14) विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र [1][एजेन्सी लक्ष्मीपरुम, छिद्दीकाडा, कोनसासिगि, कुमारापुरुम, कृष्णादेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम गोलूगोण्डापेटा, मुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनाम, वादुरपालि पेदाजेग्गामपेटा गांवों के क्षेत्र के अलावा] [2][विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजा पेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम]

(15) पूर्वी गोदावरी क्षेत्र [2][रामचन्द्र पुरम, गांव और इसके पुरवा पुरूषोथापट्टनम के क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित]

(16) पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

*आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. संख्या 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ. संख्या 30) और आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1955 (सी.ओ. संख्या 50) के तहत संशोधित किया गया।

[1]मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।

[2]आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात **

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका
2. भरूच जिले के देदिया पाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद, और झगाडिया तालुका
3. डांग्स जिला तथा तालुका
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका
6. बडौदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल

** गुजरात राज्य के अनुसूचितक्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 13.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

III. हिमाचल प्रदेश ***

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले में पांगी तहसील और भारमोर उप-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आदेश, 1975 (सी.ओ. 102) दिनांक 21.11.1975 के तहत विनिर्दिष्ट।

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखित

(क) धाहानु, **तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील**

(ख) (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

पालघर तहसील:

(1)	तारापुर	(19)	सलगांव	(37)	बेतेगांव
(2)	कुन्दन	(20)	खुताद	(38)	वारंगदे
(3)	दहीसर टर्फ तारापुर	(21)	खानीवाड़े	(39)	लालोंडे
(4)	घिवाली	(22)	रावते	(40)	घनेडे
(5)	वावे	(23)	अकोली	(41)	काम्पालगांव
(6)	अक्कारपत्ती	(24)	असेरी	(42)	मान
(7)	कुरगांव	(25)	सोमते	(43)	घानेघर
(8)	पारनाली	(26)	पस्थाल	(44)	वाढ़े
(9)	वेनगानी	(27)	बोइसार	(45)	छारी बुदर्ग
(10)	पठारवाली	(28)	बोरसेती	(46)	बिरवाडी
(11)	नेवले	(29)	महागांव	(47)	काल्लाले
(12)	शिगांव	(30)	किराते	(48)	पादघे
(13)	गारगांव	(31)	वाडे	(49)	पोले
(14)	चिंचारे	(32)	खाडवाने	(50)	नानडोरे
(15)	अकेगावान	(33)	माडवान	(51)	गिरनोली
(16)	नानीवाली	(34)	विस्थले	(52)	बोरान्डे
(17)	अंबेढे	(35)	कोडगांव	(53)	देवखोपे
(18)	बरहानपुर	(36)	कारसूद	(54)	सागवे
				(55)	कोसबाद

(56) कोकानेर
(57) नागणारी
(58) छारी खुर्द
(59) बेलगांव
(60) खुताल
(61) छिलहर
(62) भोपोली
(63) नीहे
(64) दामखाण्ड
(65) कोंधान
(66) आवनधान
(67) बेगारचीले
(68) शील
(69) लोवारे
(70) बंधान
(71) नन्द गांव टर्फ मानोर
(72) शील शेट
(73) कताले
(74) अम्भान
(75) वासरोली
(76) खारशेट
(77) मानोर
(78) ताकवाल
(79) सवारखण्ड
(80) नालशेट
(81) केव
(82) वाकाडी
(83) मासवान
(84) वान्डीवाली
(85) नेताली
(86) साये
(87) तेन
(88) कारालगांव
(89) गोवादे
(90) तामसाइ
(91) दुरवेस
(92) धुकतान
(93) पोछादे
(94) होलाले
(95) खामलोली
(96) वाहदोली
(97) बोत
(98) इम्बूर इराम्बी
(99) दानिसारी टर्फ मानोनर
(100) कुडे
(101) गुण्डावे
(102) सीतावली
(103) वेहालोली
(104) सवारे
(105) वराई
(106) जानसाई
(107) खाइरे
(108) ढेकाले
(109) गांजे
(110) जायेशेते
(111) शेलवाडे
(112) वेमूर
(113) अम्बादी
(114) नवाली
(115) मोरावाली
(116) वारखुन्ती
(117) कामार
(118) टोकराले
(119) बन्डाते
(120) जांजरोली
(121) छाडे
(122) वसारे
(123) खादकोली
(124) सखारे
(125) रोथे
(126) लालथाने
(127) नवाजे
(128) तान्डुलवाडी
(129) गिराले
(130) पारगाव
(131) नागवे टर्फ-मानोर
(132) उम्बारपदा नानड़ाडे
(133) उचावाली
(134) सफाले
(135) सोनावे
(136) माकने कापसे
(137) कारवाले
(138) वाधिव सरावली
(139) पेनान्ड
(140) कान्डारवान
(141) दाहीवाले
(142) दारशेट
(143) नवगढ़ (घाटीम)
(144) उम्बारपादा-टर्फ-मानोर।

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील

(1)	दाहीसार	(16)	उसगांव	(31)	अहोले
(2)	कोशिम्बे	(17)	मेघे	(32)	वालिव
(3)	तुलिंज	(18)	वादघर	(33)	सतिवाली
(4)	सकवार	(19)	भीनार	(34)	राजवली
(5)	छिमान	(20)	एम्बोडे	(35)	कोल्ही
(6)	हेडवडे	(21)	कालभोन	(36)	छिनछोती
(7)	काशिदकोपर	(22)	अनदने	(37)	जुचंद्र,
(8)	खानीवाडे	(23)	सायावान	(38)	बापने,
(9)	भालीवाली	(24)	पारोल	(39)	देवदल,
(10)	कावहेर	(25)	शिरवाल	(40)	कामम,
(11)	शिरसाद	(26)	माझीवाली	(41)	सरजामोरी
(12)	मान्धावी	(27)	कारांजोन	(42)	पोमन
(13)	छानदीप	(28)	तिलहर	(43)	fशलोत्तर
(14)	भातने	(29)	धाविव	(44)	ससुनवघर
(15)	शिवनसाई	(30)	पेल्हार	(45)	नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

भिवांडी तहसील

(1)	भिवाली	(11)	चाने	(21)	सूपेगांव
(2)	गनेशपुरी	(12)	असनोली-टर्फ-दुगद	(22)	पिलांजे खुर्द
(3)	वाडावाली वाजरेश्वरी	(13)	दुगद	(23)	पिलांज बुदुर्क
(4)	अकोली	(14)	मनीवाली	(24)	अलखीवाली (25) वाघीवाले
(5)	सवारोली	(15)	वादवाली टर्फ दुगद	(26)	देवहोल
(6)	खतराली	(16)	मालबीडी	(27)	सागोआं
(7)	उसगांव	(17)	मोहिली	(28)	इकसाल
(8)	घोटगांव	(18)	नन्दीथान	(29)	चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे
(9)	वाढ़े	(19)	देपोली	(30)	डूधानी
(10)	वारेथ	(20)	सखरोली	(31)	वापे

(32)	घदाने	(47)	जिदके	(63)	खादकी बुदरूक
(33)	कुंडे	(48)	खारीवाली (49) बासे	(64)	चिम्बीपाडे
(34)	घोतावाडे	(50)	गोंडाडे	(65)	कूहे
(35)	माइडें	(51)	पहारे	(66)	घामने
(36)	करमाले	(52)	सेदगांव	(67)	लाखीवाली
(37)	कांडली बुदर्क	(53)	पच्छापुर	(68)	पालीवाली
(38)	कोल्हे	(54)	गोंड्रवली	(69)	पाये
(39)	कांडली खुर्द	(55)	जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे	(70)	गाने
(40)	दीघाशी	(56)	असनोली-टर्फ-कुडे	(71)	दाहयाले
(41)	नेवादे	(57)	शिरोले	(72)	फिरंगपाडा
(42)	अम्बादी	(58)	दाभाद		
(43)	दालोंड	(59)	महानडुल		
(44)	जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले	(60)	शिरगांव		
(45)	उम्बारखण्ड	(61)	पिंपल सेठ भुसेठ		
(46)	अशिवाली	(62)	खादकी खुर्द		

(iv) मुरबाद तहसील के सतत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मुरबाद तहसील :

(1)	कासगांव	(15)	पारहे	(30)	शेलगांव
(2)	किसाल	(16)	कांडली	(31)	शिरोशी
(3)	वाडावाली	(17)	धासाई	(32)	तालेगांव
(4)	सखारे	(18)	अल्यानी	(33)	फंगालकोशी
(5)	खटालबोर गांव	(19)	पालू	(34)	मेरडी
(6)	अम्बेल खुर्द	(20)	देवघर	(35)	वाल्हीवार
(7)	सयाले	(21)	माढ	(36)	माल
(8)	इंदे	(22)	सोनावाले	(37)	जडाई
(9)	खेडाले	(23)	वेलुक	(38)	अम्बीवाली
(10)	तलवाली-टर्फ-घोराट	(24)	अलावे	(39)	डिंघेपाल
(11)	इकलाहारे	(25)	बरसुंगे	(40)	दीवान पाद
(12)	छफे-टर्फ-खेडुल	(26)	मांडुस	(41)	कोचरे खुर्द
(13)	पिम्पालघर	(27)	खेड	(32)	कोचने बुदर्ग
(14)	देहगांव	(28)	वनोटे	(43)	छोसाले
		(29)	साई		

(44)	खूरल बंगला	(56)	उडालदोहा	(67)	महाज
(45)	नयाहांडी	(57)	महोरांडे	(68)	पडाले
(46)	मोराशी	(58)	टोकवडे	(69)	कोलोशी
(47)	फंगुल गांवाहन	(59)	बालेगांव	(70)	जयगांव
(48)	सवरने	(60)	तलवानी (बडागांव)	(71)	कलामबाद (भोंडीवाले)
(49)	थिताबी-टर्फ-वैशाकहरे	(61)	वैशाखरे	(72)	खेवारे
(50)	कुदशेट	(62)	मनवाली-टर्फ-खेडुल	(73)	दुधानोली
(51)	फंगाने	(63)	पेनढारी	(74)	उमारोली खुर्द
(52)	खपारी	(64)	उमरोली बुदर्क	(75)	खोपीवाली
(53)	हेडावाली	(65)	ओजीवाल	(76)	मील्हे
(54)	कारचोंड	(66)	मंदावत	(77)	गोरखागाद
(55)	जडघर				

2. नासिक जिले में निम्न :

(i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

डिन्डोरी तहसील

(1)	मोखनाल	(12)	देवधान	(23)	ओजे,
(2)	मानवाड	(13)	नानाशी	(24)	गोलसी
(3)	डेहारे	(14)	छारोसे	(25)	जलखंड
(4)	कारंजली	(15)	देवघर	(26)	निगडोल
(5)	गंडोले	(16)	कउदासर	(27)	कोकोगांवबुर्दक
(6)	पलासविहिर	(17)	वनीखुर्द	(28)	उम्बारलेखुर्द
(7)	वारे	(18)	पिंपलगांवधाम	(29)	अम्बेगांव
(8)	वनजोले	(19)	जोरान	(30)	छाछदगांव
(9)	अम्बाद	(20)	महाजे	(31)	वाघाद
(10)	वनारे	(21)	सदराले	(32)	पोपलवाडे
(11)	तितवे	(22)	नालवाडी	(33)	धाउर

(34) उम्बालेबुदुर्क
(35) जम्बूतके
(36) पिम्पराज
(37) नालेगांव
(38) विलवांडी
(39) रासेगांव
(40) कोछारगांव
(41) तिलहोली
(42) रावलगांव
(43) डेहरेवाडी
(44) ढागुर
(45) देवसाने
(46) सरसाले
(47) करांजखेड
(48) पंगलवाडी
(49) इकलाहारे
(50) चउसाले
(51) पिम्परीअंचला
(52) अहिवंतवाडी
(53) गोलडारी
(54) हास्ते
(55) कोलहेर
(56) जिरवाडे
(57) छामदारी
(58) मालदुमाला
(59) मंडाने
(60) कोशिम्बे
(61) पुनेगांव
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर
(64) चंदीकपुर
(65) भाटोडे
(66) दाहिवी
(67) मुलाने
(68) कोकनागांवखुर्द,
(69) मालेगांव
(70) पिम्पराखेड
(71) फोपासी
(72) वानीकास्बे
(73) संगमनेर
(74) खेडले
(75) मवाडी
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव
(78) वागलूड
(79) कृष्णगांव
(80) वारखेड
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गांओंडेगांव
(83) हतनोर
(84) नीलवांडी
(85) पिंपलगांवकेतकी
(86) राजपुर
(87) डिंडोरी
(88) जोपुल
(89) माडकीजाम्ब
(90) पालखेड
(91) इन्दोर
(92) कोरहते,
(93) छिंचखेड
(94) टालेगांवडिंडोरी
(95) अकराले,
(96) मोहाड़ी,
(97) पिम्पसालानारे
(98) खाटवाड
(99) रामसेज
(100) अम्बेडिंडोरे
(101) ढाकम्बे
(102) जानोरी
(103) मानोरी
(104) शिवनाई
(105) वारवांडी
(106) जउलके डिंडोरी,

(ii) इगतपुरी शहर तथा इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

इगतपुरी तहसील

(1) ढाडोशी,
(2) भीलमाल,
(3) पाहिने,
(4) जारवाड खुर्द,
(5) टाक-हर्षा,
(6) असावली हर्षा,
(7) समुन्दी
(8) खारोली
(9) कोजोली
(10) अवहाते
(11) खुशगांव
(12) मेतचन्द्रायची
(13) अलवांड
(14) दापुरे
(15) मेत हुम्बाची
(16) जारवाड बुदुर्क
(17) महासुरली
(18) शेवगेड़ाग
(19) वानजोले
(20) देवगांव
(21) अहुरली
(22) नन्द गांव
(23) वावी हर्षा
(24) नागोसली
(25) ढ़ारगांव
(26) ओडंली
(27) सातुरली
(28) अवाली डुमला
(29) कारहाले,
(30) रायाम्बे
(31) टाकेड गांव
(32) मेटेलयाच्ची
(33) बितुरली,
(34) वालविहार,
(35) भलवी बुदुर्क
(36) पिंपलगांव भाराटा
(37) कोपरागांव
(38) कुरनोली
(39) ढ़ामोली
(40) वाकी
(41) छिनंछाले (खाइरे)
(42) ट्रिंगलवाडी,
(43) अदवान,
(44) अवालखेडे ,
(45) पारदेरी,
(46) बलायदूरी,
(47) खम्बाला,
(48) टेक घोटी,
(49) घोटी बुदुर्क
(50) तालगांव,
(51) गिरनार,
(52) तितोली,
(53) बोरटम्भे ,
(54) तालोशी,
(55) नन्दगांव साडे,
(56) पिंपरी सेर्दोदीन,
(57) तेलघा,
(58) कंचनगांव,
(59) शेनवार्ड बुदुर्क,
(60) फंगुलगांवन,
(61) बोरली,
(62) मानवेदे,
(63) भवाली खुर्द
(64) कालूस्ते,
(65) जामुन्डे,
(66) गाहुन्डे,
(67) भारवाज,
(68) कारूंगवादी,
(69) निरपन,
(70) मनिआरगांव,
(71) अम्बेवाडी,
(72) खाडखेड,
(73) इन्दोर,
(74) उम्बारकोन,
(75) सोमाज घादगा ,
(76) उभाडे (वंजुलवाडी)
(77) मेगारे,
(78) बेलगांव तारहाले ,
(79) धामनगांव,
(80) देओले,
(81) खैरगांव,
(82) पिम्पलगांव मोर,
(83) धामिनी,
(84) अदसारे खुर्द,
(85) अदसारे बुदुर्क,
(86) आछरवाड,
(87) ताकेट खुर्द,
(88) ताकेट बुदुर्क,
(89) खेड,
(90) वारसिंगवे,
(91) सोनोशी,
(92) मइदारा धानोशी
(93) वासाली,

(iii) त्रिम्बक शहर तथा नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नासिक तहसील :

(1) साप्टे,	(24) पिम्पलाडत्रिम्बाक,	(47) दुगांव
(2) कोने,	(25) खामबाले	(48) देवरगांव
(3) खारवाल	(26) सापगांव,	(49) नागलवाडी
(4) वरासविहिर	(27) काचुरली,	(50) ओजारखेडा
(5) वघेरा	(28) अरियानेरी,	(51) चांदसी
(6) रोहिले,	(29) तालेगांवत्रिम्बाक,	(52) गंगामहलुंगी
(7) नन्दगांव	(30) पोगलवाडीत्रिम्बाक,	(53) जलालपुर
(8) गोरथान,	(31) वाछोली,	(54) सवारगांव
(9) हिरदी	(32) उब्बारांडे,	(55) गोवरधान
(10) मालेगांव	(33) कालमुस्ते	(56) शिवगांव
(11) वेलुन्जे	(34) तिम्बार्क(देहात),	(57) पिंपलगांवगरूडेश्वर
(12) गणेशगांववघेरा,	(35) हर्षावाडी	(58) राजवाडी
(13) पिम्परीत्रिम्बाक	(36) मेटघेराकिलात्रिम्बाक	(59) गंगावारहे,
(14) मेटकवारा,	(37) मुलेगांव	(60) गणेशगांवत्रिम्बाक
(15) ब्रहम्णवाडेत्रिम्बाक,	(38) लादाची	(61) गणेशगांवनाशिक
(16) तोआनगान,	(39) नायकवाडी,	(62) वसाली
(17) धुंबदी	(40) वेले,	(63) दूदगांव,
(18) बेसे	(41) सादगांव,	(64) महिरावनी
(19) चकोर	(42) वादगांव,	(65) तालेगांवअंजानेरी,
(20) अम्बोली	(43) मनोली,	(66) जाटगांव,
(21) अम्बाई	(44) ढोडेगांव	(67) सारूल
(22) श्रीरासगांव	(45) दारी	(68) पिंपलाडनासिक
(23) तालवाडेत्रिम्बाक,	(46) गिमाते	(69) राजोरबहुला,
		(70) दहीगांव,

(iv) बगलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

बागलान तहसील :

(1) बोरहाते	(4) गोलवाड	(7) अम्बापुर
(2) मोहलांगी	(5) हतनूर	(8) जाड,
(3) जैतपुर	(6) मालीवाड	(9) वीसापुर,

(10)	सहेवार	(27)	सालहेर	(43)	मोरकुरे
(11)	खाराड़	(28)	कटारवेल	(44)	किकवारी खुर्द
(12)	वाड डिगार	(29)	भीलवाड	(45)	केलजार
(13)	देवथान	(30)	तुनगांव	(46)	ततानी
(14)	कोंधाराबाद	(31)	दसवेल,	(47)	भीलडार
(15)	अंतापुर	(32)	जाखोड	(48)	किकवारी बुर्दक,
(16)	रावर	(33)	मुनगासे	(49)	जोरान
(17)	जामोती	(34)	भावाडे	(50)	साकोड़े
(18)	अलिआबाद,	(35)	दसाने,	(51)	करांजखेड
(19)	अजांडे (20) मुलहर	(36)	मालगांव खुर्द	(52)	डांग सुनडाने
(21)	बाबुलने,	(37)	सालवान	(53)	निकबेल
(22)	मोरने-दिगर	(38)	पिसोर	(54)	बन्धाते
(23)	बोरदइवत	(39)	करसाने	(55)	दाहिन्डुले
(24)	भीमखेत,	(40)	विथोड	(56)	सरवार
(25)	वाघम्बे	(41)	पाठवेडीगर	(57)	वाडीचौलहेर
(26)	मनूर	(42)	तालवेडीगर		

3. धूले जिले में निम्न :-

(क) नवापुर, तालोडा, अक्कालकुआ और अकरानी तहसील

(ख) (i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

सकरी तहसील

(1)	छोपाले	(10)	रायकोट	(19)	जामकी
(2)	रोथोड	(11)	बुरन्दखे	(20)	रूनमाली
(3)	जामखेल	(12)	पानगांव	(21)	वसखेडी
(4)	खरसूवाडे	(13)	लागडवाल	(22)	डामकानी
(5)	सुतारे	(14)	रायतेल	(23)	सालटेक
(6)	धानेर	(15)	ब्रहमणवेल	(24)	दाहीवेल
(7)	अमाले	(16)	आमखेल	(25)	भोनगांव
(8)	माछमाल	(17)	जाम्बोरे	(26)	बादगांव
(9)	खांडवारे	(18)	वारसस	(27)	मेनडान

(28)	दापुर	(46)	उमारपेटा	(64)	सामोडे
(29)	रोहन	(47)	मालगांव,परगानवारसे	(65)	महासदी,परगने पिम्पलनेर
(30)	जेबापुर	(48)	खारगांव	(66)	पिंपलनेर
(31)	अमोड	(49)	कालाम्बे	(67)	चिकासे
(32)	किरवाड़े	(50)	छोरवाड	(68)	जीरापुर
(33)	घोडाडे	(51)	लखाल	(69)	कोकनागांव
(34)	सुरपान	(52)	वारसे	(70)	शेवागे
(35)	कोरडे	(53)	सेनवाड	(71)	धामानधार
(36)	वालव्हे	(54)	कुदासी	(72)	विरखेल
(37)	विटावे	(55)	मनजारी	(73)	पारगांव
(38)	कासबे चहेडवैल	(56)	मापालगांव	(74)	मंडाने
(39)	बसार	(57)	डांगासेर वाडे	(75)	बालहाने
(40)	इसराडे	(58)	बोपखेल	(76)	देशिरवाडे
(41)	पेटाले	(59)	शिव	(77)	काडयाल
(42)	पिंपलगांव	(60)	खात्याल	(78)	ढ़ोगाड्डिगार
(43)	मोहनी	(61)	वारदोली	(79)	शेलबारी
(44)	तेम्भे,परगानवारसे	(62)	काकसाद	(80)	डेगांव
(45)	शिरसोले	(63)	पानखडे		

(ii) नंदुरबार शहर और नंदुरबार तहसील के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

नंदुरबार तहसील

1.	भंगडे	11.	निंबोन बुदुर्क	21.	वयाहुर
2.	मंगलूर	12.	जालखे	22.	धुलवाड
3.	वसलाई	13.	शिरवादे	23.	गुजर भवाली
4.	अर्दितारा	14.	रनाले खुर्द	24.	गुजर जम्बोली
5.	धानोरा	15.	नटवाड	25.	कर्णखेडे
6.	पावले	16.	करांजवे	26.	फुलसारे
7.	कोठडे	17.	शेजवे	27.	उमरदे बुदुर्क
8.	उमज	18.	पिंपलोड-टर्फ-धानोर	28.	नारायणपुर
9.	कोथाली खुर्द	19.	लोया	29.	धिरासागांव
10.	वदाजकान	20.	वेलावेद	30.	धोकवाड

31.	बिलाडी	48.	नालवे खुर्द	66.	पलाशी
32.	खौराले	49.	सुंदारदे	67.	घुली
33.	खामगांव	50.	नालवे बुदुर्क	68.	राकसवाडे
34.	नागासार	51.	दुधाले	69.	वाघोडे
35.	विरचक	52.	नंदारखे	70.	पाटोंडे
36.	टोकारटेल	53.	घने	71.	हाल-टर्फ-हवेली
37.	वाघले	54.	वसादरे	72.	खोडासगांव
38.	ओजारदे	55.	ववाद	73.	शाहदे
39.	आस्थे	56.	चाकले	74.	शिंडे
40.	थानेपाडा	57.	दहींडुले बुदुर्क	75.	कोल्डे
41.	अमरावे	58.	दहींडुले खुर्द	76.	भगसारी
42.	पथराई	59.	अथोरे दिगर	77.	धामदोड
43.	धामदाई	60.	उमारदे खुर्द	78.	सवाल्दे
44.	वारुल	61.	चंपाले	79.	कोरित
45.	अदाच्छी	62.	अकराले	80.	सुजातपुर
46.	लोंखेडे	63.	वादबारे	81.	तिशि
47.	कराजकुपे	64.	अखातवाड़े	82.	धंधाने
		65.	हटी उर्फ इंडि		

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शाहदा तहसील :

(1)	आकासपुर	(13)	रानीपुर (वनग्राम)	(26)	उमारती
(2)	नवगांव (वन ग्राम)	(14)	फात्तेपुर	(27)	पिम्पारी
(3)	वीरपुर	(15)	लक्काडोत (वनग्राम)	(28)	महासवाद
(4)	दारा	(16)	कोटबन्धानी (वनग्राम)	(29)	अनकवाडे
(5)	भूटा	(17)	पिंम्पलोड	(30)	सुलवाडे
(6)	कनसाइ (वनग्राम)	(18)	कुड्डावाड	(31)	तवलाई
(7)	नन्दया कुसुमवाडे (वनग्राम)	(19)	लाच्छोर	(32)	मुबारकपुर
		(20)	कन्नाडी-टर्फ-हवेली	(33)	वेलवाड
(8)	छिराडे	(21)	शीरूद-टर्फ-हवेली	(34)	कलमाडी-टर्फ-बेआरदी
(9)	नागजिरि (वनग्राम)	(22)	अमोडे	(35)	वाडी
(10)	कुसुमवाडे	(23)	अलखेड	(36)	सोनावद-टर्फ-बोआरदी
(11)	नन्दया (वनग्राम)	(24)	पाडाले बुदुर्क	(37)	थेंगचे
(12)	पिम्परानी	(25)	बुदिगांवन	(38)	जावाडे-टर्फ-बोआरदी

(39) तारहाडी-टर्फ-बोआरदी
(40) बारघे
(41) पारी
(42) कोठाली-टर्फ-हवेली
(43) औरंगपुर
(44) चिखाली बुदुर्क
(45) करनखेड
(46) नन्दारडे
(47) वइजाली
(48) वाघोडे
(49) परकाशे
(50) धामलाड
(51) काथारेडे बुदुर्क
(52) काथारडे खुर्द
(53) कलसाडी
(54) धुरखेडे
(55) भाडे
(56) पिगाने
(57) गानोर
(58) आदगांव
(59) खारागांव
(60) कोछारे
(61) बिलाडी-टर्फ-हवेली
(62) बहिरपुर
(63) ब्रहमणपुर
(64) सुल्लातनपुर
(65) रायखंड
(66) खेड दिगर
(67) नावलपुर
(68) चांदसाइली
(69) गोदीपुर
(70) पडालडे खुर्द
(71) भागपुर
(72) जावखेड
(73) सोनवाई-टर्फ-हवेली
(74) कवालीथ
(75) तुकी
(76) सावरवेडे
(77) कारजोत
(78) लाहोर
(79) गोगापुर
(80) कुरांगी
(81) तिधारे
(82) दामालेड
(83) कालामांड-टर्फ-हवेली
(84) चिखाली खुर्द
(85) भारेटेक
(86) श्रीखेडे
(87) ओजारटे
(88) उखालसेम
(89) वघारदे
(90) जाम
(91) जवादे-टर्फ-हवेली
(92) तितारी
(93) होल मुबारकपुर (वनग्राम)
(94) वेदगांव
(95) पिम्पारदे
(96) आशालोड
(97) मंडाने
(98) अवागे
(99) तिखोरे
(100) उन्तावाद
(101) होल
(102) मोहिडे-टर्फ-हवेली
(103) जुनवाने
(104) लोनखेडे
(105) तेम्भाली
(106) होलगुजारी
(107) आसुस
(108) बुपकारी
(109) मलोनी
(110) डोगरागांव
(111) कोथाल-टर्फ-शहादा
(112) मटकुट
(113) बोराले
(114) कामरावेद
(115) कहतुल
(116) वादछित
(117) लोंनढोर
(118) उधालोड
(119) निम्बोरे
(120) धांड्रे बुदर्क
(121) चिरकान (वनग्राम)
(122) असलोड (नया)(वनग्राम)
(123) जैनघर
(124) दांडेरे खुर्द (वनग्राम)
(125) मनमोडया वनग्राम
(126) दुतरवेडे (वनग्राम)
(127) भोगारा (वनग्राम)
(128) वदाली
(129) कोठावाल
(130) भुलाने (वनग्राम)
(131) चांद साइली (वनग्राम)
(132) उभादगाद (वनग्राम)
(133) काकराड खुर्द
(134) खापरखेडे (वनग्राम)
(135) मालगांव (वनग्राम)
(136) लंगादी भवनी (वनग्राम)
(137) शहना (वनग्राम)
(138) काकरदे बुदुर्क
(139) अम्भानपुरा बुदुर्क
(140) काटघर
(141) निम्बारडी (वनग्राम)

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

शिरपुर तहसील :

(1) बोरपानी (वनग्राम)
(2) मलकाटार (वनग्राम)
(3) फत्तेपुर (वनग्राम)
(4) गादहाडदेव (वन ग्राम)
(5) कोडिड (वनग्राम)
(6) गुरहाडपानी (वनग्राम)
(7) भुदाकी बनग्राम (वनग्राम)
(8) वाघपदे (वनग्राम)
(9) सइगारपद (वनग्राम)
(10) मंजरी बुरदी (वनग्राम)
(11) छोन्दी (वनग्राम)
(12) भुदकी (वनग्राम)
(13) छंदसुरया (वनग्राम)
(14) बरोदी (नया) (वनग्राम)
(15) काकडामल(वनग्राम)
(16) वाकवाड (वनग्राम)
(17) उमरदा (वनग्राम)
(18) डुराबड्या (वनग्राम)
(19) मोहिड़ (वनग्राम)
(20) डोडवाडा (वनग्राम)
(21) तेम्भा (वनग्राम)
(22) खैरखान (वनग्राम)
(23) बोआरदी
(24) वसारदी
(25) नन्दारदे
(26) चान्दसे
(27) वाडी बुदुर्क
(28) वाडी खुर्द
(29) जालोड
(30) अभनापुर खुर्द
(31) तारहाड
(32) उखालवाडी
(33) मुखेड
(34) नीमजारी
(35) वरजाडी
(36) वाघबारदा
(37) समरमापद
(38) लउकी
(39) सूले
(40) फत्तेपुर
(41) हेदाखेड़
(42) अरूनपुरी बांधा
(43) संगवी
(44) हाटेड
(45) जेन्दया अन्जान
(46) पलासनेर
(47) खाम्बले
(48) पानाखेड (वनग्राम)
(49) खरकुटी (वनग्राम)
(50) जोयादा (वनग्राम)
(51) छिलारे (वनग्राम)
(52) लकड्या हनुमान (वनग्राम)
(53) महादेव डोन वाड (वनग्राम)
(54) मालापुर (वनग्राम)
(55) रोहिजी
(56) भोइती
(57) अम्बे
(58) खामखेडे परगने अम्बे
(59) हिवारखेडे (वनग्राम)
(60) हिगांव
(61) वाडेल खुर्द
(62) कालापानी (वनग्राम)

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) छोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

छोपडा तहसील :

(1)	मराठा (वनग्राम)	(10)	वइजापुर (वनग्राम)(54)	(19)	कुंडयापानी (वनग्राम)
(2)	मूरढिडा (वनग्राम)	(11)	बोराजन्ती (वनग्राम)	(20)	इच्चापुर परगने अड़वाड़
(3)	उमारती (वनग्राम)	(12)	मालापुर (वनग्राम)	(21)	बधावनी
(4)	सत्रसेन (वनग्राम)	(13)	बोरामाली (वनग्राम)	(22)	बधााई
(5)	कृष्णपुर (वनग्राम)	(14)	करजाने (वनग्राम)	(23)	अनदाने
(6)	अंगुरने	(15)	मेलान (वनग्राम)	(24)	मोहराद
(7)	खारया पडव (वनग्राम)	(16)	विशनपुर (वनग्राम)	(25)	असालवाडी (वनग्राम)
(8)	वइजापुर (राजस्व) (52)	(17)	देवहारी (वनग्राम)		
(9)	मुलुयाउत्तर (वनग्राम)	(18)	देवजिरि (वनग्राम)		

(ii) **यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं :**

यावल तहसील

1.	मानापुरी	6.	हरिपुरा (वन ग्राम)	11.	जामन्या (वन ग्राम)
2.	टोलाने	7.	वाघाजीरा (वन ग्राम)	12.	गदरया (वन ग्राम)
3.	खालकोट	8.	प्रसादे बुदुर्क	13.	उसमाली (वन ग्राम)
4.	इचकहेडे	9.	बोरखेड़े खुर्द		
5.	मलोद	10.	लांगदा अम्बा		

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रावेर तहसील :

(1)	महुमांडली (वनग्राम)	(8)	छिनछाती	(15)	लाहोर
(2)	पिम्परकुंड (वनग्राम)	(9)	पाल	(16)	कुसम्भे बुदुर्क
(3)	अन्धारमालि (वनग्राम)	(10)	मारवाल	(17)	कुसम्बे खुर्द
(4)	तड्या (वनग्राम)	(11)	जिनसी	(18)	पिम्परी
(5)	निम्नद्या (वनग्राम)	(12)	सहसरालिंग (वनग्राम)	(19)	मोहगांन बुदुर्क
(6)	गारबारदी (वनग्राम)	(13)	लालमाटी (वनग्राम)	(20)	पडाले बुदुर्क
(7)	जानोरी	(14)	अवहोडे बुदुर्क	(21)	महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखित :-

(क) अकोली तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अकोली तहसील

(1) तिरधो
(2) पडोसी
(3) महाजुंगी
(4) एकडारे
(5) संगावी
(6) केली रूमहानवाडी
(7) बिताका
(8) खिरवीरे
(9) कोम्भालने
(10) तहकारी
(11) सम्सेरपुर
(12) सावरगांव पाट
(13) मुथालने
(14) बारी
(15) वारंधुसी
(16) लाडागांव
(17) शेनित
(18) पाभुलवांडी
(19) बाभुलवांडी
(20) अंबेवांगन
(21) देवगांव
(22) पेंडशेट
(23) मानहेर
(24) शेलविहीरे
(25) पंजारे
(26) छिनचोंद
(27) वाकी
(28) तितावी
(29) पिंपरकाने
(30) उदादावाने
(31) कोदानी
(32) घाटघर
(33) सिगनवाडी राजौर
(34) मुरशेट
(35) शेंडी
(36) समराड
(37) भंडारडारा
(38) रानाड बुदुर्क
(39) रानाड खुर्द
(40) मालेगांव
(41) कोहीन्डी
(42) दिगम्बर
(43) गुहिरे
(44) कतालपुर
(45) रतनवाडी
(46) मुतखेल
(47) तेरूनगांव
(48) राजोर
(49) विथे
(50) कोटलेम्भे
(51) कालूगांव
(52) जामगांव
(53) शिरपुंजे बुदुर्क
(54) सवारकुटे
(55) कुमशेट
(56) शिरपुंजे खुर्द
(57) घामनवन
(58) अम्बित
(59) बालधान
(60) मानिक ओजार
(61) पुरूचवाडी
(62) मवेशी
(63) शिसवाद
(64) वापजुलसेत
(65) गोंडोशी
(66) खादकी
(67) साकिर वाडी
(68) पचनानी
(69) छिछावने
(70) पदालने (80)
(71) शेलाद
(72) पिंपरे
(73) घोटी
(74) पैथान
(75) लवाली कोतुल
(76) वाघदारी
(77) शिलवांडी
(78) कोहोने
(79) लिवाली ओतुर
(80) तेले
(81) कोथाले
(82) सोमलवाडी
(83) विहिर
(84) शिंडा
(85) अम्बित खिंड
(86) पालसुंडे
(87) पिसेवाडी
(88) फोपसांडी
(89) सातवाडी
(90) केली ओतुर
(91) केली कोतुल
(92) खेतवाडी
(93) इसारथाव
(94) करांडी

6. पुणे जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अम्बेगांव तहसील :

(1)	डोन	(20)	पंचाल खुर्द	(39)	राजेवाडी
(2)	पिम्परागान	(21)	महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव	(40)	सूपेघर
(3)	अघाने	(22)	सवारली	(41)	तालघर
(4)	अहूपे	(23)	मेघोली	(42)	मापोली
(5)	तिरपाड	(24)	वाछापे	(43)	डिम्भे खुर्द
(6)	नहावेद	(25)	साकेरी	(44)	पोखारी
(7)	असाने	(26)	पिमपारी	(45)	गोहे बुदुर्क
(8)	मलीन	(27)	अम्बेगांव	(46)	निगाडाल
(9)	नानावाडे	(28)	जाम्बोरी	(47)	गोह खुर्द
(10)	अमाडे	(29)	कालाम्बाई	(48)	अपाती
(11)	वरसावने	(30)	कोन्ढावाल	(49)	गंगापुर खुर्द
(12)	कोंढारे	(31)	फूलवाडे	(50)	अमोंडी
(13)	आदेवारे	(32)	फलोडे	(51)	कनासे
(14)	बोरघर	(33)	कोलटावाडे	(52)	गंगापुर बुदुर्क
(15)	पाटन	(34)	तेरूनगांव	(53)	सिनोली
(16)	कुसीरे खुर्द	(35)	दिम्भे बुदुर्क	(54)	पिम्पालगांव-टर्फ-घोडा
(17)	पंचाल बुदुर्क	(36)	महालुंगे-टर्फ-घोडा	(55)	साल
(18)	कुसीरे बुदुर्क	(37)	राजपुर	(56)	ढाकले
(19)	दिगाद	(38)	छिक्काली		

(ii) जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

जुन्नार तहसील :

(1)	छिल्लेवाडी	(6)	कोल्हेवाडी	(11)	खूबी
(2)	अम्बेहवाइन	(7)	कोपारे	(12)	पिम्पालगांव
(3)	जामभूलसी	(8)	मंडावे	(13)	कारंजाले
(4)	खिरेश्वर	(9)	सिंगनोर	(14)	माछ
(5)	माथालाने	(10)	आलू	(15)	पांगरी-टर्फ-माधा

(16) कोलवाडी
(17) परगाव-टर्फ-मोद
(18) तालेरान
(19) सीतेवाडी
(20) वाथाले
(21) निमगिर
(22) अनजानवाले
(23) हदसर
(24) देवाले
(25) खाइरे
(26) घाटघर
(27) जलवांडी
(28) हिरदी
(29) उनदेखादेक
(30) राजपुर
(31) खाटकाले
(32) मणिकोधा
(33) खाड कुम्बे
(34) उरसान
(35) वेवादी
(36) तेजपुर
(37) फंगलघावन
(38) छावान्ड
(39) पुर
(40) खानगांव
(41) मानकेश्वार
(42) सुरले
(43) अम्बोली
(44) शिरोली-उर्फ-कुकादनेर
(45) वानेवाडी
(46) अपटाले
(47) कोली
(48) शिवाली
(49) उतचिल
(50) बोतारडे
(51) धालेवाडी-टर्फ-मिनहर
(52) भिवांडे बुदुर्क
(53) इंगालून
(54) भिवाडे खुर्द
(55) घंगालडारे
(56) सोनावाले
(57) ताम्बे
(58) हिवारे-टर्फ-मिनहर
(59) हतविज
(60) अम्बे
(61) पिंपलवाडी
(62) सुकालेवाडे
(63) गोदरे
(64) खामगांव
(65) सोमतवाडी

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखित :-

किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैं :

किनवत तहसील :

(1) **तकली**
(2) पदसा
(3) सायपाल
(4) मुरली
(5) वादसा
(6) कोली
(7) अता
(8) गोण्डेगांव
(9) मदनपुर (महोर)
(10) बोण्डगांव
(11) उमरा
(12) मछन्द्रा पारद
(13) करालगांव
(14) स्वरखेड
(15) डिगडी (कुटेमार)
(16) वाई
(17) हरदाप
(18) नाइकवाडी
(19) हिनगानी
(20) वाजरा
(21) तुलसी
(22) गोंडवासा
(23) अंजानखेड
(24) भोराड़
(25) छोराड़
(26) धनोरा (सिंदखेड)
(27) रामपुर
(28) पाथरी
(29) खाम्बला
(30) पारदी
(31) सिन्दखेड
(32) चिंचखेड
(33) होटाला
(34) वाइफानी
(35) धुंद्रा
(36) गउरी
(37) बोथ
(38) सइलू
(39) करनजी (सिन्दखेड़)
(40) भगवती
(41) वाराज बुदुर्क
(42) उमरी
(43) उनकदेव
(44) चाइस
(45) पिंपलसेंडा
(46) सरखानी
(47) देलही
(48) निराला
(49) नूरगांव
(50) टिट्वी
(51) लिंगी
(52) नागपुर
(53) जुनुनी
(54) दिगदवजारा
(55) डारसांगवी (सिंदखेड)
(56) सिंगोडा
(57) सिरपुर
(58) ताम्भी
(59) पटोड़ा बुदुर्क मिनको
(60) मांडवी
(61) जवारला
(62) पालसी
(63) वेलागांव
(64) कनकी
(65) कोठारी (सिन्दखेड़)
(66) पिपलगांव (सिंदखेड)
(67) डोगरगांव (सिंदखेड़)
(68) जरूर
(69) मिनकी
(70) पचुण्डा
(71) वनोला
(72) साकुर
(73) मैंडकी
(74) डिगडी
(75) धानोरा (ड़िगड़ी)
(76) मोहनपुर
(77) मुनगस
(78) सिंगदी (किनबत)
(79) मालबोरगांव
(80) नेजपुर
(81) राजगाड
(82) वडोली
(83) अनजी
(84) कनकवाडी
(85) लोनी
(86) धामनधारी
(87) पंधारा
(88) बेल्लोरी
(89) मारेगांव
(90) कमथाला
(91) अम्बादी
(92) खेरदा
(93) मलकापुर
(94) घोती
(95) सिरमेत्ती
(96) भीमपुर
(97) पिपलगांव (किनवार)
(98) छोगारवाडी
(99) गोकुंडा
(100) माण्डवा
(101) डिग्डी (मगावोड़ी)
(102) नागजरी
(103) कोठारी (चिखली)
(104) परधान संगवी
(105) बेन्डी
(106) अमाडी
(107) मदनापुर (चिखली)
(108) शानीवार पेठ
(109) दभादी
(110) चिखाली
(111) हुदी (चिखली)
(112) एन्धा
(113) भूलजा
(114) डारसंगवी
(115) मालकवाडी
(116) पेन्डा
(117) परधी खुर्द
(118) केरल
(119) डेगांव
(120) लिंगधारी
(121) परदी बुदुर्क
(122) बोधादी खुर्द
(123) बोधादी बुदुर्क
(124) सिंदगी (चिखली)
(125) अंधाबोरी (चिखली)
(126) कोपारा
(127) पीपर फोडी
(128) पटोडा (छिकली)
(129) पिपरी
(130) धानोरा, चिखली
(131) सवारी
(132) धारा
(133) पोथ रेड्डी
(134) सिगारवाडी
(135) अन्जेगांव
(136) भंडारवाडी
(137) जलधारा (चद्रपुर)
(138) बेलोरी (छिखली)
(139) मालकोलारी
(140) डिगरास
(141) डोंगरगांव (चिखली)
(142) शिवोनी (चिखली)
(143) परोटी
(144) स्वरगांव
(145) जलधारा (इस्लापुर)
(146) कोठारी
(147) हुड्डी (इस्लापुर)
(148) करांजी (इस्लापुर)
(149) कुपटीखुर्द
(150) कुपटी बुदुर्क
(151) वागधारी
(152) तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :-

चिखलाधारा और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :-

(क) (i) मारेगांव तहसील के एक सौ तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

मारेगांव तहसील :

1. घोगुलदारा
2. शिओनाला
3. बुरांडा
4. फापल
5. कन्हलगांव
6. खेपाडवाई
7. घोदाधारा
8. नरसाला
9. धामानी
10. मदनापुर
11. बोरी खुर्द
12. पिसगांव
13. वडगांव (40)
14. फिसकी (वन ग्राम)
15. भालेवाड़ी
16. पथारी (51)
17. चिंचाला
18. पंर्धकवाला (53)
19. खर्दा (वन ग्राम) (54)
20. पिम्परद (वन ग्राम)
21. फपरवाड़ा
22. सलाभटी (वन ग्राम)
23. दोलदोंगरगांव
24. माचिन्द्रा
25. पंडविहार
26. जाल्का
27. पंधारदेवी (वन ग्राम)
28. अम्बोरा (वन ग्राम)
29. चिंचोनी बोटोनी
30. अवलगांव (वन ग्राम)
31. कन्हलगांव (85)
32. खारीगांव (86)
33. सराती
34. बुरांडा (88)
35. दुर्गादा
36. वागधारा
37. मेंधानी
38. घानपुर
39. खंडानी
40. खापरी
41. उचातदेवी (वन ग्राम)
42. मारेगांव (वन ग्राम)
43. खंडानी
44. महासदोदका
45. पालगांव
46. बोटोनी
47. गिर्जापुर (वन ग्राम)
48. पछपोहर
49. अम्बेजारी
50. रोहपात
51. रैनपुर
52. सगनपुर
53. हिवारा बरसा
54. रामपुर
55. कतली बोरगांव
56. पारदी (116)
57. शिबला
58. चियाली (वन ग्राम)
59. बोरगांव (वन ग्राम)
60. पेंधारी
61. अर्जुनी
62. कागांव
63. रजनी
64. माजरा
65. गंगापुर (वन ग्राम)
66. भोइकुंड (वन ग्राम)
67. वाधोना
68. सुसारी
69. सुरला (131)
70. गोदानी
71. निमानी
72. दरारा
73. आसन
74. जगलोन
75. जामकोला
76. इसापुर
77. किलोना
78. उमरघाट
79. वल्लासा
80. जुनोनी (वन ग्राम)
81. लेंचोरी
82. चिंचघर
83. अम्बिजारी, खुर्द
84. अम्बेजारी बुदुर्क
85. करगांव खुर्द
86. निम्बादेवी
87. टेम्फी
88. कुंडी
89. मांडिव
90. जुनोनी
91. पाराम्भा
92. पोखरनी (वन ग्राम)
93. पिवारदोल
94. भोराद (वन ग्राम)
95. चिखालदोह
96. मुलगवान
97. भीमनाला
98. चटवान
99. अराइकवाड़
100. गवारा
101. माथार्जुन
102. महदापुर
103. पंधारवानी
104. देमाद देवी
105. मंडवा
106. डोंगारगांव
107. दभाड़ी
108. उमरी
109. मुधाती
110. द्यसोदी
111. कोडपखिंडी
112. मंगरूल खुर्द
113. मंगरूल बुदुर्क
114. गोपालपुर
115. रामपेठ
116. चालबरडी
117. जामनी
118. शिरोला
119 अदकोली
120. खालकलोह
121. बिरसापेठ
122. मुछी
123. मारकी बुदुर्क
124. मरकी खुर्द
125. गणेशपुर
126. पवांर (वन ग्राम)
127. कृष्णपुर (वन ग्राम)
128. खेकाड़ी (वन ग्राम)
129. शेकापुर
130. यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील :

1. लोहारा
2. एकलारा
3. सोनेर्डी
4. वाटक हेर
5. जलका
6. वामा
7. पिंपारी दुर्ग
8. मांडवा
9. कोलवान
10. शोइत
11. वरूद
12. बुकाई
13. जरगद
14. खादकी सुकली
15. डोंगर गांव
16. तेजानी
17. अंजी
18. लोनी
19. बोराती (वन गांव)
20. सुराती
21. खैरगांव कसार
22. वारधा
23. भुलगद
24. पिंपलशेंडा, (75)
25. अतमुर्डी
26. सावरखेड
27. चोंधी
28. वधोडा
29. खेमकुन्ड
30. पार्डी (वन गांव)
31. उमरविहिर
32. अदनी
33. खटारा
34. मुन्जाला
35. पलासकुन्ड
36. वीर गांव
37. खेर गांव
38. देवधारी
39. सिंगल दीप
40. सोनुर्ली
41. सिन्दुला
42. जोतिंगदारा
43. साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव और पन्धार्कवाड़ा कस्बा शामिल किया गया :-

केलापुर तहसील :

1. मोदारी
2. जोगीन कोहला
3. मीरा
4. जीरा
5. घोद्दारा (वन गांव)
6. साखी बुदुर्क
7. वधोना खुर्द
8. जोलापुर (वन गांव)
9. करानी
10. वधोना बुदुर्क
11. तिवसाला (वन गांव)
12. कोथाड़ा
13. सुरदेवीं
14. चनई
15. असोली
16. मुहादा
17. कारेगांव
18. चिखालदारा
19. कृष्णापुर
20. दाभा
21. मारवा
22. खेरगांव
23. वघोली
24. कुसलगांव
25. चोपन
26. मल्कापुर (वन गांव)
27. केगांव
28. वाद्नेर
29. जुली
30. भाद उमारी
31. पटोडा
32. पहापल
33. नगजारी खुर्द
34. बहत्तार
35. सुसारी
36. नईकसुकली (वन गांव)
37. पेधारी
38. पिल्पाली
39. डोंगारागांव (308)
40. बेथ
41. माले गांव खुर्द (वन गांव)
42. हिवारदारी (वन गांव)
43. मालागांव बुदुर्क (वन गांव)
44. दरियापुर
45. पिल्वाहरी
46. अर्ली
47. हिवारी
48. पिंपालशेंडा (333)
49. कारागांव,
50. वाडवत
51. खैरी (336)
52. घुवाडी
53. कोंघारा
54. सखारा बुदुर्क
55. धारना
56. मांगी (343)
57. ढाकी (344)
58. वायी
59. पिंपालपुर
60. गणेशपुर (347)
61. खेरगांव,
62. पाह (260)
63. निलजई
64. मारगांव (352)
65. अभोरा
66. डोंगरगांव, (358)
67. पिंपारी (353)
68. खैरगांव (360)
69. मुची
70. मंगुर्दा
71. पन्धारवानी बुदुर्क (वन गांव)
72. कोंधी
73. वेदाद
74. बागी
75. घनमोडे
76. नन्दगांव
77. गणेशपुर (370)
78. टाटापुर
79. जुन्जापुर
80. गेंडवाकाडी
81. चलबर्दी
82. बेलुरी
83. टादुमारी
84. बरगांव (377)
85. अकोली बुदुर्क
86. महानदोली
87. सखारा
88. मराठवाकाडी
89. ढोकी (382)
90. वल्लारपुर
91. टोकवनजारी
92. वानजारी (382)
93. खारीगांव बुदुर्क
94. टिमभी
95. राधापुर (वन गांव)
96. पिखाना (वन गांव)
97. वासएरी
98. अन्धारवाडी,
99. यलापुर (वन गांव)
100. चनाखा
101. निमधोली
102. रूधा
103. सुकली

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

घतांजी तहसील :

1.	मरवेली	20.	अयाते	39.	चिखालवार्धा
2.	रजुरवाडी	21.	काप	40.	तड-सवाली
3.	लिंगी	22.	कवाथा बुदुर्क	41.	सफैाल
4.	कोली खुर्द	23.	बिलायत	42.	नागेजरी बुदुर्क
5.	कोली बुदुर्क	24.	खादकी (260)	43.	कवाथा (वन गांव)
6.	रामपुर उन्धार्नी	25.	चिमटा	44.	पारवा
7.	कपाशी	26.	कोपरी खुर्द	45.	मझाडा
8.	डेटोडी	27.	चिंचोली (268)	46.	पार्दी
9.	गुधा	28.	किंधी (वन गांव)	47.	जम्ब
10.	वारूड, (240),	29.	गवारा (वन गांव)	48.	कालेश्वर
11.	जपारवाडी	30.	टिटवी	49.	शेराद
12.	उमरी (242)	31.	मुरादगवन (वन गांव)	50.	धूंकी (वन गांव)
13.	पलोडी	32.	पिंपाल खुटी (वन गांव)	51.	मथानी (वन गांव)
14.	कापरी (244)	33.	खरोनी (वन गांव)	52.	राजागांव (वन गांव)
15.	घोटी	34.	वधोना	53.	खापरी (वन गांव)
16.	बुडाडी	35.	डोर्ली	54.	होनेगांव
17.	मुधाटी (वन गांव)	36.	राहती	55.	गनेडी
18.	जलान्द्री	37.	रासा (वन गांव)		
19.	मनुसधारी	38.	जताला		

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखित :-

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेड़ा तहसील ।

(ख) (i) गढ़चिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गढ़चिरोली तहसील :

1.	नवगांव (636)	22.	मुदजा तुकुम	43.	गजनगुद्दा
2.	चाक चुरचुरा	23.	करूपाला	44.	बनोली
3.	कुराधी	24.	मसली	45.	सूर्यडोंगरी
4.	चाक मउसी	25.	रणभूमि	46.	सलाईटोला
5.	मरमेडी	26.	चन्दाला	47.	विटानटोटा
6.	बोथेडी	27.	रणमोल	48.	पोटेगांव
7.	पेलनदुर,	28.	कुम्भी पत्च	49.	रजोली
8.	गिलगांव (658)	29.	कुम्भी मोकासा	50.	मद्रास
9.	चाक खारपुर्डी,	30.	मादे मुल	51.	जालेर
10.	जपरा,	31.	मारोदा	52.	दैवापुर
11.	चाक धिबाना	32.	कोसाम घाट	53.	रामगाड, (738)
12.	मेरउमबोडी	33.	रायपुर (718)	54.	गावलहेटी
13.	कुरकेडी	34.	रवानजोरा	55.	डेउडा
14.	खुरसा	35.	पेकिनकासा	56.	खरादगुडा
15.	वीजापुर	36.	सवेला	57.	तालकुडा
16.	सोनापुर	37.	सुईमारा	58.	जामगांव
17.	मोंधा (680)	38.	सखेरा	59.	खाडसी
18.	सावरगांव (683)	39.	कर्कजारा	60.	कोरकुटी
19.	कनरी	40.	कन्हलगांव (725)	61.	नागवेली
20.	पुलखाल	41.	केलीगाटा	62.	जालेगांव
21.	मुदजा बुदुर्क	42.	तोहागांव		

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

अरमोरी तहसील :

1.	कोरागांव (06)	26.	चाक केरनाडा	51.	पिसेवाडढ़ा
2.	कालमगांव	27.	लोहारा (78)	52.	परासवाडी (113)
3.	कुरल	28.	चाक सोनपुर	53.	डवाडी
4.	सलेडा तुकाम	29.	हीरापुर (80)	54.	खादकी (115)
5.	सलेडा लाम्बा	30.	डोंगर तमसी	55.	भाकरांडी
6.	कसारी तुकाम	31.	सियानी खुर्द	56.	नरोती मालगुजार
7.	कसारीगांव	32.	चावहेला	57.	कोरेगांव (119)
8.	शिवराजपुर (29)	33.	मोहाताला चाक कुकोडी	58.	वारखेडा
9.	पोटेगांव	34.	मेंधा (89)	59.	खराडी
10.	विहिरगांव	35.	डोंगारतमसी	60.	भंशी
11.	पिंपालगांव (33)	36.	नगरवाडी	61.	डोर्ली
12.	अरात-तोन्डी	37.	चाक नरोती	62.	वनारचुवा
13.	डोंगारगांव (हलाबी	38.	चाक कुरोंडी	63.	जमभाली (127)
14.	प्लासगांव	39.	वाडेगांव	64.	मिंधा (128)
15.	नवारगांव	40.	थोटीबोडी	65.	नारचोली
16.	पनथारगोटा	41.	देलवांडी	66.	खेहारी
17.	मगेवेड़ा	42.	मेनापुर	67.	मारगांव पेच
18.	अर मोरी	43.	कोसारी	68.	मारगांव (140)
19.	सलमारा	44.	मनगोडा	69.	चाक मारगांव
20.	थानेगांव	45.	तुलतुली	70.	चाक चिचोली
21.	पटानवेडा	46.	चकनागारवाही	71.	मुसी खुम्ब
22.	पुरानवैरागड	47.	विहिरगांव	72.	वेलागांव (144)
23.	देउलगांव (69)	48.	कुरांडी	73.	चिचोली (145)
24.	सुकला	49.	उमारी	74.	वानखेडा
25.	मोहाजारी ऊर्फ सखारबोडी	50.	यंगाडा		

(iii) चामरोसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

चामरोसी तहसील :

(1)	सगानपुर (758)	(23)	पन्धारी भटाल	(46)	छिचपाल्ली
(2)	वनढोना (764)	(24)	राजनगेट्टा	(47)	वानारछुवा
(3)	गिलगांव (765)	(25)	चाक अमरगांव न. 1 (809)	(48)	जयरामपुर
(4)	भिंडी कनाल (771)	(26)	मुतनूर	(49)	वाइगांव
(5)	देटारी	(27)	अबापुर	(50)	नारायणपुर
(6)	चाइट कनवर	(28)	मुरानदेपी	(51)	राजौर खुर्द
(7)	कलामगांव	(29)	लिनगुडा	(52)	हलदवाही
(8)	कुरूड	(30)	अदयल	(53)	मुधोली
(9)	मेलर	(31)	कर्कापल्ली	(54)	कोठारी (845)
(10)	कुलीगांव	(32)	चाक कर्कापल्ली	(55)	बम्हनी देव
(11)	नाचागांव	(33)	जंगामकुरल	(56)	सोमनापल्लि
(12)	बहेडविहिड (788)	(34)	फियूजर	(57)	कान्हलगांव (848)
(13)	वालसारा	(35)	दिकानी	(58)	सिंगेला
(14)	चाक विजापुर	(36)	चाक मुदोली न. 2	(59)	बेलगाट्टा
(15)	जोगाना	(37)	लक्षमणपुर	(60)	पेठाताला
(16)	मुरमुरी	(38)	सगानपुर	(61)	छाक पेठाताला सं. 1
(17)	रावनपाली	(39)	अम्बोली	(62)	पारादीदेव
(18)	सोनापुर	(40)	गहुबोदी	(63)	यादापाल्ली
(19)	डरर्ली	(41)	छाक नारायनपुर संख्या 1	(64)	राजपुर
(20)	रेखागांव	(42)	छाक नारायनपुर संख्या 2	(65)	जाम्भाली रिथ
(21)	यदनूर	(43)	राजुर वुदर्क	(66)	मेटे गुडा
(22)	पेलसानपेथ	(44) भादविड (45)	मांगनेर	(67)	छाक बेलगत्ता

(68) मांजी गांव
(69) मच्छालीगोट
(70) छाक माक्केपल्लि सं. 4
(71) दर्पन गुडा
(72) छाक माके पल्लि सं. 2
(73) छाक माकेपल्लि सं. 3
(74) गारांजी
(75) छाक मेड आमगांव
(76) छाक मेड आमगांव संख्या 1
(77) छाक मेड आमगांव संख्या 2
(78) तुमडी
(79) रिगाडी
(80) माकेपाल्लि मालगुजारी
(81) बोरघाट
(82) अस्टी नोकेवाडा
(83) ब्राहमणपेठ
(84) वेंगानूर
(85) नोकेवाडा
(86) अल्ला पाल्लि
(87) रेगेवाही
(88) कोलपाल्लि
(89) अम्बेला (वनग्राम)
(90) गोट्टा (वनग्राम)
(91) अडगेपाल्लि
(92) सुरगांव (वनग्राम)
(93) येल्लूर
(94) थाकरी
(95) राजगट्टा (908)
(96) लोहरा
(97) मुकारीटोला
(98) भोलखांडी (वनग्राम)
(99) हेतलकासा
(100) बोलपाल्लि
(101) पुलीगुड्म
(102) कुनगादा
(103) कुनगाड़ा
(104) कालपुर
(105) गंगापुर
(106) चंदन खेड़ी
(107) मालेरा
(108) बसारवाडा
(109) छपराला
(110) छइदामपेट्टी
(111) मुकाडी (वनग्राम)
(112) सिगनपाल्लि
(113) धामनपुर
(114) कोठारी (930)
(115) अम्बाटपाल्लि
(116) गोमानी
(117) लागमहेट्टी
(118) दामनपुर
(119) बन्दुकपाल्लि
(120) कोडीगांव
(121) छिछेला
(122) नागुलवाही
(123) छितुगुंहा
(124) तुमुगुडा
(125) माछिनगट्टा
(126) येल्ला
(127) टिकपाल्लि
(128) मरपाल्लि
(129) जामगांव
(130) कुलथा
(131) रामपुर
(132) लागम चक

11. चंद्रपुर जिले में निम्नलिखित :-

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1)	परसौदा	(31)	हतलौनी	(61)	बेलगांव
(2)	रायपुर	(32)	एरगांव	(62)	जुलबारदी
(3)	खतौडा खुर्द	(33)	उमारजारा	(63)	सवालहीरा
(4)	गोविंदपुर	(34)	एलापौर	(64)	खीरागांव (80)
(5)	खतौडा बुदुर्क	(35)	शिंगार पैथौर	(65)	पांढरवानी (81)
(6)	मेंहदी	(36)	लवौरी	(66)	जांम्बुलढ़ारा
(7)	परदी	(37)	सेदवाई	(67)	धानकदेवी
(8)	जैवरा	(38)	नरपाथर	(68)	येरमी इसपुर
(9)	चनाई खुर्द	(39)	कोदापुर	(69)	सारंगपुर
(10)	अकोला	(40)	घरपाना	(70)	जिवाती
(11)	कोरपाना	(41)	नोकवाडा	(71)	नागपुर
(12)	दुर्गादी	(42)	गुडसेला	(72)	मारकोलमोट्टा
(13)	रूपापेठ	(43)	वानी	(73)	धोंदा अरगुनी
(14)	चनाई बुदुर्क	(44)	कोकाजारी	(74)	धोंधा मांडवा मांव्बा
(15)	मांडवा	(45)	मोहदा	(75)	टेका अर्जुनी बुदुर्क
(16)	कनेरगांव बुदुर्क	(46)	पुदियाल मोहदा	(76)	टेका
(17)	कथलावौडी	(47)	कमलापुर	(77)	राहपल्लि
(18)	शिवपुर	(48)	चिचखोंड	(78)	छिखिली
(19)	चौपान	(49)	वनसाडी	(79)	पाटन
(20)	करमवौडी	(50)	पराम्बा	(80)	हीरापुर
(21)	कुकुलवौडी	(51)	देवघाट	(81)	इसपुर
(22)	टीपा	(52)	कुसाल	(82)	आसन खुर्द
(23)	मंगुलहीरा	(53)	दाहेगांव	(83)	आसन बुदुर्क
(24)	खोदकी (27)	(54)	सोनुरलो (70)	(84)	पीपलगांव
(25)	जमुलधारा (28)	(55)	करगांव खुर्द (73)	(85)	पालजारी
(26)	वोरगांव बुदुर्क	(56)	धानोली	(86)	बोरिनवे गांव
(27)	वोरगांव खुर्द	(57)	पिपराडा	(87)	नन्दा
(28)	आशापुर	(58)	छिनछोली	(88)	बीबी
(29)	तानगोला	(59)	करगांव बुदुर्क	(89)	धुनकी
(30)	खेरगांव (33)	(60)	मारकागोंडी (76)	(90)	धामनगांव

(91) काखमपुर
(92) बाडगांव
(93) इंजापुर
(94) चंदूर
(95) कुकादसात
(96) खिरदी
(97) थुतरा
(98) बहलामपुर
(99) मनोली खुर्द
(100) जमानी
(101) नोकरी बुदुर्क
(102) सोनापुर
(103) उप्पार वाई
(104) भुरखुंडा खुर्द
(105) कदकी (150)
(106) नोकारी खुर्द
(107) नागराला
(108) पालेजारी
(109) काकबान
(110) डोगरागांव (155)
(111) छिखाली (158)
(112) भुरखुंडा बुदुर्क
(113) पाछगांव
(114) सेनगांव (159)
(115) ताताखोंडी
(116) भेंडवी
(117) सुकादपालि
(118) मारकागोंडी
(119) तित्वी
(120) नादपा
(121) येरगांवन
(122) कावादगोंडी
(123) सोरकसारा
(124) कुसम्बी
(125) जनकपुर
(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(127) देवाडा
(128) कदकी रायपुर
(129) गोवेन्दपुर
(130) मारियापाटन
(131) उमराजारा (176)
(132) राहपल्लि खुर्द
(133) धार्मराम
(134) भोकसापुर
(135) बाम्बेजारी
(136) भारी
(137) पांडरवानी
(138) सिंडोलाटा
(139) सोंडो
(140) बेलगांव (185)
(141) काकडघाट
(142) गनेरी
(143) खिरदी
(144) सेदवाई
(145) बाबापुर
(146) हीरापुर
(147) सखारी
(148) मनोली बुदुर्क
(149) गोयेगांव
(150) हरडोनाखुर्द
(151) हरडोना बुदुर्क
(152) विनिरगांव (224)
(153) मागी
(154) वांगी
(155) पांढरपुनी (227)
(156) अहेरी
(157) कोच्छी
(158) गोराज
(159) बारुर
(160) रानीवेली
(161) भेडोडा
(162) ताम्भुरवाही
(163) चिरूड
(164) छिंछवोडी
(165) कवथाला
(166) सोनुरली
(167) सिरसी
(168) बेरडी
(169) भेंडाला
(170) केलजारी
(171) नवेगांव (265)
(172) छिंछाला
(173) वीरूर
(174) सिद्घेश्वर
(175) घोट्टा
(176) डोगरागांव
(177) सुबाई
(178) कोस्ताला
(179) लाक्कदकोट
(180) अम्बेजारी
(181) अन्तारगांव (277)
(182) अन्नूर

\# महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को, जहां तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 2.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. ओडिशा

1. मयूरभंज जिला
2. सुंदरगढ़ जिला
3. कोरापुट जिला
4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील
5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सब-डिवीजन की क्योंझर और तेलकोइ तहसीले और चम्पुआ सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें।
6. बौध-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब-डिवीजन की खोण्डमाल तहसील और वालीगुडा सब-डिवीजन की वालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।
7. गंजाम जिले में आर. उदयगिरी तहसील और पारलखेमुण्डी तहसील के गूमा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब-डिवीजन के गजलबाडी और गोचा ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।
8. कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप-मण्डल में थौमुल रामपुर खंड और लालजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें।
9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के नीलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

\#\# ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध उड़ीसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान

1. बांसवाड़ा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :-

(क) फालसिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और लसादिया तहसीलें

(ख) गिरवा तहसील के पंचायत-वार निम्नलिखित 81 गांव:

(1) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

(2) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपालती और नया खेड़ा गांव

(3) नाई पंचायत का नाई गांव

(4) दोदावाली पंचायत का, दोदावाली कालीवास, कार नाली, सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

(5) बड़ी उन्दरी पंचायत के बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमारिया खेरवा गांव

(6) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और आर गांव

(7) पदूना पंचायत के पदूना, अमर पुरा और ज्वाला गांव

(8) चनावाडा पंचायत का चनावाडा गांव

(9) सारू पंचायत के सारू और बरन गांव

(10) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

(11) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नयाखेड़ा, कनूर और उदिया खेरा गाँव

(12) बारापाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव

(13) काया पंचायत के काया और चांदनी गांव

(14) तीतारदी पंचायत के तीतारदी, फांडा, बिलिया, दाकन कोट्रा, धुलिया की पटी और सावीना खेरा गांव

(15) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

(16) वाली पंचायत के वाली, बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

(17) चांदसदा पंचायत के चांदसदा दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जया गुरहा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

(18) जगत पंचायत का जगत गांव

(19) दातीसार पंचायत के दातीसार, रूनीजा, बासू और रोह्रा गांव

(20) लॉकरवास पंचायत के लोकार वास और परोला गांव

(21) भला का गुरहा पंचायत के भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चितौड़गढ जिले में प्रतापगढ़ तहसील
5. सिरोही जिले की आबुरोड तहसील में आबूरोड खंड

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

VII. झारखंड@

1.	रांची जिला	8.	सरायकेला-खरसावां जिला	14.	गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
2.	लोहरदगा जिला	9.	साहेबगंज जिला	15.	गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक
3.	गुमला जिला	10.	दुमका जिला		
4.	सिमडेगा जिला	11.	पाकुर जिला		
5.	लातेहर जिला	12.	जामतारा जिला		
6.	पूर्वी-सिंहभूम जिला	13.	पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें		
7.	पश्चिमी-सिंहभूम जिला				

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश@@

1. झाबुआ जिला
2 मंडला जिला
3 डिन्डोरी जिला
4 बरवानी जिला
5 धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी, धर्मपुरी, गंधवानी और मनवार तहसील
6. खारगोन (पश्चिम निमार) जिले के भवानीपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खारगोन और महेश्वर तहसील
7. खण्डवा (पूर्व निमार) जिले के हरसुद तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और खकनार तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8. रतलाम जिले का सैलाना एवं बजना तहसील
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और भैंसदेही, शाहपुर तहसीलें
10. सियोनी जिले के लखनादौन तहसील और घनसौर कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले की मैहर तहसील

12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सिधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. 10 से 12 और 16 से 19 तक, सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव पटवारी सर्किल सं. 09 में, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं. 25 का बमहानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं. 28 से 36, 41, 43, 44 और 45 बी तक।

    बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं. 05, 08, 09, 10, 11 और 14, पटवारी सर्किल सं. 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं. 12 (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं. 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं. 28 के नीलकंठ और धावादिखापा गांव।

IX. छत्तीसगढ़ @@

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गौरेला- 1, गौरेला-2 आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला
9. रायगढ़ जिले में धार्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड
12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धामतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुन: निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पण: उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा।

अनुलग्नक 5घ

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति (31.12.2016 तक)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिन वर्षों के लिए राज्यपाल की रिपोर्टों प्राप्त हुई						
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
3.	गुजरात	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
4.	झारखंड	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
6.	मध्ध प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित
8.	ओडिशा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
9.	राजस्थान	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित
10.	तेलंगाना	दिनांक, 2 जून 2014 को राज्य बना					प्रतीक्षित	प्रतीक्षित

अनुलग्नक 5ड.

वर्ष 2012-13 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण (31.12.2016 तक)

राज्यों के नाम	टीएसी की बैठकों की तिथियां				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंध्र प्रदेश	एन आर	15.10.2013	एन आर	एन आर	एन आर
छत्तीसगढ़	13.7.2012 तथा 25.11.2012	17.7.2013	22.7.2014	08.06.2015 तथा 17.12.2015	12.07.2016
गुजरात	24.04..2012	एन आर	एन आर	07.10.2015	एन आर
हिमाचल प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	29.07.2015	एन आर
झारखंड	9.11.2012	एन आर	एन आर	28.01.2016	26.04.2016 तथा 03.11.2016
मध्य प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
महाराष्ट्र	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
उड़ीसा	28.9.2012	27.7.2013	एन आर	एन आर	एन आर
राजस्थान	7.9.2012	12.4.2013	18.12.2014	एन आर	एन आर
तमिलनाडु*	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
पश्चिम बंगाल*	एन आर	23.12.2013	05.06.2014	26.08.2015	एन आर
तेलंगाना	2 जून 2014 को राज्य बना		एन आर	एन आर	24.06.2016
उत्तराखंड*	19 जनवरी 2015 को टीएसी नियमावली अधिसूचित हुई		एन आर	एन आर	08.07.2016 तथा 02.08.2016

टिप्पण: * दर्शाता है कि इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है।
एन आर : रिपोर्ट नहीं किए गए।

अनुलग्नक-6क

2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य-वार टीएसपी परिव्यय

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य में अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	2013-14				2014-15				2015-16			
			राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	राज्य योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय	राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	राज्य योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय	राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	राज्य योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	7.00	52,955	3,667	2,056	3.88	26,670	1,442	एनआर	-	34,408	1,904	1,711	4.97
2.	असम	12.45	12,500	82	73	0.58	18,000	90	68	0.38	25,406	98	34	0.13
3.	बिहार	1.28	34,000	485	116	0.34	55,099	509	509	0.92	57,138	679	544	0.95
4.	छत्तीसगढ़	30.62	25,250	7,952	6,947	27.5	26,615	9,519	9,417	35.40	29,753	10,513	10,066	33.8
5.	गोवा	10.23	4,715	518	241	5.11	4,232	455	249	5.88	6,191	469	278	4.49
6.	गुजरात	14.75	58,500	7,102	6,387	10.90	69,195	9,039	7,901	11.40	79,295	9,691	8,379	10.60
7.	हिमाचल प्रदेश	5.71	4,100	369	361	8.80	4,400	395	432	9.82	4,800	432	424	8.83
8.	जम्मू और कश्मीर	11.91	7,300	1,114	एनआर	-	एनआर	एनआर	एनआर	-	एनआर	एनआर	एनआर	-
9.	झारखण्ड	26.21	16,800	8,475	5,103	30.40	26,250	11,680	एनआर	-	29,004	11,334	एनआर	-
10.	कर्नाटक	6.95	48,685	2,480	2,481	5.10	65,600	4,357	एनआर	-	72,597	4,583	एनआर	-
11.	केरल	1.45	17,000	390	390	2.29	20,000	600	एनआर	-	20,000	605	एनआर	-
12.	मध्य प्रदेश	21.09	35,500	6,800	6,267	17.70	53,513	12,058	एनआर	-	40,344	8,658	एनआर	-
13.	महाराष्ट्र	9.35	49,000	4,360	3,979	8.12	51,223	4,815	4,090	7.98	54,999	5,170	4,563	8.30
14.	मणिपुर	35.12	3,650	1,376	1,281	35.10	8,671	3,060	एनआर	-	-	3,366	एनआर	-
15.	ओडिशा	22.85	24,035	5,620	5,100	21.20	37,529	7,885	5,870	15.60	44,230	8,468	5,190	11.70
16.	राजस्थान	13.48	42,499	5,494	4,803	11.30	66,065	9,178	7,671	11.60	1,11,784	15,613	13,821	12.40
17.	सिक्किम	33.80	2,060	810	810	39.30	2957	810	648	21.90	5,176	एनआर	एनआर	-
18.	तमिलनाडु	1.10	37,000	489	440	1.19	42,185	573	446	1.06	55,100	658	330	0.60
19.	तेलंगाना	9.34	0	0	0	0	48,638	4,560	1,727	3.55	52,375	5,036	3,222	6.15
20.	त्रिपुरा	31.76	3,859	995	950	24.60	6,157	1,901	1,532	24.90	6,043	3,345	1,329	22
21.	उत्तर प्रदेश	0.57	69,200	42	19	0.03	1,13,500	104	47	0.04	1,20,000	256	204	0.17
22.	उत्तराखण्ड	2.89	8,500	255	177	2.08	9,750	318	259	2.66	15,795	430	227	1.44
23.	पश्चिम बंगाल	5.80	26,674	2,148	1,584	5.94	42,694	3,139	3,022	7.08	49,507	3,725	एनआर	-
Total			**5,83,782**	**61,023**	**49,565**	**8.49**	**7,98,943**	**86,487**	**43,888**	**5.49**	**9,13,945**	**95,033**	**50,332**	**5.51**

एनआर-रिपोर्ट नही किया गया।

अनुलग्नक-6ख

2013-14 से 2016-17 के दौरान मंत्रालय / विभाग-वार जनजातीय उप-योजना आवंटन

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	2013-14			2014-15			2015-16		2016-17
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
1	कृषि एवं सहकारिता विभाग	932.50	952.88	960.08	953.52	885.60	875.68	971.71	930.10	1200.00
2	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	123.00	92.00	92.00	133.80	90.00	90.00	133.00	108.03	133.20
3	कोयला मंत्रालय	31.60	37.72	0.00	37.15	0.00	33.05	0.00	37.15	18.00
4	दूरसंचार विभाग	14.50	9.13	0.00	17.50	7.47	0.00	1.64	0.00	0.00
5	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	201.00	143.38	143.08	256.00	106.22	222.33	172.00	181.00	214.40
6	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	6.28	6.00	7.50	4.13	2.40	2.40	1.12	1.12	2.10
7	संस्कृति मंत्रालय	28.70	29.40	26.27	36.70	30.00	25.88	29.10	28.34	35.10
8	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	1526.00	1200.00	1275.45	1526.00	1210.00	672.52	623.00	1074.30	1400.00
9	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	16.00	13.70	13.98	16.00	11.74	12.72	5.00	5.00	5.50
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2391.53	1899.53	2162.98	2512.89	1866.37	1916.16	2013.02	2014.56	2566.60
11	आयुष मंत्रालय	21.38	15.00	11.21	21.38	9.35	9.35	20.16	12.80	21.00
12	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	35.04	23.31	24.94	144.00	24.60	19.99	130.00	40.20	111.38
13	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	5313.52	5046.02	4879.35	5663.80	4796.35	4707.15	4297.27	4297.16	4276.70
14	उच्चतर शिक्षा विभाग	1219.59	1105.59	1043.49	1267.62	951.31	884.34	1189.17	1011.05	1238.00
15	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	206.95	146.10	108.36	200.57	121.36	123.14	176.55	52.65	127.10
16	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	244.21	203.98	137.80	273.00	179.37	170.39	214.27	206.53	246.01

क्रम सं.	मंत्रालय / विभाग	2013-14			2014-15			2015-16		2016-17
		ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
17	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
18	खान मंत्रालय	9.72	8.56	0.00	21.47	0.00	10.71	0.00	8.94	11.70
19	पंचायती राज मंत्रालय	37.55	617.87	0.00	1203.00	582.20	0.00	0.00	15.21	0.00
20	सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	800.00	660.00	359.34	400.00	350.00	399.26	400.00	520.00	400.00
21	ग्रामीण विकास विभाग	4452.03	3574.84	4452.03	10358.49	2907.93	3314.27	2714.37	2786.18	4269.49
22	भू-संसाधान विभाग	576.45	246.80	252.90	375.00	250.10	254.03	159.97	154.80	165.00
23	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	69.43	36.73	36.91	78.12	36.30	36.20	85.04	85.04	100.00
24	दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग	46.00	33.65	15.58	45.20	28.93	31.78	45.22	43.60	56.00
25	वस्त्र मंत्रालय	55.57	43.20	20.79	55.57	49.47	33.04	42.28	67.78	40.20
26	पर्यटन मंत्रालय	32.05	24.50	24.34	47.05	27.50	30.45	37.00	21.25	37.50
27	जनजातीय कार्य मंत्रालय	4279.00	3879.00	3821.67	4479.00	3850.00	3832.20	4792.19	4550.00	4800.00
28	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	19.50	7.70	0.00	191.58	0.00	60.00	0.00	190.05	146.00
29	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1668.70	1668.70	1575.78	1730.20	1517.00	1597.51	843.57	1666.71	1418.60
30	युवा मामले और खेल मंत्रालय	90.28	90.28	79.53	101.29	69.72	72.30	85.30	68.07	79.56
	कुल	**24448.08**	**21815.57**	**21525.36**	**32150.03**	**19961.29**	**19436.85**	**19181.95**	**20177.62**	**23206.14**

अनुलग्नक–6ग

क्रियाकलापों की व्याख्यात्मक सूची

क्रम सं.	वर्ग	मामले/क्रियाकलाप
1.	शिक्षा (एसएसए/आरएमएसए निधियों के साथ तालमेल में)	(i) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्तमान भवन अवसंरचना में वृद्धि (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के साथ भी) (ii) सह-शिक्षा आवासीय विद्यालयों का निर्माण। (iii) बालक तथा बालिका छात्रावासों का निर्माण। (iv) आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में सौर-ऊर्जा का उपयोग। (v) आवासीय विद्यालय (उच्चतर माध्यमिक स्तर को प्राथमिकता) में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटी, हरित ऊर्जा आदि जैसे अर्थ जगत के आधुनिक क्षेत्र सहित)। (vi) विशेष रुप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उपकरण नियमों पर शासकीय संस्थानों में विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में अतिरिक्त इकाई/मदें आरंभ करना (बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए भी) (vii) विद्यालयों में जनजातीय खेलकूदों के प्रोत्साहन का प्रावधान (युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं, राज्य टीएसपी के तहत टीएसपी प्रवाह के साथ समन्वय में) (viii) शिक्षा सुविधा/उपकरण आधारित आईटी (उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए। (ix) प्रतिभावान जनजातीय विद्यार्थियों की पहचान और पालन/प्रोत्साहन के लिए विशेष उपाय। (x) विशेष प्रयास/आधुनिक उपायों के लिए 3-5 वर्ष के लिए आवर्ती लागत- (1) विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम के रुप में अंग्रेजी की शुरुआत। (2) जनजातीय प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों में सर्वोत्तम पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु विशेष छात्रवृत्ति। (3) विद्यालयों में व्यवहार कुशलता को बेहतर करने के उपाय (सामान्य शैक्षिक अवधि के उपरांत)। (4) सुपर 30 की तरह विशेष प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधा।
2.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता	(i) सीएचसी/पीएचसी के भवन निर्माण में वृद्धि/मजबूती। (ii) न्यूनतम 3 वर्ष की जीवन-अवधि वाले उपकरण। (iii) सुदूर स्थानों में सचल औषधालय। (iv) जनजातीय विद्यार्थियों के बीच सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करना और स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान। (v) महामारी वाली स्वास्थ्य समस्याएं जैसे स्थानिक, कुष्ठ रोग, टी.बी. आदि के उन्मूलन पर ध्यान। (vi) पैरा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में जनजातीय विद्यार्थियों का प्रशिक्षण।

3.	प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी तथा अन्य	(i) जनजातीय परिवार की आय बढ़ाने के लिए व्यापारिक और परंपरागत अनाजों को अपनाना और बढ़ाना। (ii) मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और नमी/जल संवर्धन के उपाय (कुआं, ट्यूबवेल और पम्पसेट आदि सहित)। (iii) जैविक खेती को प्रोत्साहन। (iv) केवीके और अन्य कृषि अनुसंधान संगठनों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र को विशेष तकनीकी सहायता (विस्तार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण सहित)। **बागवानी:** (i) पॉली हाउस, ग्रीन हाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों के बगीचे लगाना। (ii) बागवानी के उत्पाद को बढ़ाने का अभ्यास और प्रचार (iii) जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन। (iv) सुगंधित और औषधीय पौधों का प्रसार। (v) ड्रिप सिंचाई और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग। **डेयरी विकास:** (i) जनजातीय परिवारों के लिए बेहतर और उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्रसंस्करण और शीत गृह अवसंरचना सहित डेयरी विकास (अथवा अन्य) आधारित सहकारिता। (ii) निर्माण अवसंरचना और उपकरण सहित पशु चिकित्सा सेवा। (iii) कृत्रिम वीर्य रोपण (एआई) के माध्यम से उच्च उपज परिणाम के लिए स्थानीय नस्ल को बेहतर बनाना। (iv) स्व-रोजगार के लिए पश्चगामी एवं अग्रगामी लिंकेज के साथ प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। **मुर्गी पालन तथा मछली पालन:** (i) बाजार मूल्य श्रृंखला को उचित लिंकेज के साथ फ्राई और फिंगर लिंग के उत्पादन सहित जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से वाणिज्यिक मछली पालन। (प्रशिक्षण सुविधाओं सहित) (ii) घर में मछली पालन को प्रोत्साहन। (iii) पश्चगामी और अग्रगामी लिंकेज के साथ आय सृजनकारी गतिविधि के रुप में मुर्गी पालन को प्रोत्साहन।
4.	जनजातीय पारिवारिक अर्थ-व्यवस्था बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं	(i) जनजातीय सहकारिता/स्व-सहायता समूह/व्यक्तिगत उद्यमशीलता के प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि/वन/प्राकृतिक संसाधन आधारित लघु/ग्राम उद्योगों की स्थापना। (ii) जनजातीय शिल्पकारों की बेहतर आय के लिए वस्त्र, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन के उत्पाद जैसे जनजातीय उत्पादों के लिए वर्तमान अवसंरचना (डिजाइन विकास आदि सहित) को बढ़ावा देना। (iii) जनजातीय उत्पादों को बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं और भंडारण। (iv) ग्राम पर्यटन, जैव-पर्यटन और साहसिक पर्यटन। (v) जनजातीय गहने, चित्रकारी, नृत्य कला, संगीत और पाक कला आदि जैसी परंपरागत जनजातीय सांस्कृतिक विधाओं में कौशल विकास और प्रोत्साहन। (vi) निश्चित स्व-रोजगार/प्लेसमेंट लिंकेज के साथ कोई अन्य क्रियाकलाप।

5.	प्रशासनिक/संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन	(i) टीआरआई का सुदृढ़ीकरण (भवन अवसंरचना/उपकरण और आईटी सहायता के साथ)। (ii) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्र नियमावली तैयार करना। (iii) विशेष जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान करना। (iv) टीएसपी निगरानी के लिए आईटी उपकरण सहायता।
6	कौशल विकास (भारत सरकार/राज्य सरकार के विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण की जारी योजनाओं के अंतर्गत टीएसपी प्रवाह के साथ संयोजन)	(i) महिला लाभार्थियों के लिए मुख्य स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केंद्रित क्रियाकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
7.	खेलों को प्रोत्साहन (भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के टीएसपी प्रवाह के साथ संयोजन में)	(i) जनजातीय स्कूलों में खेल की सुविधाओं का प्रावधान। (ii) खेल परिसर/छोटे स्टेडियमों आदि का निर्माण। (iii) जनजातीय युवाओं की आवश्यक प्रतिभागिता के साथ खेल के कार्यक्रम आयोजित करना।
उपर्युक्त क्रियाकलाप संबंधी विधाओं के लिए व्यावसायिक / कौशल विकास प्रशिक्षण (रोजगार सुनिश्चित करते हुए)		

अनुलग्नक-6घ

टीएसपी को एससीए के तहत 2007-08 से जारी निधियां (31.12.2016 तक)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00	5789.00	2937.82	3500.00	2414.06
2	असम	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59	5844.00	3407.80
3	बिहार	715.50	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00	0.00	403.00	1368.26	743.74
4	छत्तीसगढ़	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00	9478.00	9826.50	10809.64	7908.61
5	गोवा	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.68
6	गुजरात	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	7410.00	8448.00	10382.74	10566.50	7358.64
7	हिमाचल प्रदेश	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00	1768.00	997.99	475.00	1197.80
8	जम्मू और कश्मीर	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00	1702.41	0.00	2000.00	3671.61
9	झारखण्ड	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	11413.25	12187.00	9571.11	10000.00	8991.46
10	कर्नाटक	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25	2471.00	3000.00	4370.00	4515.26
11	केरल	352.36	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00	549.00	530.00	357.50	481.58
12	मध्य प्रदेश	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00	17525.00	15274.22	11501.21	14174.81
13	महाराष्ट्र	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00	7728.00	11726.18	12514.91	9310.11
14	मणिपुर	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10	1581.90	1118.00	1100.00	2011.54
15	ओडिशा	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00	13321.00	14925.04	14728.52	9809.38
16	राजस्थान	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04	10190.00	7493.26
17	सिक्किम	280.36	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00	437.00	520.25	353.00	525.00
18	तमिलनाडु	142.59	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	600.00
19	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.00	4000.00	2992.35
20	त्रिपुरा	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94	2400.07	1345.76
21	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	139.60	805.83	0.00	0.00
22	उत्तर प्रदेश	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79	905.51	121.92
23	पश्चिम बंगाल	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75	4181.36	5730.00	6233.00	4069.47
	कुल	**63179.81**	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**96234.09**	**85254.35**	***105000.00***	**103999.37**	**113217.12**	**93599.84**

अनुलग्नक-6ड.

2016-17 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों की निर्मुक्ति

(31.12.2016 तक)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2500.00	141.73	2641.73
2	अरुणाचल प्रदेश	250.00	4465.53	4715.53
3	असम	0.00	844.12	844.12
4	बिहार	900.00	442.45	1342.45
5	छत्तीसगढ़	7000.00	1059.53	8059.53
6	गोवा	65.00	385.00	450.00
7	गुजरात	3900.00	3530.25	7430.25
8	हिमाचल प्रदेश	375.00	1084.80	1459.80
9	जम्मू और कश्मीर	1500.00	2039.66	3539.66
10	झारखण्ड	8100.00	580.25	8680.25
11	कर्नाटक	3300.00	611.23	3911.23
12	केरल	500.00	136.27	636.27
13	मध्य प्रदेश	4400.00	10315.22	14715.22
14	महाराष्ट्र	9100.00	1452.85	10552.85
15	मणिपुर	950.00	675.33	1625.33
16	मेघालय	0.00	221.46	221.46
17	मिजोरम	1050.00	713.14	1763.14
18	नागालैण्ड	1700.00	289.86	1989.86
19	ओडिशा	9600.00	86.07	9686.07
20	राजस्थान	700.00	8576.67	9276.67
21	सिक्किम	200.00	250.00	450.00
22	तमिलनाडु	650.00	148.24	798.24
23	तेलंगाना	2750.00	509.82	3259.82
24	त्रिपुरा	1150.00	21.76	1171.76
25	उत्तर प्रदेश	700.00	438.62	1138.62
26	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	2250.00	1876.81	4126.81
	कुल योग	**63590.00**	**40896.67**	**104486.67**

अनुलग्नक-6च

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत स्वीकृत एवं कार्यरत ईएमआरएस की संख्या (31.12.2016 तक)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत ईएमआरएस की संख्या	कार्यरत ईएमआरएस की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14	04
2.	अरुणाचल प्रदेश	05	02
3.	असम	02	0
4.	बिहार	02	0
5.	छत्तीसगढ़	25	13
6.	गोवा	1	0
7.	गुजरात	24	23
8.	हिमाचल प्रदेश	01	01
9.	जम्मू-कश्मीर	04	0
10.	झारखंड	15	04
11.	कर्नाटक	12	09
12.	केरल	02	02
13.	मधय प्रदेश	29	25
14.	महाराष्ट्र	16	16
15.	मणिपुर	05	03
16.	मिजोरम	06	02
17.	नगालैंड	05	03
18.	ओडिशा	26	13
19.	राजस्थान	17	15
20.	सिक्किम	03	02
21.	तमिलनाडु	05	03
22.	तेलंगाना	09	07
23.	त्रिपुरा	07	04
24.	उत्तर प्रदेश	04	02
25.	उत्तराखंड	01	01
26.	पश्चिम बंगाल	07	07
	कुल	**247**	**161**

अनुलग्नक-6छ

2016-17 के दौरान ईमआरएस के लिए निर्मुक्त निधियों की राज्यवार राशि दर्शाने वाला विवरण (31.12.2016 तक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		
		आवर्ती	अनावर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निर्मुक्तियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	आंध्र प्रदेश	680.40	0.00	680.40
2	अरुणाचल प्रदेश	50.40	200.00	250.40
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1756.02	6303.51	8059.53
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	3802.26	750.00	4552.26
8	हिमाचल प्रदेश	88.20	0.00	88.20
9	जम्मू-कश्मीर	0.00	1955.19	1955.19
10	झारखंड	806.40	3686.21	4492.62
11	कर्नाटक	999.60	0.00	999.60
12	केरल	221.76	0.00	221.76
13	मधय प्रदेश	3370.92	2400.00	5770.92
14	महाराष्ट्र	1512.00	3100.00	4612.00
15	मणिपुर	239.40	1380.00	1619.40
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	168.00	0.00	168.00
18	नगालैंड	183.96	400.00	583.96
19	ओडिशा	2242.80	2700.00	4942.80
20	राजस्थान	1633.80	600.00	2233.80
21	सिक्किम	300.30	0.00	300.30
22	तमिलनाडु	378.00	420.00	798.00
23	तेलंगाना	1344.00	0.00	1344.00
24	त्रिपुरा	730.80	435.00	1165.80
25	उत्तर प्रदेश	189.00	500.00	689.00
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	1049.16	0.00	1049.16
कुल		**21747.18**	**24829.91**	**46577.10**

अनुलग्नक-6ज

अनुच्छेद 275(1) के तहत 2016-17 के दौरान स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

(31.12.2016 तक)

क्र.सं.	राज्य	ईएमआरएस	निर्मुक्त निधि
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	16.00
2.	गुजरात	1	12.00
3.	जम्मू और कश्मीर	2	32.00
4.	महाराष्ट्र	2	24.00
5.	मणिपुर	2	32.00
6.	ओडिशा	4	48.00
7.	तमिलनाडु	3	36.00
8.	त्रिपुरा	3	48.00
9.	उत्तर प्रदेश	1	12.00
	कुल	**19**	**260.00**

अनुलग्नक-7

दिनांक 30.11.2016 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में प्राप्त दावों की संख्या पर वितरित अधिकार पत्रों के प्रतिशत के संबंध में स्थान दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	30.11.2016 तक प्राप्त दावों की संख्या			30.11.2016 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			निरस्त दावों की संख्या	प्राप्त दावों की संख्या में वितरित अधिकार पत्रों का प्रतिशत	प्राप्त दावों की से पर वितरित अधिकार पत्रों का प्रतिशत		
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल			व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
1	आन्ध्रप्रदेश	1,50,345	4,493	1,54,838	83,874	1,319	85,193	55,282	55.02%	1,98,633.00	4,34,355.00	6,32,988.00
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	37,669	37.93%	77,609.17	उ.न.	77,609.17
3	बिहार	8,022	उ.न.	8,022	222	उ.न.	222	4,102	2.77%	उ.न.	उ.न.	0.00
4	छत्तीसगढ़	8,60,364	उ.न.	8,60,364	3,47,789	उ.न.	3,47,789	5,07,907	40.42%	7,41,318.22	उ.न.	7,41,318.22
5	गोवा	9,372	361	9,733	0	3	3	23	0.03%	0.00	4.35	4.35
6	गुजरात	1,82,869	7,229	1,90,098	73,163	3,875	77,038	0	40.53%	1,16,119.00	10,81,583.00	11,97,702.00
7	हिमाचल प्रदेश	5,409	283	5,692	238	108	346	2,162	6.08%	0.35	उ.न.	0.35
8	झारखण्ड	1,03,625	3,403	1,07,028	52,573	1,850	54,423	25,791	50.85%	81,587.92	85,615.57	1,67,203.49
9	कर्नाटक	3,66,040	6,208	3,72,248	8,159	144	8,303	1,88,943	2.23%	11,166.00	26,274.79	37,440.79
10	केरल	36,140	1,395	37,535	24,599	उ.न.	24,599	7,889	65.54%	33,018.12	उ.न.	33,018.12
11	मध्य प्रदेश	5,74,795	42,156	6,16,951	2,06,960	27,252	2,34,212	3,74,718	37.96%	21,10,991.87	उ.न.	21,10,991.87
12	महाराष्ट्र	3,46,653	8,953	3,55,606	1,06,063	4,187	1,10,250	2,30,732	31.00%	2,31,421.21	13,92,644.78	16,24,065.99
13	ओडिशा	6,18,384	13,433	6,31,817	3,99,996	5,513	4,05,509	1,50,133	64.18%	5,98,524.34	2,83,884.97	8,82,409.31
14	राजस्थान	70,582	685	71,267	36,038	उ.न.	36,038	35,139	50.57%	54,583.29	657.53	55,240.82
15	तमिलनाडु	18,420	3,361	21,781	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00
16	तेलंगाना	2,11,973	3,769	2,15,742	99,486	761	1,00,247	99,377	46.47%	8,18,090.52	12,74,327.90	20,92,418.42
17	त्रिपुरा	1,93,751	277	1,94,028	1,24,541	55	1,24,596	65,902	64.22%	4,34,119.31	91.16	4,34,210.47
18	उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	74,945	19.81%	18,854.46	1,20,802.06	1,39,656.53
19	उत्तराखण्ड	182	उ.न.	182	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1	0.00%	उ.न.	उ.न.	0.00
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	43,799	805	44,604	97,415	31.39%	21,321.21	1,004.26	22,325.47
कुल		**41,30,373**	**1,13,295**	**42,43,668**	**16,82,537**	**48,192**	**17,30,729**	**19,58,130**	**40.78%**	**55,47,358**	**47,01,245**	**102,48,603.37**

उ.न.-उपलब्ध नही

अनुलग्नक-8क

वर्ष 2014-15 से 2016-17 (31.12.2016 तक) तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5070.01	82091	1986.82	49239	7445.07	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	630	1137.61	0	1136.32	0
3	असम	1114.00	102800	6748.28	116693	0.00	0
4	बिहार	23.00	6463	0.00	0	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	4066.75	139447	4764.83	148660	1300.00	0
6	गोवा	2.00	1332	356.00	4270	574.00	0
7	गुजरात	3929.23	218000	5520.40	163989	22040.27	0
8	हिमाचल प्रदेश	237.00	5189	1350.00	8079	299.39	0
9	जम्मू और कश्मीर	2494.17	21000	2494.17	21000	2587.84	0
10	झारखंड	4927.23	81768	0.00	0	6600.00	0
11	कर्नाटक	3691.00	134988	5839.00	140891	8540.00	0
12	केरल	647.00	13225	0.00	0	3122.00	0
13	मध्य प्रदेश	2385.00	188145	3065.00	197176	8118.00	0
14	महाराष्ट्र	7451.83	175000	5209.83	175000	22092.28	0
15	मणिपुर	3615.48	57828	3588.00	66928	3385.20	0
16	मेघालय	438.00	79011	3274.61	74608	2759.00	0
17	मिजोरम	886.00	62410	4927.91	57330	0.00	0
18	नगालैंड	2329.59	40133	2646.34	45140	0.00	0
19	ओडिशा	4512.00	130960	4050.00	165100	8216.64	0
20	राजस्थान	6440.00	246249	10890.43	275669	9800.00	0
21	सिक्किम	414.00	2705	400.00	3053	594.16	0
22	तमिलनाडु	44.00	11092	2266.86	20060	1594.00	0
23	तेलंगाना	2630.94	171329	9650.00	171329	4265.00	0
24	त्रिपुरा	974.82	22261	1700.00	28374	0.00	0
25	उत्तर प्रदेश	56.00	7500	0.00	0	930.00	0
26	उत्तराखंड	164.00	25269	900.00	27796	5090.57	0
27	पश्चिम बंगाल	237.00	79230	2948.46	73357	0.00	0
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.75	28	0.00	0	0.00	0
29	दमन और दीव	1.00	320	0.00	0	53.63	0
	कुल	58784.09	2106403	85714.55	2033741	120543.37	0

*2012-13 से 2015-16 तक के लिए बकाया की ओर 1081.50 करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष के लिए बकाया की ओर 176.05 करोड़ रुपये 2016-17 के दौरान जारी निधियाँ हैं तथा लाभार्थियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

जनवरी से मार्च 2017 के लिए प्रस्तावित/अनुमानित राशि संशोधित स्तर पर उपलब्ध बजट के अनुसार 344.79 करोड़ रुपये है

अनुलग्नक-8ख

2014-15 से 2016-17 (31.12.2016 तक) तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तिया

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17\	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1386.00	75812	1983.00	79602	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0	0
3	असम	0.00	0	0.00	0	0	0
4	बिहार	688.60	40700	375.00	37095	0	0
5	छत्तीसगढ़	3718.00	228626	3607.00	225705	399.15	0
6	गोवा	0.00	0	0.00	0	0	0
7	गुजरात	3750.00	200000	3745.76	138465	80.81	0
8	हिमाचल प्रदेश	73.00	3996	96.12	5798	0	0
9	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	700.00	37813	0	0
10	झारखंड	1613.00	93533	0.00	0	0	0
11	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	0	0
12	केरल	0.00	0	300.00	30010	488.25	0
13	मध्य प्रदेश	0.00	0	4300.00	364167	0	0
14	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	0	0
15	मणिपुर	496.05	40126	0.00	0	867.38	0
16	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0	0
17	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0	0
18	नागालैंड	0.00	0	851.47	42048	0	0
19	ओडिशा	4511.00	203301	4900.00	221243	3376.36	0
20	राजस्थान	2383.34	187508	0.00	0	0	0
21	सिक्किम	7.80	408	0.00	0	0	0
22	तमिलनाडु	0.00	0	600.00	15750	0	0
23	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	0	0
24	त्रिपुरा	678.75	44598	1303.60	53516	0	0
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	10856	0	0
26	उत्तराखंड	0.00	0	107.00	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0	0
28	दादर और नगर हवेली	0.00	0	0.00	0	0	0
	कुल योग	19305.533	1118608	22868.95	1262068	5211.95	0

2012-13 से 2015-16 तक के लिए बकाया के प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान जारी निधियों तथा लाभार्थियों के ब्यौरे उपलब्ध नही हैं।

अनुलग्नक : 9-क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीटीजी जनसख्या का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	1. बोडो गाडाबा 2. बोण्डो पोरजा 3. चेचूं 4. डोंगरिया खोण्ड 5. गुटोब गाडाबा 6. खोण्ड पोरजा 7. कोलाम 8. कोण्डारेड्डी 9. कोण्डोसवारा 10. कुटियाखोंड 11. पारेंगी पोरोजा 12. थोटी
2	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर 14. बिरहोर 15. बिरिंजिया 16. हिल खारिया 17. कोरवा 18. मल परिहैया 19. परहाइयास 20. सौरिया पहारिया 21. सावर
3	गुजरात	22. काथोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिधि 26. कोलघा
4	कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा 28. कोरागा
5	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र) 30. कदार 31. कट्टूनायकन 32. कुरूम्बा 33. कोरागा
6	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया 35. बैगा 36. भारिया 37. बिरहोर 38. कमार 39. सहरिया 40. हिल कोरबा

7	महाराष्ट्र	41. कटकारिया(कथोडिया) 42. कोलाम 43. मारिआ गोण्ड
8	मणिपुर	44. मारम नागास
9	ओडिशा	45. बिरहोर 46. बोंडो 47. डिडाई 48. डोंगरिया खोण्ड 49. जुआंग 50. खारिया 51. कुटिया खोण्ड 52. लानजिया सौराव 53. लोधा 54. मनकिडिया 55. पौडी भूयान. 56. साउरा 57. चुकटिया भुंजिया
10	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. इरूला 60. कट्टू नायकन 61. कोटा 62. कोरूम्बा 63. पानियान 64. टोडा
12	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा 67. राजी
14	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर 69. लोधा 70. टोटो
15	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज 72. जरावा 73. ओन्गेज 74. सेंटिनिलिज 75. शोम पेन

अनुलग्नक 9-ख

2014-15 से 2016-17 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त राशियों का सारांश दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15	2015-16	2016-17 (31-12-2016 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2000.000	3240.000	594.000
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.000	0.000	100.000
3	छत्तीसगढ़	2223.750	1809.630	319.000
4	गुजरात	1091.000	898.100	182.000
5	झारखंड	301.326	1627.379	1400.000
6	केरल	600.000	0.000	100.000
7	कर्नाटक	8.584	836.303	136.000
8	मध्य प्रदेश	4272.940	4491.920	2592.000
9	महाराष्ट्र	1900.000	0.000	1900.000
10	मणिपुर	47.500	100.000	76.000
11	ओडिशा	2500.000	3373.920	379.000
12	राजस्थान	1500.000	1076.090	303.000
13	तमिलनाडु	128.349	1118.893	690.000
14	त्रिपुरा	826.540	895.560	515.000
15	तेलंगाना	600.000	1439.035	240.000
16	उत्तराखंड	0.000	0.000	152.000
17	पश्चिम बंगाल	0.000	447.600	129.000
	कुल	**17999.989**	**21354.430**	**9807.000**

अनुलग्नक 10

जनजातीय अनुसंधान संस्था (टीआरआई)

क्रम सं.	पता
1	असम जनजातीय एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहर नगर, एन.एच.-37, गुवाहाटी-781022
2	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार, पं. रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर- 492010
3	जनजातीय सांस्कृतिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार, दूसरा तल, तेलगु-समक्षेम भवन, मसब टैंक, हैदराबाद- 500028
4	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380014 गुजरात
5	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला- 171005, हिमाचल प्रदेश
6	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, झारखण्ड सरकार, मोराबाड़ी रोड, रांची- 834008
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, निदेशक, जनजातीय कार्य, जनजातीय कार्य निदेशालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, सिविल सेक्रेट्रिएट, जम्मू 180001
8	कर्नाटक जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक सरकार, सं. 15/40, अनिकेतन रोड कुवेम्पुनगर, मैसूर-570023
9	केरल इंस्टीच्यूट फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलमेंट, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अध्यन, केरल सरकार, कोजिकोडे - 673017
10	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल- 462002
11	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वीन्स गार्डेन, पुणे- 411011
12	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर सरकार चिंगमिरांग, इंफाल- 795001
13	अ.जा/अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ओडिशा सरकार, इकाई-8, सीआरपी चौराहा, भुवनेश्वर-751003
14	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार, अशोक नगर, पो. बॉक्स नं. 86, उदयपुर-313001
15	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण भवन, 5वीं मील, लुंबसे गंगटोक, सिक्किम-737101.
16	जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु सरकार, एम. पलाडा (पीओ), उधगमंडलम, नीलगिरि जिला, ऊटी-643004

17	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, तेलंगाना सरकार, दूसरा तल, डीएसएस भवन, मसब टैंक, हैदराबाद-500028
18	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सरकार, लेक चोवेमाहुई, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा- 799001
19	अ.जा/अ.ज.जा. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, भागीदारी भवन (अंबेडकर पार्क के पास) विपुल खंडे गोमती नगर, लखनऊ- 226010
20	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, पी 6-1/4 सीआईटी योजना, 7-एम, वीआईपी रोड, कनकुरगाची, कोलकाता- 700054
21	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, प्रशासन, पोर्टब्लेयर- 744101

अनुलग्नक 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)-पुनर्निर्मित बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 वर्ष 2016-17 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज हेतु लक्ष्य

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
1	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि., **आन्ध्र प्रदेश**	3390
2	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	150
3	अरूणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरूणाचल प्रदेश**	540
4	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड, **असम**	2220
5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **बिहार**	765
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	4470
7	दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **दादरा और नगर हवेली**	150
8	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गोवा**	150
9	गुजरात जनजातीय विकास निगम **गुजरात**	5100
10	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश**	225
11	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ा वर्ग विकास निगम, **जम्मू और कश्मीर**	855
12	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **झारखंड**	4950
13	कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	2430
14	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	150
15	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	150
16	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप**	150
17	मणिपुर जनजातिय विकास निगम लिमिटेड, **मणिपुर**	510

क्र.सं.	राज्यों के नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
18	सबरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	6000
19	मेघालय सहकारिता एपैक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय**	1455
20	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	8760
21	मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, **मिजोरम**	300
22	मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लिमिटेड, **मिजोरम**	300
23	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, **नागालैंड**	488
24	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, **नागालैंड**	487
25	ओडिशा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिडेट, **ओडिशा**	5475
26	राजस्थान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम, **राजस्थान**	5280
27	सिक्किम अनुसूचित जनजाति, जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, **सिक्किम**	150
28	तमिलनाडु आदि द्राविडर परिवार एवं विकास निगम लिमिटेड, **तमिलनाडु**	450
29	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **त्रिपुरा**	660
30	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तराखंड**	165
31	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	645
32	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल**	1515
33	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारिता निगम, **पश्चिम बंगाल**	1515
	कुल	**60000**

नोट : वर्ष के लिए लाभार्थियों का आन्तरिक लक्ष्य 60000 है। राष्ट्रीय आवंटन के आधार पर राज्यों को विभाजित किया गया है

अनुलग्नक-12

2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 (दिनांक 31.12.2016 तक) के दौरान पूर्व में "एमएफपी कार्यों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान" के नाम से ज्ञात "जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन" की योजना के तहत राज्यों को जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2014.15	2015.16	2016.17
1	छत्तीसगढ़	232.00	-	-
2	केरल	206.77	-	-
3	ओडिशा	138.30	148.13	-
4	राजस्थान	56.00	-	43.43
5	त्रिपुरा	119.93	310.98	175.70
6	पश्चिम बंगाल	356.00	-	-
7	मिजोरम	-	-	174.00
8	ट्राइफेड	3082.00	3026.00	2925.00
	कुल	**4191.00**	**3485.11**	**3318.13**

टिप्पणी: यह अनुमानित है कि जबकि 975 लाख रु. की राशि जनवरी से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान ट्राइफेड को जारी की जाएगी, 606.87 लाख रु. की राशि अवधि के दौरान खर्च की जा सकती है यदि राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) से प्रस्ताव प्राप्त हो जाएं।

अनुलग्नक–13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायाधिकार क्षेत्र

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालय का पता	न्यायाधिकार क्षेत्र
1.	कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्लेक्स, 52–ए ऐरिया हिल्स, भोपाल–462011,	म.प्र. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा तथा दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
2.	एन–1/297, आइ आर सी ग्राम, भुवनेश्वर–751015	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पुडुचेरी–संघ राज्य क्षेत्र
3.	कमरा सं. 101 तथा 102, प्रथम तल, ब्लाक–ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याद्यर नगर, जयपुर–302023	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
4.	आर–26, सेक्टर–2 अवंती विहार पी.ओ. रविग्राम, रायपुर–492006	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. कोऑपरेटिव कालोनी, कदरू, राँची–834002	बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश
6.	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोवर लाचुमिरे, शिलांग–793001	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा

अनुलग्नक-14क (i)

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निधि-पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार सूची

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
आंध्र प्रदेश					
1	गुरुकुलम आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आश्रम तथा आवासीय शैक्षिक संस्था समिति, (एपीटीडब्यूएआरईआईएस) तेलुगू संशक्षैम भवन दूसरी मंजिल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	0	17940125	3223952
2	एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्राम अभ्युदय सोसायटी, ग्रामीण विकास, छठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उरवाकोंडा, जिला-अनंतपुर, आं.प्र.	आवासीय विद्यालय	0	1609470	1609470
3	आर.के.मिशन कोरूकोण्डा रोड, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	0	1277592	0
4	श्री लक्ष्मी महिला मंडली, डी संख्या 15-155 मइलावरम (वीएन्डएम), गुड्डमनुगु, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश	गैर आवासीय विद्यालय	0	1335150	1375650
5	एकीकृत ग्रामीण विकास सोसायटी (एसआईआरआई), 7/163-ए प्रकाश रोड, जिला अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1604037	0
6	सिम्हापुरी विद्या सेवा समिति एट सोमसेखापुरम, नेल्लोर-जिला, आंध्र प्रदेश	10 - बिस्तरों वाला अस्पताल	1436559	1496790	1498050
7	चेतनया एजुकेशनल एण्ड रूरल डिवलपमेंट जिला- कूड्डपाह, आंध्र प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2006775	0	0
कुल			**3443334**	**25263164**	**7707122**
अरुणाचल प्रदेश					
8	अरुणाचल पाली विद्यापीठ चांगखाम, जिला - लोहित, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	3807450	0	3807450

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
9	बुद्धिस्ट कल्चरल प्रिजरवेशन सोसायटी अपर गाम्पा, पोस्ट/थाना, बामडिला, जिला – वेस्ट कमांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2236523	0	2222823
10	सेन्टर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज ग्राम एवं पोस्ट – तवंग, जिला – तवंग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1580895	0	1580895
11	महाबोधि मैत्रीमंडल, पीओ/पीएस चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	वृद्धाआश्रम	0	0	427210
12	आर.के.मिशन नरोत्तम नगर, वाया – देवमाली, जिला – तिराप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (2 इकाई) आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20 बिस्तरो वाला अस्पताल	9744701	0	9198293
13	आर.के.मिशन, पोस्ट–विवेकानंदनगर, एलांग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर–आवासीय विद्यालय, 10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषध लय, छात्रावास और दृश्य–श्रव्य इकाई	14796206	0	928900
14	आर.के.मिशन हॉस्पिटल, पो. रामकृष्ण मिशन, जिला पामपुम्पारे, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, 791113	60. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	0	6529628	0
15	रामकृष्ण शारदा मिशन, पो. खोनसा, जिला–तिराप, पिन कोड–786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	5805564	2473905	0
16	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापूर स्मारक सदन, नई दिल्ली–110055 (मुख्यालय) परियोजना रुपा, आंध्र प्रदेश	छात्रावास	2357100	566361	980359
17	ओजू वेलफेयर एसोसिएशन, नजदीक नहारलगुन, पुलिस स्टेशन, नहारलगुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (प्राथमिक+माध्यमिक)	4646925	0	4218399

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
	कुल		**44975364**	**9569894**	**23364329**
असम					
18	असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन्द्रकांता भवन, कनकलता पथ, पो.ऑ. उलूबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	0	0	685350
19	भारत सेवाश्रम संघ (गुवाहाटी शाखा) असम, ग्राम गंगानगर, जिला चचार, असम	आवासीय विद्यालय	1366650	0	0
20	डॉ. अम्बेडकर मिशन ग्राम धापोतरी जिला कामरूप असम	10. बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	0	2258550	2301750
21	ग्राम विकास परिषद, रंगोला जिला नागाँव असम	सचल औषधालय	0	685350	0
22	पथारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टॉप फ्लोर, बार लिब्राग, जिला-नॉगांव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द	0	328500	328500
23	आर.के. मिशन आश्रम, उलूबारी, गुवाहाटी, असम	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय	641606	0	1991606
24	आर के मिशन सेवाश्रम, आर के मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	726722	725430	0
25	सदाऊ असोम ग्राम्य पुथीभारल सांथा, तेलीपट्‌टी, चम्साई रोड, जिला - नौगांव, असम	पुस्तकालय और गैर-आवासीय विद्यालय	2191500	1107216	0
26	श्रीमंत शंकर मिशन, पो. पानीगांव, जिला-नौगांव, असम 782001	सचल औषधालय	704349	680124	0
27	दयानंद सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकाजन, कार्बी, एंगलोंग, असम (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई) (मुख्यालय) का एकक बोकाजन में 2 इकाई, जपारजन तथा दीफू	छात्रावास (4 इकाई)	3124598	0	0
	कुल		**8755425**	**5785170**	**5307206**

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
छत्तीसगढ़					
28	कछाना ध्रुव सेवा एंड कल्याण समिति, गाँव+पो-पांडुका, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	0	0	994150
29	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, मु.पो. बुढवानी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1616670
30	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला - बस्तर, छत्तीसगढ	6 छात्रावास, 1 जनजातीय युवा प्रशिक्षण केन्द्र और ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग + दिव्यन कृषि प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध विषयों की नई परियोजनाएं और सचल औषधलय	4943900	0	3985849
	कुल		**4943900**	**1620270**	**6596669**
गुजरात					
31	भारत सेवाश्रम संघ, पोस्ट-डेडियापाडा, जिला-नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	1413900	706950	0
32	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नावासारी), नावासारी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय (सह-शिक्षा), सचल औषधालय (चार)सचल ए.वी. यूनिट	9249800	0	4630700
33	भारत यात्रा केन्द्र पो. डेडियापाड़ा, जिला नर्मदा, पिन-393040, गुजरात	छात्रावास	2642950	0	1322525
34	इनरेका, रायपीपला रोड, टिम्बापाडा, डेडियापाडा, जिला नर्मदा -393040, गुजरात	छात्रावास	1208790	1208790	1178550
35	पंचमहल आदिवासी विकास युवक मंडल धलसीमल, पोस्ट-मोली, तालुका-झालोड, जिला - झालोड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	1412752	0	0
36	श्री धडेला केलवानी मंडल, डाकघर धडेला, जिला दाहोद, गुजरात	छात्रावास	0	594458	0
37	श्री जाला राम आरोग्य सेवा ट्रस्ट, पो. मेघराज, जिला साबरकंठा, गुजरात	40 बिस्तरों वाला अस्पताल	3600000	0	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
38	श्री सदगुरुदेव स्वामी अखण्डानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, पो. बारूमल, जिला-वलसाड, गुजरात	छात्रावास और सचल औषधालय	1844035	1827990	1788840
	कुल		**21372227**	**4338188**	**8920615**
हिमाचल प्रदेश					
39	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी ऑफ की गाम्पा, पोस्ट - की गाम्पा, जिला - लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश,	छात्रावास	1329925	0	1323100
40	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन पोस्ट बॉक्स नं. 98, क्लब हाउस रोड मनाली, जिला-कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	3182288	0	3169327
41	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एण्ड ट्राइबल कल्चरल सोसायटी, ताबो, जिला - लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	4086633	0	4089959
42	रामधा बुद्धिस्ट सोसायटी, ग्राम एवं पोस्ट - सिद्धपुर, वाया-डारी, नौरबीलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	1219590	0	1212324
43	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, तहसील-धर्मशाला योल कैन्ट, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	5617995	0	5601138
44	रिंचेन झांगपो सोसायटी फॉर स्पीति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैन्ट, तहसील धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय ग्राम काजा तह, जिला स्पीति, लाहौल स्पीति	1637613	0	1620290
	कुल		**17074044**	**0**	**17016138**
जम्मू और कश्मीर					
45	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसायटी, ग्राम-गुलाबगढ़ पोस्ट - अठौली, जिला - डोडा, जम्मू व कश्मीर	आवासीय विद्यालय	4035911	0	0
	कुल		**4035911**	**0**	**0**

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
झारखंड					
46	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), ग्राम पोस्ट / जिला – पाकुर, झारखंड	आवासीय विद्यालय और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	2114700	0	0
47	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (वेस्ट) रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन- 831011, झारखंड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द, केन और बम्बू, ए.वी. यूनिट, कताई तथा बुनाई केन्द्र (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 इकाई) तथा आवासीय विद्यालय (2 इकाई)	14717476	1894305	0
48	भारत सेवाश्रम संघ, पाथरा, पीओ-रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखंड	आवासीय विद्यालय (2), 20 बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	4775285	10208739	0
49	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची इकाई) बरियातू, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखंड	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	2477522	2515014	0
50	आर.के. मिशन मठ पोस्ट / जिला – जामतारा, पिन-815351, झारखंड	सचल औषधालय	0	420564	0
51	आर.के.मिशन विवेकानंद सोसायटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टाइपिंग एवं आशुलिपि केन्द्र, सचल पुस्तकालय-व-ए वी युनिट	1962677	0	1841315
52	आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची, झारखंड	दिव्यन यूनिट, सचल औषधालय, पुस्तकालय, ए.वी. यूनिट	5431389	5480800	0
53	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	50 बिस्तरों वाला अस्पताल ग्राम डुंगरी, ब्लॉक नामकुम	9191669	0	3645431

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
54	आर.के. मिशन टी.बी. सैनेटोरियम, रांची, झारखंड	70 बिस्तरों वाला अस्पताल और सचल औषधालय	25055330	0	10221027
	कुल		**65726048**	**20519422**	**15707773**
कर्नाटक					
55	आशीर्वाद रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (आर), के.एच. बी कालोनी जिला- गुडीबाण्डे, कर्नाटक	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1614392	1613839
56	भारती एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम - पाथापल्ली, तालुका - बागेपल्ली, जिला - कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3218940	0	1609470
57	डॉ. अंबेडकर शिक्षा सोसायटी (आर), मुकाम-नलकुदरे गोमला, नलकुदरे, पिन-577544, चन्नागिरी तालुकर, देवनगिरि जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3218922	1609470
58	हरिहर ग्रामीण विरूद्धी संघ ग्राम - चिक्काबलपुर तालुक, जिला - कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	0	685350	685350
59	कुमुदवती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मकान न. 32, आर.आर. एक्सटेंशन, मधु गिरि-572132, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	सचल औषधालय और गैर-आवासीय विद्यालय	681750	1647270	1647270
60	प्रगति रूरल डेवलपमेंट सोसायटी ग्राम एवं पोस्ट-गेराहल्ली, तालुका-चिकबालपुर, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1620270	0	1620270
61	संत कबीरदास एजुकेशन सोसायटी, सेदाम रोड, जगत, जिला- गुलबर्गा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1609470	1566270	1566270
62	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला-देवानगिरि, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1584450	0	1547494
63	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालय ट्रस्ट, रंगपुरा, जिला - तुमकुर, कर्नाटक	गैर-आवासीय विद्यालय और दस बिस्तरों वाला औषधालय	5153940	0	0
64	श्री विनायक सेवा ट्रस्ट, काईवाडा, चिंतास्वामी-तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1576080	1592370	1600290

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
65	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, कंचनहल्ली, शांति नगर पीओ, हेगादवदेनकोटी तालुक, जिला - मैसूर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2) 10 बिस्तरों वाला अस्पताल (2 यूनिट) और सचल औषधालय	0	7696215	15698731
66	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र, बी.आर. हिल्स, यालांदुर तालुक, जिला चामराजनगर, पिन-571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और गैर-आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	9443844	4704559	0
	कुल		**24888744**	**22725348**	**29198454**
केरल					
67	मां अमृतामयी मठ अमृत भवन, पारीपल्ली, पोस्ट - कोलाम - 691574 (केरल)	छात्रावास और 10-बिस्तरों वाला अस्पताल	3380371	1385301	0
68	श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पोस्ट - कलाडी, जिला - एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	0	1351099	1314268
69	स्वामी निर्मलानंद मेमोरियल बालभवन, श्री रामकृष्ण आश्रम कयामकुलम, 690502, जिला अल्पापूजा, केरल	छात्रावास	939036	943740	0
70	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर मूतिल, जिला-वयानाड, केरल	सचल औषधालय और 20 बिस्तरों वाला अस्पताल	2772493	3018175	2906666
71	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया - 34 पोस्ट-पेरिया, जिला - वयानाड, केरल	आवासीय विद्यालय	2815470	0	0
72	वयनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट मट्टीलयम पो., वीलामुण्डा वाया वयानाड जिला, केरल 670731	आवासीय विद्यालय	0	2927145	2961180
	कुल		**9907370**	**9625460**	**7182114**
मध्य प्रदेश					
73	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, पो. अमरपुर, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	830100	830100

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
74	बन्धेवाल शिक्षा समिति, नशरूल्लागंज, जिला सिहोर, भोपाल, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	0	869310
75	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, सरदारपुर, कुकशी, धार, मध्यप्रदेश, (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ इकाई, ठक्कर बापुर, स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055)	आवासीय विद्यालय	983140	1145100	0
76	हितेश्री सामाजिक सांथा, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	0	668205	657537
77	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्राम सिधपुर, (डोभ), पो. सेमिरि हरिचंद, तहसील बबाई, जिला हौशंगाबाद, मध्यप्रदेश	आवासीय विद्यालय	897801	710192	0
78	मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166 ई. उज्जैन, म. प्र.	आवासीय विद्यालय	3292173	0	1646168
79	एम.पी. वनवासी सेवा मंडल, तिकारिया, जिला-ढिंढोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1280500	1036500
80	पुष्पा कॉनवेंट शिक्षा समिति, सी-537-538, पुष्पा नगर कॉलोनी, भोपाल, 462010 (म.प्र.)	गैर-आवासीय विद्यालय	852344	0	1774319
81	रामा शिक्षण एवं कल्याण सोसायटी, वरियाईखेड़ा, मुकाम मलीवाया, ब्लॉक रेहती, जिला-सिहोर (म.प्र.), भोपाल	गैर-आवासीय विद्यालय तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	952490	0	0
82	सेवा भारती, (मध्य भारत) "मातृछाया" (शिशु केन्द्र) स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011, म.प्र.	आवासीय विद्यालय (2), कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (3) तथा छात्रावास (2)	1526953	1300473	0
83	स्वामी विवेकानन्द विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैन्ट रोड, गुना मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	0	719450	0
84	दिनदयाल रिसर्च इंस्टीच्यूट, 7 ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय), सतना परियोजना (मध्यप्रदेश)	आवासीय विद्यालय	1684611	0	0
	कुल		**10189512**	**6654020**	**6813934**

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
महाराष्ट्र					
85	जय हिन्द मित्र मंडल, कोलहा, जिला फुलबानी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1823670	1817527
86	खांडेराव एजूकेशन सोसायटी, बसार, जिला - धुले, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय (बस्तर) और अवासीय विद्यालय (वारूड)	3240540	0	3240540
87	रेनुका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाणे, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय (वर्ष 2013-14 से आवासीय विद्यालय)	1615640	0	1609483
88	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जिला जलगाँव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1553543	1532520
89	श्री सांइनाथ एजूकेशन सोसायटी, प्रतापपुर, तालुका तालोडा, जिला-नंदुरबार, पिन 425413(महाराष्ट्र)	छात्रावास	2417805	0	1215090
90	श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेश पुर, जिला धुले महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1615679	0	1619928
91	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नंद गांव तालुका नंद गांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	1616670	0	1609920
92	उज्ज्वल रूरल डेपलेपमेंट सोसायटी, पोस्ट नवाड़े, तालुका सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	1215497	0	1175580
93	यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नजदीक राधिका होटल, विष्णुवादी, बुल्दाना, जिला बुल्दाना, महाराष्ट्र	10 बिस्तरों वाला अस्पताल	1616400	0	0
94	चंदराई महिला मंडल, पो. पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1788570	0	1620270
95	तापी परिसर एजुकेशन एण्ड कल्चर्ल ट्रस्ट, नेवाडे, जिला-धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1615770	0	1620270
96	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल, दैथान, तहसील-अस्थि, जिला-बीड, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1607747	0	1617930

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
97	स्व. यशवंत बलि राम पाटिल शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई, तहसील इरनडोल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1347057	0	0
	कुल		**19697375**	**3377213**	**18679058**
मणिपुर					
98	आदिमजाति शिक्षण आश्रम, चिंगमिरोंग खोंगनांग अनिकारक, डीएम रोड, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल, मणिपुर-795001 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 की इकाई, इम्फाल मणिपुर की शाखा)	छात्रावास	987143	982080	0
99	चिलचिल एशियन मिशन सोसायटी चैम्स कैम्पस कांगलातौंगबी-795151, जिला सेनापति मणिपुर	छात्रावास	2638800	0	2682000
100	क्रिश्चन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर) ग्रीन हिल्स तामींगलोंग मुंख्यालय पिन- 795141, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1771470	0	1771470
101	इन्टीग्रेटेड एजूकेशनल सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (आईईएसडीओ) पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	0	1162890	0
102	इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एण्ड एजूकेशनल आर्गेनाइजेशन (आईआरडीईओ)वांगबाल, पोस्ट - थाऊबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2 यूनिट)	3633233	0	3606232
103	ग्रामीण शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास संगठन (आरईएसईडीओ) मुकाम थंगा तोंगब्राम लिकाई, बीपीओ थंगा, जिला विष्णुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	935010	938250	938250
104	सियामसिनपाल्पी, (पाइटे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) एसएसएसपी कॉम्पलेक्स बूंगनूअल पोस्ट बॉक्स नं 99 जिला-लमका, पिन-795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	6096150	0	6252750
105	टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस,थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
106	सोसाइटी फॉर वुमेंस एजुकेशन एक्शन एण्ड रिफलेक्शन (एसडब्ल्यूईएआर) अथोकपाम खुनोऊ, पो. थौवल, मणिपुर	सचल औषधालय	706950	706950	0
107	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस) मुख्यालय हीरोक, हीतूपोक्पी जिला - थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	0	1620270
108	वालंटियर्स फॉर रूरल हेल्थ एण्ड एक्शन (वी ओ आर एच ए) लैमडिंग, वांगजिंग, मणिपुर	सचल औषधालय, टाइपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	0	935910	0
109	टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलिफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस (टीएफआईसीओआरआरएस) चिंमटूंग वेंग डोरकास्ट रोड, न्यू लमका,जिला-चराचंदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	2702520	0	2702520
	कुल		**21091546**	**6346350**	**21193762**
मेघालय					
110	आर.के.मिशन, लाइथुमखूट. पो. बॉक्स-9, ब्लॉक/मंडल-शिलांग, पो. शिलांग-793003 जिला पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय और पुस्तकालय (2 यूनिट)	0	1666650	0
111	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापूंजी, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय	62 एलपी तथा एमई/ माध्यमिक गैर आवासीय विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गैर आवासीय विद्यालय 2 छात्रावास, 3 सचल औबधालल, सीटीसी, पुस्तकालय, सचल ए-वी-यूनिट, कनई तथा बुनाई	67215218	25812558	31118160
	कुल		**67215218**	**27479208**	**31118160**

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
मिजोरम					
112	मिजोरम मिथाई एसोसिएशन, मर्सी विला, 10-ए, अपर रिपब्लिक रोड, आईजोल-796012 मिजोरम	आवासीय विद्यालय तथा सचल औषधालय	1775790	0	1775790
113	सोशल गाइडेंस एजेंसी, 6ठा तल, ललत चैम्बर, निकट सोलोमन कैब, तुईक्वल, 'ए' आइजोल-796001 मिजोरम	सचल औषधालय	689040	0	691155
114	थुटक ननपुईतु टीम, मुआना वेंघ, जुआंगतुई आईजोल-796017 मिजोरम	आवासीय विद्यालय	1574730	0	1549530
	कुल		4039560	0	4016475
नागालैंड					
115	दयानंद सेवाश्रम संघ दीमापुर, नागालैंड, (अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ , 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली की एक इकाई), (मुख्यालय) परियोजना नाहरवाड़ी, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	2172555	0	0
116	नागालैंड चिल्ड्रन होम, दीमापुर, पो. बॉक्स नं. 10, पिन-797112, जिला दीमापुर नागालैंड	छात्रावास	1042882	0	0
	कुल		3215437	0	0
दिल्ली					
117	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली) श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और छात्रावास	1511290	0	0
	कुल		**1511290**	**0**	**0**
ओडिशा					
118	आदिवासी सोशल एण्ड कल्चरल सोसायटी, पोस्ट - कुचिण्डा, जिला - सबलपुर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1610594	1614870	1614870
119	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट - कारामुल, जिला - धेनकेनाल, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1907370	0	1907145

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
120	एशोसिएशन फॉर वोल्यूंटरी एक्शन (एवीए), दीमापुर, जिला – पुरी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	1825470	0
121	वनवासी सेवा समिति, मु. पो.–बलीगुडा, जिला खण्डमाल, पिन–762103, ओडिशा	छात्रावास	0	0	1180890
122	बांकी आंचलिक आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद, बांकी जिला–कटक, ओडिशा	छात्रावास और क्रेच केन्द्र (5 यूनिट)	2439180	1219590	1219590
123	भैरवी क्लब, लखनपुर, पो सरंगधरपुर, वाया रानपुर, जिला नयागढ़, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1620270	0	0
124	नेहरू सेवा संघ बानपुर, जिला – खुर्दा, ओडिशा	छात्रावास	0	1618695	0
125	निखिल उत्कल हरिजन सेवा संघ नीलाद्री विहार, सलाश्री विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (माध्यमिक)	2245095	0	2245095
126	उड़ीसा सर्वोदय परिषद, सर्वोदय आश्रम, पोस्ट न्यूपाडा, जिला न्यूपाडा, ओडिशा–766105	छात्रावास	2370060	1185030	1158030
127	आर.के.मिशन विवेकानंद मार्ग, भुवनेश्वर–751002 ओडिशा	छात्रावास और पुस्तकालय	0	999765	0
128	आर.के.मिशन, पुरी पिन–752001 ओडिशा	छात्रावास, सचल औषधालय टाईपिंग तथा आशुलिपि प्रशिक्षण केंद	1065285	1065285	0
129	रामकृष्ण विवेकानंद वेदान्त आश्रम, मुकाम सरगलांजी, भवानी पटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा	सचल औषधालय	640938	0	0
130	राष्ट्रीय सेवा समिति (आरएएसएस), 9, ओल्ड हुजूर ऑफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय)परियोजना पदवा, (जिला कौरापुट), ओडिशा	उड़ीसा में सचल औषधालय	783160	784500	0
131	सेवा समाज पोस्ट गुनुपुर, जिला– रायगाडा, ओडिशा	छात्रावास	1127790	0	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
132	श्री आर.के.मिशन आश्रम पो.- रामपुर, कालाहांडी, ओडिशा	छात्रावास, कृषि एवं सम्बद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	6803460	0	6806160
133	विश्व जीवन सेवा संघ सरधपुर, खुर्दा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	2817180	0	0
134	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (वैस्ट), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831011, झारखंड (मुख्यालय)	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) 10-बिस्तरों वाला अस्पताल और बुनाई, कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	0	6738105	0
135	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, तालुका - मनसापोल, जिला – जाजपुर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	3218940	0	1607530
136	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ओडिशा स्टेट ब्रांच, एचआईजी-116, कानक बिहार, फेज-1, पटिया, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-31 (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 का एक यूनिट)	ओडिशा में 3 छात्रावास, सरत, सुबुदीबांध, चंद्रपुर, जिला-मयुरभंज	1749015	0	0
137	सामाजिक कल्याण एवं ग्रामीण विकास (स्वार्ड) ऐट-बलीजोरान्डा, पीओ बेनरीया, वाया-महिनागढ़ी, जिला धेनकानाल, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	2028258	2039175
	कुल		**30398337**	**19079568**	**19778485**
राजस्थान					
138	वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, पो.- वनस्थली विद्यापीठ, तहसील नेवाई, जिला - टोंक, पिन- 304022, राजस्थान	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर की अनुसूचित जनजाति लड़कियों हेतु वजीफा योजना	5142300	0	0
139	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा पोस्ट भिंडेर जिला – उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1579230	1579230	1537268
140	श्रद्धालय आश्रम समिति सूरजपोल, कोटा, आदर्श नगर, रावाभाटा, जलिा चित्तौड़गढ़,राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1609470	1603519	0
	कुल		**8331000**	**3182749**	**1537268**

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
सिक्किम					
141	हयूमन डिवलपमेंट फाउंडेशन, जीआरबीए रोड, चोगने तार, गंगटोक, पिन कोड -737 101, सिक्किम	आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास	2564384	2602665	0
142	मुयाल लियांग ट्रस्ट योंगड़ा हिल्स, डी.पी.सी.ए., ड्रेकचुंग-जोंग-737113 पश्चिम सिक्किम गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	0	2851448	0
	कुल		**2564384**	**5454113**	**0**
तमिलनाडु					
143	न्यू लाइफ एजेंसी फॉर ट्राइबल पीपुल अपलिफ्टमेंट (एनएटीपीयू), जिला वेल्लोर, तमिलनाडु, पिन-632009	छात्रावास	1181354	1181790	0
144	ग्राम्या मक्कल अभिविरूधी इयाकम (जीएमएआई) पुनथोटटम, पोस्ट कोयम्बटूर, तमिलनाडु	10 विस्तरों वाला अस्पताल सचल औशधालय	2328165	0	2328165
	कुल		**3509519**	**1181790**	**2328165**
तेलंगाना					
145	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11-10-635/1, बुरहानपुरा, जिला खम्मम, तेलंगाना-507001	आवासीय विद्यालय	2375010	0	1372950
146	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट गंग महल कालोनी, दोमलगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	0	1976326	0
147	तेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस) हैदराबाद	आवासीय विद्यालय (16)	0	0	20594366
	कुल		**2375010**	**1976326**	**21967316**

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
त्रिपुरा					
148	बहुजन हित्य एजूकेशन ट्रस्ट, पीओ–बिशनुपूर, मनि बन्कुट, सबरूम, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	1582470	1620270
149	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1715310	0	1718550
	कुल		**1715310**	**1582470**	**3338820**
उत्तर प्रदेश					
150	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन–411001, महाराष्ट्र, (मुख्यालय) लखीमपुर में परियोजना	छात्रावास (4 यूनीट) आवासीय विद्यालय	3927330	636132	1866625
151	उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्था, ग्राम गोबरोल्ला, पो. ध्यानपुर, जिला लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश (बीएजेएसएस की एक इकाई)	आवासीय विद्यालय	1582470	1582271	0
152	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, 7–ई, झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली (मुख्यालय), लखीमपुर खेरी तथा बलरामपुर की परियोजना	सचल औषधालय तथा छात्रावास	1394781	0	0
	कुल		**6904581**	**2218403**	**1866625**
उत्तराखण्ड					
153	अशोक आश्रम पोस्ट – अशोक आश्रम, वाया – डाक पत्थर, देहरादून, उत्तराखंड	आवासीय विद्यालय	0	0	2980080
154	इनफारमेशन टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइब्स ऑफ इंडिया पो. झाजरा, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड (झाजरा, ब्लॉक साहसपुर जिला देहरादून में परियोजना)	आवासीय विद्यालय	225000	0	0
155	सीमान्त अनुसूचित एवं जनजाति सेवा संस्थान, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	1054643	1059908	1061528
156	समग्र ग्रामीण विकास समिति, पी.ओ. पोस्ट ग्वालदान, जिला चमोली, उत्तराखंड	सचल औषधालय	0	706950	706950

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
157	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, कलसी, जिला देहरादून, उत्तराखंड	दो छात्रवास (कनिष्ठ जाम प्रथमिक)	8513133	0	0
158	सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसायटी, पुणे महाराष्ट्र (मुख्यालय) बीजापुर, उत्तराखंड,	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	2073960	0	2217308
	कुल		**11866736**	**1766858**	**6965866**
पश्चिम बंगाल					
159	भारत सेवाश्रम संघ, (औरंगाबाद), पोस्ट औरंगाबाद, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	2981655	0	0
160	भारत सेवाश्रम संघ, (बेलडंगा), बेलडंगा जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 यूनिट) सचल औषधालय, 10 बिस्तरों वाला अस्पताल और टाइपिंग-आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र	11394082	11391452	0
161	भारत सेवाश्रम संघ (बलुरघाट), बलुरघाट, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, (6 यूनिट) पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय -सह-ए.वी. यूनिट	0	0	6754025
162	भारत सेवाश्रम संघ (मुलुक) वाया बोलपुर, जिला बीरभूम, पिन- 731204 पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (2 यूनिट) बुनाई/कताई तथा हेंडलूम प्रशिक्षण केन्द्र	4315124	4676796	0
163	भारत सेवाश्रम संघ (सुरी), परनव नन्दापल्ली पोस्ट सुरी, ब्लॉक सुरी-I, जिला बीरभूम, पिन-731204, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	0	1832085	0
164	भारत सेवाश्रम संघ (डोकरा) गांव-पो. डोकरा, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	2247364	2260980	2246792
165	भारत सेवाश्रम संघ, (फरक्का) पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1443510	0	721783

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
166	भारत सेवाश्रम संघ, पो. बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1394638	0	694229
167	भारत सेवाश्रम संघ (घाकसोल), घाकसोल यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1826250	0	1860649
168	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली), गांव पांजीपुरकुमर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और पुस्तकालय	2587500	0	0
169	भारत सेवाश्रम संघ, (रंग घाट पयराडंगा ब्रांच) ग्राम कुसुरिया, पो. प्रीतिनगर, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, टाइपिंग और सचल औषधालय	3514005	3489551	0
170	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), पोस्ट रघुनाथपुर, जिला पुरुलिया, पिन- 723133 रघुनाथपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास, और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0	2771920	0
171	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	706950	0
172	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर), ताजपुर यूनिट, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1860300	1860381	0
173	भारत सेवाश्रम संघ (टियोर) गांव+पोस्ट टियोर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2362050	2354450	0
174	भारत सेवाश्रम संघ (कुनोर), गाँव/पो. कुनोर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1185030	1181790	0
175	विकास भारती बेलफेयर सोसायटी, 20/1बी, लालबाजार गली, कोलकाता-700001 पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) गोपीबल्लभपुर-II जिला मिदनापुर	सचल औषधालय	0	0	761500
176	बिरसामुण्डा शिक्षा केन्द्र ग्राम क्रांतिहाट जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	0	2942820	3036541
177	गोहालडिहा जाति उपजाति ब्लू बर्ड, वूमैन वेलफेयर सेंटर, गोहालडिहा, जिला - मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	4919040	0	0

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
178	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एशोसिएशन, बुद्ध केंद्र, सालूगाड़ा, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल–734318	गैर–आवासीय विद्यालय	914490	0	854832
179	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पैली, पोस्ट– कोरा चण्डीगढ़, मधयम ग्राम, जिला – नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल, पिन–743298	छात्रावास	0	718515	721228
180	आर.के.मिशन ब्वायेज होम, रहारा, जिला–नार्थ 24 परगना, कोलकाता– 700118 पश्चिम बंगाल	छात्रावास–सह– आवासीय विद्यालय	1600830	1604070	0
	कुल		**45252818**	**37791760**	**17651579**
	कुल योग		**445000000**	**217537744**	**278255933**

अनुलग्नकः 14-क (ii)

राज्य-वार सारांश

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
1	आंध्रप्रदेश	3443334	25263164	7707122
2	अरुणाचल प्रदेश	44975364	9569894	23364329
3	असम	8755425	5785170	5307206
4	छत्तीसगढ़	4943900	1620270	6596669
5	गुजरात	21372227	4338188	8920615
6	हिमाचल प्रदेश	17074044	0	17016138
7	झारखंड	65726048	20519422	15707773
8	जम्मू और कश्मीर	4035911	0	0
9	कर्नाटक	24888744	22725348	29198454
10	केरल	9907370	9625460	7182114
11	मध्य प्रदेश	10189512	6654020	6813934
12	महाराष्ट्र	19697375	3377213	18679058
13	मणिपुर	21091546	6346350	21193762
14	मेघालय	67215218	27479208	31118160
15	मिजोरम	4039560	0	4016475
16	नागालैंड	3215437	0	0
17	ओडिशा	30398337	19079568	19778485
18	राजस्थान	8331000	3182749	1537268
19	सिक्किम	2564384	5454113	0
20	तमिलनाडु	3509519	1181790	2328165
21	तेलंगाना	2375010	1976326	21967316
22	त्रिपुरा	1715310	1582470	3338820
23	उत्तराखंड	11866736	1766858	6965866
24	उत्तर प्रदेश	6904581	2218403	1866625
25	पश्चिम बंगाल	45252818	37791760	17651579
26	दिल्ली	1511290	0	0
	कुल योग	**445000000**	**217537744**	**278255933**

अनुलग्नकः 14-ख (i)

2014-15 से 2016-17 के दौरान 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निधि पोषित संगठनों की राज्य-वार सूची

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	पते सहित एनजीओ/वीओ का नाम	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एण्ड रेजीडेंसियल एजूकेशन इंस्टीट्यूशन सोसायटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (**14 इकाई**)	5207920	193107731	0
	कुल	**5207920**	**193107731**	**0**
अरूणाचल प्रदेश				
2	भारत सेवाश्रम संघ, लखरा रोड, काहिलीपाडा, गुवाहाटी, असम (मुख्यालय) पक्के कसेंग, जिला-वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश में परियोजना	4271709	0	0
	कुल	**4271709**	**0**	**0**
छत्तीसगढ़				
3	विवेकानन्द इंस्टीट्युट ऑफ सोशल हेल्थ एण्ड वेल्फेयर सर्विस, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	3925448	0	0
	कुल	**3925448**	**0**	**0**
गुजरात				
4	गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजूकेशन इंस्टीट्यूट सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (43 इकाई)	192194624	168077278	285792943
5	लोक निकेतन, पोस्ट-रत्नपुर, तालुक-पालनपुर, जिला-बनासकंथा, पिन-385 001, गुजरात	544789	1737536	0
6	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट पो. सनाली, तहसील दंता जिला-वनसकंथा, गुजरात	1479812	1417597	0
	कुल	**194219225**	**171232411**	**285792943**
झारखण्ड				
7	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	4442520	2107200	0
	कुल	**4442520**	**2107200**	**0**
मध्य प्रदेश				
8	आदर्श लोक कल्याण संस्था, जे. आर. बिरला रोड, निकट ज्ञान मंदिर, हायर सेकेंडरी स्कूल, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	0	5905825	5938347
9	अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, राणापुर, ब्लॉक राणापुर, पिन- 457993, ब्लॉक राणापुर जिला-झाबुआ, म.प्र. (छात्रावास परियोजनाएं)	3580963	0	0

10	बंधेवाल शिक्षा समिति, 92, पुराना नारियल खेडा, भोपाल -462038 भोपाल, मध्य प्रदेश	8268370	0	0
11	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिक्रिया, जिला-डिंडोरी, म.प्र. (2-शैक्षिक परिसर)	9973240	0	0
12	म.प्र. ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेन्शियल एंड आश्रम एजूकेशलन सोसाइटी, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्य प्रदेश (13 परियोजनाएं)	18675490	0	0
13	म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जेन, मध्य प्रदेश	4801047	0	2154220
14	पुष्पा कंवेन्ट एजुकेशन सोसाइटी, पटेल नगर, ब्लॉक गौराडोंगरी जिला, बैतुल-462010, पुष्पा नगर, भोपाल मध्य प्रदेश	2496430	0	2465230
15	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, ग्राम/पोस्ट काठीवाड़ा, जिला-झाबुआ, म.प्र.	5386648	0	0
16	सव्य सांची सेंटर फोर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट अमर निकुंज, अर्जुन नगर, सिद्धी, जिला सिद्धी, पिन-486661, मध्य प्रदेश	0	5340040	0
17	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनुपुर, पिन-484886, मध्य प्रदेश	3921040	0	0
18	ग्रामीण सेवा केन्द्र, मु.पो. मंडलीनाथू, तहसील-राणापुर, जिला झाबुआ पिन-457993, मध्य प्रदेश	0	3111980	0
	कुल	**57103228**	**14357845**	**10557797**
महाराष्ट्र				
19	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, तालुका सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र (ग्राम-पंखेड़ा, तालुका-सकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र में छात्रावास परियोजना)	1805200	0	0
20	नवनिर्माण शिक्षण संस्था, बेब्रातंडा, तहसील-डेगलूर, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र (ग्राम मेंढकी, ब्लॉक-माहोर, जिला-नांदेड, छात्रावास परियोजना)	1795200	0	1857200
21	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वड़गाँव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र	0	0	5512410
	कुल	**3600400**	**0**	**7369610**
ओड़िशा				
22	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, अस्वखोला, पोस्ट-करमुल, जिला धेनकनाल, ओडिशा	0	0	3601138
23	ब्राइट कैरियर एकाडमी, एट-डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया पोस्ट-जेपौर, जिला-कोरापुट, पिन-764001, ओडिशा	3002700	0	2481560
24	कोरापुट डवलपमेंट फाउंडेशन एट लिंगराज नगर पो. जयपोर ग्राम सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	0	3689238	3722660
25	लिबरेशन एजूकेशन एण्ड एक्शन फोर डेवलपमेंट (एलईएडी) पोस्ट-जैयपोर, ग्रा. सुन्दरगढ़, जिला कोरापुट, ओडिशा	2823712	0	2955156

26	मर-म्यूनिंग आश्रम, अरबिन्दो नगर, पोस्ट जयपोर, जिला-कोरापुट, ओडिशा	2246200	0	2246200
27	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजूकेशन सोसायटी, भुवनेश्वर, ओडिशा (19 परियोजना)	0	94230556	104051619
28	प्रकल्प, पोस्ट- ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा	4794249	0	4985520
29	सर्वेन्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, ग्राम/पोस्ट-रायगाडा, जिला- रायगाडा, ओडिशा	0	1950678	0
30	सेवा समाज, मु.पो. गुनुपुर, जिला रायागढ़ पिन-762022 ओडिशा	0	2182200	2161875
31	सोशल एजुकेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापाली, भुवनेश्वर, ओडिशा	0	0	2814345
32	सोसायटी फॉर नेचर एण्ड हेल्थ एजूकेशन (एसएनईएच), प्लॉट नं.- एनडी-19-20, आईआरसी गांव, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा (2 शैक्षिक परियोजनाएं)	5822500	0	5824104
33	श्री रामाकृष्ण आश्रम, बादारोहिला, पोस्ट-कडालिमुंडा, जिला-आंगुल, पिन-759126, ओडिशा (2 शैक्षिक परियोजनाएं)	0	0	5602800
34	टैगोर ग्रामीण विकास सोसायटी, ए-47, रामेश्वर पटना, मौसीमा स्क्वायर भुवनेश्वर, ओडिशा	0	2028587	0
35	सर्वोदय समिति, ग्राम/पोस्ट कोरापुट: पिन-764020, जिला कोरापुट, ओडिशा	2999100	0	2999161
36	होली होम-डाईनमुडां छाक (महाराष्ट्र), पोस्ट-तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	4819200	0	4819200
	कुल	**26507661**	**104081259**	**148265338**
राजस्थान				
37	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, हिरन मागरि, सै.न. 4, उदयपुर-313002, राजस्थान	2032549	0	2032550
38	मेवार शारीरिक शिक्षा समिति, हिन्टा, पोस्ट- भंडर, उदयपुर, राजस्थान	3479770	0	3204200
39	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम एवं पोस्ट - झाडोल (फलासिया) जिला-उदयपुर, राजस्थान	4152800	0	4764580
	कुल	**9665119**	**0**	**10001330**
तेलंगाना				
40	तेलंगाना ट्राइबल वेल्फेयर रेजिडेन्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	41056770	48075810	71975792
		41056770	48075810	71975792
	कुल योग	**350000000**	**532962256**	**533962810**

अनुलग्नकः 14–ख (ii)

राज्यवार सारांश

'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' की योजना के तहत निर्मुक्त की गई निधियों ब्यौरे

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17 (31.12.2016 तक)
1	आंध्रप्रदेश	5207920	193107731	0
2	अरुणाचल प्रदेश	4271709	0	0
3	छत्तीसगढ़	3925448	0	0
4	गुजरात	194219225	171232411	285792943
5	झारखंड	4442520	2107200	0
6	मध्य प्रदेश	57103228	14357845	10557797
7	महाराष्ट्र	3600400	0	7369610
8	ओडिशा	26507661	104081259	148265338
9	राजस्थान	9665119	0	10001330
10	तेलंगाना	41056770	48075810	71975792
	कुल	**350000000**	**532962256**	**533962810**

अनुलग्नक: 15-क

वर्ष 2015-16 और 2016-17 (31.12.2016) के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष-वार निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2015-16		2016-17 (31.12.16 तक)	
		कुल	पूर्वोत्तर	कुल	पूर्वोत्तर
I	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	553.03	21.46	331.67	21.17
II	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	1394.60	333.80	1262.97	53.04
	उप जोड़ (I . II)	**1947.63**	**355.26**	**1594.64**	**74.21**
	उपर्युक्त I और II के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्त की गई राशि का प्रतिशत		18.24		4.65
III	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1132.17	96.97	933.70	72.88
IV	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	1392.46	176.62	1044.90	423.01
	उप-योग (III+IV)	**2524.63**	**273.59**	**1978.60**	**495.89**
	कुल (I से IV)	**4472.27**	**628.85**	**3573.24**	**570.10**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र को निर्मुक्ति का प्रतिशत		14.06		15.95

अनुलग्नक: 15–ख

वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

योजनाएं	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीम									
अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना	11.36	0.00	15.74	20.00	0.00	0.00	5.94	0.00	53.04
ब्लॉक अनुदान									
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	47.15	84.41	16.25	221.46	17.63	19.90	4.50	11.71	423.01
जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	0.00	34.07	20.11	0	0	0	5.25	13.45	72.88
केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं									
जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	1.75	3.49
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	1.11	0.73	2.93
विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	5.91
अ.ज.जा. के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.34	0.53	2.12	3.12	0.40	0.00	0.00	0.33	8.84
कुल	**60.85**	**119.01**	**56.07**	**244.58**	**19.77**	**19.90**	**16.80**	**33.12**	**570.10**

अनुलग्नकः 16

वर्ष 2016-17 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	उपयोजनाओं के ब्यौरे	2016-17 का बजट अनुमान	पता लगाने योग्य, मापने योग्य और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	31.12.2016 तक प्राप्त लक्ष्य
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम - आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	30.00	(i) सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (ii) क्षेत्रवार सृजित वास्तविक परिसंपत्तिया (क) कृषि और संबद्ध; (ख) औद्योगिक; (ग) सेवाएं	एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2016 तक एएमएसवाई के तहत 10461 महिला लाभार्थियो के आर्थिक उत्थान के लिए 23.03 करोड़ रु. स्वीकृत किए है। इसके अलावा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजनकारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को कवर किया गया है
2.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता निर्धारित की है: (i) शिक्षा - 40-50% (ii) स्वास्थ्य - 10-15% (iii) कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मछली पालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र - 20-30%	1250.00	यह लिंग आधारित योजनाएं नहीं हैं तथा लाभ पुरुष और महिला लाभार्थी दोनों के लिए है।	
3.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान		1400.00	अनुदान अंतरालों को भरने की प्रवृति के हैं। किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण के अनुसार की जानी है। वास्तव में लक्ष्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित	31.12.2016 तक 935.99 करोड़ तथा 1044.86 करोड़ रु. की राशि क्रमशः टीएसपी को एससीए और अनुच्छेद 275(1) अनुदान के लिए जारी किए गए हैं। 19 एकलव्य आदर्श आवासीय

		(iv) जनजातीय परिवार की अर्थव्यवस्था आरंभ करने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं } 10-15% (v) प्रशासनिक ढांचा (कार्य बल सहित) /संस्थागत ढांचा तथा अनुसंधान अध्ययन } <5-10%		नहीं किए जाते, न ही कम अवधि में निगरानी योग्य परिणाम दर्शाना संभव है।	विद्यालय इस वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए हैं।
4.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	₹1269.22 (अम्ब्रेला योजना के सामान्य घटक)	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने पूरा कर लिया है। (क) ग्रुप I (ख) ग्रुप II (ग) ग्रुप III (घ) ग्रुप IV	1205.43 करोड़ रुपये का अनुदान अ.ज.जा. बालक और बालिका लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए हैं।
5.	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	जनवरी से मार्च 2017 की अवधि के लिए प्रस्तावित/ अनुमानित राशि 344 करोड़ रु. है।	विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कक्षा 9 तथा 10 पास कर ली है	52.12 करोड़ रुपये का अनुदान अ.ज.जा. बालक और बालिका लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए हैं।
6.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	20.00	निर्मित छात्रावासों की क्षमता	छात्रावासों के नए निर्माण के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किए गए

7.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	योजना के अंतर्गत कोई पृथक बजट आवंटन नहीं है। "अ.ज.जा." के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के तहत संयुक्त निधि आवंटित की गई है	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान (31.12.2016 तक) 99 शैक्षणिक परिसरों को वित्तपोषित किया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियों की 24382 लड़कियों को कवर किया गया है और 53.40 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गए हैं।
8.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान	जनजातियों के द्वारा दौरों का विनिमय	21.00	"टीआरआई को समर्थन" की योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों के जनजातियों के द्वारा विनिमय यात्राओं के लिए सहायता दी जाती है। यात्रा करने वाले समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।	2016-17 के दौरान त्रिपुरा, सिक्किम और कर्नाटक राज्य सरकारों के जनजातियों द्वारा विनिमय यात्राओं के लिए निधियां जारी की गई हैं।

*2012-13 से 2015-16 के बकाया की ओर 2016-17 के दौरान जारी निधियां 1081.50 करोड़

#- है तथा चालू वर्ष के तदर्थ के लिए 176.05 करोड़ रु. है एवं लाभार्थियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

**15% स्वीकृति लक्ष्य

अनुलग्नकः 17

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ताः

पाठ्यक्रम का स्तर	वाचक भत्ता (रुपये प्रति माह)
समूह-I, II	240
समूह-III	200
समूह-IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रवास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। दिव्यांग व्यक्ति की विकलांगता को (समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रुप में परिभाषित किया गया है

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रुप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160 रुपये प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रवास में रहने वाले, गंभीर रुप से हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को 160 रुपये प्रतिमाह का विशेष वेतन अनुमत्य है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240 रुपये प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (ड.) में प्रावधान कुष्ठ रोग ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहें अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है:

असहायित निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपये में)
1) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
2) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अन्दर है, में नहीं रहते हैं।	160
3) गंभीर रुप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी।	160
4) शैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रुप से गंभीर दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रवास के किसी कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत्य है।	160
5) मानसिक रुप से कमजोर तथा मानसिक रुप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

टिप्पणी: दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित

विकलांगता को राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

***विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार हैं:**

समूह	पाठ्यक्रम
समूह I	(i) चिकित्सा (एलोपैथिक भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनयरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर साइंस/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोतर अनुसंधान सहित स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और डिग्री। (ii) व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु-इंजन रेटिंग सहित) (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्ट्रेत्तर कार्यक्रम (डि.लिट, डी.एस.सी.):- क) समूह-।। के वर्तमान पाठ्यक्रमों में ख) समूह-।।। के वर्तमान पाठ्यक्रमों में (vi) एल.एल.एम
समूह II	(i) फार्मेसी (बी-फार्मा), नर्सिंग (बी-नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, जांच आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन-संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम-से-कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है। उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह-I में शामिल नहीं हैं।
समूह III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह- I और II में शामिल नहीं हैं।
समूह IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रामण-पत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक दोनों विधाएं, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

अनुलग्नकः 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रुप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं.
1.	श्री एम.दिलिप कुमार	उप-सचिव (प्रशासन)	कमरा सं. 212, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110115, दूरभाष सं. 23073706
2.	श्री एच.एस.होरा	तकनीकी निदेशक (एनआईसी)	कमरा सं. 217, जी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110115, दूरभाष सं. 23387970
3.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एससीए)	कमरा सं. 217 एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्लीख्र 110115, दूरभाष सं. 23073708
4.	श्री एम.के.झा	अवर सचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 217 एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110115, दूरभाष सं. 23387007
5.	श्री डी.एन. मंडल	उप-निदेशक (सीएलएम)	कमरा सं.219, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110115
6.	श्री के.वी. रामचन्द्रन	अनुभाग अधिकारी (स्थापना)	कमरा सं.400, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष सं. 23387187
7.	श्री राजीव कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं.416, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष सं. 23386952
8.	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्लीख्र 110115, दूरभाष सं. 23381903
9.	श्री धरम बीर कुमार सिंह	अनुभाग अधि कारी(सामान्य प्रशासन)	कमरा सं. 218बी, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्लीख्र 110115, दूरभाष सं. 23387469
10.	श्री धीरज चन्द्र रे	अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी)	कमरा सं. 239, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182153
11.	सुश्री रमदीन एल रेंथली	सहायक निदेशक (नीति विश्लेषण)	कमरा सं. 61, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली- 110066, दूरभाष सं. 26182823
12.	श्री नरेन्द्र कुमार	अनुभाग अधिकारी (आय सृजनकारी योजनाएं)	कमरा सं. 219, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110115

13.	श्री शैल कुमार	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	कमरा सं. 216जे, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110066
14.	श्री प्रवीन पंडित	अनुभाग अधिकारी (अनुदान)	कमरा सं. 217 एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115, दूरभाष सं. 23381962
15.	श्री रमेश कुमार वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (एनसीएसटी / आरएंडएम)	अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
16.	श्री गोपाल साधवानी	उप-सचिव (लोक शिकायत)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066
17.	श्रीमती सुनंदा शर्मा	अनुभाग अधिकारी (शिक्षा)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष सं.23070508
18.	श्री सुरिन्द्र पाल शर्मा	अनुभाग अधिकारी (एमएफपी / न्यायिक)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115, दूरभाष सं. 23383461
19.	श्री शिवदर्शन कोरी	सहायक निदेशक (रा.भा.)	कमरा सं. 240, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182429

अनुलग्नकः 19

लेखा-परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित है

क्र.स.	वर्ष	पैरा/पीएसी की सं. जिनका कृतकार्रवाई नोट लेखा परीक्षा द्वारा विधिक्षा के उपरांत जमा कर दिया गया है।	लेखक परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिसकी कृत कार्यवाई टिप्पण लंबित हैं, का विवरण			
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया कृत कार्रवाई टिप्पण की संख्या	भेजी गई किन्तु अवलोकनों के बाद लौटाई गई कृत कार्रवाई टिप्पणों की संख्या एवं जिनकी लेखा परीक्षा मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुती के लिए प्रतीक्षा गत है।	भेजा गया एटीएन परन्तु विधिक्षा नहीं हुई / लेखा परीक्षा द्वारा अवलोकन के साथ लौटाया गया	एटीएन की संख्या जिनकी अंतिम विधिक्षा हो चुकी है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1.	1999	-	-	1	-	-
2.	2002	-	-	-	-	-
3.	2003	-	-	-	-	-
4.	2005	-	-	-	-	-
5.	2006	-	-	-	-	-
6.	2007	-	-	-	1	-
	कुल	**-**	**-**	1	1	**-**

"गणतंत्र दिवस 2017 समारोह" के दौरान विभिन्न राज्यों से आये जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी।

दिनांक 10.11.2016 को जनजातीय कल्याण की स्थाई समिति की आयोजित प्रथम बैठक के दौरान श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री तथा अन्य सदस्य।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

www.tribal.gov.in

www.tribal.nic.in

मुद्रण: अरावली प्रिंटर्स